लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(तीसरा सत्र)

(खंड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

विषय–सूची

अंक 2, मंगलवार, 10 जून, 1980/20 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
मंत्री का परिचय :	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 24, 26 और 27	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 25, 28 से 35 और 37 से 40	18—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 162 से 175, 177 से 217, 219 से 306 और 308 से 331	25—154
सभा–पटल पर रखे गये पत्र	154—155
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	155—157
विधेयकों पर अनुमति	157—158
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	158—160
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	161—189
उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिला में कुछ हरिजनों को जलाये जाने का समाचार	
श्री हरिकेश बहादुर	161
श्री योगेन्द्र मकवाना	165
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	166
श्री जैल सिंह	182
श्रीमती गीता मुखर्जी	184
श्री बागुन सुम्बरुई	187
पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में वक्तव्य	189—192
श्री वीरेन्द्र पाटिल	189
कार्य मंत्रणा समिति	192—200
चौथा प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	201—207
(एक) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य, जिसमें उन्होंने भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली का सुझाव दिया था।	
श्री ज्योतिर्मय बसु	201
श्री पी० शिव शंकर	202

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था

विषय	पृष्ठ
(दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करना	
डा० कृष्ण चन्द्र हाल्दर	204
श्री वीरेन्द्र पाटिल	204
(तीन) महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की तालिका के बीमा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हड़ताल का समाचार	
श्री आर० के० महालगी	204
(चार) बिहार में पटना-हाजीपुर गंगापुल के निर्माण में कथित विलंब	
श्री राम विलास पासवान	205
आसाम के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में साँविधिक संकल्प	207—236
प्रो० यशवंतराव चव्हाण	207
श्री आर० एस० स्पैरो	211
श्री रवीन्द्र वर्मा	213
श्री इब्राहीम सुलेमान	219
श्री राम जेठमलानी	222
श्री चित्त बसु	227
श्री जैल सिंह	229
लेखानुदानों की मांगें (आसाम), 1980-81	236—238

लोक सभा

मंगलवार, 10 जून, 1980/20 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

मंत्री का परिचय

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमान् जी, मैं आपको और आपके माध्यम से इस सदन को अपने सहयोगी, श्री मगन भाई बारोत, वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री का परिचय कराना चाहती हूँ ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आसाम में अशोधित तेल को रोके जाने का तेल की सप्लाई पर प्रभाव

*21. **श्री चन्द्र भान आठरे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसामियों द्वारा अशोधित तेल को रोके रखने से समूचे देश में तेल की सप्लाई की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे इस वस्तु की उपलब्धता में कितनी बाधा आई है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं तथा इस वर्ष कुल कितने अशोधित तेल का आयात करने की संभावना है तथा किन देशों से आयात किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी से मई, 1980 के बीच गोहाटी, बोंगाईगांव और बरौनी की चार शोधनशालाओं में खनिज तेल का थूपट करीब 1.89 मिलियन मी० टन कम होने का अनुमान है जिससे तैयार पदार्थों के उत्पादन में करीब 1.6 मिलियन मी० टन की हानि हुई है ।

(ग) जहां तक सम्भव है उत्पादन में हुई हानि को तैयार उत्पादों के आयात तथा इन शोधनशालाओं के बन्द होने से प्रभावित क्षेत्र को इनकी सप्लाई पहुँचा कर पूरा किया जा रहा है । इस कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ में जनवरी-मई, 1980 की अवधि के लिए आयोजित आयात से हाई

स्पीड़ डीजल और मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आयात करीब एक मिलियन मी० टन अधिक है। अन्य बातों के साथ-साथ असम की तीन शोधनशाला और बिहार की बरौनी शोधनशाला के उत्पादन में गिरावट आ जाने के कारण यह अतिरिक्त आयात किया गया था। इस आयात का प्रबंध खाड़ी के देशों तथा स्वतन्त्र साधनों वाले क्षेत्रों से किया गया है। वर्तमान समस्याओं को देखते हुए अधिकतम सप्लाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश की शोधनशालाओं में उत्पादन, आयात और पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर रेलवे, राज्य सरकारों और तेल कम्पनियों के साथ घनिष्ठ समन्वयन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

श्री चन्द्र भान आठेर पाटिल : उत्तर में यह बताया गया है कि खाड़ी के देशों और अन्य क्षेत्रों से आयात का प्रबन्ध किया गया है। क्या मंत्री महोदय 'अन्य क्षेत्रों' के अन्तर्गत आने वाले देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक आयात का संबंध है, हम पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कर रहे हैं, हम खुले बाजार से तुरन्त खरीद कर रहे हैं। इसलिए किसी विशिष्ट देश को प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि सप्लायर किस देश से पेट्रोलियम उत्पाद ला रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभान आठेर पाटिल : जो मात्रा आयात की जा रही है, वह उत्पादन में हुई कमी अथवा मांग की आधी मात्रा को ही व्यावहारिक रूप से पूरा कर सकती है। इसलिए क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इससे देश में तेल अर्थात अशोधित् तेल, डीजल और मिट्टी के तेल के उपयोग पर भी प्रभाव पड़ेगा ? और यदि हां, तो कमी की स्थिति से निपटने के लिए हमारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमान् जी, मैंने अपने उत्तर में पहले ही कहा है कि हम कमी की शर्तें किस प्रकार कर रहे हैं। अशोधित तेल की कमी 19 लाख टन है और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी 16 लाख टन है। हम गत पांच महीनों केदौरान पहले ही 10 लाख टन अतिरिक्त उत्पाद का आयात कर चुके हैं और जहां तक देश की अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, इससे उस पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड रहा हैं।

श्री आर० के० महालगी : आयात करने के लिए तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान न्यूनतम मांग कितनी है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : स्वदेशी उत्पादन 1.4 करोड़ टन हैं और बाहर से हम 1.6 करोड़ टन अशोधित तेल और 65 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कर रहे हैं।

श्री नीरेन घोष : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि तेल शोधक कारखानों से तेल के आने पर रुकावट न आने पाये।

दूसरे, उन्होंने 'स्पाट परचेजिस' (तुरन्त खरीद) का उल्लेख किया है। क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि चार पार्टियां यह कार्य प्राइवेट तौर पर कर रही हैं, वे टेण्डर आमन्त्रित नहीं करती है और भारतीय तेल निगम में एक प्रकार का घोटाला हो रहा है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : 'तुरन्त खरीद' टेण्डर प्रणाली के आधार पर की जाती है जहां तक इसका सम्बन्ध है, कोई घोटाला नहीं है। इसके लिए निश्चित नियम और विनियम तथा प्रक्रिया

है । जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय तेल कम्पनी के अधिकारियों ने सुव्यवस्थित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है । वे टेण्डर आमन्त्रित करते है और केवल सबसे कम लागत के टेण्डर को ध्यान में रखने के बाद खरीद का निर्धारण करते हैं ।

श्री नीरेन घोष : चार तेल शोधक कारखाने बन्द हो गये । तेल का प्रभाव रुक गया । यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि तेल का प्रवाह शुरू हो जाय ? व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं किया गया ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह सच है कि तेलशोधक कारखानों से तेल बाहर नहीं आ रहा है । बरौनी तेल शोधक कारखाना आसाम के अशोधित तेल पर आश्रित है । पाइप लाइन में तेल नहीं बह रहा है और इसके परिणाम स्वरूप बरौनी तेलशोधक कारखाना गत पांच महीनों से बन्द पडा है । सभी तेल शोधक कारखाने बन्द हो गये हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि वे क्यों बन्द हुए और दिन की अगली कार्यवाही के दौरान इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ।

श्री राम जेठमलानी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी देश ने इस आधार पर आपको तेल की सप्लाई करने से इन्कार कर दिया है कि इस देश ने योशे दामान को मात्रा करने की अनुमति दी थी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि 'ओपैक राष्ट्रों' ने एक योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत वे विकासशील देशों को ब्याज की रियायती दरों पर दीर्घकालीन ऋण देने के लिए तैयार है, जिससे वे 'ओपैक राष्ट्रों' से तेल का आयात करने के लिए धन की व्यवस्था कर सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और क्या उक्त योजना से भारत को लाभ होने की सम्भावना है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में लाभ होगा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम उन्हें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे हमें भी विकासशील देश समझें जिससे हमें अनुदान या सहायता या रियायती दरों पर ऋण दिया जा सके, परन्तु मैं यह कह सकने की स्थिति में नहीं हूं कि इसका क्या परिणाम होगा ।

डा० कृपासिन्धु भोई : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम 1.6 करोड़ टन अशोधित तेल का आयात कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मात्रा का भी देश के अन्तर्गत उत्पादन करने के लिए सरकार ने कोई बृहद योजना बनाई है । यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और बृहद योजना के अनुसार कितने वर्षों में हम आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और सरकार ने तेल की खोज के लिए और विस्तार कार्यक्रमों के लिए क्या कार्यवाही प्रारम्भ की है और आगामी बजट में तथा पांच वर्षों के लिए सरकार ने कितनी धनराशि की व्यवस्था की है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक स्वदेशी तेल प्राप्त करने का सम्बन्ध है, हमारे पास एक संगठन है जिसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कहते हैं । उन्होंने बडे पैमाने पर समुद्र तट से दूर

तथा तटीय खुदाई कार्य आरम्भ किया है। मैं ब्यौरा देने की स्थिति में नहीं हूं। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो वे एक अन्य प्रश्न का नोटिस दें तो मैं ब्यौरा देने को तैयार हूं। वे तेल प्राप्त करने के लिए काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे में स्ट्रैप्टोमाइसीन का उत्पादन

*22. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुणे स्थित हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड़ में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण स्ट्रैप्टोमाइसीन के उत्पादन में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव हुआ है ; और

(ग) उत्पादन में हुई कमी को देखते हुए इसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है,

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

यद्यपि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) में 18 मार्च से 2 मई, 1980 तक हड़ताल के कारण स्ट्रैप्टोमाइसीन के उत्पादन में लगभग 15 टन की हानि हुई है लेकिन इससे स्ट्रैप्टोमाइसीन के कुल स्वदेशी उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्ष 1979-80 में देशों में कुल 220.16 टन स्ट्रैप्टोमाइसीन का उत्पादन हुआ जबकि 1978-79 में 220.73 टन का उत्पादन हुआ था। स्वदेशी उत्पादन की पूर्ति के लिए पिछले वर्षों की भांति स्ट्रैप्टोमाइसीन के आयात के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गई है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है, उसमें मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि हालांकि स्ट्रैप्टोमाइसीन के उत्पादन में 15 टन की कमी हुई है, परन्तु इससे स्ट्रैप्टोमाइसीन के कुल स्वदेशी उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। परन्तु तथ्य यह है कि इस हड़ताल की अवधि के दौरान, स्ट्रैप्टोमाइसीन का भण्डार ग्रामीण बाजारों में, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों में उपलब्ध नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा जमाखोरी के कारण है या किसी अन्य कारण से है। यह बहुत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधि है, जो सावधानी के एक उपाय के रूप में उपयोग करने और अनेक गम्भीर बीमारियों के लिए भी आवश्यक है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं कि इस विशिष्ट औषधि का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उचित वितरण हो, जिससे यह ठीक समय पर आम आदमी तक पहुंच सके। मैं वितरण पहलू के बारे में पूछ रहा हूं; क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि हड़ताल के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वे क्या उपाय कर रहे है जिनसे उचित वितरण हो सकेगा, जिससे उपलब्ध भण्डार का लोग उपयोग कर सकें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि कमी बहुत ही साधारण है और जहां तक इस औषधि का सम्बन्ध है, कोई कमी नहीं है और हमारे पास पर्याप्त भण्डार है। 1-4-1980 को 33·734 टन की उपलब्धता थी। इसलिए, सप्लाई के बारे में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : हालांकि भण्डार उपलब्ध है, परन्तु लोगों को वह प्राप्त नहीं हो रही है। मेरा प्रश्न वितरण के बारे में था। मेरे द्वारा व्यापक प्रश्न पूछने के बावजूद, मन्त्री महोदय उसे बिल्कुल नहीं समझ पाये और उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह वितरण के बारे में, बाजार में अनुपलब्धता के बारे में पूछ रहे थे।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैंने आपात के बारे में भी पूछा था, आप कितना आपात कर रहे हैं, कितनी मात्रा में आपात करने का विचार है और इसका किस प्रकार वितरण करने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अब तक हम बल्क औषधियों का आपात कर रहे हैं और औषधि निर्माताओं को बल्क औषधियों की सप्लाई कर रहे हैं, जो बल्क औषधियों को फार्मूलेशनों में बदलते हैं। चालू वर्ष के लिए, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के उत्पादन में कमी होने की वजह से, दस लाख टन आयात करने की जो हमने योजना बनाई थी, उसके स्थान पर हम 20 टन का आयात कर रहे हैं।

हम यह मात्रा औषधि निर्माताओं को दे रहे हैं। अनेक औषधि निर्माता हैं। अगर स्ट्रेप्टोमाइसीन का एक ब्राण्ड उपलब्ध नहीं है, तो अन्य ब्राण्ड उपलब्ध हैं। इसलिए कोई कमी नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : वितरण के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : निर्माताओं के अपने केमिस्ट और औषधि-विक्रेता हैं। अगर कोई कमी है और अगर वह हमारे ध्यान में लाई जाती है, तो हम मन्त्रालय में भी उस पर निगाह रखते हैं—हम औषधि निर्माता से सम्पर्क करते हैं और उससे शीघ्र सप्लाई भेजने के लिए कहते हैं।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के अनुमान के अनुसार देश में स्ट्रेप्टोमाइसीन की कुल मांग कितनी है और स्वदेशी उत्पादन कितना है और क्या स्ट्रेप्टोमाइसीन का निर्माण करने के काम आने वाली बल्क औषधियों के आयात को बन्द करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का सरकार प्रयास कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक इस औषधि का सम्बन्ध है, इस औषधि का निर्माण करने वाले चार औषधि निर्माता हैं अर्थात् एलेम्बिक, हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लि०, आई० डी० पी० एल० और सिनबायोटिक्स। उनकी कुल उत्पादन क्षमता 220.16 टन है। चूंकि, यह

पर्याप्त नहीं है । इसलिए, हम इसका आयात कर रहे हैं । पिछले वर्ष हमने 55 टन का आयात किया था और चालू वर्ष के लिए हमने 220 टन आयात करने का कार्यक्रम बनाया है । अगर इस बात की आवश्यकता हुई कि हमें अधिक मात्रा में आयात करना पड़े और मांग अधिक है तो हम अधिक मात्रा में आयात करेंगे ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जब हड़ताल होती है, तो यह स्वाभाविक है कि बाजार में एक भय का वातावरण होता है और लोग उसकी जमाखोरी करने लगते हैं और वे मूल्यों में वृद्धि करने चले जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त मात्रा में स्ट्रेप्टोमाइसिन का आयात करने पर कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च की जाएगी और हड़ताल को समाप्त करने के लिए माननीय मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है । क्या वह उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे जो हड़ताल कर रहे हैं और क्या उनका विचार कुछ नेताओं को हटाने का है जिनका इस हड़ताल के पीछे हाथ है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान एण्टीबयोटिक्स लि० में हड़ताल के कारण कुछ कमी की स्थिति पैदा हुई थी । लेकिन मैं सदन को पहले ही बता चुका हूँ कि हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स लि० ही एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जो इन औषधियों का निर्माण कर रही है । परन्तु तीन अन्य कम्पनियां भी हैं जो इन औषधियों का निर्माण कर रही हैं और उनका उत्पादन ठीक-ठाक है । उत्पादन के बारे में कोई कठिनाई नहीं है । परन्तु जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, कमी हुई है । इसलिए जो कुछ भी कमी है उतनी कमी के बराबर की मात्रा का हम आयात कर रहे हैं और अगर वर्तमान एकक अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं तो विस्तार कार्य के लिए लाइसेंस देने में हमें कोई संकोच नहीं होगा ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हड़ताल करने वालों के बारे में और उन लोगों के बारे में जो ऐसे महत्वपूर्ण एकक में हड़ताल कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या रुख है ? क्या इन लोगों के विरुद्ध सरकार का कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जैसा कि आप जानते हैं हड़ताल कोई नई चीज नहीं है । यह केवल हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स लि० में ही नहीं हुई है, बहुत सारी हड़तालें हुई हैं और वे अभी भी चल रही है । हमें उन लोगों से निपटना होता है जो हड़ताल करते हैं, हमें उनसे बात-चीत करनी होती है और कोई-न-कोई समझौता करना होता है क्योंकि हमें उनके साथ ही काम करना है ।

डा० कर्ण सिंह : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तरों से जीवन रक्षक औषधियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बारे मे एक अधिक व्यापक और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है । मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही खेद की बात है कि इसने सारे वर्षों के बाद भी हमें स्ट्रैप्टोमाइसिन का आयात करना पड़ेगा । यह जीवन रक्षक औषधियों में से सार्वाधिक महत्वपूर्ण औषधि हैं । क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि उस योजना के बारे में क्या कार्यवाही की गई है जो जीवन रक्षक औषधियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए लगभग 5 या 6 वर्ष पहले तैयार की गई थी ? हम भारतीय नागरिकों के जीवन को अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता की मनमानी पर आश्रित नहीं रहने दे सकते । एक उपयुक्त योजना बनाई

गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास स्ट्रैप्टोमाइसिन की भी कमी है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, चालू योजना के दौरान हम जीवन रक्षक औषधियों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री महोदय ने सभा पटल पर भारत सरकार का कि विवरण-पत्र रखा था जो हाथी समिति के प्रतिवेदन पर आधारित था। हाथी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर हम, जहां तक आवश्यक औषधियों का सम्बन्ध है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इन अंतर्राष्ट्रीय अथवा बहुराष्ट्रिक कंपनियों, के बारे में जो यहां पर कार्यरत हैं. हम उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं। अगर हमारी भारतीय औषध कम्पनियां और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां भी आगे आती हैं तो हम उन्हें बढ़ावा देते हैं, परन्तु बहुत कम अवधि में इन आवश्यक औषधियों के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव नहीं है। इसके लिये समय की जरूरत होती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि इन औषधियों और अन्य प्रति जीवाणु औषधियों के बारे में गुणात्मक नाम का उपयोग करने के स्थान पर गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा जिन ब्रांड नामों का उपयोग किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है ? क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि जीवन रक्षक औषधियां विशेष रूप में जिनका अमरीका से आयात किया जा रहा है वे घटिया किस्म की होती हैं और उनमें से कुछ तो मिलावटी होती हैं जिसके बारे में सैन फ्रांसिस्को और लंदन के एक लेख में व्यापक रूप से विवरण प्रकाशित हुए हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे इसके लिए नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस स्वीकार कर लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का नोटिस दीजिए, उसके लिए काफी समय है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर एक अन्य प्रश्न का नोटिस दिया जाता है तो मैं उत्तर देने की स्थिति में होऊंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अल्प सूचना प्रश्न के बारे में आपका विचार क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई संकोच नहीं होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपका आभारी हूँ।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय

* 23. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) चूंकि बाढ़-नियंत्रण राज्य-विषय है, इसलिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों की टिप्पणियों के लिए और रिपोर्ट में दी गई विभिन्न सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए उनके पास भेजी गई है। केन्द्रीय सरकार भी सिफारिशों का अध्ययन कर रही है और राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं जानने के बाद इन सिफारिशों पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री लक्ष्मण मलिक : बाढ़ आयोग का प्रतिवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था ?

आपको उड़ीसा राज्य की विपत्तियों का पता है। प्रत्येक वर्ष राज्य को बाढ़ के कारण जन धन की भारी हानि उठानी पड़ती है। मैं यह बात जानना चाहता हूँ कि इस प्रतिवेदन में उड़ीसा राज्य के बारे में क्या विशिष्ट उल्लेख किया गया है।

श्री केदार पांडे: यह प्रतिवेदन 21 मार्च, 1980 को प्रस्तुत किया गया था और इसे 19 अप्रैल 1980 को सम्बन्धित राज्य को उनकी टिप्पणियां जानने के लिये भेजा गया था। हम राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जहां तक आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, आयोग ने 207 सिफारिशें की है और सभी राज्यों का उल्लेख किया है। उड़ीसा राज्य का पृथक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है।

जब तक हमें राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हो जाती हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री झारखंडे राय : क्या यह सच है कि इस बाढ़ आयोग की सिफारिशों में एक बड़ी सिफारश यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के पश्चिमांचल विशेषकर सीमान्त अंचलों में जबर्दस्त बाढ़ जो आती है उसका कारण कुछ मुख्य नदियां हैं जैसे राप्ती, घाघरा नारायणी, गंडक आदि। क्या इन बाढ़ों की रोकथाम के लिए वहां किसी रिवर वैली प्रोजेक्ट की कोई सिफारिश की गई है, यदि हां तो उस विषय में भारत सरकार से क्या बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी धनराशि की माँग की है, यदि की है तो इस बारे में भारत सरकार ने क्या फैसला किया है ?

श्री केदार पांडे : अभी तक भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है लेकिन हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री कमल मिश्र मधुकर : उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो वे फंड्ज का अभाव बता देते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार अविलम्ब कोई कार्रवाई करने जा रही है और बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित करने जा रही है ताकि बाढ़ नियंत्रण की दिशा में कारगर कार्रवाई की जा सके और बाढ़ से जो क्षति होती है, उस क्षति को बचाया जा सके ?

श्री केदार पांडे : कमिशन की सिफारिशें सारे देश के लिए और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग हैं। राज्य सरकारों के कमेंट्स आ जाएं तब हम एक्शन लेंगे। हम खुद महसूस करते हैं कि बाढ़ों से क्षति पहुंचती है। उसके लिए इंतजाम भी हमने किया है। एक इंटेग्रेटिड पिक्चर

फ्लड कंट्रोल की बन जाए उसके लिए कमिशन बना था। वह इंटेग्रेटिड पिक्चर राज्य सरकारों को भेजी गई हैं। उनके कमेंट्स आ जायें तब हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं।

श्री के० मालन्ना : बाढ़ के कारण देश के विभिन्न भागों में, विशेषतया तटीय क्षेत्रों में काफी क्षति होती है, और जैसा कि आपको विदित है, जहां तक इन क्षतियों का सम्बन्ध है राज्य सरकारें कोई कार्यवाही नहीं कर सकतीं। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार बाढ़ नियंत्रण योजना आरम्भ करेगी।

मैं मंत्री महोदय से यह बात और जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार स्वयं ही बाढ़ नियंत्रण योजना आरम्भ करेगी क्योंकि क्षति के मामले में राज्य सरकारें कोई कार्यवाही नहीं कर सकतीं।

अध्यक्ष महोदय : आपका तात्पर्य है कि इसे केन्द्र सरकार को आरम्भ करना चाहिए।

श्री के मालन्ना : जी हां, केन्द्रीय सरकार को।

श्री केदार पांडे : मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय है, केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि विषय को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले।

श्री केदार पांडे : हम इसे अभी अपने हाथ में ले लेने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री नारायण चौबे : जब तक राज्य सरकारों की टिप्पणियां उपलब्ध नहीं हो जाती, केन्द्रीय सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक उनकी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हो जातीं, केन्द्रीय सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी और हम बाढ़ों से पीड़ित होते रहेंगे। क्या भारत सरकार की नीति यही है

श्री केदार पांडे : मैंने बताया है कि हमें आयोग का प्रतिवेदन 21 मार्च, 1980 को प्राप्त हुआ। हमने इसे 19 अप्रैल, 1980 को सम्बन्धित राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया है। हमने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अनुस्मारक भेजे हैं और फिर से और अनुस्मारक भेज रहे हैं। जब राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त होंगी, हम कार्यवाही करेंगे।

आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र में आशंकित तोड़-फोड़

* 24. **श्री एम० ई० होरो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत तार व्यवस्था में आशंकित तोड़-फोड़ के कारण आकाशवाणी का इम्फाल केन्द्र 2 मई, 1980 को पूरे दिन बन्द रहा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र बिल्कुल भी बंद नहीं रहा। स्टूडियो को ट्रांसमीटर के साथ जोड़ने वाले डाक-तार

केबल में खराबी हो जाने के कारण (जो कथित रूप से बिजली के एक खंभे के उखड़ने से हुई थी) स्टूडियो 2 मई, 1980 की सुबह ट्रांसमीटर को नियमित कार्यक्रम नहीं दे सका। इसलिए दक्त केन्द्र ने पूरक संगीत के साथ प्रेषण (ट्रांसमिशन) शुरू किया जो लगभग 15 मिनट चलता रहा। इसके बाद नियमित कार्यक्रम जो स्टूडियो से भेजा गया था, ट्रांसमीटर से सम्बद्ध आपातकालीन स्टूडियो से प्रसारित किया गया। डाक-तार केबल 5 मई, 1980 को ठीक कर दिया गया था और तब से उसे इस्तेमाल किया जा रहा है।

श्री एन० ई० होरो : क्या यह सच है कि तार में खराबी बिजली के एक खम्भे के उखड़-जाने के कारण हुई थी और यदि है तो क्या यह तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : जी नहीं। यह तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं थी ; डाक-तार केबल में खराबी बिजली के एक खम्भ के उखड़ जाने के कारण बताई गई है और बिजली का यह खम्भा दूर के लिए जाने के कारण उखाड़ा था।

रंगीन दूरदर्शन आरम्भ करने की योजना

*26. **श्री जी० वाई कृष्णन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रंगीन दूरदर्शन आरम्भ करने की चरणबद्ध योजना की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो रंगीन दूरदर्शन को बड़े पैमाने पर आरम्भ के लिए अपेक्षित तकनीक तथा उस पर आने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारत में रंगीन टेलीविजन को क्रमबद्ध ढंग से चालू करने की संभाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है। इस योजना का वास्तविक कार्यान्वयन उसको सरकार की स्वीकृति मिलने और धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

श्री जी० वाई० कृष्णन : यह सरकार का एक सामान्य उत्तर है। क्या सरकार यह जानकारी दे सकती है कि वे इसे कब तक, निश्चित तिथि, क्रियान्वित करेंगे ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : इस समूचे प्रश्न का अध्ययन करने के लिये हमने एक समिति गठित की है। इस कार्यकारी दल में इलेक्ट्रानिकी विभाग दूरदर्शन, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, योजना आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, तथा सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। कार्यकारी दल से कहा गया है कि वह अपना प्रतिवेदन इसी माह, जून, 1980 के अन्त तक प्रस्तुत कर दे।

श्री जी० वाई० कृष्णन : हमें प्रसन्नता है कि कार्यवाही दल का प्रतिवेदन जून के अन्त तक प्रस्तुत हो जायेगा। इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ? दूसरे क्या बंगलौर में रंगीन टेलीविजन सीधे ही आरम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वसंत साठे : मैं बता चुका हूं कि प्रतिवेदन का क्रियान्वयन वित्तीय क्षमता, धनराशि की उपलब्धता तथा समय पर तकनीकी जानकारी पर निर्भर करेगा । अतः जैसे ही प्रतिवेदन उपलब्ध होगा, इन दोनों पहलुओं पर विचार किया जायेगा और यदि संभव पाया गया तो हम इसे क्रिया करेंगे क्योंकि हम यह मानते हैं कि रंगीन टेलीविजन आज की प्रौद्योगिकी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप लोगों को पीने का पानी तो है नहीं सकते उन्हें रंगीन टेलीविजन जैसी चीज क्या देंगे ?

डा० सुब्रह्मणियम स्वामी : मंत्री महोदय पहले ही सार्वजनिक रूप से एक वक्तव्य दे चुके हैं जिसमें उन्होंने रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है । व्यक्तिगत रूप से मैं भारत में रंगीन टेलीविजन के आरम्भ का समर्थक हूं क्योंकि यह एक 3 मत प्रौद्योगिकी है और हमें इसकी आवश्यकता है ।

क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि इसका मूल्य क्या होगा और श्वेत श्याम टेलीविजन सैट की तुलना में इसका मूल्य क्या होगा ताकि हम रंगीन टेलीविजन के बाजार मूल्य का अनुमान लगा सकें ।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुये)

श्री वसंत साठे : हमारे अनुमान से तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार इसका मूल्य श्वेत श्याम टेलीविजन सैट से 20 प्रतिशत अधिक होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने पर कम से कम 300 करोड़ रुपये की राशि की लागत आयेगी ?.....

श्री चित्त बसु : 400 करोड़ रुपये की ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे 300 करोड़ रुपये बताया गया है । क्या सरकार के विचार में इसे अन्य मदों की तुलना में बहुत ऊंची प्राथमिकता मिलनी चाहिये और एक ऐसे देश में जहां 200 मिलियन लोग सूखा से पीड़ित हों और पीने के पानी के लिये तरसते हों वहां रंगीन टेलीविजन के लिये धनराशि व्यय की जानी चाहिये । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह सच है कि इस पर 300 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी ।

श्री वसंत साठे : जी नहीं । इसके लिये 300 करोड़ रुपये का राशि की आवश्यकता नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : तब कितनी राशि की आवश्यकता है ?

श्री वसंत साठे : साधारण अनुमान के अनुसार, यदि सभी नौ केन्द्रों, जो आज हमारे टेलीविजन केन्द्र हैं, रंगीन टेलीविजन केन्द्र में परिवर्तित किया जाये, तब सभी नौ केन्द्रों पर अधिक से अधिक 34 करोड़ रुपये की राशि की लागत आयेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने सलाहकार समिति की बैठक में राशि 300 करोड़ रुपये बतायी थी ।

श्री वसंत साठे : जहां तक प्राथमिकताओं का सम्बन्ध है ···

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री वसंत साठे : वह उत्तर सुनाना भी नहीं चाहते। जहां तक प्राथमिकताओं का संबंध है, इस बात पर वादविवाद हो सकता है कि आप बैलगाड़ी चाहते है या बोइंग विमान। यह तर्क सदैव दिया जा सकता है। यदि आप टेलिविजन की तुलना पानी से करेंगे तो ऐसी ही बातें सामने आयेंगी। अन्ततः यह इस सदन को, संसद को ही निर्णय करना है कि हमें नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी चाहिये अथवा नहीं। प्रौद्योगिकी के मामले में आप विश्व में पीछे नहीं रह सकते। उनकी जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे चारों ओर के सभी देश रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने के प्रयास कर रहे हैं। चीन में रंगीन टेलीविजन के लिये बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहे हैं। आप नहीं चाहते कि केवल भारत ही रंगीन प्रौद्योगिकी के लिये प्रयास करे। आपको विदेशों में श्वेत श्याम कैमरा भी नहीं मिलेगा, वे पुराने हो चुके हैं।

प्रश्न यह है कि क्या मेरे माननीय मित्र यह चाहते है कि अकेला भारत ही प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ा रहे? यदि उनको ऐसी इच्छा है और सदन उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है·····श्रीमन् सदन ही·····(व्यवधान)

सभापति महोदय · प्रो० दंडवते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि इन्हीं मंत्री महोदय ने सलाहकार समिति की बैठक में कहा था कि इस पर 300 करोड़ की लागत आयेगी,.....आपने कहा था।

श्री वसंत साठे : मैंने सलाहकार समिति की बैठक में 300 करोड़ रुपये की राशि दस वर्षों के लिए, यदि उन सब गांवों के लिये उपग्रह का प्रयोग किया जाये जिनमें बिजली उपलब्ध है, बतायी थी। लगभग दो लाख गांव उपग्रह दूरदर्शन के अन्तर्गत लाभान्वित हो जायेंगे जहां हम प्रेष-ग्राहियों ट्रांसपोण्डर्स की व्यवस्था कर चुके हैं। अतः इस प्रकार अपना अज्ञान प्रकट मत कीजिये·····(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह बात सच है कि जब कभी प्रौद्योगिकी अथवा अन्य किसी क्षेत्र में कोई परिवर्तन लाये जाते हैं, तब व्यक्तिगत रुचि के अनुसार कोई व्यक्ति रंगीन प्रौद्योगिकी अथवा रंगीन टेलीविजन का विरोध करता है इसकी तुलना में प्राथमिकताओं का प्रश्न अधिक महत्व रखता है। प्रश्न यह हैं कि भारत जैसे प्रगतिशील देश में प्राथमिकता का प्रश्न अधिक महत्व रखता है और इसीलिये, केवल इसी दृष्टि से मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहूँगा कि क्या रंगीन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए हमारे लिये ऐसे समय प्रयास करना उपयुक्त है जबकि हमने देखा है कि कांग्रेस सरकार के तीस वर्षों के शासन काल में केवल 40,000·····(व्यवधान)। उन्हें कांग्रेस शब्द पर आपत्ति क्यों है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : वंशीय कांग्रेस (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इस बात को समझ लीजिये कि मैं आपके कितने भी चिल्लाने से हतोत्साहित होने वाला नहीं हूँ। मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं·····(व्यवधान) श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ।

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये ।

प्रो० मधु दंडवते : जब माननीय सदस्य चिल्ला रहे है तब मैं अपना प्रश्न किस प्रकार पूछ सकता हूँ ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय आपके प्रश्न पर ध्यान दे रहे है ।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है वह ध्यान दे रहे है । आप कृपया सदन में शान्ति कराइये । (व्यवधान) । आप शान्त रहिये । आप सैकड़ों भी चिल्लायेंगे तब भी मैं शान्त नहीं रहूंगा । (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रो० दंडवते आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

प्रो० दंडवते : जी नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने अपना प्रश्न पूरा भी नहीं किया है ।

सभापति महोदय : प्रो० दंडवते प्रश्न काल में सीमित रही गुंजाइश होती है । आप स्पष्ट प्रश्न पूछिये और उसका सीधा स्पष्ट उत्तर लीजिये ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं सदैव ही स्पष्ट प्रश्न पूछता हूँ । मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि एक देश में जहाँ हम केवल 40,000 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कर सके हो क्या वहां रंगीन टेलीविजन को प्राथमिकता देना उचित है (व्यवधान) । क्या आप हमारे हितों की रक्षा नहीं करेंगे । मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । आप पीठासीन अधिकारी है आपको प्रश्न पूछने के मामले में माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा करनी होगी ।

सभापति महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि वे चिल्लाते रहेंगे तो मैं किस प्रकार प्रश्न पूछ सकता हूँ ।

सभापति महोदय : पीठासीन अधिकारी से झगड़ा करने में कोई लाभ नहीं है । आप कृपया प्रश्न पूछिये ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि माननीय सदस्य चिल्लाते रहेंगे तो मैं अपना प्रश्न किस प्रकार पूछ सकता हूँ ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे शान्त रहें । जब हम सदन में कोई प्रश्न पूछें तो यह प्रश्न स्पष्ट होना चाहिये और उत्तर में पहले दिये गये उत्तर की पुनरावृति नहीं होनी चाहिये । अब आप यह पूछना चाहते हैं कि क्या इस समय ऐसा किया जा सकता है । मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चूके हैं । (व्यवधान) मैं आपको प्रश्न पूछने की सुविधा देता हूँ । आपका प्रश्न था कि क्या आज की परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप प्रश्न को तोड़ना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : मैं सुविधा दे रहा हूं (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आपको संसदीय प्रक्रिया सीखना बहुत मुश्किल है (व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : प्रश्नकर्ता के प्रश्न में बाधा नहीं डाली जा सकती।

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

श्री वसंत साठे : श्रीमन्.....(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने अपना प्रश्न पूरा नहीं किया है।

समापति महोदय : ठीक है। आप अपना प्रश्न पूरा कीजिये। मेरा अनुरोध है कि आप स्पष्ट प्रश्न पूछें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा प्रश्न यह है कि जब तीस वर्ष में हम केवल 40,000 गाँवों को ही पीने का पानी उपलब्ध करा सके हैं तब क्या टेलीविजन के क्षेत्र में हमें रंगीन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने को प्रथमिकता देना उचित होगा अथवा हम अपने संसाधनों को पीने के पानी जैसी सुविधायें उपलब्ध कराने पर लगाना चाहेंगे ?

श्री वसंत साठे : श्रीमन्, कांग्रेस सरकार ने जो कुछ 27 वर्षों में किया था दुर्भाग्यवश उसे ढाई वर्ष में समाप्त कर दिया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, ढ़ाई वर्षों में हमने 46,000 गांवों में पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध करायीं जबकि उन्होंने तीस वर्ष में 30,000 गांवों को यह सुविधा उपलब्ध करायी। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : श्री दण्डवते को सूचित करते हुये मुझे यह प्रसन्नता है कि जहां तक प्राथमिकताओं का प्रश्न है रंगीन टेलीविजन और पीने के पानी की सुविधा के बीच तुलना करना बहुत ही अप्रिय बात है क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे प्राथमिकताओं के संदर्भ में सभी चीजों पर यही तुलना लागू होगी। हमें एयरबस की क्या आवश्यकता है ? क्या आप प्राथमिकता का तर्क देंगे ?

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

मैं बता चुका हूं कि यदि धनराशि उपलब्ध हुई तो हम इसे क्रियान्वित करेंगे। रंगीन टेलीविजन, रंगीन शब्द में मुझे कोई अकर्षाण नहीं है। आज जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे अन्यथा हम पीछे रह जायेंगे। इस प्रकार रंगीन टेलीविजन की प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसकी लागत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है (व्यवधान) श्री दंडवते आप मेरी पूरी बात सुनिये। भूतपूर्व सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिये गैर सरकारी संगठनों को 200 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की थी। यदि यह किया जा सकता है तो नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिये 34 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय ...

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें । क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि प्रश्न काल के दौरान (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये ।

प्रो० मधु दंडवते : यह प्रश्न काल के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में है । श्रीमन्, आपकी अनुपस्थिति में ···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप बैठ जाइये ।

प्रो० मधु दंडवते : कुछ सदस्य प्रश्न पूछ रहें थे । शोर मचाकर उनके प्रश्नों में व्यवधान पैदा किया जाता था । मैं यह बात जानना चाहता हूं ·····

अध्यक्ष महोदय : मैं बताऊंगा । आप कृपया बैठ जाइए । (व्यवधान) कृपया शान्ति रखिए । मैंने श्री संजय गांधी का नाम पुकारा है ।

श्री संजय गांधी : क्या मंत्री महोदय हमें इसके बारे में बतायेंगे ? प्रश्न ऊंची और नीची प्राथमिकता के बारे में पूछा गया है । क्या जनता पार्टी ने मोशे ब्यान को भारतीय वायु सेना के विमान से लाने पर जो धनराशि बर्बाद की थी क्या उसे रंगीन टेलीविजन के क्रियान्वयन पर कम की जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : यदि घाटे का हिसाब लगाने और पिछली सरकार इसे वसूल करने का कोई तरीका होता तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि उस धन राशि से दो केन्द्रों को रंगीन टेलीविजन केन्द्रों में बदला जा सकता था ।

श्री के० ए० राजन : मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जानना चाहता हूं कि प्रेस में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने पर·····(व्यवधान) । मैं फिर से कहता हूं । मैं मन्त्री महोदय से इसके बारे में जानना चाहता हूं । प्रेस में समाचार प्रकाशित हुये हैं कि रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि के उपकरणों के आयात की आवश्यकता पड़ेगी । मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है अथवा नहीं ।

श्री वसंत साठे : उस समाचार पत्र के उसी समाचार में इसका खण्डन भी किया गया था । समाचार के शीर्ष में 1000 करोड़ दिया गया था पर नीचे दिये गए विवरण में 1000 रुपये दिखाया गया था ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का कहना है कि कलर टी०वी० के कन्वर्जन पर 34 करोड़ रुपये लगेगा, जबकि श्री ज्योतिर्मय बसु का कहना है कि 300 करोड़ रुपये लगेगा । मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में महंगाई की वजह से, किताबों की कीमतें बढ़ने की वजह से, आज बच्चों को पढ़ाई की सुविधायें नहीं मिल रही हैं,

इसलिए क्या आप 34 करोड़ रुपये कलर टी०वी० पर लगाने की बजाय ज्यादा-से-ज्यादा देहातों के बच्चों को टेलीविजन सैट देने पर विचार कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री वसंत साठे : यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है ।

प्रो० मधुदण्डवते : आपने क्या कहा है—कार्यवाही करने के लिए सुझाव अथवा न करने के लिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी के कारण उद्योगों की हानि

*27. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि गत कई महीनों से बिजली की भारी कमी के कारण उत्तर प्रदेश को प्रति-माह औद्योगिक उत्पादन में 100 करोड़ रुपयों की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के लिये बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री : (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश बिजली की कमी का सामना करता रहा है । तथापि, इसके कारण संभावित हानि का मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी का मुख्य कारण है, 1979 में मानसून का न आना । इस वर्ष सामान्य मानसून आने से राज्य में जल-विद्युत के उत्पादन में सुधार होने की आशा है । उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ा दी गई है ।

ओबरा ताप विद्युत केन्द्र को सप्लाई किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोल इण्डिया को अनुदेश दे दिए गए हैं । भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड को सलाह दी गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली की आवश्यकता के सभी फुटकर पुर्जे शीघ्रता से सप्लाई किए जायें । किये गये उपर्युक्त उपायों से उत्तर प्रदेश में विद्युत सप्लाई की स्थिति में और सुधार होने की संभावना है ।

श्री सुशील भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि इस कारण से होने वाली संभावित हानि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । तथापि, दिनांक 23 अप्रैल, 1980 के 'इकानामिक टाइम्स' में एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार उद्योग निदेशक ने कहा है कि बिजली की भारी कमी के कारण 100 करोड़ रुपये की हानि है । मैं एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ : गत तीन वर्षों में अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी तथा बिजली का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह बता पाना हमारे लिए कठिन है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उत्तर प्रदेश में जल-विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 1068 मेगावाट है परन्तु हमें एक सामान्य वर्ष में इससे 800 मेगावाट ही प्राप्त हो पाती है..... (व्यवधान) इस वर्ष जल विद्युत का अधिकतम उत्पादन 400 मेगावाट हैं ; कभी कभी उत्पादन 200 मेगावाट तक भी रह गया हैं। अभूतपूर्व सूखे के कारण उत्तर प्रदेश में जलविद्युत की स्थिति बहुत निराशाजनक है।

अन्य तापीय विद्युत केन्द्रों में, हमारी अधिष्ठापित क्षमता 2232 मेगावाट है। ओबरा तापीय विद्युत केन्द्र में 42 से 43 प्रतिशत तक क्षमता का उपयोग हुआ है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस शोर शराबे में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उत्तरप्रदेश में सभी तापीय बिजली घरों में क्षमता उपयोग की प्रतिशतता 42 से 43 तक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करोगे तो दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, कृपया ऐसा न कीजिये।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : यह सामान्य दर है। जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी और हमने अच्छे कोयले की सप्लाई करके तथा कोयला सप्लाई की स्थिति में सुधार करके तापीय बिजली घरों के उत्पादन में सुधार लाने के लिये प्रयास किये हैं। हमने यह निर्णय भी किया है कि हम वित्तीय वर्ष 1980-81 में नये बिजली घरों से 272 मेगावाट प्राप्त कर सकेंगे। 1982-83 के दौरान 523 मेगावाट प्राप्त कर सकेंगे यदि वर्षा सामान्य रूप से होती है तो उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रहेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी प्रकार शोरशराबा करते रहेंगे तो प्रश्न-काल समाप्त हो जायेगा। कृपया ऐसा न कीजिये। अब हमें शान्त हो जाना चाहिये, ऐसी मजाक काफी हो चुका है। हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिये, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री सुशील भट्टाचार्य आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न छोटा करके पूछें। मैं मंत्री महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वह उत्तर भी छोटा करके दे।

श्री सुशील भट्टाचार्य : उद्योगों में कितने प्रतिशत बिजली कटौती की गई है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह सामान्यतया राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। यह हमारे द्वारा नहीं किया जाता (व्यवधान)। हमने यह किया है कि हमने राज्य बिजली बोर्डों को आदेश दिये हैं कि वे गहरे तथा उथले ट्यूबवैल्स को अधिकतम बिजली सप्लाई करें। ..... (व्यवधान)। हमने सम्पूर्ण स्थिति को न्यायोचित बनाने के लिये उनसे कहा है।

श्री चरणजीत यादव : मंत्री महोदय का उत्तर था कि मानसून की स्थिति खराब रहने के कारण उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी हुई है ; परन्तु उन्होंने सदन के सामने जो तथ्य रखा है उससे पता चलता है कि तापीय बिजली घरों में भी 32 से 43 प्रतिशत तक ही क्षमता का उपयोग हो या रहा है। 43 प्रतिशत औसत उपयोग का तात्पर्य है देश के सबसे बड़े राज्य को अत्याधिक हानि ; और यह हानि बिजली बोर्डों के कुप्रबन्ध के कारण है। क्या सरकार तापीय विद्युत के प्रबन्ध में सुधार लाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ताकि राज्य को हानि न हो ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, मेरे विचार से वहां बिजली की कमी का कारण कुप्रबन्ध नहीं है (व्यवधान)। खराब किस्म का कोयला इसका कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं ? क्या आप सदन को आश्वासन दे सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपको सदन को आश्वासन देना है कि यह भी सरकार के अधीन है और आप इसकी किस्म में सुधार करने का प्रयास करेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं इस बारे में पहले ही कदम उठा चुका हूं। कोयले की किस्म में पहले ही सुधार हो चुका है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फरक्का बांध में पानी के बंटवारे के लिए बांगलादेश के साथ समझौता

*25. श्री रेणुपद दास : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरक्का बांध में पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में बांगलादेश के साथ हुए समझौते के अनुच्छेद 2 की धारा 2 को निरस्त करने के लिए कोई कदम उठाया है।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ग) फरक्का में गंगा नदी के जल के बंटवारे और उसके प्रवाह को बढ़ाने के करार का पहला पुनरीक्षण नवम्बर, 1980 में और उसके बाद मार्च, 1982 में किया जाना है। इन पुनरीक्षणों में फरक्का में जल के अल्पकालीन बंटवारे और जल-प्रवाह में दीर्घकालीन वृद्धि किये जाने के बारे में किये गये प्रबन्धों के कार्य-चालन, प्रभाव, क्रियान्वयन और प्रगति पर विचार किया जाना है। इस पुनरीक्षण के लिए उपर्युक्त समय पर कदम उठाये जाएंगे।

जम्मू और काश्मीर राज्य में बिजली की कमी

*28. श्री फारूक अब्दुला :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में भी बिजली की कमी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकारों से भी अधिक बिजली सप्लाई करने का अनुरोध करे जिससे इस राज्य की बिजली की मांग पूरी हो सके ;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों राज्य सरकारें अधिक बिजली सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई हैं ; और

(घ) इन दो राज्यों द्वारा बिजली की कमी को कहां तक पूरा किया है ।

ऊर्जा तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सामान्यत: अप्रैल-अक्तूबर महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर विद्युत की अपनी आवश्यकता को पूरी तरह स्वयं पूरा कर लेता है । तथापि, इस वर्ष 15 मई से 24 मई, 1980 के बीच एक विद्युत केन्द्र में खराबी आ गई थी जिसके परिणामस्वरूप 70 मेगावाट तक की विद्युत सप्लाई कम हो गई ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पंजाब और भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड जम्मू और कश्मीर को 40 मेगावाट की सप्लाई करने के लिए सहमत थे ।

(घ) 15 से 24 मई, 1980 की अवधि के दौरान लगभग 70 मेगावाट की अनुमानित कमी की तुलना में सहायता लगभग 40 मेगावाट प्राप्त हुई थी ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में छिद्रण कार्य

*29 श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में छिद्रण कार्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूरे किए गए छिद्रण कार्यों के परिणाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अभी अंडमान समुद्री क्षेत्र में एक अन्वेषी कुएं की खुदाई और परीक्षण कर रहा है । इसी क्षेत्र में एक दूसरे अन्वेषी कुएं की खुदाई 1980-81 में किए जाने की योजना है ।

इस क्षेत्र में आगे और खुदाई करने का कार्यक्रम इन कुओं से प्राप्त किए जाने वाले आंकड़ों के तैयार किए जाने और इनकी व्याख्या पर निर्भर होगा ।

हुगली नदी में भू-कटाव रकोने के उपाय

*30. श्री आनन्द पाठक : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हुगली नदी में कलकत्ता पत्तन से समुद्र तक और भागीरथी नदी में जंगीपुर और मुर्शिदाबाद के बीच भू-कटाव रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के दोनों किनारों पर प्रभावित भागों को सुरक्षित बनाने के लिए मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर नामक स्थान से 24 परगना के मिटुआ ब्रुस नामक स्थान तक भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में लगभग 50 भू-कटावरोधी स्कीमें हाथ में ली गई हैं। राज्य सरकार ने इन स्कीमों के लिए 1980-81 के लिए 245 लाख रुपए की बजट-व्यवस्था की है।

कलकत्ता पत्तन न्यास ने भी, विशेष रूप से नौचालन की दृष्टि से नदी में अवांछनीय आकारिकीय (मार्फोलाजिकल) परिवर्तनों को रोकने के लिए कलकत्ता के प्रति प्रवाह और अनुप्रवाह दोनों ओर के असुरक्षित भागों में भागीरथी-हुगली प्रणाली में कटाव-रोधी उपाय किये हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा त्रिपुरा में तेल के लिए छिद्रण

*31 **श्री अजय बिश्वास** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने स्थानों पर छिद्रण कार्य आरंभ किया गया है और उसका क्या ब्योरा है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग त्रिपुरा में किसी कुंए का अब तक लक्षित स्थान तक छिद्रण कर सका है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :(क) ओ० एन० जी० सी० ने अभी तक त्रिपुरा में बारामुरा संरचना में 4 कुओं की खुदाई पूरी की है। इसके अतिरिक्त, अभी दो कुओं की—एक बारामुरा संरचना पर और दूसरा गोजालिया संरचना पर खुदाई चल रही है।

(ख) चार कुंए जो पूरे हो गए हैं, में से किसी की भी निर्धारित गहराई तक खुदाई नहीं की जा सकी है।

(ग) निर्धारित गहराई तक न पहुंच सकने का मुख्य कारण खुदाई करते समय असाधारण रूप से अधिक दबाव का होना था, जिससे व्ययन करने में बारम्बार कठिनाइयां आई थीं।

डीजल और पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध न होना

* 32. **श्री डी० पी० जदेवा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पाद के उपलब्ध न होने के कारण देश को अब भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को हाई स्पीड डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कमी के सम्बन्ध में कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) बिजली के उत्पादन में कमी, रेल की बजाय सड़क द्वारा बड़ी मात्रा में माल के परिवहन तथा देश के कई भागों में साल ही के सूखे की परिस्थितियों के कारण देश में डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त असम में आन्दोलन के कारण उस राज्य में स्थित तीन शोधनशालाएं तथा बिहार में बरौनी शोधनशाला दिसम्बर, 1979/जनवरी, 1980 से बन्द हो गई थीं। असम में गोहाटी और दिग्बोई शोधनशालाएं अब काम कर रही हैं परन्तु बोंगाईगाँव शोधनशाला अभी भी बन्द पड़ी है। बिहार में 3.3 मि० मी० टन क्षमता वाली बरौनी शोधनशाला अभी भी बन्द है। उत्पादन में हानि के अतिरिक्त इन शोधन-शालाओं के बन्द रहने से परिवहन क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ा है क्योंकि बरौनी से उत्पादों का परिवहन करने वाली बरौनी-कानपुर पाइपलाइन का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता। जिन क्षेत्रों को इस पाइपलाइन से सप्लाई दी जाती है उनकी आवश्यकताओं को रेल परिवहन से पूरा नहीं किया जा सकता।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने निम्न उपाय किए हैं :—

(i) डीजल और मिट्टी के तेल के आयात को अधिकतम किया गया है जिससे बन्दरगाह स्थलों पर इस उत्पाद की उपलब्धता में कोई कठिनाई न हो सके।

(ii) और अधिक टैंक गाड़ियों को प्रयोग में लाकर, टैंक गाड़ियों की वापसी के समय में कमी करके, पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाली गाड़ियों को यात्री गाड़ियों से अधिक प्राथमिकता देकर, रेलवे बोर्ड ने इन गाड़ियों के परिवहन की देखरेख करने के लिए एक कक्ष की स्थापना करके पेट्रोलियम उत्पादों का रेल द्वारा परिवहन करने में सुधार किया गया।

(iii) तेल कम्पनियों द्वारा डीजल और मिट्टी के तेल का सड़क द्वारा परिवहन करने को अधिकतम किया गया है।

(iv) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि डीजल और मिट्टी के तेल का समान वितरण आवश्यक वस्तु अधिनियम और उसके अन्तर्गत जारी किये गये नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाए और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को बनाया रखा जाए तथा कालाबाजार करने वाले और जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कड़ी कार्यवाही की जाए।

(v) तेल कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों पर कड़ी निगरानी रखें।

केरल में 'साइलेंट वैली' परियोजना

***33. श्री पी० के० कोडियन :**

श्री के० ए० राजन : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में 'साइलेंट वैली' परियोजना के बारे में, केन्द्रीय दल द्वारा अध्ययन पूरा किये जाने के बाद कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बीच राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसे वहां काम जारी रखने दिया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री को अभी हाल में लिखे एक पत्र में केरल के मुख्य मंत्री ने लाइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए कहा था । यदि परियोजना क्रियान्वित की जाती है तो उसके फलस्वरूप होने वाली विकृति के बारे में पर्यावरण विशेषज्ञों तथा परिस्थिति वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई गम्भीर आंशिकाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधान मन्त्री ने यह सुझाव दिया था कि कार्य को स्थगित रखा जाए ताकि परियोजना के परिस्थिति विज्ञान संबंधी पहलुओं का पूरी तरह से अध्ययन किया जा सके ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत का उत्पादन

*34. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दामोदर घाटी निगम (डी०वी०सी०) इस समय मुश्किल से 350 से 400 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है, जबकि इसकी अधिष्ठापित क्षमता 1350 मेगावाट थी, जिससे कोयला क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नही हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दामोदर घाटी निगम की प्रतिष्ठापित क्षमता 1361·5 मेगावाट है जिसमें 1257.5 मेगावाट ताप विद्युत तथा 104 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है । जलाशय स्तर कम होने के कारण इस समय कोई जल विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है । अधिकांश ताप विद्युत यूनिटें लम्बे समय से कार्य कर रही हैं, अतः उनकी कार्य-साधक क्षमता उनकी निर्धारित क्षमता से बहुत कम है । पिछले तीनों महीनों के दौरान औसत उत्पादन 500 तथा 540 मेगावाट के बीच हुआ है । कम उत्पादन वाली अवधि के दौरान विद्युत का वितरण क्रमबद्ध प्रतिबन्धों की पद्धति के आधार पर होता है जिसके अन्तर्गत, कोयले की आवश्यकताओं के लिए रेलवे कर्षण के उपरान्त दूसरी उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) जो यूनिटें बन्दियों में हैं उनको शीघ्र चालू करने के लिए बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है । निकट भविष्य में, एक आयोजित तरीके से शुरू किए जाने के लिए कई सुधारात्मक उपायों की योजना बनाई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों कठिनाइयों का

विश्लेषण करने तथा उपयुक्त सुझाव देने के लिए ब्रिटिश विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त की जा रही हैं। राज्य सरकारों से कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित रूप से संतोषजनक बनाए रखने के लिए भी अनुरोध किया है ताकि विभिन्न ताप केन्द्रों पर कार्य कर रहे कार्मिक अनुकूल वातावरण में कार्य कर सकें।

केरल में आल्वी स्थित व कैपरोलेक्टम परियोजना

*35. **श्री ई० बालानन्दम** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैपरोलैक्टम परियोजना केरल में आल्वी स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड को सौंप दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विविधिकरण के रूप में केरल में आल्वी के स्थान पर एक केपरोलैक्टम संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सिद्धेश्वरी सिंचाई परियोजना

*37. **श्री गदाधर साहा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धेश्वरी सिंचाई परियोजना की, जिससे कि वीरभूमि जिले में 55,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य है, शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : प्राप्त सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी सिद्धेश्वरी सिंचाई परियोजना का अन्वेषण किया जा रहा है और अभी तक यह परियोजना योजना आयोग की स्वीकृति लेने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

तेल की कीमतों में वृद्धि

*38. **श्री आर० के० महालगी** :

श्री पीयूष तिरकी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा हाल ही में तेलों की कीमतों में की गई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों में से प्रत्येक की कीमत में जनवरी, 1980 से हुई वास्तविक वृद्धि कितनी है;

(ग) क्या कीमतों वृद्धि के कारण तेलों के आयात में कमी की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। सरकार ने 8 जून, 1980 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिये हैं।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) और (घ) तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को अर्थ की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर योजनाबद्ध किया गया है और आपेक्ष मूल्यों में वृद्धि के कारण उसमें कोई कमी नहीं की गई है।

विवरण

क्रम सं०	उत्पाद	विक्रय ईकाई	वृद्धि रुपये/विक्रय ईकाई
1.	एल. पी. जी.	मी० टन	शून्य
2.	एम. एस.	किलो लीटर	650
3.	नैफ्था (उर्वरक)	मी० टन	475
4.	नैफ्था (गैर-उर्वरक)	मी० टन	210
5.	ए. टी. एफ.	किलो लीटर	1100
6.	एस. के. ओ.	किलो लीटर	शून्य
7.	एच. एस. डी. ओ.	किलो लीटर	650
8.	एल. डी. ओ.	किलो लीटर	650
9.	मिट्टी का तेल (गैर-उर्वरक)	किलो लीटर	650
10.	मिट्टी का तेल (उर्वरक)	किलो लीटर	शून्य
11.	एल. एस. एच. एस./एच. एच. एस. (गैर-उर्वरक)	मी० टन	650
12.	एल. एस. एच. एस./एच. एच. एस. (उर्वरक)	मी० टन	शून्य
13.	बिटूमन	मी० टन	650
14.	बैन्जीन/टोल्यून	किलो लीटर	260
15.	एस. बी. पी. एस /हैक्सेन/साल्वेंट 1425	किलो लीटर	1100
16.	एम. टी. ओ.	किलो लीटर	650
17.	जे. बी. ओ.	एम. टी.	690
18.	ईओमेक्स/एरोमेक्स	किलो लीटर	420
19.	सी. बी. एफ. एस.	किलो लीटर	620
20.	आर. पी. सी.	मी० टन	620
21.	वैक्स	मी० टन	1100
22.	ल्यूब्स	किलो लीटर	1100
23.	फिनोल एक्सट्रैक्ट	मी० टन	620

मतदान आयु कम करने का प्रस्ताव

*39. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की दृष्टि से विधि में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने न्यूनतम मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का संकल्प पारित किया है, और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर : (क) और (ख) यह प्रश्न कि क्या लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए न्यूनतम मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए, व्यापक निर्वाचन सुधारों के प्रस्तावों के भाग के रूप में सरकार के विचाराधीन रहा है । इन प्रस्तावों के साथ नीती के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जाना है इसलिए मतदान आयु को कम करने का प्रस्ताव सहित उन पर विनिश्चय करने में सरकार को कुछ और समय लगने की संभावना है ।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने एक गैर सरकारी संकल्प की प्रति भेजी है । यह संकल्प केरल विधान सभा द्वारा 26 मार्च 1971 को निर्विरोध पारित किया गया था और इसमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह उन सभी भारतीय नागरिकों को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, मतदान का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में आवश्यक संशोधन करे ।

विधि पैनल की रिपोर्ट जिनके संबंध में कार्यवाही होनी है

*40. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारीख 25 अप्रैल, 1980 के इन्डियन एक्सप्रेस में "44 ला पैनल रिपोर्ट्स गैदरिंग डस्ट" (विधि पैनल की 44 रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है), शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें वास्तविक स्थिति बताई गई है सदन के पटल पर रख दिया गया है (उपाबन्ध) । (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-838/80)

डी० वी० सी० का दुर्गापुर ताप बिजली घर सबसे बड़ी देयता

162. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दामोदर घाटी निगम का दुर्गापुर ताप बिजली घर का सबसे बड़ी देयता उसका आयातित संयंत्र और उपकरण है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या पतिक्रिया है ; और

(ग) दामोदर घाटी निगम के उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ।

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) दुर्गापुर की आयातित यूनिटें 20 वर्ष से अधिक समय से प्रचालन में हैं और फलस्वरूप ये अपना अधिकांश कारगर जीवनकाल समाप्त कर चुके हैं । अतः इस समय इनका उत्पादन इनकी मूल निर्धारित क्षमता से कम है । जहां तक संभव है इनके संघाटकों को प्रतिस्थापित करके और जब कभी बन्दियां हो जाती हैं तब इन यूनिटों को जल्दी से जल्दी प्रचालित करने के लिए इनकी मरम्मत करके इनकी कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं ।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के लिए प्रतीक्षा सूची

163. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की 30 अप्रैल, 1980 तक कुल संख्या कितनी थी , और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को गैस कनेक्शन मिल जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 30 अप्रैल, 1980 को दिल्ली में गैस कनेक्शन जारी किये जाने के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल व्यक्तियों की संख्या लगभग 3.3 लाख है ।

(ख) तरल पेट्रोलियम गैस की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष में बड़े पैमाने पर नये गैस कनेक्शन देना सम्भव नहीं हो सकता है । नये गैस कनेक्शन बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस के निकालने की सुविधाओं के चालू होने के साथ 1981 के आरम्भ से दिये जाने की आशा है ।

कोयला उत्पादन के आंकड़ों में विषमता का सर्वेक्षण

164. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला उत्पादन के आंकड़ों मुहानों पर गया माल और माल भेजने सम्बन्धी आंकड़ों में विषमता के आरोपों की जांच करने के लिए सर्वेक्षण दल नियुक्त किया है ,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल/दलों ने कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और वह किन क्षेत्रों की है तथा उनके निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, तो कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। सरकार ने कोयला उत्पादन स्टाक आंकड़ों की जांच करने के लिए कोई सर्वेक्षण दल गठित नहीं किया है। किन्तु, कोल इंडिया लि० ने कोलियरियों में पड़े कोयले की स्टाक की जांच करने के लिए एक दल गठित किया था। इस दल ने प्रत्येक कम्पनी में कोलियरियों में पड़े कोयले के स्टाक की सैम्पल जांच की है।

(ख) और (ग) इस दल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष को प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को प्रसारण की अनुमति न दिया जाना

165. श्री एन० ई० होरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 1980 के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि पश्चिमी बंगाल के नगरपालिका मंत्री को कलकत्ता आकाशवाणी केन्द्र पर प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) 15 मई, 1980 के "पैट्रियट" में प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आया है। किन्तु सच यह है कि पश्चिम बंगाल के मंत्री का भाषण आकाशवाणी, कलकत्ता से 16 मई, 1980 को प्रसारित किया गया था।

श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य द्वारा चुनाव प्रसारण का आलेख

166. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन पर चुनाव प्रसारण के लिए संसद सदस्य और भारतीय साम्यवादी दल के नेता श्री योगेन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए आलेख पर दूरदर्शन के अधिकारियों ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं ; और वे मूल रूप से प्रसारित तारीख को प्रसारण नहीं कर सके थे ; और

(ख) यदि हां, तो मूल आलेख से कौन-कौन से वाक्य/शब्द निकाले जाने थे और इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) राजनीतिक दलों के चुनाव प्रसारणों की योजना में राजनीतिक दलों

के नेताओं और निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्धारित संहिता में यह व्यवस्था है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनाव प्रसारणों में निम्नलिखित की अनुमति नहीं होगी :—

(1) मित्र देशों की आलोचना;

(2) धर्मों या सम्प्रदायों पर प्रहार ;

(3) कोई भी अश्लील और अपमानजनक बात ;

(4) हिंसा को भड़काना ;

(5) कोई भी ऐसी बात जिससे न्यायालय को अवमानना हो ;

(6) राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पर छींटा-कशी ; और

(7) कोई भी ऐसी बात जिसका राष्ट्र की अखण्डता पर असर पड़े ।

2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संसद सदस्य श्री योगेन्द्र शर्मा को दूरदर्शन केन्द्र, मुजफ्फरपुर से चुनाव प्रसारण करने के लिए नामित किया था । दूरदर्शन ने उनको अपना चुनाव प्रसारण रिकार्ड कराने के लिए उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के स्टूडियो में 11-5-1980 को आने के लिए आमंत्रित किया था । जैसा कि अपेक्षित है, उन्होंने अपना आलेख दूरदर्शन अधिकारियों को अग्रिम में नहीं भेजा । उसके बजाय वे उसको उस समय अपने साथ लाए जब वे रिकार्डिंग के लिए आए ।

3. आलेख को देखने के बाद दूरदर्शन अधिकारियों ने उन कतिपय अंशों का उल्लेख किया जो उपरि-उल्लिखित मानदण्ड के क्षेत्र में आ सकते हैं ।

दूरदर्शन अधिकारियों को जिस एक विशिष्ट अंश के बारे में संकोच था वह इस प्रकार हैं :—

'लोगों में यह धारणा बढ़ती जा रही है कि संजय गांधी को श्रीमती गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में सामने लाया जा रहा है । वे राज्यों का दौरा इस प्रकार करते हैं मानो प्रधान मंत्री का दौरा हो ।'

4. दूरदर्शन के अधिकारियों ने यह महसूस किया कि श्री संजय गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में लोगों की कथित भावना का खुल्लम-खुल्ला उल्लेख करते हुए यह आरोप लगाकर कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री संजय गांधी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं और श्री संजय गांधी देश का दौरा इस प्रकार करते हैं मानो वह प्रधान मंत्री का दौरा हो, इन दो विशिष्ट व्यक्तियों पर अनावश्यक और अपमानजनक छींटा-कशी की जा रही है । यह संहिता की मद संख्या (3) के अंतर्गत आता था । इसलिए दूरदर्शन के अधिकारियों को संकोच हुआ और उन्होंने इस बात पर विचार करने के लिये समय चाहा कि क्या उपरि उल्लिखित अंश संहिता के दायरे में आता है या नहीं । इसलिये उन्होंने श्री योगेन्द्र शर्मा से रिकार्डिंग को 16-5-80 के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि वे उपरि उल्लिखित अंश के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए डाली गई लाटरी के अनुसार, प्रसारण 24-5-1980 को किया जाना था ।

5. बाद में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पूछे जाने पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह सलाह दी कि आलेख के उस अंश में जिसे श्री शर्मा हटाने के लिए सहमत नहीं हुए है आपत्तिजनक नहीं हैं। 16 मई, 1980 को जब श्री शर्मा पुनः निर्धारित रिकार्डिंग के लिये मण्डी हाउस के स्टूडियो में आए तो दूरदर्शन के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि वे अपने प्रसारण के आलेख में से प्रस्तावित अंश के हटाने के बिना रिकार्ड करवा सकते हैं। तथापि, श्री शर्मा ने इस आधार पर रिकार्डिंग स्थगित करने का अनुरोध किया कि उनको आलेख के बारे में अपने दल के सहयोगियों से परामर्श करने के लिये कुछ और समय चाहिए। तदनुसार रिकार्डिंग 20-5-1980 को करनी नियत की गई।

6. इसी बीच श्री शर्मा ने अपनी वक्तव्य रिकार्ड कराने के बारे में दूरदर्शन महानिदेशालय को दो पत्र 17 मई तथा 19 मई, 1980 को लिखे। दूरदर्शन ने 18-5-1980 तथा 19-5-1980 के अपने दलों के द्वारा श्री शर्मा को निर्धारित दिन को रिकार्डिंग के लिए आने के लिए पुनः आमन्त्रित किया और अपने इस आश्वासन को दोहराया कि रिकार्डिंग बिना उस अंश के निकाले की जायेगी जो संदेह का विषय था। तथापि, श्री शर्मा ने 20 मई की सुबह को दूरदर्शन अधिकारियों को टेलीफोन पर बताया कि वे कार्यक्रम के अनुसार, प्रसारण के लिए अपना वक्तव्य रिकार्ड नहीं कराना चाहते। टेलीफोन पर श्री शर्मा से यह सूचना प्राप्त होते ही कि उन्होंने अपना चुनाव प्रसारण रिकार्ड कराने के लिए स्टूडियो में न आने का निर्णय लिया है, दूरदर्शन अधिकारियों ने उसी दिन श्री शर्मा को पत्र लिखकर अपनी निराशा व्यक्त की। इस प्रकार दूरदर्शन ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि श्री योगेन्द्र शर्मा उपरि उल्लिखित अंश के हटाये जाने के बिना अपना वक्तव्य प्रसारित कर सकें। खेद है कि शर्मा ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, जिसका कारण वे स्वयं जानते हैं। यह उल्लेखनीय है कि चुनाव पूर्व प्रसारणों के दौरान केवल यही एक ऐसा मामला है जहां ऐसी घटना घटी।

नेशनल रेयन कारपोरेशन का निदेशक बोर्ड

167. श्री नवीन रवाणी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल रेयन कारपोरेशन के निदेशक बोर्ड को कब तथा कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया था और जी० आई० सी एवम् यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया जो कि बोर्ड के सदस्य थे, के अनुरोध पर बोर्ड की नियुक्ति के बाद क्या परिणाम प्राप्त हुए ;

(ख) यदि उक्त बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाता है तब कम्पनी कानून बोर्ड का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) इस निगम की कौन-कौन-सी विकास तथा विस्तार योजनायें विचाराधीन हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने दिनांक 11-7-1977 के आदेश के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (i) के अंतर्गत 11-7-1977 से 10-7-1980 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए आठ

निदेशक नियुक्त किए । सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के पूर्व तथा पश्चात्, कम्पनी के कार्य परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	(कर तथा नियोजन भत्ते के पश्चात्) लाभ/हानि
31-12-1975	74 लाख रु०
31-12-1976	178 लाख रु० (हानि)
31-12-1977	333 लाख रु० (हानि)
31-12-1978	215 लाख रु०
31-12-1979	718 लाख रु०

(ख) कम्पनी उसके निदेशकों तथा वित्तीय संस्थानों के लिये यह कारण पूछते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत दिनांक 27-5-1980 की एक कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया है कि 10-7-1980 के पश्चात् की और अवधि के लिये, उक्त अधिनियम की धारा 408 (1) के अन्तर्गत निदेशक क्यों नहीं नियुक्त किए जाने चाहिये ।

(ग) कम्पनी के रेयन संयंत्र के विषय में उसके पुराने होने और प्रौद्योगिक अवरोध की सूचना दी गई है । इसको दृष्टिगत करते हुये, बोर्ड ने क्रमागत आधुनिकीकरण कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है । रेयन टेक्सटाइलों और रसायनों के संयंत्र को आच्छादित करते हुए प्रथम क्रमागत कार्यक्रम को लगभग 440 लाख रुपये की लागत पर प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसको कम्पनी के अनुसार शीघ्र अगले वर्ष पूर्ण होने की आशा है । आधुनिकीकरण कार्यक्रम का द्वितीय क्रमागत कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, जो रेयन टायर कोर्ड संयंत्र, रसायन संयंत्र विशेषत: कार्बनडाई सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी उपयोगिता को आच्छादित करेगा ।

टायर उद्योग की मांग को पूरा करने तथा नायलोन संयंत्र को चालू करने के परिणामों की भी वृद्धि करने की दिशा में, कम्पनी ने नायलोन टायर क्रार्ड फैब्रिक क्षमता के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार से आशय-पत्र प्राप्त कर लिया है, जिसकी अनुमान लागत 330 लाख रु० है । नायलोन टायर यार्न की 3300 से 5000 टन प्रतिवर्ष क्षमता के विस्तार के लिए भी योजनायें निर्धारित की गई हैं । इस परियोजना के लिये, जिसकी अनुमानित लागत 900 लाख रु० है, कम्पनी द्वारा औद्योगिक लाइसैंस का आवेदन-पत्र दिया गया है ।

अपनी विविध योजनाओं के भाग के रूप में, कम्पनी ने फंगी साइड्स और औद्योगिक पैस्टी साइड्स के विनिर्माण के लिये दो उत्पादन रेखाओं को प्रकट किया है । पहले के आशय-पत्र को कम्पनी ने प्राप्त हुआ, सूचित किया है । इन दो संयंत्रों की लागत पूंजी 460 लाख रु० के लगभग आंकी गई है ।

मंत्री द्वारा प्रसारण

168. **श्री चित्त बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र ने हाल ही में स्थानीय स्वायत्त शासन के एक पश्चिमी बंगाल मंत्री को वार्ता के प्रसारण की अनुमति देने से इन्कार कर दिया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या वार्ता के प्रसारण के बारे में कोई सुपरिभाषित संहिता है ;

(घ) यदि हां, तो उस संहिता का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता को एक चुनाव वार्ता का प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी गई ; और

(च) यदि हां, तो क्या कारण थे ;

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं । पश्चिम बंगाल के मंत्री की वार्ता आकाशवाणी, कलकत्ता से 16 मई, 1980 को रात के 8.40 बजे प्रसारित की गई थी ।

(ग) और (घ) जी, हां । व्यक्तियों द्वारा आकाशवाणी से प्रसारण को विनियमित करने वाली "आकाशवाणी संहिता" में दी गई है ।

(ङ) और (च) : जी, नहीं । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का प्रसारण नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने इसे रिकार्ड कराने से इंकार कर दिया था ।

आकाशवाणी संहिता

व्यक्तियों को आकाशवाणी से निम्नलिखित बातों के प्रसारण की अनुमति नहीं होगी :—

1. मित्र देशों की आलोचना ;
2. धर्म और समुदायों पर प्रहार ;
3. कोई भी अश्लील या अपमानजनक बात ;
4. हिंसा को भड़काना या कानून और व्यवस्था बनाये रखने के विरुद्ध कोई भी बात ;
5. कोई भी ऐसी बात जिससे न्यायालय की अवमानना हो ;
6. राष्ट्रपति, राज्यपालों तथा न्यायपालिका की ईमानदारी पर संदेह पैदा करने वाली कोई भी बात ;
7. किसी राजनैतिक दल की, नाम लेकर, आलोचना ;
8. किसी भी राज्य या केन्द्र की विरोधात्मक आलोचना ;

9. ऐसी कोई भी बात जिसमें संविधान के प्रति असम्मान प्रदर्शित हो या हिंसा द्वारा संविधान में परिवर्तन के लिए कहा गया हो। परन्तु संवैधानिक तरीकों से परिवर्तन की वकालत करने की मनचाही नहीं होगी ।

फुटनोट :—

(1) यदि केन्द्र निदेशक को यह पता चले कि प्रसारण करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट बात या बातों में उपर्युक्त संहिता का पालन नहीं किया गया है तो वह प्रसारण करने वाले व्यक्ति का ध्यान आपत्तिजनक अंशों की ओर आकर्षित करेगा। यदि प्रसारण करने वाला व्यक्ति केन्द्र निदेशक के सुझावों को नहीं मानता तथा तदनुसार अपनी स्क्रिप्ट में संशोधन नहीं करता तो केन्द्र निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह उसके प्रसारण को इन्कार कर दे ।

(2) राज्य सरकार के मंत्री द्वारा प्रसारित की जाने वाली वार्ता के बारे में संहिता के निर्वाचन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के मंत्री तथा केन्द्र निदेशक के बीच हुए मतभेदों के दूर न होने पर, इन मामलों को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री को भेजा जायेगा जो अंतिम रूप से यह निर्णय करेंगे कि वार्ता की स्क्रिप्ट में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं, ताकि संहिता का उल्लंघन न हो।

केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल राज्य बिजली बोर्ड में पूंजी निवेश

169. श्री ए० नीललोहित दास : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल राज्य बिजली बोर्ड में कोई पूंजी लगाई है ; और

(ख) यदि हां, तो दिनाँक । जनवरी, 1980 को केरल राज्य बिजली बोर्ड को विदेशी और भारत सरकार के ऋण की कुल राशि क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) भारत सरकार सीधे ही किसी भी राज्य बिजली बोर्ड में निवेश नहीं करती। विद्युत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता, राज्यों की विकास योजना के लिए समग्र केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में शामिल होती है।

विदेशी सरकारों तथा वित्तीय अभिकरणों द्वारा ऋण विशिष्ट विद्युत स्कीमों के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। ऐसी ऋण सहायता विभिन्न राज्यों में हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं के लिए, ऋणदाताओं द्वारा भारत सरकार को दी जाती हैं।

केरल राज्य बिजली बोर्ड के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित विदेशी सहायता भारत सरकार को प्राप्त हुई:—

(1) केरल में पनवा और काकी नदियों पर, संबन्धित सुविधाओं सहित 300 मेगावाट के जल विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए 1962 में 28.2 मिलियन अमरीकी डालर के लिए ऋण करार। इस आबंटन में से 18.04 मिलियन डालर उपयोग में लाए गए थे।

(2) इडुक्की जल विद्युत परियोजना के लिए 1967 में 11 मिलियन डालर का कनाडा का ऋण उपलब्ध कराया गया था जिसमें 10.57 मिलियन डालर उपयोग में लाये गए थे।

(3) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने ग्राम विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार को दो ऋण उपलब्ध कराये थे जो कि ग्राम विद्युतीकरण निगम को आगे उधार दे दिए गए हैं। इनमें से 1.56 मिलियन डालर तथा 3.13 मिलियन डालर तक की सीमा के ऋण केरल राज्य बिजली बोर्ड को उपकर की खरीद के लिए आबंटित किए गए थे।

कुकिंग गैस की एजेंसियों के आबंटन की प्रक्रिया

170. श्री छीतूभाई गामित :

श्री के० प्रधानी: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुकिंग गैस की एजेंसियों के आबंटन के लिए केन्द्रीय सरकार किस प्रक्रिया का अनुसरण करती है ;

(ख) क्या समाज के कमजोर और अन्य वर्गों के लोगों को कुकिंग गैस की एजेंसियां आबंटित करके उनको प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों, जिसमें खाना पकाने की गैस भी है, की डीलरशिप/एजेंसियां सम्बद्ध तेल विपणन कंपनियों द्वारा आबंटित की जाती है। संशोधन होने तक अनुसरण की गई नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण 25% और 2% आरक्षण अपंगु व्यक्तियों के लिए रखा गया था। इस नीति के अनुसार, ऐसी एजेंसियां समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के पश्चात् और इस कार्य के लिये गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से सफल उम्मीदवार का चयन करके दी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आदि देने के लिए हाल ही बनाई गई नीति के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण कोटा निम्न प्रकार है:—

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों	25%
रक्षा कार्मिक, जो युद्ध में अपंग हुए हैं और युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं	10%
अपंग व्यक्ति	10%
बेरोजगार स्नातक इन्जीनियर	25%
व्यापारिक दृष्टिकोण	30%

बम्बई हाई से तेल का उत्पादन

171. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई से उत्पादन की वार्षिक दर क्या है ; और

(ख) 1980-81 के दौरान उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बम्बई हाई से खनिज तेल की वर्तमान उत्पादन दर प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन मी० टन है।

(ख) बम्बई हाई के चरण–III विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ और प्लेटफार्म प्रतिष्ठापित किये जा रहे हैं। इन प्लेटफार्मों के चालू होने के साथ 1980 के अन्त तक उत्पादन दर प्रतिवर्ष 7 मिलियन मी० टन हो जाने की आशा है।

बरौनी, बोंगाईगांव, गौहाटी और डिगबोई तेल शोधक कारखानों के बन्द होने के कारण डीजल और मिट्टी के तेल के उत्पादन की हानि

172. प्रो० मधु दण्डवते : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी, बोंगाईगांव, गौहाटी और डिगबोई तेल शोधक कारखानों के बन्द रहने के कारण डीजल और मिट्टी के तेल के उत्पादन की हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की दैनिक हानि कितनी है ; और

(ग) क्या इनकी कमी पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इन चार शोधनशालाओं का लगातार अथवा बीच-बीच में बंद होने के फलस्वरूप, जनवरी और मई, 1980 के बीच डीजल और मिट्टी के तेल के उत्पादन में कुल हानि का अनुमान क्रमशः 800,000 और 150,000 मी० टन है।

(ग) जी, हां। जनवरी, 1980 से अतिरिक्त आयात पहले से ही किया जा रहा है।

पोंग बांध क्षेत्र से निष्कासित लोगों की कठिनाइयां

173. श्री नारायण चन्द्र पराशर : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोंग बांध क्षेत्र से निष्कासित किये गये लोगों को उन कठिनाइयों की जानकारी है जिनका सामना उन्हें राजस्थान में उन्हें आवंटित किए गए मुरब्बों में से अधिकांश को तुच्छ आधार पर रद्द किए जाने के कारण करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो पोंग बांध क्षेत्र से निष्कासित लोगों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) समस्या की जांच करने तथा उसके समाधान की सिफारिश करने के लिए सचिव (सिंचाई) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें विद्युत विभाग, भारत सरकार तथा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार के संबन्धित अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा ।

फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन

174. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार वर्तमान सेंसर बोर्ड को पुनर्गठित करने का है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : सरकार फिल्म सेंसर बोर्ड के गठन सहित फिल्म सेंसरशिप से सम्बन्धित सभी मुद्दों की पुनः जांच कर रही है ।

चन्द्रपुर विद्युत केन्द्र के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था

175. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चन्द्रपुर विद्युत केन्द्र के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का प्रबन्ध करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) उसका तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) चन्द्रपुरा से दुर्गापुर को छठी यूनिट पर कामगारों के प्रस्तावित स्थानान्तरण के पश्चात् चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र में जिन कर्मचारियों के लिए आवास स्थान की आवश्यकता रहेगी उनकी कुल संख्या लगभग 2, 700 है । लगभग 2223 कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था पहले से उपलब्ध है । 364 और कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की गई है। इससे कुल 2587 कर्मचारी गृह योजना के अंतर्गत आ जायेंगे ।

कोयले के उत्पादन और वितरण प्रणाली में दुर्व्यवस्था के कारण गम्भीर संकट

177. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कोयला उत्पादन और वितरण प्रणाली में दुर्व्यवस्था के कारण कई क्षेत्रों में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मामले की छानबीन करने तथा तुरन्त उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय समिति का गठन करने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ;

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं। कोयले के उत्पादन और वितरण में कोई दुर्व्यवस्था नहीं रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कोयले के इस्पात कारखाने, बिजलीघर और सीमेंट कारखानें मुख्य उपभोक्ता हैं। यह उत्पादित कोयले के 60 से अधिक भाग का उपभोग करते हैं। इन्हें कोयले की सप्लाई का विनियमन एक संयोजन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें कोयला विभाग, रेलवे, योजना आयोग और संबद्ध उपभोक्ता क्षेत्र के प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधि रहते हैं। इसी प्रकार अन्य उद्योगों को कोयले के आबंटन का विनियमन प्रायोजन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यह प्रायोजन तकनीकी विकास महानिदेशक, राज्य सरकारों के उद्योग निदेशक, अदि सक्षम प्राधिकारी करते हैं। वितरण की वर्तमान प्रणाली भली-भांति प्रभावकारी है। परन्तु कोयले की ढुलाई में आने वाली बाधाएं कभी-कभी उपभोक्ता क्षेत्रों को कोयले की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये गये है। कोयले का उत्पादन 1997-80 में 104 मिलिय टन हुआ जो कि 1978-79 के उत्पादन से लगभग 2 मिलियन टन अधिक है। अप्रैल-मई, 1980 में कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि से लगभग 2 मिलियन टन अधिक है। उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए आशा है कि कोयला उद्योग 1980-81 में 113.5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। कोयले की ढुलाई की दृष्टि से वैगनों की सप्लाई बढ़ाने के सम्बन्ध में रेलवे से समन्वय करके कार्यवाही की जा रही है।

रूस और भारत के बीच बाल फिल्मों का आदान-प्रदान

178. श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में रूस और भारत के बीच बाल फिल्मों के आदान-प्रदान के प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या उनके तथा रूस के चलचित्र मंत्री तथा उनके रेडियो और टेलीविजन विभागों के प्रधानों के बीच कोई उपयोगी वार्ता हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारत और रूस के बीच बाल फिल्मों के आदान-प्रदान के प्रस्ताव पर सरकार का रुख बहुत अनुकूल है।

(ख) और (ग) रूस की सरकार के चलचित्र मंत्री से हाल ही में हुई बात के परिणामस्वरूप सभी प्रकार की फिल्मों के व्यावसायिक और अव्यावसायिक आदान-प्रदान, सह-निर्माण, फिल्म सप्ताहों के आयोजन, फिल्म समारोहों में भाग लेने और सिनेमा के क्षेत्र में सूचना और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करके सिनेमा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार तथा रूस की सरकार के बीच एक करार करने का प्रस्ताव है।

सरणीबद्ध औषधियों का निर्माण

179 श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई सरणीबद्ध औषधियों का निर्माण देश में भी किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके उत्पादन का गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देशी उत्पादन पर वितरण संबंधी नियंत्रण के अभाव में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या नियंत्रण रखती है कि सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी द्वारा इन मदों की आवश्यकता से अधिक खरीद न की जाए ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जिन सरणीबद्ध बल्क औषधों की इस समय देख-रेख की जा रही है उनके लिए वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के स्वदेशी उत्पादन के आंकडे दर्शाने वाला विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) सरणीबद्ध औषधों के लिए आयात योजना तैयार करते समय सरकार अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी औषधों की कुल मांग और उनके अनुमानित स्वदेशी उत्पादन को भी ध्यान में रखती है। स्वदेशी उत्पादन की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केवल उतनी ही मात्रा में आयात किया जाता है जितनी मात्रा अनुमानित मांग की तुलना में स्वदेशी उत्पादन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

विवरण-पत्र

औषध का नाम	यूनिट	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5
1. एम्पीसिलीन	टन	3.44	13.23	16.77
2. क्लोरमफेनीकाल पावडर	टन	79.49	79.39	74.85

1	2	3	4	5
3. क्लोरोक्विन	टन	37.10	42.51	35.16
4. डाक्सीसाइक्लीन	टन	—	—	1.15
5. एरिथ्रोमाइसीन	टन	25.52	37.42	23.05
6. इथाम्बुटोल	टन	2.53	10.18	23.58
7. जेन्टामाइसीन	कि. ग्रा.			332.44
8. पिपराजाइन और उसके लवण	टन	109.56	72.80	86.72
9. स्ट्रेप्टोमाइसीन	टन	199.92	220.73	220.16
10. सल्फामेथोक्साजोल	टन	16.08	23.14	30.35
11. टेट्रासाइक्लीन	टन	135.01	123.36	141.09
12. ट्राइमेथोप्रिम	टन	अनुपलब्ध	14.49	20.34
13. विटामिन बी-1	टन	34.94	29.28	48.76
14. विटामिन बी-2	टन	7.81	6.45	7.44
15. डी. डी. एस.(डैप्सोन)	टन	17.39	18.05	16.20

हरियाणा में औषध एककों को गैस कनेक्शन

180. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि हरियाणा में अनेक लघु उद्योग औषध एकक, अपने प्रयोजक प्राधिकारियों द्वारा सिफारिश किये जाने पर भी गैस कनेक्शन की मंजूरी न मिलने के कारण औषधों के अनुसंधान तथा विश्लेषण कार्य में भारी परेशानी का सामना कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कब तक गैस-कनेक्शन मिल जाने की सम्भावना है !

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि हरियाणा तथा देश के अन्य भागों में औद्योगिक तथा अन्य यूनिटों को तरल पेट्रोलियम गैस की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) हरियाणा राज्य में छोटे पैमाने के औषधि यूनिटों की कोई विशिष्ट सूचि नहीं रखी गई है। बम्बई हाई से तेल के साथ प्राप्त होने वाली गैस से तरल पेट्रोलियम गैस को अलग करने की सुविधाओं, मथुरा शोधनशाला और कोयाली शोधनशाला में सहायक शोधन सुविधाओं के

चालू रहने के साथ 1981 के आरम्भ से लेकर उत्तरोत्तर 4 लाख मी० टन अतिरिक्त तरल पेट्रोलियम गैस उपलब्ध होने की आशा है। उपरोक्त परियोजनाओं के पूरा होने पर गृहस्थियों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को काफी में नये गैस कनेक्शन देना संभव होगा।

उर्वरक कारखानों का बंद रहना

181. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उर्वरक कारखाने कोयला, नैप्था और गैस आदि की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बन्द पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) उत्पादन की यह हानि किस तरह पूरी की जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित खाद कारखाने इस समय उनके सामने दर्शाये गये कच्चे माल की कमी के कारण बन्द पडे हैं :—

प्लाट का नाम	बन्द होने के कारण
नंगल (विस्तार)	कोयला, ईधन तेल/एल. एस. एच. एस. की कमी।
पानीपत	वही
सिन्दरी (आधुनिकीकरण)	ईधन तेल/एल. एस. एच. एम. की कमी
नामरुप	गैस की कमी।
नामरुप (विस्तार)	वही
बरौनी	नैप्था की कमी
कानपुर	वही
मंगलौर	बिजली की कमी
विजाग	वही

इसके अलावा रामागुण्डम और तालचर प्लांटों में बिजली की कमी तथा फूलपुर प्लांट में नैप्था की कमी के कारण नियमित उत्पादन रुका पड़ा है।

(ग) नंगल (विस्तार), कानपुर, फूलपुर, सिन्दरी (आधुनिकीकरण) और बरौनी स्थित प्लांट फीड़ स्टाक की सप्लाई के लिए क्रूड पर आधारित शोधन शालाओं पर निर्भर हैं और नामरूप प्लांट असम गैस पर आधारित है। अतः इन प्लांटों को फीड़स्टाक की नियमित सप्लाई

तभी की जा सकती है जब असम की स्थिति सुधर जाय और असम क्रूड पर आधारित शोधन-शालाओं में नियमित रूप से उत्पादन होने लग जाय।

जहां तक परिवहन की कठिनाई के कारण कुछ प्लांटों में कोयला तथा ईंधन तेल/एल० एस० एच० एस० की कमी का संबंध है स्थिति की निरन्तर उच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है ताकि कच्चे माल के परिवहन और उसकी सप्लाई में सुधार हो सकें।

(घ) खाद कारखानों को कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ताकि अधिकतम उत्पादन किया जा सके और होने वाली हानि को रोका जा सकें। उर्वरकों की आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाएगा जिसके लिए निरन्तर व्यवस्था की जाती हैं। इसके अलावा नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय अनेक स्थानों पर अतिरिक्त स्टाक भी रखता है।

रंगीन टेलीविजन आरंभ करने संबंधी समिति .

182. **श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) समिति के निर्देश-पद क्या हैं और उसके कौन-कौन सदस्य हैं ; और

(ग) समिति की रिपोर्ट किस समय तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क)जी, हाँ। देश में रंगीन टेलीविजन चालू करने तथा रंगीन टेलीविजन सैटों, अंगों तथा पुर्जों के निर्माण तथा इसमें लगने वाले धन की नीति बनाने के लिए एक अन्तर्विभागीय कार्यदल गठित किया गया है।

(ख) इस कार्यदल के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) स्टूडियो सुविधाओं सहित रंगीन टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने पर होने वाले खर्चे का अनुमान लगाना।

(2) विभिन्न शुल्कों के प्रभाव सहित रंगीन टेलीविजन सैट की कीमत/लागत ढ़ांचे का अनुमान लगाना।

(3) रंगीन टेलीविजन सैट के निर्माण की व्यवस्था करने के लिए कितने अतिरिक्त खर्चे की आवश्यकता होगी उसका अनुमान लगाना।

(4) किसी निश्चित समयावधि के अन्दर देश में रंगीन टेलीविजन सैटों की कितनी माँग होगी, इसका अनुमान लगाना।

(5) रंगीन टेलीविजन से सम्बन्धित पुर्जों के निर्माण के लिए कितना धन लगाने की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना।

(6) रंगीन टेलीविजन प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना।

उक्त कार्यदल में इलैक्ट्रानिकी विभाग दूरदर्शन, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०, योजना आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी और इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान, पिलानी के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) उम्मीद है कि कार्यदल अपनी रिपोर्ट जून, 1980 के अन्त तक देगा।

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग

183. श्री चित्त बसु :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री के० पी० सिंह देव :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1980 में नई दिल्ली में भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस बैठक का क्या परिणाम निकला।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की 18 वीं बैठक दिल्ली में 26 से 28 अप्रैल 1980 तक पुन: हुई इस बैठक में गंगा और तोस्ता के जल के शुष्क मौसम के प्रवाह में वृद्धि करने से सम्बन्धित उन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया जिन पर 27 से 29 फरवरी, 1980 तक हुई बैठक में निर्णय नहीं हुआ था, और यह निश्चय किया गया कि इन मामलों पर आयोग की ढ़ाका में होने वाली आगामी बैठक में और आगे विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

विधान सभा निर्वाचन 1980 के लिए नियत तारीख में परिवर्तन

184. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कुछ राज्यों में विधान सभा निर्वाचन के लिए नियत 30 मई, 1980 की तारीख को बाद में बदल दिया गया ;

(ख) क्या यह परिवर्तन कुछ राजनीतिक दलों की मांग पर किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उन राजनीतिक दलों के नाम क्या है , और

(घ) यदि नहीं, तो तारीख बदलने के क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) जी हां। मतदान की तारीख बदलने की प्रार्थना आयोग को श्री जी०एम० बनातवाला संसद सदस्य, अर्वतनिक

सचिव, इंडियन यूनियन मुसलिम लीग तथा कुछ अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी। निर्वाचन आयोग को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें यह कहा गया कि तारीख 30 मई, 1980 (शुक्रवार) जिसकी प्रस्थापना मतदान के लिए एक दिन के रूप में मूल रूप से की गई थी, जुमे की नमाज के कारण मुसलिम समुदाय के लिए असुविधाजनक है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने नौ राज्यों में मतदान की तारीख 28 मई, 1980 (बुधवार) और 31 मई, 1980 (शनिवार) नियत करने का विनिश्चय किया।

होने वाली सभा की बैठक के लिये प्रश्न पाकिस्तान से ईंधन तेल के आयात के लिये करार

185. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से ईंधन तेल का आयात करने के बारे में भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) किये गये करार का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस वर्ष पाकिस्तान से कितना ईंधन तेल आयात किया जायेगा ; और

(घ) पहली खेप कब तक आने की संभावना है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) करार के ब्यौरे बताना इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के व्यापारिक हित में नहीं होगा और यह अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के भी प्रतिकूल होगा।

राज्यों में जीवन रक्षक बल्क औषधों की कमी

186. **श्री के० मालन्ना** :

श्री झारखण्डे राय :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न आवश्यक तथा जीवन रक्षक बल्क औषधों की कमी का सामना कर रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो उन औषधों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1979-80 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कुछ आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधों के उत्पादन में सीसान्त गिरावट आई है और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) कुछ जीवन रक्षक औषधों जैसे क्लोरमफैनीकल पावडर, स्ट्रेप्टोमाइसीन, इरीथोंमाइसीन स्टीरेट, डी. डी. एस. (डैप्सोन) पी. ए. एस. और उसके लवण और क्लोरोक्विन फोस्पेट के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष, 1979-80 के दौरान कुछ कमी हुई है।

इन बल्क औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों में आम तौर पर कोई कमी नहीं हुई है। तथापि कुछ ब्राण्ड के फार्मूलेशनों की कमी के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर रिपोर्टें मिली हैं। इन मामलों में उनके समकक्ष उत्पाद आम तौर पर उपलब्ध है

उत्पादन में कमी के अनेक कारण हैं जैसे बिजली की कटौती, श्रमिक अशान्ति, कुछ कच्चे माल की अनुपलब्धता (जैसे एथीलीन आक्साइड कास्टिक सोडा) और पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता, कच्चे माल की लागत में वृद्धि आदि।

सरकार अनिवार्य बल्क औषधों के उत्पादन और महत्वपूर्ण तथा जीवन रक्षक औषध फार्मूलेशनों की उपलब्धता की देख रेख करती है। कठिनाइयों के विशेष मामलों को सरकार के ध्यान में लाये जाने पर वह जहाँ तक सम्भव हो सुधारात्मक उपाय करती है, उदाहरण के तौर पर (क) पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की है और उसे ओ. जी; एल. में शामिल करके उसके उदार आयात की अनुमति दी है, (ख) सरकार ने निर्माताओं को सरकार से नई मूल्य स्वीकृति लिये बिना बोतल पैकिंग में बदलने की अनुमति दी है, (ग) सरकार ने स्वदेशी उत्पादन की पूर्ति के लिये सरणीबद्ध बल्क औषधों के अपेक्षित आयात की व्यवस्था की है, जहां आवश्यक था इन औषधों को उठाया गया और कुछ मदों के मामले में वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा सीधे आयात की अनुमति भी दी गई।

उपरोक्त उपायों के अलावा बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के निर्माण के लिये अपेक्षित पैकिंग सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये जब कभी राज्य औषध नियंत्रकों/क्षेत्रीय औषध नियंत्रकों अथवा अन्य के माध्यम से सरकार को फार्मूलेशनों की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है तो संबंधित निर्माताओं को सलाह दी जाती है कि वे कमी वाले क्षेत्रों में शीघ्र सप्लाई पहुंचाएं।

अशोधित तेल के मूल्य को बढ़ाने का निर्णय

187. श्री अमर राय प्रधान : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अशोधित तेल के मामले में सऊदी अरब द्वारा मूल्य बढ़ाये जाने संबंधी निर्णय के आधार पर निकट भविष्य में इसके मुल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यों में कितनी वृद्धि की जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल के मूल्य सऊदी अरब अथवा किसी अन्य देश से आयातित खनिज तेल के मूल्यों से किसी प्रकार जुड़े हुए नहीं हैं। स्वदेशी खनिज तेल के मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बिजली की कमी

188. श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में बिजली की भयंकर कमी है तथा पिछले 10 अक्तूबर से बिजली से चलने वाले एकक बन्द हो गये हैं अथवा बालीमेला और हीराकुड पन बिजली घर में विद्युत उत्पादन में कमी के कारण उन्हें बहुत कम बिजली मिल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि बंगाल बेल्ट में कोयला खानों से पानी निकालने में सहायता के लिये बिहार राज्य बिजली बोर्ड को उड़ीसा द्वारा 10 लाख यूनिट बिजली की आपातकालिक सप्लाई भारत सरकार के अनुरोध पर की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने दबाव में आकर आपातकालिक बिजली सप्लाई को सहमति दी थी यद्यपि बिजली विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में असहमत थे ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं । बिहार अथवा पश्चिम बंगाल को विद्युत देने के लिए उड़ीसा से नहीं कहा गया है । बिहार और पश्चिम बंगाल को कोयला खानों के लिए कुछ अतिरिक्त विद्युत की व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश प्रणाली से की गई थी और यह सहायता उड़ीसा प्रणाली के माध्यम से बिहार को पारेषित की गई थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान नहर परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

189. श्री जय नारायण रोट : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के विकास के लिए कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 1957-58 से 1968-69 तक राजस्थान सरकार को राजस्थान नहर परियोजना के लिए 60.37 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी । चूंकि उसके बाद राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में संबंधित राज्य-योजनाओं के लिए एकमुश्त दी जा रही है और उक्त सहायता किसी विशिष्ठ परियोजना से संबंधित नहीं होती, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि राजस्थान परियोजना से संबंधित धनराशि कितनी है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के लिए चौथी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में 10.49 करोड़ रुपए की गैर-योजना सहायता दी । केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के लिए 1975-76 के दौरान 4 करोड़ रुपए की और 1977-78 के दौरान 2 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता भी मंजूर की ।

गारो हिल्स तापीय परियोजना को स्वीकृति दिया जाना

190. श्री पी० ए० संगमा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारो हिल्स तापीय परियोजना योजना आयोग तथा ऊर्जा मंत्रालय की स्वीकृति हेतु अभी तक विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 1986-87 की अवधि तक की मांग को ध्यान में रखकर मेघालय राज्य की कई जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत कर ली गई है और कार्यान्वित की जा रही है। गारो हिल्स ताप विद्युत परियोजना से विद्युत की आवश्यकता उक्त अवधि के बाद होगी। इस परियोजना पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा रही है ताकि वह उपर्युक्त समय सीमा के लिए उपयुक्त रहे तथा वर्ष 1980-81 के दौरान अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निधियों की व्यवस्था कर दी गई है।

बीस बड़े एकाधिकार गृहों की सम्पत्ति

191. श्री चित महाटा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1980 से बडे एकाधिकार गृहों की सम्पत्ति तथा आय बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय देश के 20 बड़े एकाधिकार वाले घरों की सम्पत्ति तथा आय कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) जनवरी, 1980 से बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों की परिसम्पत्तियों और आय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 1978 की परिसम्पत्तियों और व्यापारावर्त आय के सम्बन्ध में नवीनतम उपलब्ध सूचना देता हुआ विवरण जिसके सम्बन्ध में 31-12-1978 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरणों के आधार पर बड़े 20 औद्योगिक घरानों का ब्यौरा उपलब्ध है, इसके साथ संलग्न किया जाता है।

विवरण

20 शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत 31-12-1978 तक के पंजीकरणों के अनुसार) की 1978 तक उनकी परिसम्पतियों के आकार-अनुसार, 1978 में परिसम्पतियां तथा व्यापारावर्त आय प्रदर्शित करते हुये विवरण-पत्र।

क्रम सं०	औद्योगिक घराने का नाम	निगम निकायों की संख्या	मूल्य परिसम्पत्तियां	करोड़ रुपयों में व्यापारावर्त
1.	बिड़ला	69	1171.15	1374.56
2.	टाटा	34	1102.11	1367.60
3.	मफतलाल	14	317.86	475.41
4.	जे० के० सिंहानिया	28	299.57	318.52
5.	थापर	31	244.06	367.19
6.	आइ० सी० आई०	7	228.73	308.87
7.	बांगुर	51	220.86	341.13
8.	श्रीराम	14	204.79	335.80
9.	आयल इन्डिया	6	203.24	423.39
10.	सिंधिया	3	202.81	92.60
11.	लार्जन एण्ड टोब्रो	9	194.51	169.09
12.	ए० सी० सी०	5	186.62	183.02
13.	भिवन्डीवाला	7	178.38	61.18
14.	किर्लोस्कर	15	176.25	199.10
15.	हिन्दुस्तान लीवर	6	157.15	370.20
16.	चौगुले	17	149.96	40.23
17.	खटाऊ (बम्बई)	36	143.12	235.02
18.	कस्तूरभाई लालभाई	14	140.00	02.98
19.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	12	137.18	139.65
20.	बालचन्द	20	135.70	135.50

विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के लिये रोमानिया की सहायता

192. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोमानिया सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के विस्तार के लिए सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) रोमानिया सरकार ने विद्युत उत्पादन उपस्करों की सप्लाई करने तथा देश में कोयला खनन सुविधाओं की स्थापना करने की पेशकश, भारत से लौह अयस्क के बदले विनिमय के आधार पर की है ।

राजस्थान राज्य में मिट्टी के तेल का कोटा

193. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, अप्रैल, मई, 1980 के महीनों में राजस्थान राज्य को आबंटित किये गये मिट्टी के तेल का कोटा क्या है और इन महीनों के दौरान वास्तविक सप्लाई क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन महीनों में इस राज्य में मिट्टी के तेल की कमी थी और अनेक गांवों, कस्बों और शहरों को मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं कराया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान राज्य में मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राजस्थान को मार्च-मई, 1980 के लिये मिट्टी के तेल का मासिक आबंटन तथा इन महीनों के दौरान इस उत्पाद का वास्तविक विक्रय निम्न प्रकार था :—

(आंकड़े मी० टन० में)

	आबंटन	बिक्री
मार्च, 1980	10120	10760
अप्रैल, 1980	9290	9541 (अस्थायी)
मई, 1980	9800	9500 (अस्थायी)

(ख) जैसाकि उपरोक्त आंकड़ों से देखा जायेगा राजस्थान को मिट्टी के तेल की सप्लाई करीब-करीब आबंटन के अनुसार की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों में इस उत्पाद के वितरण दायित्व राज्य सरकार का है।

(ग) मार्च, 1980 से लेकर राजस्थान को मिट्टी के तेल के मासिक आबंटन में पिछले वर्ष के उन्हीं महीनों के वास्तविक विक्रय पर करीब 10% विकास की दर की व्यवस्था की गई थी। देश में मिट्टी के तेल की कुल उपलब्धता तथा पेट्रोलियम पदार्थों की परिवहन क्षमता को विचार में रखते हुये आबंटन निर्धारित किये गये हैं। इस समय आबंटन बढ़ाना संभव नहीं है।

ऊर्जा संकट

194. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में देश में ऊर्जा संकट में अत्यधिक वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) यह सच है कि पिछले वर्ष अभूतपूर्व सूखा पड़ने के कारण जल विद्युत जलाशयों के खाली हो जाने तथा सूखे के फलस्वरूप कृषि उत्पादन के लिए मांग में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप हाल ही में देश में ऊर्जा संकट बहुत हो गया है।

(ख) देश में विद्युत उपलब्धता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में वर्तमान प्रतिष्ठापित विद्युत क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे भी इसी प्रकार, अपनी प्रतिष्ठापित विद्युत क्षमता से अधिकतम उत्पादन करें।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की नई क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा राज्य सरकारों को इसी प्रकार के उपाय करने के लिए सलाह देना।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों के कोयले के स्टाक की मानीटरिंग करना तथा ताप विद्युत उत्पादन के बढ़े हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अधिक मात्रा में कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(4) फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कम विद्युत वाले क्षेत्रों को विद्युत का अन्तरण करना।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई-कर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना।

फिल्मों के सेंसर संबंधी मार्ग निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

195. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री पी० एम० सईद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्मों में व्यर्थ की हिंसा तथा निरुद्देश्य कामोत्तेजक दृश्यों पर रोक लगाने के लिए फिल्मों को सेंसर करने संबंधी (मार्ग निर्देशक सिद्धांतों) में परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के प्रस्ताव का विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार फिल्म सेंसरशिप से संबंधित सभी मुद्दों की पुनः जांच कर रही है। सरकार इस जांच के पूरा हो जाने के बाद उपयुक्त निर्णय लेगी।

राष्ट्रीय प्रसारण चैनल

196. **श्री के० कुन्हम्बु :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के इन्जीनियरों ने शार्ट और मीडियम वेव के स्थान पर लांग वेव का प्रयोग कर (चौबीस घन्टे) एक राष्ट्रीय प्रसारण चैनल उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई थी ;

(ख) क्या सरकार द्वारा यह योजना अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। आकाशवाणी ने एक समर्पित कार्यक्रम चैनल स्थापित करने की योजना बनाई है। आकाशवाणी ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ द्वारा सितम्बर-दिसम्बर, 1979 में बुलाई गई वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रेडियो कान्फ्रेंस में प्रसारण सेवा के लिए लांग वेव बैंड में फ्रीक्वेंसी आबंटित करने की मांग की जाए ; आकाशवाणी का विचार था कि प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम चैनल के लिए लांग वेव बैंड का प्रयोग लाभप्रद ढंग से किया जा सकेगा।

(ख) और (ग) समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम चैनल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, इस चैनल के लिए लांग वेव बैंड के प्रयोग का विचार अब छोड़ दिया गया है ; क्योंकि वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रेडियो कान्फ्रेंस, 1979 ने रीजन 2 तथा 3 (अमरीका महाद्वीप एशिया, और प्रशान्त महासागर के देश) के लिए इस बैंड में प्रसारण सेवा के लिए कोई आबंटन नहीं किया है। इससे पूर्व, सरकार ने अन्तर्विभागीय विशेषज्ञ ग्रुप, जिसने यह निष्कर्ष निकाला था कि इस बैंड में प्रसारण सेवा के चालू होने से इस बैंड में चालू अन्य रेडियो संचार सेवाओं को बदलना आवश्यक हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी राशि का नुकसान होगा, की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय किया था कि वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रेडियो कान्फ्रेंस से इस प्रकार के आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव न किया जाए।

देश में सिंचित क्षेत्र

197. श्री भीखा भाई : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कुल कितना क्षेत्र नदी/नहर परियोजनाओं द्वारा सिंचित और कितना क्षेत्र वर्षा के पानी पर आश्रित है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : देश में बृहद, मध्यम और लघु नदी/नहर परियोजनाओं से 1979-80 के अन्त तक कुल 30.9 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के सिंचित होने की सम्भावना है। भूतल जल संसाधनों से 22.0 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के सिंचित होने की संभावना है।

देश का कुल कृषि-योग्य क्षेत्र लगभग 140 मिलियन हैक्टेयर है। इस प्रकार, वर्षा के जल पर निर्भर क्षेत्र 87 मिलियन हैक्टेयर है।

राजस्थान तथा गुजरात में शरणार्थी

198. श्री निहाल सिंह : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत में आ जाने वाले 7200 परिवार गुजरात तथा राजस्थान में बस गये थे और वे किन-किन समुदायों के हैं .

(ख) क्या उनमें से कुछ परिवार तो वापस चले गये और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और कितने परिवार वापस नहीं गये हैं ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है और इस कार्य पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारत-पाक संघर्ष, 1971 के दौरान भारत आए व्यक्तियों में से लगभग 10,200 परिवारों ने राजस्थान

और गुजरात के राहत शिविरों में प्रवेश चाहा था। ये परिवार राजपूत, मेघवाल, चारण, माहेश्वरी, नाई, जाट, सुथार, स्वामी, पुरोहित और अन्य समुदायों के हैं।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ग) अधिकांश परिवारों को कृषि व पशु-पालन और डेरी फार्मिंग योजनाओं में पुनर्वास दिया जा रहा है जबकि कुछ परिवारों को गैर-कृषक व्यवसायों में बसाया जा रहा है। इन योजनाओं का प्रकुल अनुमानित व्यय 12.70 करोड़ रुपए है।

बम्बई हाई से गुजरात को गैस की सप्लाई

199. **श्री नवीन रवाणी**: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल में उनकी गुजरात की गत यात्रा के दौरान कुछ राजनीतिज्ञ दलों और व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल ने उन्हें बम्बई हाई से गुजरात को गैस की सप्लाई के लिये भूमि दर्शस्थल (लेण्ड फाल प्वाइंट) के बारे में अभ्यावेदन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर निर्णय करने के लिये उन्होंने नये विशेषज्ञ दल की नियुक्ति का आश्वासन दिया था ; और

(ग) क्या कारण है कि उनका मंत्रालय अब तक गुजरात में "लेण्ड फाल प्वाइन्ट का निर्णय नहीं कर पाया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, ।

(ख) जी, हां। एक विशेषज्ञ समिति 28. 4. 1980 को गठित की गई ।

(ग) समुद्री पाइपलाइन का रेखांकन, जिसमें इसका भूमि पर लाने का स्थल शामिल है, पर अन्तिम निर्णय विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही लिया जायेगा।

हाई स्पीड डीजल तेल का आयात

200. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1980 के दौरान दो लाख मी० टन हाई स्पीड डीजल तेल का आयात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मार्च और अप्रैल के दौरान कुल कितनी मात्रा की खरीद की गई ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई के सम्बन्ध में अधिक मात्रा का नियतन किया गया है ;

(घ) क्या इसके बावजूद, राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में हाई स्पीड तेल तथा मिट्टी के तेल की कमी की शिकायत कर रही हैं ;

(ङ) यदि हां, तो अप्रैल और मार्च में विभिन्न राज्यों को कुल कितना नियतन किया गया था ; और

(च) उनकी कुल मांग कितनी थी और वह कहां तक पूरी की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मई के महीने में एच० एस० डी० की आयात द्वारा प्राप्ति लगभग 4 लाख मी० टन थी ।

(ख) मार्च और अप्रैल, 1980 के दौरान एच० एस० डी० का कुल आयात 6,41,000 मी० टन था ।

(ग) जी, हां । विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मई, 1980 के लिये मिट्टी के तेल का आबंटन मई, 1979 के वास्तविक विक्रय से कम से कम 10% अधिक के स्तर पर किया गया है ।

(घ) कुल राज्यों से मई के महीने में थोड़े समय के लिये हाई स्पीड डीजल तेल की कमी की रिपोर्टें मिली हैं ।

(ङ) विवरण निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े हजार मी० टन में)

उत्पाद	अप्रैल, 1980 के लिए आबंटन	मई, 1980 के लिए आबंटन
एच० एस० डी०	836	858
मिट्टी का तेल	348	353

(च) विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए डीजल और मिट्टी के तेल की मांग के अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । अप्रैल और मई, 1980 के लिये आबंटन का विवरण उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर में पहले ही दिया गया ।

मेजिया और सल्तोरा कोयला खान का चालू किया जाना

201. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेजिया और सल्तोरा कोयला खानों में कार्य आरम्भ होने की कब तक आशा है ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) मेजिया और संतोरा कोलियरियों के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :

मेजिया कोलियरी

यहां खनन कार्य शुरू करने के लिए लगभग 30 एकड़ जमीन खरीदी गई है और खान के प्रवेश द्वारों के सम्बन्ध में विकास कार्य 5-6-1980 को शुरू कर दिया गया है । ईस्टन कालफील्ड्स लि० ने यहां बिजली की न्यूनतम मांग को पूरा करने के लिए एक छोटा डीजल

जनरेटर लगाया है। कुछ अस्थायी सर्विस भवनों और रिहायशी कुटियों का निर्माण चल रहा है और एक परियोजना अधिकारी तथा उसके साथ कुछ पर्यवेक्षी तकनीकी कर्मचारी खान स्थल पर ही तैनात कर दिए गए हैं।

संतोरा कोलियरी :

यह एक पुरानी परित्यक्त खान हैं तथा ई० को० लि० की रानीपुर कोलियरी के साथ लगी हुई है। संतोरा में दिशेरगढ़ सीम के मुख्य भण्डार पहले ही समाप्त हो गए हैं और रानीपुर में समाप्त होने वाले हैं। ई० को० लि० ने यह निश्चय किया है कि रानीपुर स्थित अगली नीचे की संक्टोरिया सीम में खनन कार्य बढ़ाकर संतोरा तक किया जाए। संतोरा में एक अलग खान के रूप में खनन कार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बांधों के रख-रखाव के बारे में प्रबन्ध

202. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियन्ता ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह विभिन्न नदियों के किनारे बने बाँधों के रख-रखाव के लिए तकनीकी, प्रशासनिक तथा लागत संबंधी प्रबन्ध इस प्रकार से करें कि उनकी आयु जो इस समय औसतन लगभग 50 वर्ष है, और आगे बढ़ाई जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) मुख्य इन्जीनियर, बांध सुरक्षा सेवा, केन्द्रीय जल आयोग ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से 'भगीरथ' के अप्रैल-जून, 1980 के अंक में एक लेख लिखा था, जिसमें बांधों के जीर्णन (एजिंग) की समस्याओं की समीक्षा की गई थी, और प्रत्येक बांध की सुरक्षा का समय-समय पर जायजा लिये जाते रहने की आवश्यकता बताई गई थी, ताकि इन बांधों को जितने लम्बे समय तक संभव हो, सुरक्षापूर्वक संचालन किये जाने की स्थिति में बनाये रखा जा सके।

पश्चिमी कोसी नहर योजना (वैस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजैक्ट) को शीघ्र क्रियान्वित करना।

203. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने की अविलम्ब आवश्यकता के बारे में एक संसद सदस्य ने ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना से जिस क्षेत्र को लाभ होगा वह (एक) देश में जनसंख्या के सबसे अधिक घनत्व वाले इलाकों में से हैं, (दो) वहां वस्तुतः कोई उद्योग नहीं है, और (तीन) 98.5 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में कोई सिंचाई सुविधा नहीं है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय सदस्य को 22-5-1980 को विस्तृत उत्तर भेज दिया गया है, जिसमें इस मामले की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। राज्य सरकार पर इस बात के लिए भी जोर दिया गया है कि परियोजना को इस तरह तैयार किया जाए जिससे वह अगले पाँच वर्षों में पूरी हो सके। आशा है कि इस परियोजना के काम में अब प्रगति आ जायेगी।

(ग) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के संशोधित अनुमानों की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला दरभंगा जिला (इस समय दरभंगा और मधुबनी जिले) देश के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यह भी बताया गया है कि यह जिला मुख्यतया कृषि-प्रधान है और उद्योग कृषि पर आधारित हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण चीनी उद्योग है ; इस जिले में चीनी के पांच कारखाने हैं। इनमें से तीन कारखाने प्रस्तावित नहर के कमान क्षेत्र में हैं। यह भी बताया गया है कि कृषि-भूमि के लिए सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है।

पश्चिमी क्षेत्र में नये विद्युत एकक

204. श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिमी क्षेत्र में नये विद्युत एककों के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो चुने गये स्थलों के नाम क्या हैं तथा नये स्थापित एककों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) विद्युत विकास संबंधी आयोजना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत की मांग का अनुमान लगाया जाता है और निर्धारित भावी समय-सीमा में इस मांग की पूर्ति करने के लिए नई परियोजनाएं निर्धारित की जाती हैं। अगली पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए भी परियोजनाएं निर्धारित की जाती हैं क्योंकि विद्युत परियोजनाओं को पूरा होने में लगने वाला समय लम्बा होता है।

देश में इस समय निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची विवरण में दी गई है।

1980-85 की अवधि के लिए, नई यूनिटों के लिए, देश के राज्यवार तथा क्षेत्रवार विद्युत कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 1980-85 की अवधि के लिए विद्युत कार्यक्रम तैयार करने तथा 1989-90 तक के लिए एक परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए योजना आयोग ने एक कार्यकारी दल का गठन किया है। कार्यकारी दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

विवरण-1

देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

(क) ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र० सं०	राज्य	स्कीम का नाम	चालु किए जाने का संभावित वर्ष					
			1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-90 के दौरान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तर प्रदेश	ओबरा विस्तार 12	200 मेगा.					
		ओबरा विस्तार यूनिट 13		200 मेगा.				
2.	-वही-	परीचा यूनिट-1			110 मेगा.			
		परीचा यूनिट-2				110 मेगा.		
3.	-वही-	अनपारा यूनिट-1				210 मेगा.		
4.	-वही-	टाण्डा यूनिट-1				110 मेगा.		
5.	-वही-	अनपारा यूनिट 2 और 3					420 मेगा.	
6.	-वही-	टाण्डा यूनिट 2					110 मेगा.	
7.	-वही-	टाण्डा यूनिट 3 और 4					220 मेगा.	
8.	हरियाणा	फरीदाबाद यूनिट 3		60 मेगा.				
9.	-वही-	पानीपत यूनिट 3				110 मेगा.		
10.	-वही-	पानीपत यूनिट 4					110 मेगा.	
11.	-वही-	पानीपत यूनिट 5 और 6						220 मेगा.
12.	पंजाब	रोपड़ यूनिट 1					210 मेगा.	
13.	-वही-	रोपड़ यूनिट 2						210 मेगा.
14.	राजस्थान	कोटा यूनिट 1		110 मेगा.				
15.	-वही-	कोटा यूनिट 2			110 मेगा.			
16.	महाराष्ट्र	नासिक यूनिट 5	210 मेगा.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	-वही-	पारलो यूनिट 3	210 मेगा.					
18.	-वही-	उरण गैस यूनिट 1	60 मेगा.					
19.	-वही-	भुसावल विस्तार यूनिट 3		210 मेगा,				
20.	-वही-	कोराडी यूनिट 6 और 7		420 मेगा.				
21.	-वही-	उरण गैस यूनिट 2, 3 और 4		180 मेगा.				
22.	-वही-	चन्द्रपुरा यूनिट 1 और 2			420 मेगा.			
23.	महाराष्ट्र	ट्राम्बे विस्तार				500 मेगा.		
24.	-वही-	चन्द्र पुरा यूनिट 3					210 मेगा.	
25.	-वही-	चन्द्रपुरा चरण 2 यूनिट 4						210 मेगा.
26.	मध्य प्रदेश	कोरबा पूर्वी	120 मेगा.					
27.	-वही-	सतपुडा यूनिट 8 और 9			420 मेगा.			
28.	-वही-	कोरबा पश्चिम यूनिट 1		210 मेगा.				
29.	-वही-	कोरबा पश्चिम यूनिट 2				210 मेगा.		
30.	-वही-	कोरबा पश्चिम विस्तार यूनिट 3 और 4					420 मेगा.	
31.	गुजरात	वानकबोरी यूनिट 1 और 2		420 मेगा.				
32.	-वही-	उकई यूनिट 5			210 मेगा.			
33.	-वही-	वानकबोरी यूनिट 3			210 मेगा.			
34.	-वही-	वानकबोरी यूनिट 4					210 मेगा.	
35.	-वही-	वानकबोरी विस्तार निट 5 और 6						420 मेगा.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	-वही-	लिगनाइट कच्छ यूनिट 1 और 2						120 मेगा.
37.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा यूनिट 2	210 मेगा.					
38.	तमिलनाडु	तुतीकोरिन यूनिट 3		210 मेगा.				
39.	कर्नाटक	रायचुर यूनिट 1				210 मेगा.		
40.	-वही-	रायचुर यूनिट 2					210 मेगा.	
41.	बिहार	बरौनी विस्तार यूनिट 6		110 मेगा.				
42.	-वही-	पतरातु यूनिट 9			110 मेगा.			
43.	-वही-	बरौनी यूनिट 7			110 मेगा.			
44.	-वही-	पतरातु यूनिट 10				110 मेगा.		
45.	-वही-	मुजफ्फरपुर यूनिट 1				110 मेंगा.		
46.	-वही-	मुजफ्फरपुर यूनिट 2					110 मेगा.	
47.	-वही-	तेनुघाट यूनिट 1						210 मेगा.
48.	-वही-	तेनूघाट यूनिट 2						210 मेगा.
49.	उड़ीसा	तलचेर विस्तार यूनिट 1	110 मेगा.					
50.	-वही-	तलचेर विस्तार यूनिट 2		110 मेगा.				
51.	पश्चिम बंगाल	संथालडीह	120 मेगा.					
52.	-वही-	बंडेल विस्तार	210 मेगा.					
53.	-वही-	कोलाघाट यूनिट 1		210 मेगा.				
54.	-वही-	कोलाघाट यूयिट 2			210 मेगा.			
55.	-वही	दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड विस्तार			110 मेगा.			
56.	-वही-	सी.ई.एस.सी. (टीटागढ़) यूनिट 1 और 2			120 मेगा.			
57.	-वही-	कोलाघाट यूनिट 3				210 मेगा.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.	-वही-	सी.ई.एस.सी. (टीटागढ़) यूनिट 3 और 4				120 मेगा.		
59.	असम	बोंगाई गांव यूनिट 1	60 मेगा.					
60.	-वही-	लकवा गैस यूनिट 1. 2 और 3	45 मेगा.					
61.	-वही-	बोंगाई गाँव यूनिट 2		60 मेगा.				
62.	-वही-	नामरूप अवशिष्ट		22 मेगा.				
63.	-वही-	मोबाइल गैस यूनिट 1 और 7		21 मेगा.				
64.	-वही-	बोंगाई गांव विस्तार यूनिट 3				60 मेगा.		
65.	-वही-	चन्द्रपुरा विस्तार				30 मेगा.		
66.	-वही-	बोंगाईगांव यूनिट 4						
67.	केन्द्रीय परियोजनाएं	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना	220 मेगा.				60 मेगा.	
68.	-वही-	बदरपुर विस्तार यूनिट 5		210 मेगा.				
69.	-वही-	सिंगरौली यूनिट 1		210 मेगा.				
70.	-वही-	सिंगरौली यूनिट 2 और 3			420 मेगा.			
71.	-वही-	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 1			210 मेगा.			
72.	-वही-	सिंगरौली यूनिट 4 और 5				420 मेगा.		
73.	-वही-	एन.ए.पी.पी. यूनिट				235 मेगा.		
74.	-वही-	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 2 और 3				420 मेगा.		
75.	केन्द्रीय परियोजसेाएं	रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 1				210 मेगा.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.	-वही-	एन.ए.पी.पी. यूनिट 2					235 मेगा.	
77.	-वही-	रामागुण्डम यूनिट 2 और 3					420 मेगा.	
78.	-वही-	नवेली द्वितीय माइन कट यूनिट 1				210 मेगा.		
79.	-वही-	नेवेली द्वितीय माइन कट यूनिट 2				210 मेगा.		
80.	-वही-	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 1				210 मेगा.		
81.	-वही-	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 6						500 मेगा.
82.	-वही-	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 4						500 मेगा.
83.	-वही-	नेवेली द्वितीय माइन कर यूनिट 3						210 मेगा.
84.	-वही-	फरक्का यूनिट 2 और 3						
85.	-वही-	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 7						420 मेगा. 500 मेगा.
86	-वही-	रामागुण्डम यूनिट 4						500 मेगा.
87.	-वही-	कलपक्कम यूनिट 1	235 मेगा.					
88.	-वही	कलपक्कम यूनिट 2		235 मेगा.				
89.	दा. घा. नि.	दुर्गापुर	210 मेगा.					
90.	-वही-	बोकारो 'ख'				210 मेगा.		

(ख) जल-विद्युत परियोजनाएं

1-	हरियाणा	पश्चिमी युमना नहर यूनिट 1, 2, 3 और 4	32 मेगावाट
2-	-वही	पश्चिमी यमुना नहर यूनिट 5 और 6	16 मेगावाट
3-	हिमाचल प्रदेश	बस्सी विस्तार	15 मेगावाट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-	-वही-	आन्ध्र यूनिट 1, 2 और 3			15 मेगावाट			
5-	-वही-	बिनवा यूनिट 1, 2 और 3			6 मेगावाट			
6-	-वही-	रोंगटोंग यूनिट 1, 2, 3 और 4				2 मेगावाट		
7-	-वही-	माभा यूनिट 1, 2 और 3					120 मेगावाट	
8	पंजाब	शानन विस्तार		50 मेगावाट				
9-	-वही-	आनन्दपुर साहिब यूनिट।			33.5 मेगावाट			
10-	-वही-	मुकेरियां यूनिट।			15 मेगावाट			
11-	-वही-	मुकेरियां यूनिट 2 और 3				30 मेगावाट		
12-	-वही-	आनन्दपुर साहिब यूनिट 2 और 3				67 मेगावाट		
13-	-वही-	आनन्दपुर साहिब यूनिट 4					23.5 मेगावाट	
14-	-वही-	मुकेरियां यूनिट 4, 5 और 6					45 मेगावाट	
15-	-वही-	मुकेरियां यूनिट 7, 8 और 9					58.5 मेगावाट	
16-	-वही-	मुकेरियां यूनिट 10, 11 और 12					58.5 मेगावाट	
17-	राजस्थान	माही यूनिट 1 और 2		50 मेगावाट				
18-	-वही-	माही यूनिट 3 और 4				90 मेगावाट		
19-	उत्तर प्रदेश	ऋषिकेश हरिद्वार यूनिट 3 और 4	72 मेगावाट					
20-	उत्तर प्रदेश	यमुना 2 यूनिट 1 से 4			120 मेगावाट			
21-	-वही-	मानेरी 1 यूनिट 1, 2 और 3			93 मेगावाट			
22-	-वही-	विष्णु प्रयाग यूनिट 1, 2, 3 और 4					262 मेगावाट	
23-	-वही-	टिहरी यूनिट 1 और 2					500 मेगावाट	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-		व्यास निर्माण बोर्ड देहर यूनिट 3				165 मेगावाट		
25-	-वही-	देहर यूनिट 4					165 मेगावाट	
26-	-वही-	पोंग यूनिट 3 और 4				120 मेगावाट		
27-	मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	पेंच यूनिट 1			80 मेगावाट			
28-	-वही-	पेंच यूनिट 2				80 मेगावाट		
29-	गुजरात	उकई बायां तट यूनिट 1 और 2			5 मेगावाट			
30-	-वही-	कडाना यूनिट 1				60 मेगावाट		
31-	-वही-	कडाना यूनिट 2					60 मेगावाट	
32-	-वही-	कडाना यूनिट 3 और 4					120 मेगावाट	
33-	मध्य प्रदेश	बोधघाट यूनिट 1, 2, 3 और 4					500 मेगावाट	
34-	महाराष्ट्र	कोयना बांध बिजली घर यूनिट-2	20 मेगावाट					
35-	-वही-	पैथन			12 मेगावाट			
36-	-वही-	टिल्लारी			60 मेगावाट			
37-	-वही-	भीड़ा टेल रेस यूनिट 1 और 2			80 मेगावाट			
38-	-वही-	भण्डारतारा					43.5 मेगावाट	
39-	आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर यूनिट 2	100 मेगावाट					
40-	-वही-	नागार्जुनसागर यूनिट 3 और 4		200 मेगावाट				
41-	-वही-	श्रीसैलम यूनिट 1 और 2		220 मेगावाट				
42-	-वही-	डोंकाराई		25 मेगावाट				
43-	-वही-	श्रीसैलम यूनिट 3 और 4			220 मेगावाट			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	आन्ध्र प्रदेश	बलिमेला यूनिट 1 और 2			60 मेगावाट			
45.	-वही-	नागार्जुनसागर दायां तट नहर यूनिट 1 और 2			60मे गावाट			
46.	-वही-	अपर सिलेरु यूनिट 1 और 2					120 मेगावाट	
47.	कर्नाटक	कालीनदी फेज-1, यूनिट 2	135 मेगावाट					
48.	-वही-	कालीनदी यूनिट 3 और 4		270 मेगावाट				
49.	-वही-	कालीनदी यूनिट 5 और 6			270 मेगावाट			
50.	-वही-	कालीनदी (सूपा बांध) यूनिट 1 और 2				100 मेगावाट		
51.	-वही-	गंगावली यूनिट 1 और 2					210 मेगावाट	
52.	-वही-	वाराही यूनिट 1 से 4					239 मेगावाट	
53.	केरल	इदामलयार यूनिट 1 और 2			75 मेगावाट			
54.	-वही-	कक्कड यूनिट 1 और 2				50 मेगावाट		
55-	-वही-	इदुक्की चरण-2 यूनिट 1,2 और 3					390 मेगावाट	
56.	तमिलनाडु	कदमपारी यूनिट–1			100 मेगावाट			
57.	-वही-	सरवलार			20 मेगावाट			
58.	-वही-	कदमपारी यूनिट 2			100 मेगावाट			
59.	-वही-	कदमपारी यूनिट 3 और 4				200 मेगावाट		
60.	बिहार	स्वर्णरेखा यूनिट 2	65 मेगावाट					
61.	दामोदर घाटी निगम	पंचेत हिल			40 मेगावाट			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	उड़ीसा	रेंगाली यूनिट 1 और 2			100 मेगावाट			
63.	-वही-	अपर कोलाब यूनिट 1			80 मेगावाट			
64.	-वही-	अपर कोलाब यूनिट 2 और 3				160 मेगावाट		
65.	-वही-	अपर इन्द्रावली यूनिट 1,2,3 और 4					600 मेगावाट	
66.	पश्चिमी बंगाल	जलढ़ाका यूनिट 1 और 2	8 मेगावाट					
67.	-वही-	रामन 2 यूनिट 1 से 4				50 मेगावाट		
68.	असम	लोअर बोरपानी यूनिट 1				50 मेगावाट		
69.	-वही-	लोअर बोरोपानी यूनिट 2						
70.	मेघालय	उमियां-उमत्रु यूनिट 1 और 2					50 मेगावाट 60 मेगावाट	
71.	नागालेण्ड	डिखू यूनिट 1 और 2	1 मेगावाट					
72.	त्रिपुरा	गुमटो यूनिट-1		5 मेगावाट				
73.	केन्द्रीय परियोजनाएं	बैरा स्यूल यूनिट 3	60 मेगावाट					
74.	-वही-	सलाल यूनिट 1 2 और 3					345 मेगावाट	
75.	-वही-	कोइलकारो 1 से 1						
76.	-वही-	लोकतक यूनिट 1,2 और 3	105 मेगावाट				710 मेगावाट	
77.	-वही-	कोपिली		150 मेगावाट				

मानव निर्मित रेशे का व्यापार करने वाले औद्योगिक गृह

205. **श्री एस० एम० कृष्णा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव निर्मित रेशा उद्योग का काम करने वाले उन औद्योगिक गृहों के नाम के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1979-80 के दौरान नए उद्योग आरम्भ करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं ; आशय पत्र जारी किए गए हैं ; अपनी वर्तमान क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) उन्हें दिए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है, इसकी क्षमता क्या है और इसमें कितनी पूंजी परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है और प्रत्येक मामले में यदि कोई विदेशी सहयोग शामिल है तो कितना है ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय में ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे लाइसेंसों के उचित और समय पर उपयोग पर निगरानी रखी जा सके ; यदि हां, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1979-80 के दौरान सिंथेटिक फाईबर के निर्माण के लिए किसी भी नये एकक की स्थापना अथवा प्रचलित किसी भी एकक के विस्तार के लिए कोई नया आशय पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सुवर्णं रेखा नदी के किनारों का भारी कटाव

206. **श्री नारायण चौबे** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल के गोपी-बल्लोपुर, नया ग्राम और डान्टन थाना तथा उड़ीसा के जोसवार में सुवर्णं रेखा नदी के किनारों के भारी कटाव की जानकारी है ,

(ख) क्या पश्चिम बंगाल को उडीसा से मिलाने वाली ओ० टी० सड़क पश्चिम बंगाल में डान्टन थाना में सोना करिया के निकट इस कटाव से खतरा पैदा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कटाव को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा उक्त कार्यवाही उसने पहले ही कर ली हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि सोनरकरिया में रेल-पुल और ओ० टी० रोड के पहुँच मार्ग के निकट स्वर्ण रेखा द्वारा भू-कटाव होता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कटाव से सुरक्षा पाने के लिए 31 लाख रुपए की लागत वाली एक स्कीम तैयार की है और इस स्कीम को क्रियान्वयन के लिए प्रोसेस किया जा रहा है।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि स्वर्णरेखा नदी द्वारा जलेश्वर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में भू-कटाव होता है। लेकिन उड़ीसा में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को जोड़ने वाली ओ० टी० रोड़ को इससे कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि गोबारागाड, शेखबाद और महूलिया के निकट भू-कटाव-रोधी बर्क्स का निर्माण किया गया

है। मल्लीपाल, राजापुर और पंचूघंटा, सुखेई दुखेई गांवों के निकट भी कटाव-रोधी वर्क्स का निर्माण किया जा रहा है।

दण्डकारण्य परियोजना में बसाये जाने वाले परिवार

207. श्री समर मुकेर्जी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में अभी कितने और परिवारों को बसाया जाना है ; और

(ख) शरणार्थियों को दण्डकारण्य परियोजना में पूरा लाभ देकर बसाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्तमान स्थिति के अनुसार अभी 5,364 परिवारों को बसाया जाना शेष है।

(ख) खरीफ 1980 के दौरान 3,600 परिवारों को तथा शेष को खरीफ 1981 के दौरान निर्धारित दरों पर पूरी पुनर्वास सुविधाओं सहित बसाने का प्रस्ताव है।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को वर्ष 1979-80 के दौरान हुई हानि

208. श्री निरेन घोष : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को वर्ष 1979-80 के दौरान 58.91 के लाख टन उत्पादन की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में विभिन्न कारणों से 1980-81 में कोयले के उत्पादन में अनुमानित कमी 7.05 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ख) कोयला खानों को बिजली की सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से दामोदर घाटी निगम में बिजली का उत्पादन बढ़ाकर और कोयला उद्योग को बिजली की सप्लाई को उच्चतर प्राथमिकता देकर समुचित कार्रवाई की गई है। इस बात के लिए भी कार्रवाई की जा रही है कि खानों में बिजली के उत्पादन के लिए ग्रहीत क्षमता स्थापित की जाए। विस्फोटक पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए उनका आयात किया गया है और खान मजदूरों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विभिन्न राज्यों को पैराफिन की सप्लाई

209. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में पैराफ़िन की राज्यवार आवश्यकताएं और सप्लाई कितनी-कितनी थी ;

(ख) क्या सप्लाई के सम्बन्ध में कोई नीति है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है , और

(घ) यदि नहीं, तो राज्यों को वितरण करने का क्या आधार है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जून, 1976 में इंडियन आयल कारपोरेशन लि० की ओर से तैयार की गई मार्केट सर्वेक्षण रिपोर्ट ने देश में 1978-79 के लिए पैराफिन मोम की मांग 56000 मी० टन प्रतिस्थापित की थी। इस सर्वेक्षण में मांग का राज्यवार अनुमान प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। समय समय पर विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपने पैराफिन मोम के कोटे को बढ़ाने की अनुमानित मांगें उनको आबंटित किये गये कोटे में से उनके द्वारा ली गई मोम की मात्रा को देखते हुए अवास्तविक नजर आती हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को किये गये आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को पैराफिन मोम का वार्षिक आबंटन स्वदेशी और आयातित कुल अनुमानित उपलब्धता जो किसी विशेषवर्ष में होती है तथा प्रत्येक राज्यों संघ/शासित प्रदेशों द्वारा विगत में वास्तविक तौर पर उठाये गये मोम के आधार पर किया जाता है।

विवरण

राज्य का नाम	पैराफिन मोम का आबंटन		
	1977	1978	1979
1	2	3	4
1. महाराष्ट्र	9,529	9,282	11,140
2. गुजरात	1,103	1,092	1,312
3. मध्य प्रदेश	898	874	1,052
4. गोवा, दमन दिव	213	218	264
5. पश्चिम बंगाल	6,316	6,638	7,968
6. बिहार	1,034	983	1,180
7. उड़ीसा	581	546	656
8. अन्डमान और निकोबार	18	16	20
9. आंन्ध्र प्रदेश	1,360	1,310	1,576
10. दिल्ली	2,529,5	2 457	2,948
11. उत्तर प्रदेश	3,535	3,406	4,088
12. राजस्थान	898	874	1,052
13. हरियाणा	990	983	1,180
14. पंजाब	1,380	1,310	1,576

1	2	3	4
15. हिमाचल प्रदेश	98	112	136
16. जम्मू और कश्मीर	167	193	232
17. चण्डीगढ़	138	168	200
18. कर्नाटक	898	874	1,052
19. तमिलनाडु	6,587	6,443	7,732
20. केरल	1,533	1,474	1,772
21. पाण्डिचेरी	112	112	136
22. लक्षद्वीप	5	15	20
23. दादरा, नागर हवेली	37	36	44
24. सिक्किम	15	16	20
25. असम	1,250	1,201	1,440
26. मेघालय	125	112	148
27. नागालेण्ड	200	325	325
28. मणिपुर	225	268	320
59. त्रिपुरा	375	382	460
30. अरूणाचल प्रदेश	40	56	68
31. मिजोरम	40	81	96

स्वीकृति हेतु विचाराधीन पड़ी महाराष्ट्र की बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं

210. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के संबंध में 15 बड़ी और 16 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास तीन वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर सरकार का कब तक स्वीकृति देने का विचार है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) महाराष्ट्र की तीन बृहद् परियोजनाएं अर्थात नन्दूर मधनेश्वर, वगना और तिल्लारी परियोजनाएं तीन वर्षों से अधिक समय से केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। केन्द्रीय जल आयोग में कोई मध्यम सिंचाई परयिोजना तीन वर्षों से अधिक समय से स्वीकृति के लिए विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं को इसलिए स्वीकृति नहीं दी जा सकी है क्योंकि आयोग ने राज्य सरकार से जो टिप्पणियां/स्पष्टीकरण मांगे है, वे अभी तक प्राप्त नहीं हुए है।

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे आयुक्त मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने अधिकारियों को भेजे, ताकि इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दी जा सके ।

उर्वरक उत्पादन में कमी

211. श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली की सप्लाई की खराब स्थिति के कारण उर्वरक उत्पादन में किसी प्रकार के सुधार के अवसर नगण्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष के दौरान हुए निराशाजनक उर्वरक उत्पादन का एक मुख्य कारण बिजली की सप्लाई में कमी था ;

(ग) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में भी वही स्थिति बनी हुई है ;

(घ) उर्वरक की कितनी कमी रहीं है ; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं,

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा आरोपित बिजली कटौती/परिसीमन के कारण अधिकतर उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन गम्भीर रूप से प्रभावित रहा । मुख्य कारण यह रहा है जिसके कारण वर्ष 1979-80 में अधिक उत्पादन हानि हुई है। जुलाई, 1980 के बाद की अवधि में बिजली की उपलब्धता, आने वाले मानसून की प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर करेगी ।

(घ) और (ङ) वर्तमान मौसम के दौरान, उर्वरक की कमी कृषि मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है जो उर्वरक के सप्लाई की व्यवस्था करता है ।

जहां तक उर्वरक की आवश्यकता और घरेलू उत्पादन के मध्य अन्तराल है, प्रर्याप्त आयात की व्यवस्था की जाती है । इसके अलावा, अनेक स्थानों पर कृषि मंत्रालय द्वारा उर्वरकों के समय पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिरोधक भण्डार कायम किये जाते हैं ।

गंगा के पानी के बटवारी के बारे में बंगलादेश और भारत के बीच बातचीत ।

212. श्री के० पी० सिंहदेव : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा के पानी के बटवारे के बारे में भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच होने वाले किसी समझौते के होने तक के लिए भारत सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि कलकत्ता बन्दरगाह के लिए मात्रा में पानी की पर्याप्त पूर्ति होती रहे ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाड़े) : भारत सरकार और बंगलादेश ने फरक्का पर गंगा के जल के बंटवारे और उसके प्रवाह में वृद्धि करने के बारे में 5 नवम्बर, 1977 को एक करार पर हस्ताक्षर किए थे । यह करार पांच वर्ष तक लागू रहेगा, बशर्ते कि आपसी समझौते द्वारा इसे आगे न बढ़ाया जाए ।

शुष्क मौसम के दौरान गंगा में इतना पानी नहीं होता कि उससे दोनों देशों की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। अतः करार में इस बात की व्यवस्था है कि शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने के बारे में दोनों में से किसी एक सरकार द्वारा प्रस्तुत स्कीमों का अन्वेषण और अध्ययन भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा किया जाए। यद्यपि इस कार्य के लिए भारत और बंगलादेश के प्रस्ताव आयोग के पास हैं, परन्तु आयोग द्वारा उनके अध्ययन में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। करार में इसके पुनरीक्षण की व्यवस्था है। पहला पुनरीक्षण नवम्बर, 1980 तक तथा बाद में दूसरा पुनरीक्षण मई, 1982 में किया जाना है। इन पुनरीक्षणों के दौरान, कलकत्ता पत्तन के लिए अपेक्षित प्रवाह की व्यवस्था करने का मामला उठाया जाएगा। शुष्क मौसम में गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए एक दीर्घकालीन स्कीम तैयार करने के लिए भी सभी सम्भव प्रयत्न किए जाएंगे ताकि कलकत्ता पत्तन की सारी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

तापीय ऊर्जा के रूपान्तरण की मैग्नेटोहाइड्रोडाइनैमिक विधि

213. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय ऊर्जा के रूपान्तरण की मैग्नेटोहाइड्रो-डाइनैमिक विधि से अधिक उत्पादन होता है ;

(ख) क्या तिरुचिरापल्ली में मैग्नेटोहाइड्रो डाइनैमिक विधि सम्बन्धी प्रायोगिक माडल बन कर तैयार हो गया है, और

(ग) यदि हां, तो दीर्घावधि ऊर्जा नीति के अंग के रूप में मैगनेटो-हाइड्रो-डाइनैमिक विधि के विकास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) तापीय ऊर्जा के रूपान्तरण की मैग्नेटो हाइड्रो-डाइनैमिक विधि से सिद्धान्तः विद्युत उत्पादन अधिक दक्षता होने की संभावना है। तथापि इस प्रकार की प्रक्रिया के बारे में अभी तक कोई सतत् वाणिज्यिक अनुभव उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी यूनिटों की विश्वसनीयता और उपलब्धता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार द्वारा गठित ऊर्जा नीति संबंधी कार्यकारी-दल ने 2000 ई० तक के ऊर्जा कार्यक्रम में एम. एच. डी. प्रौद्योगिकी द्वारा किसी उल्लेखनीय रूप में सहायता मिल सकने के बारे में कोई परिकल्पना नहीं की है। इस समय किए जा रहे प्रयास केवल अनुसंधान और विकास की अवस्था में ही है।

ऊर्जा मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु की गयी कार्यवाही

214. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय निर्यात की सम्भावनाओं के बारे में अखिल भारतीय निर्यात संघ द्वारा कलकत्ता में प्रायोजित एक गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए ऊर्जा मंत्री की गयी घोषणा के अनुसार कोयले के उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी उपायों के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए गनीखान चौधरी) : कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय पहले ही किए जा चुके हैं :—

1. कोयला खानों को बिजली की सप्लाई के लिए उच्चतर प्राथमिकता देना ।

2. विस्फोटक पदार्थों की देश में उपलब्धि और उनकी आवश्यकता के बीच के अन्तर को आयात करके पूरा करना ।

3. उच्चतर प्राथमिकता के आधार पर आबंटन के द्वारा कोयला खानों को हाईस्पीड डीजल की सप्लाई बढ़ाना ।

4. खनिकों में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण-विशेष रूप से ई. को. लि. तथा भा. को. को. लि. के खनिकों पर ।

5. राज्य सरकारों की सहायता से कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार ।

इन उपायों के फलस्वरूप अप्रैल और मई, 1980 में उत्पादन गत वर्ष के इन्हीं महीनों की अपेक्षा 2.0 मिलियन टन अधिक हुआ है ।

नए उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस का वितरण

215. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि घरेलू (खाना पकाने में) प्रयोग में आने वाली गैस की अत्याधिक मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नए उपभोक्ताओं को गैस का वितरण करने के लिए सरकार का आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता लगभग 1981 के आरम्भ के निम्न-लिखित परियोजनाओं को चालू हो जाने से बढ़ जाने की सम्भावना है :—

(i) बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस के निकालने की सुविधायें ;

(ii) मथुरा शोधनशाला ;

(iii) कोयाली शोधनशाला में सहायक शोधन-सुविधायें ।

उपर्युक्त परियोजनाओं के पूरे होने के पश्चात् ही देश के विभिन्न भागों में घरेलू उपयोग के लिए नये गैस कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे ।

विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ से सुरक्षा के उपाय

216. **श्री आर० पी० यादव** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर गंगा और ब्रह्मपुत्र के तटवर्ती क्षेत्रों में, आगामी

बाढ़ के मौसम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाये है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थिति से निपटने के संबंधों का समय पर पुनरीक्षण करें और सभी आवश्यक ऐहतियाती उपाय करें ताकि ऐसा न हो कि वे स्थिति का सामना करने के लिए तैयार न हों। जिन कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, वे बता दी गई हैं। इनमें ये भी शामिल है: पहले से हाथ में ली गई बाढ़-नियंत्रण स्कीमों को समय पर पूरा करना, बाढ़-नियंत्रण वर्क्स का मनसून आने से पहले ही निरीक्षण और अनुरक्षण बाढ़ का सामना करने के लिए प्रबन्ध करना और असुरक्षित स्थलों पर सामान स्टाक करना और जिन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है, उनके बारे में तैयारी की विस्तृत योजनाएं तैयार करना।

भाखड़ा बांध के गंग नहर तथा भाखड़ा नहर को दिए गए पानी की मात्रा

217. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा हैड वर्क्स से गंग नहर को पानी के वितरण का कार्य पंजाब सरकार के नियंत्रण में है ;

(ख) भाखड़ा बांध से गंग नहर तथा भाखड़ा नहर को दिए गए पानी की मात्रा कितनी-कितनी है।

(ग) क्या यह सच है कि इन नहरों को भाखड़ा से पर्याप्त पानी नहीं मिलता है ;

(घ) राजस्थान में नहरों को दिये जाने वाले पानी के भाग पर पंजाब सरकार के नियंत्रण के क्या कारण हैं ,

(ङ) क्या यह सच है कि भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष से गंग नहर तथा भाखड़ा नहर को पूरा पानी देने का अनुरोध किया गया था ; और

(च) इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। हरिके और फिरोजपुर हैडवर्क्स, जो कि गंग नहर को पानी देते हैं, न कि भाखड़ा हैड़वर्क्स, पंजाब सरकार के नियंत्रण में हैं।

(ख) जल कम रह जाने की 21-9-1979 से 20-5-80 तक की अवधि के दौरान रावी व्यास के जल में से गंग नहर (बीकानेर नहर) को जल के 5,86,286 ल्युसिक दिन की सप्लाई की गई। गंग नहर को पानी की सप्लाई भाखड़ा बांध से नहीं की जाती।

दक्षिणी घग्गर नहर, बाम्बली वितरण नहर, जन्दवाला वितरण नहर, किशनगढ़ वितरण नहर, सादल शाखा तथा करणी सिंह शाखा को जल की सप्लाई भाखड़ा के जल से की जाती है और इन शाखाओं के जल के 3,91,584 ल्यूसिक दिन की सप्लाई की गई।

(ग) जी, नहीं। तथापि, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि पंजाब क्षेत्र में जल वाहक नहर के क्षतिग्रत होने के कारण गंग नहर को पंजाब-राजस्थान सीमा पर सप्लाई निस्सरण की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती।

(घ) पंजाब सरकार ने रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हेडवर्क्सों को अभी तक भाखड़ा व्यास प्रबंध नहीं सौंपा है।

(ङ) जी, हां।

(च) हैडवर्क्सों का अन्तरण भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड को किये जाने के प्रश्न पर पंजाब सरकार से विचार-विमर्श किया जा रहा है,

पश्चिम बंगाल में सलनपुर तापीय विद्युत संयंत्र

219. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सलनपुर तापीय बिजली संयंत्र में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में सलनपुर में एक बृहत् ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव बृहत् ताप विद्युत केन्द्रों के लिए स्थलों का चयन करने के लिए वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा गठित की गई समिति को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव रनीगंज कोयला खानों से कोयले की उपलब्धता पर आधारित है। तथापि, समिति ने पूर्वी क्षेत्र में फरक्का में एक बृहत् ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है, जो इस समय निर्माणाधीन है।

विद्युत संयंत्रों की सामान्य कार्यविधि और उनकी गिरती हुई स्थिति

2 0. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में विद्युत संयंत्रों की सामान्य कार्यविधि क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने सभी विद्युत संयंत्रों की गिरती हुई स्थिति के बारे में जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) ताप विद्युत संयंत्र का सामान्य जीवनकाल लगभग 25 वर्ष है जबकि जल विद्युत संयंत्रों का जीवनकाल लगभग 35 वर्ष है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सारे देश के विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की मोनीटरिंग करता है। जिन पुराने संयंत्र का जीवनकाल समाप्त हो जाता हैं उनकी क्षमता में ह्रास हो जाता है और इनसे विद्युत उत्पादन की लागत जब इतनी अधिक हो जाती है कि उत्पादन बन्द कर देना पड़े तब उपयुक्त समय पर इन्हें प्रचालन से अलग कर दिया जाता है।

आसनसोल में टेलीविजन प्रसारण केन्द्र बनाना

221. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल में टेलीविजन प्रसारण केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) आसनसोल में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की परियोजना पहले ही स्वीकार की जा चुकी है और इसके कार्न्यान्वयन का काम हाथ में ले लिया गया है। रिले केन्द्र के लिए स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है और भवन के निर्माण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ होने की सम्भावना है।

लोकदल को आबंटित "महिला" प्रतीक पर आपत्ति

222. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकदल को आबंटित किए गए 'महिला' प्रतीक पर अंकित आख्यान पर महिलाओं को आपत्ति हुए देखा गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब गाँवों में "औरत पर मोहर लगाओ" का नारा लगाया गया तो महिलाओं ने इसे अपमानजनक माना ; और

(ग) यदि हां तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है जिससे महिलाओं की भावनाओं को चोट न पहुंचे।

विधि, न्याय और कंम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मतपत्रों में जो "महिला" प्रतीक छपा हैं उसमें "महिला" प्रतीक पर कोई आख्यान लिखा नहीं होगा। इसलिए "महिला" प्रतीक पर किसी आख्यान के लिखे होने पर महिलाओं द्वारा आपत्ति किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। किन्तु आयोग को निम्नलिखित व्यक्तियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये है :

(1) श्री मंगल सैन बधवा, अध्यक्ष, आर्य समाज, लुधियाना।

(2) श्री आर० एम० रेखा रहालकर, थाना जिला कांग्रेस (आई)।

(3) संयोजक, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, अलवर तथा

(4) श्रीमती रोजा देशपाण्डे, मुम्बई।

इन अभ्यावेदनों में उस प्रतीक के आबंटन पर आपत्ति की गई है।

(ग) "महिला प्रतीक जून 1977 से बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यों में एक मुक्त प्रतीक के रूप में बना हुआ है। 26 अप्रैल, 1980 तक अर्थात् उस तारीख तक जिस तारीख को "महिला" प्रतीक किसी राष्ट्रीय दल के लिए आरक्षित किया गया, आयोग को कहीं से भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, यह विषय निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग की अधिकारिता में आता है।

प्रेस आयोग के निदेश-पद

223. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रेस आयोग के निदेश-पदों को अधिक व्यापक बनाने और प्रेस आयोग के जिन सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया है उनके स्थान पर दूसरे सदस्यों को लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो मूल विचारार्थ बिषयों में क्या-क्या संशोधन किए गए हैं ; और

(ग) प्रेस आयोग के जिन सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया है और जो नये सदस्य नियुक्त किए गए हैं उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रेस आयोग के संशोधित निर्देश पदों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ;

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया हैं, के नाम दिए हुए हैं। न्यायमूर्ति श्री के० के० मैथ्यू को प्रेस आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र ही होने की आशा है।

विवरण

1.	न्यायमूर्ति	श्री पी० के० गोस्वामी	सदस्य
2.		श्री अबु अब्राहम	सदस्य
3.		श्री प्रेम भाटिया	सदस्य
4.		श्री एस० एन० द्विवेदी	सदस्य
5.		श्री मोइनुद्दीन हैरीस	सदस्य
6.		श्री रवी मथाई	सदस्य
7.		श्री यशोट एन० मेहता	सदस्य
8.		श्री वी० के० नरसिंहन	सदस्य

9.	श्री एफ० एस० नरीमन	सदस्य
10.	*श्री निखिल चक्रवर्ती	सदस्य
11.	श्री एस० एच० वात्स्यायन	सदस्य

* श्री निखिल चक्रवर्ती को श्री अरुण शौरी के द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के बाद 23 नवम्बर, 1978 को प्रेस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था।

हमीरपुर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

224. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो निर्णय के कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हमीरपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यह स्थान आकाशवाणी के शिमला केन्द्र की प्राथमिक सेवा की परिधि में है।

हिमाचल प्रदेश के लिये मंजूर की गई केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित सिंचाई योजनाएं

225. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये मंजूर की गई केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं और इनकी अनुमानित लागत कितनी है और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने गांव शामिल किये जायेंगे ;

(ख) इस बीच इनमें से कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं किस-किस तारीख को पूरी हो गई है और प्रत्येक योजना के पूरा होने की लागत क्या है ,

(ग) इनमें से किन-किन सिंचाई योजनाओं पर कार्य चल रहा है और प्रत्येक योजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि मंजूर की गई है और प्रत्येक योजना किस तारीख को पूरी हो जायेगी ;

(घ) ऐसी मंजूरशुदा सिंचाई योजनायें कौन-कौन सी हैं जिन्हें अब तक शुरू नहीं किया गया है और उसके क्या कारण है ; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक योजना को अनुमानतया किस तारीख को शुरू किया जायेगा

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ङ) बृहद और मध्यम सेक्टर के अन्तर्गत सिंचाई के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई स्कीमें नहीं हैं। लेकिन कृषि मंत्रालय के कृषि और

सहकारिता विभाग ने सूचित किया है कि लघु सिंचाई सेक्टर के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में भूतल और भूगत जल संगठन को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो स्कीमों को प्रशासनिक रूप से स्वीकृत किया गया है, जिनकी कुल लागत 26.90 लाख रुपए है । ये स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	कुल लागत	50 प्रतिशत के बराबर केन्द्रीय अनुदान	मार्च, 1980 तक राज्य को दी गई कुल राशि
1.	भूतल जल लघु सिंचाई संगठन को सुदृढ करना	5.66	2.83	2.83
2.	भूगत जल लघु सिंचाई	21.24	10.62	3.23
	कुल :-	26.90	13.45	6.06

ये स्कीमें, जो मुख्यतया कर्मचारियों की व्यवस्था और उपस्करों की खरीद करने के लिए हैं, 1976-77 में प्रारम्भ की गई थीं।

राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी से प्रसारण

226. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे आकाशवाणी केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां से प्रत्येक राजनीतिक दल को (एक) लोक सभा चुनाव 1980 (2) विधान सभा चुनाव 1980 के दौरान प्रसारण की अनुमति दी गई थी , और

(ख) प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र से प्रत्येक राजनीतिक दल को कितना समय आबंटित किया गया था और प्रसारण के लिए आमंत्रित किए गए दल के अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) लोक सभा चुनाव, 1980 के संबंध में सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दलों को दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर दो दो प्रसारण करने की अनुमति दी गई थी, जिनको वाणिज्यिक केन्द्रों को छोड़कर आकाशवाणी के अन्य सभी केन्द्रों द्वारा रिले किया गया था । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिसमें चुनाव हुआ, में स्थित मुख्य केन्द्रों ने भी प्रत्येक राष्ट्रीय दल और अपने अपने राज्य के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों को दो दो प्रसारण करने की अनुमति दी थी । इन प्रसारणों को संबंधित राज्यों के वाणिज्यिक केन्द्रों को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रों से रिले किया गया था।

विधान सभा चुनाव, 1980 के संबंध में, उन 9 राज्यों में, जिनमें चुनाव हुआ, स्थित वाणिज्यिक केन्द्रों को छोड़कर आकाशवाणी के अन्य सभी केन्द्रों ने सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दलों और अपने अपने राज्य के मान्यताप्राप्त राज्य स्तरीय दलों को यह सुविधा दी।

उन रेडियो स्टेशनों जिनसे चुनाव प्रसारण प्रसारित/रिले किए गए, के नाम विवरण में दिए एए हैं।

(ख) दोनों मामलों में अर्थात् लोक सभा चुनावों और विधान सभा चुनावों में 15-15 मिनट के दो प्रसारण करने की अनुमति दी गई थी। इन प्रसारणों के वक्ता संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा नामित किए गए थे, न कि आकाशवाणी द्वारा।

विवरण

उन रेडियो स्टेशनों के नाम जहां से लोक सभा चुनाव, 1980 के दौरान चुनाव प्रसारण प्रसारित/रिले किए गए।

1. हैदराबाद	2. कुडप्पा
3. विजयवाडा	4. विशाखापत्तनम्
5. त्वांग	6. तेजू
7. पासीघाट	8. गौहाटी
9. डिब्रूगढ़	10. सिलचर
11. भागलपुर	12. पटना
13. दरभंगा	14. रांची
15. अहमदाबाद	16. भुज
17. राजकोट	18. बदोदरा
19. श्रीनगर	20. जम्मू
21. लेह	22. बंगलौर
23. भद्रावती	24. गुलबर्ग
25. मैसूर	26. मंगलौर
27. धारवाड़	28. त्रिवेन्द्रम
29. अलैप्पी	30. कालीकट
31. त्रिचूर	32. भोपाल
33. अम्बिकापुर	34. छतरपुर
35. ग्वालियर	36. इंदौर
37. जबलपुर	38. जगदलपुर
39. रायपुर	40. रीवा
41. बम्बई	42. जलगांव
43. औरंगाबाद	44. परभनी

45. पुणे
46. रत्नागिरी
47. सांगली
48. नागपुर
49. कोहिमा
50. इम्फाल
51. शिलांग
52. ऐजवाल
53. अगरतला
54. रोहतक
55. जलंधर
56. शिमला
57. कटक
58. जैपोर
59. सम्बलपुर
60. जयपुर
61. अजमेर
62. जोधपुर
63. बीकानेर
64. उदयपुर
65. मद्रास
66. कोयम्बत्तूर
67. तिरूचिरापल्ली
68. तिरूनेलवेली
69. लखनऊ
70. अलीगढ़
71. नजीबाबाद
72. वाराणसी
73. रामपुर
74. मथुरा
75. इलाहाबाद
76. गोरखपुर
77. कलकत्ता
78. कुर्सियांग
79. सिलीगुड़ी
80. दिल्ली
81. पणजी
82. पाण्डीचेरी
83. पोर्ट ब्लेयर

उन रेडियो स्टेशनों के नाम जहां से विधान सभा चुनाव, 1980 के दौरान चुनाव प्रसारण प्रसारित/रिले किए गए।

1. पटना
2. भागलपुर
3. दरभंगा
4. रांची
5. अहमदाबाद
6. राजकोट
7. भुज
8. बदोदरा
9. भोपाल
10. अम्बिकापुर
11. छत्तरपुर
12. ग्वालियर
13. इंदौर
14. जबलपुर

15. जगदलपुर 16. रायपुर

17. रीवा 18. बम्बई

19. जलगांव 20. औरंगाबाद

21. परभनी 22. पुणे

23. रत्नगिरी 24. सांगली

25. नागपुर 26. जलधर

27. कटक 28. जैपोर

29. सम्बलपुर 30. जयपुर

31. अजमेर 32. बीकानेर

33. जोधपुर 34. उदयपुर

35. मद्रास 36. कोयम्बत्तूर

37. तिरूचिरापल्ली 38. तिरूनेलवेली

39. लखनऊ 40. इलाहाबाद

41. अलीगढ़ 42. नजीबाबाद

43. वाराणसी 44. रामपुर

45. मथुरा 46. गोरखपुर

निर्वाचन प्रणाली के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाव

227. श्री लक्ष्मण मलिक क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने के बारे में हाल ही में केन्द्रीय सरकार को अनेक सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी नहीं। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने की सिफारशें वर्ष 1977 और 1978 में की थी। एक विवरण जिसमें निर्वाचन आयोग से प्राप्त सिफारशों की तारीख सहित ब्यौरा दिया गया है (विवरण।) और एक विवरण जिसमें उन सिफारिशों पर सरकार ने जहां कोई निर्णय किए हैं, उनका उल्लेख है (विवरण 2) सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०--839--80

परादीप में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

228. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप में पत्तन आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां । परादीप में एक बड़ा फास्पेटीक उर्वरक प्रायोजना लगाये जाने का विचार है । हाल ही में मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की गई है । निवेश निर्णय प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ख) प्रायोजना लागत, कार्यन्वियन की समय अनुसूची, प्रस्ताविक उत्पादन मिश्र आदि के बारे में पक्की जानकारी प्रायोजना रिपोर्ट के पूरी तरह से आपके जाने के बाद ही, उपलब्ध होगी ।

निर्वाचन निधि बनाने के लिए निर्वाचन आयोग का सुझाव

229. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय सरकार को एक निर्वाचन निधि बनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) केन्द्रीय सरकार को निर्वाचन आयोग से निर्वाचन निधि सृजित करने का कोई सुझाव औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, यद्यपि समाचार पत्रों में यह कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 5 जून, 1979 को शिमला में पत्रकारों के सामने और 8 अप्रैल, 1980 को जयपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस में यह विचार व्यक्त किया था कि अन्य बातों के साथ-साथ, एक केन्द्रीय निर्वाचन निधि सृजित की जानी चाहिए जिसमें केन्द्र और राज्य बराबर-बराबर अंशदान करें ।

(ख) जब तक सरकार को निर्वाचन आयोग से इस विषय पर कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तब तक यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश में उन्नाव के समीप आग लगने के कारण उर्वरक की क्षति

230. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 12 अप्रैल, 1980 को उन्नाव के समीप एक रसायन कम्पनी के गोदाम में आग लगने के कारण लाखों रुपयों के मूल्य का उर्वरक जल कर राख हो गया।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कितनी क्षति का अनुमान है; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मैसर्स रैलीज इंडिया लि० के अनुसार 12 अप्रैल, 1980 को जिला उन्नाव स्थित उनकी फैक्ट्री के पैकिंग सामग्री के गोदाम में आग लग गई थी जिससे लगभग 28 लाख रुपये के एच. डी. पी. ई. के बोरों का नुकसान हुआ, आग बुझाते समय पानी से 34 लाख रुपये की लागत के लगभग 290 टन उर्वरकों को भी नुकशान हुआ। आग लगने के कारणों का निश्चित रूप से पता नहीं लगा है लेकिन सम्भवतः बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगी हैं।

(ग) कम्पनी के अनुसार आग को रोकने तथा आग बुझाने के लिए कारखाने में पहले से ही पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थी।

वेतन न्यायाधिकरणों के बारे में मंत्री की टिप्पणी पर अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी संघ की प्रतिक्रिया

231. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी संघ ने उनसे यह अपील की है वह न्यायमूर्ति श्री जी० डी० पालेकर की अध्यक्षता में गठित पत्रकारों के लिए वेतन सम्बन्धी न्यायाधिकरणों की अंतिम रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध होने तक धैर्य रखें और कोई अवांछनीय टीका टिप्पणी करने से स्वयं को रोकें।

(ख) क्या संघ ने एक पत्र में उनकी इस कथित टिप्पणी का उल्लेख किया है कि न्यायाधिकरण के अनन्तिम वेतन, प्रस्तावों से समाचारपत्र उद्योग को हानि होगी और इस बात से उन्हें बड़ा धक्का लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी टिप्पणी से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सरकार ने उक्त समाचार को देखा है।

(ख) अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ से इस प्रकार का कोई पत्र मेरे मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) उपरिलिखित समाचार स्वयं उन काल्पनिक वक्तव्यों पर आधारित था जिसमें कतिपय टिप्पणियाँ मेरे नाम पर आरोपित की गई थी। यहां तक कि मेरे उस वक्तव्य में भी जो मैंने कलकत्ता में समाचार-पत्रों को दिया था, मैंने मालिकों और कर्मचारियों दोनों से यह

अपील की थी कि वे ट्रिब्यूनल द्वारा अन्तिम निर्णय दिए जाने से पहले कोई समझौता कर लें क्योंकि उसके बाद इसमें अत्यन्त विलम्ब हो जायेगा। मैंने इसको तुरन्त ही 19 अप्रैल, 1980 को कोचीन में संवाददाताओं से बातचीत करते समय स्पष्ट कर दिया था।

विधान सभा निर्वाचनों के ठीक पूर्व जिला कलक्टरों का स्थानान्तरण

232. **श्री एन० ई० होरो :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में हाल ही के विधान सभा निर्वाचनों के ठीक पूर्व अनेक जिला कलक्टरों और डिप्टी कलक्टरों का जो निर्वाचन कार्य की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे, स्थानान्तरण कर दिए जाने से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैंज हां उच्च अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया और उसके क्या कारण थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) अपेक्षित, जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है।

कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कमी

233. **डा० फारूक अब्दुल्ला :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर में पेट्रोल और डीजल आयल की इतनी अधिक कमी थी कि अप्रैल और मई के महीने में पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को बहुत अधिक कठिनाई उठानी पड़ी।

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल कुछ ही पम्पों पर बिक्री के लिए पेट्रोल उपलब्ध था?

(ग) यदि हां, तो राज्य में इसकी भारी कमी के क्या कारण थे ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य को अधिक पेट्रोल और डीजल आयल सप्लाई करने के बारे में दिनांक 22 मई को आदेश जारी किए थे ;

(ङ) अब तक इसकी कितनी सप्लाई कर दी गई है तथा राज्य सरकार की वास्तव में क्या मांग थी ; और

(च) गत वर्ष कितना कोटा सप्लाई किया गया तथा चालू वर्ष के लिए कितना कोटा होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटील) : (क) कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कमी के संबंध में अप्रैल, 1980 में कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई थी। परन्तु मई, 1980 के दूसरे पक्ष में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और कुछ हद तक हाई स्पीड डीजल तेल

की कमी की रिपोर्ट मिली थीं। इसका कारण परिवहन की समस्याएं थी परन्तु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करके इस क्षेत्र में सप्लाई की व्यवस्था की गई थी। इस कमी के कारण पर्यटकों और स्थानीय निवासियों पर कहां तक प्रभाव पड़ा इसकी जानकारी नहीं है। इस समय कश्मीर की घाटी में न तो पेट्रोल और न डीजल की कोई कमी है।

(ख) श्रीनगर में केवल कुछ एक फुटकर बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पम्प) मई, 1980 के दूसरे पक्ष में थोड़े दिन के लिए सूखे रहे।

(ग) यह जानकारी उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में दी गई है।

(घ) सरकार के अनुदेशों अनुसार मई के दूसरे पक्ष में जम्मू को अतिरिक्त सप्लाई भेजी गई थी और उसके बाद इन उत्पादों की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हुआ है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए पेट्रोल के कोई विशिष्ट मांग नहीं भेजी थी। इसके अतिरिक्त पेट्रोल के मामले में कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। परन्तु हाई स्पीड डीजल तेल के सबंध में राज्य सरकार ने मासिक आवंटन में करीब 1000 कि. लि. की वृद्धि की मांग की थी। उपलब्ध परिवहन क्षमता के अनुसार जम्मू और कश्मीर को डीजल और पेट्रोल की सप्लाई अधिकतम की गई थी और मई, 1979 की तुलना में मई, 1980 में सप्लाई कहीं अधिक थी जैसा कि फुटकर बिक्रय के लिए दी गई सप्लाई के निम्न आँकड़ों से देखा जायेगा :—

(आंकड़े कि. ली. में)

उत्पाद	मई, 1979 में सप्लाई	मई, 1980 मे सप्लाई	मई, 79 की अपेक्षा मई, 80 की फुटकर बिक्री की प्रतिशत वृद्धि
हाई स्पीड़ डीजल तेल	5392	6747	25%
मोटर स्पिरिट	1451	1588	9%

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की तेल के कुओं की खुदाई में हुई असफलता के बारे में शिकायतें

234. श्री अजय विश्वास : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपनाई गई दोषी तकनीक से तेल के कुओं की खुदाई में हुई असफलता के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग प्राधिकरण ने इन शिकायतों को दृष्टि में रखते हुए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) समय-समय पर पेट्रोलियम विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं जिनमें कई क्षेत्रों में खुदाई कार्य करने के सुझाव दिये होते हैं अथवा जब तेल एवं गैस के न मिलने पर अथवा विभिन्न तकनीकी कारणों से खुदाई कार्य छोड़ने जैसी असफलताओं पर असंतोष व्यक्त किया होता है। जब कभी ऐसे अभ्यावेदनों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपनाई गई तकनीक के संबंध में कोई शिकायतें हुई हैं, तो मामले की जांच की गई है और जहां आवश्यक समझा गया उपचारिक उपाय किये गये।

गैस कनेक्शनों के लिए राज्यवार पंजीकृत व्यक्ति

235. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री अहमद एम० पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस-कनेक्शनों के लिए राज्यवार पंजीकृत व्यक्ति कितने हैं ;

(ख) क्या सरकार अगले कुछ महीनों में नये गैस-कनेक्शन प्रदान करने वाली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने तथा विभिन्न राज्यों को उनका विवरण किस प्रकार किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नये गैस कनेक्शनों के लिये डीलरों द्वारा पंजीकरण लगातार किया जा रहा है। राज्य-वार अद्यतन विवरण तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) बम्बई हाई से तेल के साथ प्राप्त होने वाली गैस से तरल पेट्रोलियम गैस को अलग करने की सुविधाओं, मथुरा शोधनशाला और कोयाली शोधनशाला में सहायक शोधन सुविधाओं के चालू रहने के साथ 1981 के आरम्भ से लेकर उत्तरोत्तर 4 लाख मी० टन अतिरिक्त तरल पेट्रोलियम गैस उपलब्ध होने की आशा है। उपरोक्त परियोजनाओं के पूरा होने पर गृहस्थियों को काफी मात्रा में नये गैस कनेक्शन देना संभव होगा। निम्नलिखित आधार पर समूचे देश में गैस के एक समान वितरण के लिये योजना तैयार की जायेगी :—

1) वर्ष भर में तरल पैट्रोलियम गैस की उपलब्धता।

2) सप्लाई के स्रोत।

3) विभिन्न राज्यों की प्रभावी मांग।

4) सप्लाई का संभार तन्त्र।

5) प्रक्रियाओं की संभावना।

ईंधन तेल का आयात

236. **डी० पी० जडेजा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978, 1979 के दौरान कुल कितनी मात्रा में ईंधन तेल का आयात किया गया और 1980 के दौरान कितना आयात किए जाने की संभावना है ;

(ख) उक्त आयात किन-किन देशों से और कितनी-कितनी मात्रा में किया गया ; और

(ग) विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये देश में अधिक तेल का उत्पादन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 1978 और 1979 के दौरान ईंधन तेल का हमारा कुल आयात निम्न प्रकार है:—

1978.....	813000 मी० टन
1979.....	900000 मी० टन

1980 में लगभग 1.1 मिलियन मी० टन ईंधन तेल के आयात होने का अनुमान है। हमारे सप्लाई के मुख्य स्रोत ईरान, पाकिस्तान, लंका, कुवैत और यमन रहे हैं।

(ग) अन्वेषी गतिविधियों को तीव्र करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं और प्रतिस्थापित भण्डारों को प्रयोग में लाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

पेट्रोलियम के नकली उत्पादों की बिक्री

237. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकनाने वाले तेल, ग्रीज, उच्छिष्ट तेल, ब्रेक तेल आदि जैसे पेट्रोलियम के नकली उत्पादों की बाजार में भारी मात्रा में बिक्री हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों से नकली पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय संबंधी रिपोर्टें मिली हैं। ऐसी गतिविधियां मुख्यतः महानगरों और देश के कई ऊपरी भागों में होती हैं। तेल कम्पनियां अपने विक्रय तंत्र से बड़े नमूने प्राप्त कर रही हैं जिसका वे परीक्षण करती हैं जिससे कि वे अपने विक्रय तंत्र को नकली स्नेहकों के वितरण से रोक सकें। मिलावट को रोकने के लिए तथा नकली माल की सम्भावना को न्यूनतम करने के लिये जांच को जारी रखा जा रहा है। मिलावट की रोकथाम के लिये तेल कम्पनियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वयन स्थापित करने के लिये आई० ओ० सी० का एक वरिष्ठ अधिकारी केवल इसी कार्य के लिये नियुक्त किया गया है।

निम्नलिखित उपाय भी किये जा रहे हैं :—

i. तेल कम्पनियों से कहा गया है कि वे आकस्मिक जांच करें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।

ii. विशेष ड्यूटी अधिकारी ने राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित किया है ताकि ऐसे उपाय किये जायें जिससे मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय में रोकथाम के लिए सहायता मिल सकें।

iii. स्वचालित गाड़ियों के प्रयोग में लाये गये तेल को दोबारा साफ करने वालों के पंजीकरण के लिये एक परियोजना आरम्भ की गई है।

निर्वाचन–सुधार

238. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन-सुधारों के बारे में राष्ट्रीय वाद-विवाद का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 8 अप्रैल, 1980 को जयपुर में दिए गए एक प्रेस वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया था कि संसद् के और राज्य विधान सभाओं के केवल आधे सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए और शेष आधे सदस्य प्रत्येक दल द्वारा प्राप्त मतों की प्रतिशतता के आधार पर निर्वाचित किए जाएं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक दलों को अपने सदस्य नाम निर्देशित करने का अधिकार होना चाहिए किन्तु उन्हें ऐसे नामों की सूची अग्रिम रूप से देनी होगी। किन्तु, उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस विषय पर पूरी तौर से वाद-विवाद और विचार-विमर्श होना आवश्यक है और इसलिए देश को इस प्रणाली पर समग्र रूप से विचार करना होगा।

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उक्त सुझाव भी उन प्रस्तावों का भाग है जो आयोग से निर्वाचन संबंधी व्यापक सुधारों के बारे में इससे पूर्व प्राप्त हुए थे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस सुझाव के अन्तर्गत यह प्रस्ताव भी सम्मिलित है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति प्रारम्भ की जाए या कुछ पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से पश्चिम जर्मनी में प्रचलित लिस्ट (सूची) पद्धति जैसी कोई पद्धति अपनाई जाए। इन प्रस्तावों के साथ नीति संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किए जाने का प्रश्न जुड़ा हुआ है इसलिए उन पर विनिश्चय करने में सरकार को अभी कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा चन्द्रपुरा और बोकारो से 'कोल रिजेक्ट्स' की बिक्री बन्द किया जाना

239. **श्रीमती गीता मुकर्जी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने भारी जमाव हो जाने और आग के खतरे के बावजूद चन्द्रपुरा और बोकारो से 'कोल रिजेक्ट्स' की बिक्री बन्द कर दी क्योंकि बहुत से परिवहन ठेकेदार 'यरिटक्ट्स' दामोदर घाटी निगम को सामान्य तथा सप्लाई किये जाने वाले कोयले के साथ मिलाने के लिये प्राप्त कर रहे थे जिससे न केवल वे बेईमानी से लाभ कमा रहे थे बल्कि कोयले की किस्म में भी भारी गिरावट भी उत्पन्न कर रहे थे जिसके परिणाम-स्वरूप असंतोषजनक उत्पादन होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता स्थित प्राइवेट फर्म ने हाल ही में बोकारो चन्द्रपुरा और संताल दीही से उच्छिष्ट तथा 'रिजेक्ट' कोयला उठाने की अनुमति के लिये आवेदन किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) ठेकेदारों को कोल "कोल रिजेक्ट" उठाकर ले जाने देने की प्रथा दामोदर घाटी निगम में फिलहाल समाप्त कर दी गई है क्योंकि इस कार्य के लिए रेलवे ने वैगनें देना अस्वीकार कर दिया है। "कोल रिजेक्ट्स" की ढुलाई सड़क से करने की कोशिश की गई थी और यह पाया गया कि "कोल रिजेक्ट्स" वापस लाये जाते थे और फिर दामोदर घाटी निगम को बेच दिए जाते थे। ये "कोल रिजेक्ट्स उठाये जाने के लिए जब भी पर्याप्त संख्या में वैगनें उपलब्ध हो जाएंगी तब दामोदर घाटी निगम इन रिजेक्ट्स को उठाये जाने के लिए टेंडर आमंत्रित करेगा।"

पाला स्थली--इलामबाजार क्षेत्र में कोयले के निक्षेप

240. श्री गदाधर साहा : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम-बिहार सीमा में पालास्थली इलाम बाजार क्षेत्र में कोयले के भारी निक्षेप से कोयला निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : एक छोटी क्वैरी पलस्थली--जेराकुरी खानों में खोली गई है जिसका उत्पादन लगभग 5,000 टन प्रतिमास हैं। दो भूमिगत यूनिटों से पानी हटाया जा रहा है ताकि इन पहले से परित्यक्त भूमिगत खानों में भंडारों का निर्धारण किया जा सके। अतिरिक्त भण्डारों का सुनिश्चय करने के लिए भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग कार्य भी शुरू किया गया है।

तीस्ता बराज योजना

241. श्री चित्त बसु : क्या सिंचाई मंत्री " ऐक्सपर्टस येट टु सजेस्ट तीस्ता वाटर प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में 11 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस्ता बराज योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) उस योजना का ब्योरा क्या है और इसके क्या लाभ होंगे ;

(ग) बराज का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(घ) बंगला देश द्वारा तीस्ता नदी के जल पर अपना दावा उचित ठहराने के लिये क्या तर्क दिये गये हैं ;

(ङ) क्या बंगला देश के साथ बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को सम्बद्ध किया गया था ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) तीस्ता बराज स्कीम पर मार्च, 1980 तक हुआ व्यय लगभग 37 करोड़ रुपए है ।

(ख) तीस्ता स्कीम में गज़लदोबा के निकट तीस्ता नदी पर, दोनों किनारों पर शीर्ष नियामकों सहित, एक बराज शामिल है । 185 किलोमीटर लम्बी एक पलस्तर वाली मुख्य (मेन) नहर दक्षिण तट से निकलती है । एक वाम तट नहर भी बाद में निकाली जाएगी । इस स्कीम का उद्देश्य जलपाइगुडी, कूचबिहार, दार्जिलिंग, पश्चिम दिनाजपुर और मालदा जिलों में भूमि की सिंचाई करना है । अन्ततः सिंचित होने वाले क्षेत्र का अनुमान 923 हजार हैक्टेयर (22.8 लाख एकड़) लगाया गया है, इस लक्ष्य को क्रमिक चरणों में पूरा किया जाएगा । चरण-एक में 547 हजार हैक्टेयर क्षेत्र (13.5 लाख एकड़) में सिंचाई की जाएगी ।

(ग) इस समय तीस्ता बराज और दक्षिण तट नहर प्रणाली के एक भाग का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसे 1985-86 तक पूरा करने का कार्यक्रम है ।

(घ) बंगला देश ने बताया है कि उस देश में ऐसा विशाल क्षेत्र है जो तीस्ता के जल पर निर्भर है और वे 540 हजार हैक्टेयर क्षेत्र (13.35 लाख एकड़) की सिंचाई के लिए अपनी तीस्ता बराज परियोजना का निर्माण कर रहे हैं ; उनके अनुसार इस परियोजना के लिए शुष्क मौसम में तीस्ता के लगभग समूचे बहाव की जरूरत है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ट्राम्बे में तापीय बिजली एकक के लिये टाटा का प्रस्ताव

242. श्री चित्त बसु :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे में तापीय बिजली एकक के लिये टाटा के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या टाटा के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद सरकार ने बिजली के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो पिछली नीति को बदलने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या अन्य औद्योगिक गृहों ने सरकार से बिजली के संयंत्रों की स्थापना के लिये आग्रह किया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनीज द्वारा ट्राम्बे में 500 मेगावाट की एक यूनिट की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति 1977 में दी गई थी।

(ख) वाष्प उत्पादन संयंत्र तथा टर्बाइन जनरेटर और आनुषंगिक उपकरणों की सप्लाई के लिए ठेका 1978 के दौरान दे दिया गया था। सी० डब्ल्यू० पम्प, इन्स्ट्रुमेंटेशन तथा प्रणाली नियंत्रण विद्युत ट्रांस्फार्मरों सहित अन्य विभिन्न उपस्कर पैकेजिज के लिए ठेके दे दिए गए हैं। वाष्प जेनरेटर तथा टर्बाइन हाल क्षेत्र में पाइलिंग कार्य चल रहा है तथा नींव में कंक्रीट डालने का कार्य आरम्भ हो गया है। 500 मेगावाट की उत्पादन यूनिट को दिसम्बर, 1982 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया हैं।

(ग) और (घ) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की यूटिलिटी के रूप में भूमिका इस समय 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प द्वारा शासित की जाती है। जिसके अन्तर्गत विद्युत का उत्पादन और वितरण इस संकल्प की अनुसूची "क" में शामिल है। इस अनुसूची में उन उद्योगों की सूची दी गई है जिनमें सभी नई यूनिटें केवल राज्य द्वारा ही स्थापित की जाएंगी, अपवाद केवल वे नई यूनिटें होंगी जिन्हें प्राइवेट सेक्टर में स्थापित करने के लिए पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। प्राइवेट क्षेत्र के स्वामित्व की वर्तमान यूनिटों के विस्तार पर और नई यूनिटों की प्रतिष्ठापना करने में राज्य को जब निजी प्रतिष्ठानों का सहयोग प्राप्त करना राष्ट्रहित में आवश्यक हो, तब इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने की संभावना आदि पर यह संकल्प कोई बाधा नहीं डालता। विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए प्राइवेट यूटिलिटीज के प्रस्तावों पर, औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प की भावना को ध्यान में रखते हुए, उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ङ) और (च) (i) बाम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड, जोकि एक प्राइवेट यूटिलिटी है, ने महाराष्ट्र में बेसीन में 2×210 मेगावाट या 1×500 मेगावाट की क्षमता के एक नए विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ii) अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, जोकि एक प्राइवेट यूटिलिटी है और जिसका कार्य मुख्य रूप से अहमदाबाद शहर में ही चल रहा है, ने पुरानी यूनिटों के प्रतिस्थापन के बदले में 210 मेगावाट क्षमता वाले ताप विद्युत उत्पादन यूनिट की प्रतिष्ठापना का प्रस्ताव किया है। परियोजना पर 66 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रवेश

243. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ ने, हाल ही में, बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रवेश के लिये सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ को बताया था कि उन्होंने इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश हेतु भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ ने सुझाव दिया है कि वि द्युत उत्पादन को हाथ में लेने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में युटिलिटीज के रूप में निजी क्षेत्र की भूमिका इस समय 1956 के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प द्वारा शासित होती है । इस संकल्प के अनुसार विद्युत का उत्पादन और वितरण संकल्प की अनुसूची "क" में शामिल है । इस सूची में उन उद्योगों की सूची दी गई है जिनमें सभी नई यूनिटें केवल राज्य द्वारा ही स्थापित की जाएंगी ; अपवाद केवल वे नई यूनिटें होंगी जिन्हें निजी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए पहले ही अनुमति दी जा चुकी है । निजी क्षेत्र के स्वामित्व की वर्तमान यूनिटों के विस्तार पर या नई यूनिटों की प्रतिष्ठापना करने में राज्य को जब निजी प्रतिष्ठानों का सहयोग प्राप्त करना राष्ट्रहित में आवश्यक हो, तब इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने की संभावना आदि पर यह संकल्प कोई बाधा नहीं डालता । निजी उद्यमियों द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना संबंधी विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार, औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प की भावना को मद्देनजर रखते हुए, इन प्रस्तावों के गुण-दोषों के आधार पर, किया जाता है ।

बंगला देश के साथ गंगा के पानी के बारें में समझौता

244. श्री जनार्दन पुजारी :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री चित्त महाटा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के पानी के सम्बन्ध में बंगला देश के साथ किये गये समझौते को भारत के पक्ष में नहीं पाया गया है , और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार का इस पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) करार में कुछ उपबन्ध हैं, जिन पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है । इस मामले को उचित समय पर हाथ में लिया जाएगा ।

तेल के खोज सम्बन्धी कार्यों में तेजी लाने की योजना

245. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल के खोज सम्बन्धी कार्यों को तेज करने के लिये योजना बनाई है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी सहायता प्राप्त करने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) समय-समय पर तेल की खोज सम्बन्धी कार्यों को बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयनाधीन हैं। इन कार्यों को और आगे बढ़ाने का प्रश्न सरकार द्वारा समीक्षाधीन है।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिए "टास्क फोर्स"

246. श्री जनार्दन पुजारी :

श्री के० राममूर्ति :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन व्यक्ति को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी देश व्यापी कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने हेतु "टास्क फोर्स" बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार का निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के विषय में मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए और राज्य इकाइयों के कार्यकरण में समन्वय स्थापित करने के लिए एक समिति गठित करने का विचार है।

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

कोंकण उर्वरक संयंत्र को अन्तरित करने का प्रस्ताव

247. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोंकण उर्वरक संयंत्र के स्थल को बदलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांच दिवसीय सप्ताह का सुझाव

248. श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

श्री के० मालन्ना : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की बचत करने के लिए पांच दिवसीय सप्ताह के प्रस्ताव का समर्थन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पांच दिवसीय सप्ताह व्यवस्था लागू होने पर कितनी बचत होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस मन्त्रालय ने गृह मन्त्रालय को बताया है, जो इस प्रश्न पर जांच कर रहा है, कि अगर पांच दिन का सप्ताह लागू किया जाये तो पेट्रोल और डीजल की खपत में बचत हो सकेगी ।

(ख) खपत में होने वाली बचत की मात्रा को निश्चित रूप से बताना कठिन है । देश में प्रतिवर्ष पेट्रोल की कुल खपत लगभग 1.5 मिलियन मी० टन है। पेट्रोल की प्रति लाख मी० टन की बचत किये जाने का अर्थ है कि प्रतिवर्ष 28 करोड़ रुपयों की आवर्ती बचत होगी ।

फरवरी-अप्रैल, 1980 की अवधि के दौरान पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात

249. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों (फरवरी, मार्च और अप्रैल 1980) की अवधि के दौरान पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आयात और इनकी लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की विदेशी मुद्रा को बचाने के उद्देश्य से आयात में कमी करने की कोई योजना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां । केवल पेट्रोल को छोड़कर जिसका आयात नहीं किया जा रहा है ।

(ख) पूरे ब्यौरे देना इंडियन आयल कारपोरेशन के व्यापारिक हित में नहीं होगा ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करने के लिए उनकी खपत को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं । कुछ उपाय निम्न प्रकार है :—

(i) पेट्रोलियम उत्पादों की अनावश्यक खपत पर नियंत्रण रख कर ।

(ii) पेट्रोलियम उत्पादों के कुशल प्रयोग को विकसित करके ।

(iii) जहां कहीं तकनीकी तौर पर सम्भव हो औद्योगिक उत्पाद पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले देश में उपलब्ध कोयले को पेट्रोलियम के स्थान पर ईंधन के रूप में प्रयोग में लाना ।

(iv) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए तरीकों और साधनों को विकसित करने की दृष्टि से एकपेट्रोलियम संरक्षण कार्यकारी दल गठित किया है ।

(v) सरकार ने अन्वेषी कार्यों और तेल क्षेत्रों को विकसित किया है जिससे स्वदेशी तेल का उत्पादन बढ़ सके।

दूरदर्शन के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में प्रयुक्त भाषायें

250. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में दक्षिण की केवल दो भाषाओं को प्रमुखता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन के क्षेत्रीय चित्रहार में दिखाए गए गीतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षिण की अन्य भारतीय भाषाओं की अवहेलना करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि दूरदर्शन पर (दिल्ली केन्द्र पर) प्रादेशिक चित्रहार के कार्यक्रम में दक्षिण की केवल दो भाषाओं को ही प्रमुखता दी जाती है। नवम्बर, 1979 से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम में टेलीकास्ट किए गए कुल 225 गीतों में से तमिल में 35 गीत, तेलुगु में 41, मलयालम में 41 और कन्नड़ में 10 गीत थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में नई बिजली इकाइयों की स्थापना

251. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई बिजली इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) विद्युत विकास संबंधी आयोजना एक एतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत की मांग का अनुमान लगाया जाता है और निर्धारित भावी समय-सीमा में इस मांग की पूर्ति करने के लिए नई परियोजनएं निर्धारित की जाती हैं। अगली पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए भी परियोजनाएं निर्धारित की जाती हैं क्योंकि विद्युत परियोजनाओं को पूरा होने में लगने वाला समय लम्बा होता है।

देश में इस समय निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची उपाबंध-1 में दी गई है।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०–840/80)

नई यूनिटों के लिए, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि, 1980-85 के लिए विद्युत योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 1980-85 की अवधि के लिए विद्युत कार्यक्रम

तैयार करने तथा 1989-90 तक के लिए एक परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए योजना आयोग ने एक कार्यकारी दल का गठन किया है । कार्यकारी दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

बिजली सप्लाई के डी० वी सी० में दोष आ जाने के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने को नुकसान

252. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिजली सप्लाई के डी० वी० सी० में दोष आ जाने के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने और कोयला खानों के उत्पादन को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां सप्लाई में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दामोदर घाटी निगम की प्रतिष्ठापित क्षमता 1361.5 मेगावाट है जिसमें 1257.5 मेगावाट ताप बिद्युत क्षमता है और 104 मेगावाट जल विद्युत क्षमता । इस समय जलाशयों में जल स्तर कम होने के कारण जल-विद्युत का उप्पादन नहीं हो रहा है । अधिकांश ताप विद्युत यूनिटें लम्बी अवधि से कार्य कर रही हैं अतः उनकी प्रभावी क्षमता उनकी निर्धारित क्षमता से बहुत कम है । गत तीन महीनों के दौरान औसत ऊर्जा उत्पादन 500 मेगावाट और 540 मेगावाट के बीच रहा है । कम उत्पादन होने की अवधि के दौरान, विद्युत का वितरण एक क्रमबद्ध प्रतिबन्धों की प्रणाली के अनुसार किया जाता है जिसके अन्तर्गत स्टील की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है । दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और कोयला खानों को की गई विद्युत सप्लाई का विवरण, विवरण में देखा जा सकता है ।

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र और इसके यूनिटों में सीधे ही विद्युत की कम सप्लाई के कारण उत्पादन में हुई हानि की मात्रा सम्बन्धी सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दामोदर घाटी निगम के उत्पादन में सुधार करने के लिए इसके विद्युत संयन्त्रों में सुधार मरम्मत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए दो ब्रिटिश विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त की गई हैं । जो यूनिटें बन्द पड़ी हैं उन्हें पुनः चालू करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक बनी रहे ताकि विद्युत संयन्त्रों के कार्मिक अनुकूल वातावरण में कार्य कर सकें ।

विवरण

दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा कोयला खानों को सप्लाई की गई विद्युत का ब्यौरा

	संविदात्मक आबंटन 50 एम. वी. ए. दुर्गापुर वस्पात कारखाना अधिकतम मांग (ली गई मात्रा)	संविदात्मक आबंटन 273.50 एम. वी. ए. कोयला खानें अधिकतम मांग (ली गई मात्रा)
अगस्त, 79	48.80	309.40
सितम्बर,79	45.44	303.25
अक्तूबर,79	43.84	311.46
नवम्बर, 79	40.64	299.80
दिसम्बर, 79	41.28	300.32
जनवरी, 80	41.44	291.24
फरवरी, 80	39.46	285.88
मार्च, 80	40.00	297.14
अप्रैल, 80	44.96	297.21

कोचीन में कैपरोलैक्टम परियोजना

253. **श्री के० ए० राजन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन में प्रस्तावित कैपरोलैक्टम परियोजना के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों को बिजली की सप्लाई

254, **श्री के० मालन्ना :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में अधिक विद्युत बल प्रयोग करने वाले सभी उद्योगों को बिजली की सप्लाई रोक देने की घोषणा की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक दिन में सत्तर लाख यूनिटों की कमी के कारण अधिक विद्युत बल प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं की शत प्रतिशत कटौती करना अपरिहार्य होने से यह कदम उठाया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जनरेटरों में कुछ खराबियां होने के कारण केरल से मिलने वाली सप्लाई में भी दस लाख यूनिट प्रतिदिन की कमी आई है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 250 किलोवाट से अधिक अनुबन्धित मांगों वाले उच्च वोल्टता उद्योगों पर कर्नाटक बिजली बोर्ड ने 1-10-1979 से 40% से 60% तक की विद्युत कटौतियां लगाई थीं । 16-4-80 को राज्य ने उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर 100% विद्युत कटौती की घोषणा की थी । यद्यपि यह कटौती 17 अप्रैल, 1980 को समाप्त कर दी गई किन्तु 16-4-80 से पहले के विद्युत कटौती स्तरों पर 10% की अतिरिक्त कटौती लगाई गई ।

(ख) कर्नाटक की प्रतिबंधविहीन आवश्यकता लगभग 25 मिलियन यूनिट से 26 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है और प्रतिदिन की अनुमानित उपलब्धता लगभग 14 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी । वर्तमान कटौतियों के साथ प्रतिबंधित आवश्यकता 13 मिलियन यूनिट प्रतिदिन से 14 मिलियन यूनिट प्रतिदिन के बीच है ।

(ग) केरल प्रतिदिन लगभग 3.5 मिलियन यूनिट से 4 मिलियन यूनिट की सप्लाई कर्नाटक को करता है । इडुक्की के एक यूनिट की मरम्मत के कारण अप्रैल के दौरान लगभग 10 दिनों के लिए यह सहायता कम करके प्रतिदिन 1 मिलियन यूनिट कर दी गई थी । लेकिन यूनिट को पुन: चालू कर दिया गया था और 17-4-1980 से कर्नाटक को यह सहायता बढ़ाकर प्रतिदिन 4 मिलियन यूनिट कर दी गई थी ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि कटौतियों को 16-4-1980 से पहले के स्तर से आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं है । कर्नाटक बिजली बोर्ड और कर्नाटक सरकार कटौतियों को 17 अप्रैल, 1980 को घोषित किए गए स्तर पर (अर्थात् 16 अप्रैल, 1980 से पहले के कटौती स्तर से 10% अधिक पर) बनाए रखने के लिए सहमत थे । कर्नाटक ने केप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए डीजल तेल की मांग की है । विशेषकर केप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए अप्रैल, 1980 के दौरान भारत सरकार ने डीजल तेल का अतिरिक्त आबंटन किया है ।

अमृतसर और अन्य दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रम

255. श्री पीयूष तिरकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र अन्य राज्यों की तुलना में अपने राज्य में बहुत अच्छे कार्यक्रम दिखाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर एक सप्ताह में दो फीचर फिल्मों और चित्रहार सहित बहुत से रुचिकर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे जबकि दिल्ली में ये कार्यक्रम बेकार हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में अमृतसर और अन्य दूरदर्शन केन्द्रों के बीच भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) यह सच नहीं है कि अकेला अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र ही अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करता है अन्य केन्द्र नहीं। दूरदर्शन का उद्देश्य सभी केन्द्रों से टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों को रुचिकर, सूचनाप्रद और आकर्षक बनाने का होता है। इन कार्यक्रमों की विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं और रुचि को पूरा करने के लिए योजना बनाकर इनको तैयार किया जाता है और ये अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में होते हैं। अमृतसर केन्द्र से टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं कि केन्द्र सीमा के निकट है, क्योंकि इन कार्यक्रमों को सीमा के पार भी अधिक संख्या में लोगों द्वारा देखा जाता है। इस केन्द्र का सबसे लम्बा सायंकालीन प्रेषण 4 1/2 घंटे का हैं, किन्तु, कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए फिलहाल केवल एक ही स्टूडियो (जलंधर में) है, अतः अमृतसर केन्द्र को अन्य केन्द्रों की अपेक्षा फीचर फिल्मों और फिल्म आधारित कार्यक्रमों पर अधिक निर्भर करना पड़ता है।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नकली कार्यालय का पता चलना

256. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने हाल ही में दुर्गापुर में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नकली कार्यालय का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस फर्म के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

"ओपेक" के सदस्य देशों द्वारा कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि तथा भारत पर उसका प्रभाव

257. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ओपेक के सदस्य देशों द्वारा कच्चे तेल के मूल्य बढ़ाये जाने के फलस्वरूप भारत पर इसका कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : विदेशी मुद्रा बिल (विधेयक) लगभग 3200 करोड़ रुपयों से प्रतिवर्ष 4930 करोड़ रुपयों तक बढ़ जाने का अनुमान है।

दिल्ली के सिविल और सत्र न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

258. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सिविल और सत्र न्यायालयों के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं है; और

(ख) दिल्ली के इन न्यायालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति के अवसर इस समय बहुत कम हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने और इन न्यायालयों के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति के बेहतर अवसरों की व्यवस्था करने के लिए प्रारूप नियम तैयार किए हैं। ये प्रारूप नियम विचाराधीन हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में स्थिति की जांच की जा रही है।

आयातित अशोधित तेल की कीमत

259. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे आयातित अशोधित तेल की कीमत 600 करोड़ मार्क होने की सम्भावना है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने चालू वर्ष के आयात "बिल" से संशोधित तेल के ऊंचे मूल्यों के प्रभाव का कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या सरकार ने उसकी सप्लाई के कुछ अन्य स्रोतों की खोज की है; और

(ङ) देश में आम तौर पर वर्तमान मूल्य वृद्धि को देखते हुए चिंताजनक स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां।

(ग) 1980-81 के लिए खनिज तेल का बिल 3100 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करने के उद्देश्य से उनकी खपत को कम करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :—

(i) पेट्रोलियम उत्पादों के अनावश्यक खपत की रोकथाम।

(ii) पेट्रोलियम उत्पादों के कुशल उपयोग के लिए सुधार लाना।

(iii) औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना तकनीकी दृष्टि से जहां कहीं सम्भव है पेट्रोलियम ईंधन के उपयोग का स्वदेश में उपलब्ध कोयले द्वारा प्रतिस्थापन करना ।

(iv) पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के तरीकों एवं साधनों का विकास करने के उद्देश्य से सरकार ने पेट्रोलियम संरक्षण समूह का गठन किया है ।

(v) सरकार ने अन्वेषी कार्यों और तेल क्षेत्रों को विकसित किया है जिससे स्वदेशी तेल का उत्पादन बढ़ सके ।

राजधानी में बिजली की भारी कटौती

260. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई में गर्मी के दिनों में दिल्ली विद्युत-प्रदाय उपक्रम ने राजधानी में बिजली की भारी कटौती की है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन्द्रप्रस्थ बिजली घर तथा बदरपुर तापीय बिजली घर को चलाने में बड़े पैमाने पर "ट्रिपिंग" और कुप्रबंध के मामले ध्यान में आये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनका विचार इन संयंत्रों के कार्यकरण की जांच करने तथा इतनी जल्दी-जल्दी पूरी मशीनरी को अस्त-व्यस्त करने से रोकने के उपाय सुझाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनका इन संयंत्रों में मामलों को ठीक करने के लिये क्या अन्य क्रियात्मक उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां । मई महीने के दौरान जब भी विद्युत उपलब्धता मांग से कम हुई तब दिल्ली विद्युत-प्रदाय संस्थान को राजधानी में कई बार लोड शैडिंग करनी पड़ी थी । कम उपलब्धता के मुख्य कारण थे बदरपुर तथा इन्द्रप्रस्थ केन्द्रों की उत्पादन यूनिटों में एक साथ ही बन्दियां होना ।

(ख) बदरपुर केन्द्र में तथा दिल्ली विद्युत-प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में कई बार बंदियां हुईं । बन्दियों के कारणों का पता लगाने पर ये कारण तकनीकी प्रकार के पाये गये जिनकी जानकारी पहले से नहीं हो सकती थी । इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर में ताप विद्युत केन्द्रों के संचालन में कोई कुप्रबंध नहीं है ।

(ग) और (घ) इन्द्रप्रस्थ केन्द्र की सभी पांच यूनिटों का तथा बदरपुर की चार यूनिटों का समग्र कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक है और इसलिए जांच समिति बैठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । जिन तकनीकी कमियों का पता लगा है उन्हें दूर करने के लिये उपाय किए गए हैं ।

शान्त घाटी पन परियोजना

261. **श्री एस० एम० कृष्ण (श्री ए० नीलालोहित दासन)** । क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विवादास्पद साइलेंट वैली पन परियोजना पर आगे कार्य करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस परियोजना के कुछ हिस्से पर धन लगाने का है तथा वह इसके लिये वचनबद्ध है, यदि हां, तो कितना ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गन्नी खान चौधरी) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री को अभी हाल में लिखे एक पत्र में केरल के मुख्य मंत्री ने साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिये कहा था। यदि परियोजना क्रियान्वित की जाती है तो उसके फलस्वरूप होने वाली विकृति के बारे में पर्यावरण विशेषज्ञों तथा परिस्थिति वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई गंभीर आशंकाओं को ध्यान में रखते हुये प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि कार्य को स्थगित रखा जाये ताकि परियोजना के परिस्थिति विज्ञान संबन्धी पहलुओं का पूरी तरह से अध्ययन किया जा सके।

उदयपुर में एल० पी० जी० सिलेंडरों को फिर से भरा जाना

262. श्री जय नारायण रोट : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर (राजस्थान) में खाना पकाने की गैस के सिलिण्डरों को फिर से भरने के लिये लगभग एक माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार लाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) उत्पाद की सीमिति उपलब्धता के कारण उदयपुर बाजार में अभी हाल ही में सप्लाई बकाया थी। उस क्षेत्र में उत्पाद की उपलब्धता में सुधार हो जाने से स्थिति अब सुधर गई है।

रांक फास्फेट पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना

263. श्री जय नारायण रोट : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांक फास्फेट की उपलब्धता पर आधारित एक नये उर्वरक कारखाने की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) झामड-कोटरा में उपलब्ध रांक फास्फेट पर आधारित राजस्थान में उपर्युक्त स्थल पर फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र लगाने की संभाव्यता की जांच करने का विचार है। प्रायोजना का सही स्थल, उत्पादन मिश्र, प्रायोजना की लागत आदि के ब्यौरे को तभी निश्चित किया जा सकता है जब कि प्रायोजना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई हो और विभिन्न सम्बद्ध तकनीकी आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कर लिया गया हो।

मैसर्स एम० पी० एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स को, झबुआ रॉक फास्फेट पर आधारित मध्य प्रदेश में फास्फेटीक उर्वरक प्रायोजना लगाने के लिए, आशय पत्र जारी किया गया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड टाउनशीप, झांसी के लिए अतिरिक्त गैस सिलिन्डर

264. **श्री जय नारायण रोट** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, झांसी, उत्तर प्रदेश से खाना पकाने की गैस के अतिरिक्त सिलिन्डरों तथा उनके अपने शहर में सिलिन्डरों को फिर से भरे जाने की सुविधा के लिए कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिलिण्ड़रों को फिर से भराई करने के मामले में वहां के निवासियों की मदद करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० झांसी, उत्तर प्रदेश से एक पत्र प्राप्त किया था जिसमें उन्होंने घरेलू प्रयोग और उनके अस्पताल, अतिथि-गृह और प्रयोगशाला आदि के लिए मुख्यतः 150 नये तरल पेट्रोलियम गैस के कनैक्शन देने का अनुरोध किया है।

(ख) उत्पाद की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इंडियन आयल कारपोरेशन ने समिति को परामर्श दिया है कि अभी उनके लिए झांसी में अतिरिक्त तरल पेट्रोलियम गैस रिलीज करना सम्भव नहीं है।

डीजल और मिट्टी के तेले की उपलब्धता

265. **श्री चित्त महाता** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता की स्थिति और जनवरी, 1980 से राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में उनके वितरण की स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिट्टी के तेल और डीजल का देश की शोधनशालाओं में होने वाले उत्पादन के अतिरिक्त इन उत्पादों का आवश्यक आयात किया जाता है। यद्यपिशोधनशालाओं तथा तटीय स्थलों पर इन उत्पादों की उपलब्धता संतोषजनक है परन्तु यातायात की समस्याओं के कारण देश के ऊपरी भागों में इनका परिवहन सीमित रहा है। बोंगाईगॉव और बरौनी शोधनशाला के बन्द हो जाने तथा दिग्बोई और गोहाटी शोधनशालाओं के अनियमित रूप से काम करने के कारण स्वदेशी उत्पादन में हानि हुई हैं। उत्पादन में हानि को कुछ हद तक आयात द्वारा पूरा किया गया है।

परन्तु विभिन्न उपायों के फलस्वरूप राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को इन उत्पादों की सप्लाई में पिछले कुछ महीनों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जैसा कि निम्न आंकड़ों से देखा जाएगा :—

('000' मी० टन में)

	हाई स्पीड डीजल	मिट्टी का तेल
जनवरी, 1980	707	332
फरवरी, 1980	715	317
मार्च, 1980	780	337
अप्रैल, 1980	783	316
मई, 1980 (आबंटन)	858	353

बाल विवाह रोक अधिनियम के उपबन्धों के अधीन चालान किये गये व्यक्ति

266. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में बाल विवाह रोक अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कितने व्यक्तियों का चालान किया गया और उनमें से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कितनी-कितनी सजा दी गई ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चों का विवाह छोटी आयु में कर देते हैं और उनका गौना यौवनावस्था आने पर किया जाता है और फिर भी उनका चालान बाल विवाह रोक अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जाता है , और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है इसलिए उनसे जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं के मामले में 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और पुरुषों के मामले में 18 वर्ष से बढाकर 21 वर्ष करने तथा इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के सीमित प्रयोजन के लिए संज्ञेय बनाने के उद्देश्य से 1978 में बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का संशोधन किया गया था । यह अवयस्क बालकों के फायदे के लिए एक सामाजिक विधान है और इस प्रक्रम पर विधि में संशोधन करने का कोई प्रयास प्रतिगामी कदम होगा ।

उपभोक्ताओं के लिये सोफ्ट कोक और हार्ड कोक का मूल्य

267. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उपभोक्ताओं को सोफ्ट कोक और हार्ड कोक किस भाव पर उपलब्ध हो रहा है और 1975 में उसका भाव क्या था ;

(ख) क्या इस बढ़े हुए मूल्य पर भी कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिससे उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार क्या सदम उठा रही है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) हार्ड कोक तथा साफ्ट कोक की 1975 की कीमतें और इस समय लागू कीमतें नीचे दी गई हैं :—

रु० प्रति मीट्रिक टन

	1975 में संशोधन के बाद		1980 में	
साफ्ट कोक	रु०	86.00	रु०	110.00
हार्डकोक प्रीमियम का उपोत्पाद	रु०	327.00	रु०	430.00
बीहाइव हार्ड कोक प्रीमियम	रु०	285.00	रु०	380.00
बीहाइव हार्ड कोक बढ़िया	रु०	214.00	रु०	280.00
बीहाइव हार्ड कोक साधारण	रु०	170.00	रु०	230.00

उपभोक्ताओं को हार्ड कोक तथा साफ्ट कोक जिस कीमत पर उपलब्ध होता है वह परिवहन के साधन तथा कोयला क्षेत्र से उपभोक्ता केन्द्र तक की दूरी पर निर्भर करता है ।

(ख) और (ग) परिवहन के पर्याप्त साधन न मिलने के कारण उपभोक्ता केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंचाना संभव नहीं हुआ । फिर भी, साफ्ट कोक तथा हार्ड कोक के संचलन हेतु वैगनों की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे के साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है । साफ्ट कोक तथा हार्ड कोक अपेक्षाकृत निकटवर्ती स्थानों को सड़क द्वारा भी भेजा जा रहा है ।

घाटे में चल रहे राज्य विद्युत बोर्ड

268. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में घाटे में चल रहे विद्युत बोर्डों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक विद्युत बोर्ड पर कितनी राशि बकाया है तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन विद्युत बोर्डों की क्षमता में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ,

(ग) क्या राजस्थान विद्युत बोर्ड पर इस समय केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई ऋण बकाया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह राशि कितनी है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जिन राज्य बिजली बोर्डों को घाटा हुआ है (ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी आर्थिक सहायता को हिसाब में लगाकर), उनके नाम नीचे दिए गए हैं। समाप्त हुए जिन वर्षों के बारे में सूचना उपलब्ध है वे वर्ष कोष्ठों में दिए गए हैं :—

(1) गुजरात	(31 मार्च, 1979)
(2) हरियाणा	वही
(3) हिमचल प्रदेश	वही
(4 उड़ीसा	वही
(5) उत्तर प्रदेश	वही
(6) पश्चिम बंगाल	वही
(7) असम	(31 मार्च, 1979)
(8) मेघालय	(31 मार्च, 1977)

(ख) देनदारी की राशि देय ब्याज की संचयी राशि है, जिसके लिए ऊपर (क) में उल्लिखित अवधि के लिए पर्याप्त अधिशेष न होने के कारण उक्त राज्य बिजली बोर्डों द्वारा व्यवस्था नहीं की जा सकी। देनदारी की राशि नीचे लिखे अनुसार है :—

राज्य बिजली बोर्ड	अवधि	लाख रुपये में
(1) गुजरात	31.3.1979	4971
(2) हरियाणा	31.3.1979	6636
(3) हिमाचल प्रदेश	31.3.1979	1908
(4) उड़ीसा	31.3.1979	3891
(5) उत्तर प्रदेश	31.3.1979	28300
(6) पश्चिम बंगाल	31.3.1979	1615
(7) असम	31.3.1978	3175
(8) मेघालय	31.3.1977	1429

अन्य राज्य बिजली बोर्डों के सम्बन्ध में 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार संचयी ब्याज, जिसके लिए अधिशेष पर्याप्त न होने के कारण राज्य बिजली बोर्ड व्यवस्था नहीं कर सके, निम्नानुसार है :—

राज्य बिजली बोर्ड	लाख रुपये में
1. आंध्र प्रदेश	3981
2. पंजाब	9243
3. केरल	2055
4. बिहार	5327
5. मध्य प्रदेश	182

भारत सरकार राज्य बिजली बोर्डों को सीधे ही कोई निधि नहीं देता है।

(ग) राजस्थान राज्य बिजली बोर्डों पर इस समय केन्द्र सरकार का कोई ऋण बकाया नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को ऋण देती है न कि सीधे ही राज्य बिजली बोर्डों को।

(घ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना

269. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में इस समय अवैध रूप से चलायी जा रही सभी कोयला खानों को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय बिहार में कोई खान गैर कानूनी तौर पर नहीं चलाई जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिक उर्वरक संयंत्रों का कार्यकरण

270. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय चालू आधुनिक उर्वरक संयंत्रों के सम्बन्ध में राज्य वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ये संयंत्र आने वाली दशाब्दियों में अतिरिक्त जनसंख्या की उर्वरकों सबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे और ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने कार्बनिक तथा रसायनिक उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नाईट्रोजनस, मिश्र और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करने वाले मुख्य उर्वरक संयंत्रों के राज्यवार स्थल और क्षमता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) स्वदेशी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए बडे पैमाने के कार्यक्रम रूप में, फिलहाल 9 बडे पैमाने के उर्वरक संयंत्र कार्यान्वयनाधीन है। जबकि इन प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन से उर्वरक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, फिर भी भविष्य में उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होंगे। इसलिए देश में उर्वरक क्षमता के विस्तार के लिए आगामी कार्यक्रम शुरू करने का विचार है। गैस पर आधारित 5 बड़े आकार के उर्वरकों संयंत्रों को लगाने का निर्णय

ले लिया गया है । बम्बई हाई/बसीन संरचनाओं से उपलब्ध गैस पर आधारित प्रत्येक दो थाल, महाराष्ट्र में और गुजरात में और ओ० एन० जी० सी० और आयल इन्डिया लि० के गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस पर आधारित नामरूप असम में एक संयंत्र इसके अलावा मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में इंधन तेल पर आधारित एक बड़े आकार का उर्वरक संयंत्र लगाया जा रहा है । फास्फेटिक उर्वरकों की मांग और देशी उत्पादन के बीच अन्तराल को कम करने की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ बडे आकार के फास्फेटिक उर्वरक प्रायोजनाओं को लगाने का भी विचार है । कृषि मंत्रालय द्वारा कम्पोस्ट, बायो गैस विकास, बायो-उर्वरकों का प्रयोग, मल/मलजल उपयोग आदि समेत कार्बनिक उर्वरकों के उत्पादन के अधिकतम उपयोग पर बल दिया जा रहा है । अहमदाबाद, बड़ौदा, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता और जयपुर जैसे विभिन्नि शहरी क्षेत्रों में बडे आकार के यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्र भी लगाये गये हैं, दिल्ली और कानपुर के संयंत्र पूरा होने वाले हैं । देश में लगभग 80,000 बायो-गैस संयंत्रों के लगाये जाने की सूचना है । कार्बनिक उर्वरकों के कार्यक्रमों को अधिक बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को भी आवश्यक मार्ग दर्शन भेज दिये गये हैं ।

विवरण

चालू मुख्य उर्वरक संयंत्रों का विवरण

राज्य	संयंत्रका नाम	क्षमता (000 टनों में)	
		नाइट्रोजन	P_2O_5
1	2	3	4
असम	नामरूप-i	45	—
	नामरूप-ii	152	—
आंध्र प्रदेश	विजाग	84	104
बिहार	सिन्दरी आधुनिकीकरण (पुराने संयंत्र समेत)	219	—
	सिन्दरी (यौक्तिकरण)	—	150
	बरौनी	152	—
गोवा दमन और दिव	गोआ	171	42
गुजरात	बड़ौदा	236	50
	कलोल/कान्डला	215	127
हरियाणा	पानीपत	235	—
केरल	उद्योग मण्डल	82	44
	कोचीन-I	152	—
	कोचीन-II	40	114

1	2	3	4
कर्नाटक	मंगलौर	156	—
महाराष्ट्रा	ट्रांबे	90	45
	ट्राम्बे IV	75	75
उड़ीसा	राऊरकेला	120	—
पंजाब	नंगल	80	—
	नंगल विस्तार	152	—
	भटिण्डा	235	—
राजस्थान	कोटा	152	—
	खेत्री	—	90
तमिल नाडु	नेवेली	70	—
	मद्रास	176	112
	इन्नोर	16	10
	तुतीकोरिन	258	73
उत्तर प्रदेश	कानपुर	207	—
	गोरख पुर	231	—
	वाराणसी	10	—
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	152	—

रेडियो लाइसेंस शुल्क समाप्त करने संबंधी नियम

271. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बैंड के रेडियो और ट्रांजिस्टरों पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां । इस आशय का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) ब्योरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना

272. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पुनर्वास विभाग को बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में लाखों शरणार्थियों का समुचित पुनर्वास के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) इस समय सरकार के समक्ष पुनर्वास विभाग को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

पेट्रोल उत्पादन के स्रोत

273. **श्री भीखा भाई** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल का कुल कितना स्टाक है और वे कब तक चलेगा;

(ख) पेट्रोल उत्पादन के स्रोत क्या हैं और उत्पादित पेट्रोल की मात्रा क्या है,

(ग) क्या पेट्रोल का उत्पादन करने वाले सभी केन्द्र सरकार द्वारा नियन्त्रित हैं;

(घ) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन्हें अपने नियन्त्रण में रखने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश में पेट्रोल का मौजूदा स्टाक एक महीने से थोड़ा अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ख) बोंगाई गांव को छोड़कर देश की अन्य सभी शोधनशालाओं में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। इसके मासिक उत्पादन में इस प्रकार से सामंजन किया जाता है ताकि इस उत्पाद के लिए देश की मांग की पूर्ति की जा सके। यह मांग प्रति माह लगभग 1,30,000 मी० टन से कुछ अधिक है।

(ग) देश में पेट्रोल का उत्पादन करने वाली दस शोधन शालाओं में से 9 शोधनशालाएं सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। शेष एक शोधनशाला की उत्पादन प्रणाली पर भी सरकार का नियंत्रण है।

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र की एकमात्र शोधनशाला दिग्बोई में असम तेल कम्पनी की है।

(ङ) असम आयल कम्पनी को सरकारी अधिकार में लेने के लिये बात-चीत जारी है।

राजस्थान में बिजली की कमी

274. श्री भीखा भाई : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बिजली की भारी कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार कुछ नये बिजलीघर स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सामान्यतः, राजस्थान स्वयं अपने ही विद्युत उत्पादन से, भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड से अपने हिस्से से तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के न्यूक्लीय केन्द्र से होने वाले विद्युत उत्पादन से अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता है। तथापि, जब राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट खराब हो जाती है तब स्थिति संकटपूर्ण हो जाती है। जिस अवधि के दौरान राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट काम नहीं करती उस समय बदरपुर से राजस्थान को विद्युत पारेषित करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, जो बदरपुर/इन्द्रप्रस्थ में विद्युत उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है। भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड प्रणाली से विशिष्ट सहायता के लिए भी व्यवस्था की जाती है।

(ख) कुल 440 मेगावाट (ताप विद्युत) तथा 140 मेगावाट (जल विद्युत) क्षमता की नई यूनिटें राजस्थान में निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं। इसके अतिरिक्त, 349 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की स्कीमों को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है।

दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

275. श्री निहाल सिंह : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने विभाजन के पश्चात् पश्चिम पाकिस्तान से भारत आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु वर्ष 1962 में 190.23 लाख रुपये की एक योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया और किन स्थानों पर उनका पुनर्वास किया गया और 150 से 200 वर्ग गज, 160 वर्ग गज से 80 वर्ग गज और 40 वर्ग गज के प्लाटों का आबंटन करते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस योजना के लिए अबांटित समूची राशि व्यय की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत भाई परमानन्द कालोनी में 700 मकानों का निर्माण किया गया था और डा॰ मुकर्जी नगर में 160 वर्ग गज के 1257 प्लाटों का विकास किया गया था। इन्हें पात्र परिवारों को आवंटित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा दो मकान

अस्थायी रूप में कार्यालय के रूप में प्रयोग में लाए गए हैं। 1979 में योजना को संशोधित किया गया था जिसमें प्लाटों का आबंटन निम्न प्रकार से करने की व्यवस्था की गई :—

(i) हडसन/ओट्रम लाइनों के मकानों में रह रहे प्रत्येक पात्र परिवार को 160 वर्ग गज का प्लाट।

(ii) हडसन/ओट्रम लाइनों की बैरकों में रह रहे प्रत्येक पात्र परिवार को 80 वर्ग गज का प्लाट।

(iii) हडसन/ओट्रम लाइनों में रह रहे 204 अनाधिकृत परिवारों के प्रत्येक परिवार को 40 वर्ग गज का प्लाट।

(ग) 1978-79 तक आबंटित 182.87 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

विद्युत संयंत्रों के आयात के बारे में निर्णय

276. **श्री मशीन खाणी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे विद्युत संयंत्रों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है, जिनका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० जैसे सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा देश में निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे आयात की अनुमति देने के लिए मंत्रालय के समक्ष राज्य विद्युत बोर्ड में से प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे और उनके तर्क क्या थे; और

(घ) क्या सरकार ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित जनरेटरों के राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किए जा रहे रख रखाव सम्बन्धी पहलू का अध्ययन किया है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा अध्ययन करने का है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भारत सरकार की आयात नीति में यह व्यवस्था है कि विद्युत उत्पादन उपस्कर के आयात के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमन्त्रित की जाएं। इन विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर की गई सिफारिशों पर एक शक्ति प्रदत्त समिति को विचार करना होता है, जो अन्तिम स्वीकृति देने से पूर्व इन सिफारिशों की जांच करती है। इस समिति की अध्यक्षता भारी उद्योग विभाग के सचिव करते हैं।

(ख) जब वर्ष 1978-79 के लिए आयात नीति को अन्तिम रूप दिया गया था उस समय विद्युत उत्पादन उपस्कर को खुले सामान्य लाइसेंस द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में रखने का निर्णय लिया गया था और यह उस समय से चला आ रहा है। यह निर्णय इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिया गया था; भारतीय भारी मशीनरी उद्योग की कार्य-क्षमता में तथा मूल्यों में प्रतियोगिता संबंधी इसकी क्षमता में सुधार लाना और परिणाम स्वरूप देशी निर्माताओं को उत्तरोत्तर और चुनिन्दा क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उतारने की

आवश्यकता तथा इसी प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के मानदण्डों में तथा उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन प्रौद्योगिकी में अपेक्षित इष्टतम स्तर प्राप्त करना।

(ग) उपर्युक्त नीति के अन्तर्गत असम, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा राज्य बिजली बोर्डों से विद्युत उत्पादन उपस्कर के आयात के लिए शक्ति प्रदत्त समिति से अनुरोध किया है। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य बिजली बोर्डों तथा नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन ने विद्युत उत्पादन उपस्कर के आयात में रुचि दिखाई है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अपनी परियोजनाओं के लिए ताप विद्युत उत्पादन सेटों का आयात कर रहा है। यह आयात उक्त निगम अपनी परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए जा रहे आई० डी० ए० ऋण के प्रावधान के अंतर्गत अपेक्षित विश्व निविदाओं के आधार पर कर रहा है।

(घ) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन, अनुरक्षण और कार्य-निष्पादन के संबंध में अध्ययन समय-समय पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तत्वावधान में किए जाते हैं और इनमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० के जेनरेटरों का उपयोग करने वाले विद्युत केंद्र भी शामिल हैं। विद्युत केंद्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने में ये अध्ययन सहायक होते हैं।

नौ राज्यों में निर्वाचन से पूर्व हिंसा की घटनाएं

277. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री के० मालन्ना : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन नौ राज्यों में, जहां विधान सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, मई, 1980 में निर्वाचन से पूर्व हिंसा की अभूतपूर्व घटनाएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केवल बिहार में निर्वाचन से पूर्व हुई हिंसा की घटनाओं में दस से अधिक व्यक्ति मारे गए और कई सौ लोग घायल हो गए थे;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(घ) निर्वाचन से पूर्व हुई हिंसा की इन अभूतपूर्व घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या अनेक राज्यों में बूथ पर कब्जा करने की घटनाएं हुई थीं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शीवशंकर) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है।

भारत में कोयला निक्षेपों का पता लगाने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का विकास करने के लिए फ्रांस से सुझाव

278. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस ने भारत के कोयला निक्षेपों का पता लगाने में सहायता करने और उत्पादन का कुछ हिस्सा खरीदने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसने भारत के ऊर्जा संसाधन विकास कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर सहायता करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है;

(ग) क्या फ्रांस ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने और ऊर्जा चालू करने में भारत की सहायता करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है और इस बारे में अन्तिम समझौता कब होने की संभावना है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। फ्रांस ने कोयला भण्डारों के विकास में भारत की सहायता करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है। उसने भारत से कोयले की खरीद में भी रुचि दिखाई है। एक फ्रांसिसी कंपनी से तीन खनन परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) कुछ ऐसे समझौते भी हैं जो न्यूक्लियर बिजली उत्पादन के क्षेत्र में और सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, आदि दुबारा मिल सकने वाली ऊर्जाओं के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित है।

कालपक्कम में न्यूक्लियर बिजलीघर लगभग पूरा होने वाला है और फ्रांस की सहायता से ही दो गुरु-जल संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और इलेक्त्रिसीते द फ्रांस ने बिजली के उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अनेक मदों का पता लगाया है। इलेक्त्रिसीते द फ्रांस ने हाल ही में ज्वार भाटे से बिजली के उत्पादन और विकास के क्षेत्र में सहायता देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास एक प्रस्ताव भेजा है।

न्यायिक सुधार सम्बन्धी समिति

279. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री के० राममूर्ति : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय देश में न्यायिक सुधार के विषय का अध्ययन करने के लिये उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के अधीन तीन सदस्यीय समिति का गठन करने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) इस प्रस्तावित समिति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(घ) क्या समिति से उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में पड़े विचाराधीन मामलों सम्बन्धी विधि आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने और मामलों के शीघ्र निपटाये जाने के उपायों की सिफारिश करने के लिये भी कहा जायेगा ; और

(ङ) समिति अपनी रिपोर्ट संभवत: कब तक दे देगी ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) न्यायिक

सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

असम तेल नाकेबन्दी के कारण पेट्रोलियम पदार्थों का आयात

280. श्री एम० वी० चंद्र शेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से चल रही असम तेल की नाकेबंदी ने सरकार को मिट्टी के तेल, डीजल और ईंधन की 2,80,000 टन की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने के लिये मजबूर कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया ;

(ग) जनवरी से बन्द पड़ी चार शोधनशालाओं के बन्द हो जाने के परिणाम-स्वरूप हुई पेट्रोलियम की कमी की किस हद तक पूर्ति कर ली गई है ; और

(घ) राज्यों की मांग कितनी-कितनी है और उनकी मांग की किस हद तक पूर्ति की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ में जनवरी और मई, 1980 के बीच आयोजित आयात के अतिरिक्त एक मिलियन मी० टन डीजल और मिट्टी के तेल का और अधिक आयात किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ असम की तीन शोधनशालाओं और बिहार में बरौनी शोधनशाला के उत्पादन में गिरावट के कारण यह अतिरिक्त आयात किया गया था।

(ख) 1979-80 के दौरान डीजल और मिट्टी के तेल का हमारा कुल आयात 3.6 मिलियन मी० टन था।

(ग) नैप्था, लो सल्फर हैवी स्टाक तथा कच्चे पेट्रोलियम कोक जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में असम की तीन शोधनशालाओं और बिहार की बरौनी शोधनशाला के बंद रहने के कारण उत्पादन में हुई कमी को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है। परन्तु डीजल और मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में उत्पादन में हानि को यथा संभव स्तर तक तैयार उत्पादों के आयात तथा शोधनशालाओं के बंद रहने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में इन उत्पादों को पहुंचाकर पूरा किया जा रहा है। इन दो उत्पादों के आयात की मात्रा उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में दी गई है।

(घ) विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये डीजल और मिट्टी के तेल की मांग से अनुमान लगाना संभव नहीं है। अप्रैल और मई, 1980 के लिये राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को किये गये आबंटन निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े हजार मी० टन में)

उत्पाद	अप्रैल, 1980 के लिये आबंटन	मई, 1980 के लिये आबंटन
हाई स्पीड डीजल तेल	836	858
मिट्टी का तेल	348	353

इदुक्की जल-विद्युत परियोजना का दूसरा चरण

281. श्री ए० नीलालोहित दासन नाडार : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इदुक्की-जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण में तकनीकी सहयोग के बारे में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो वह विवाद क्या है ;

(ग) इदुक्की परियोजना के पहले चरण में तकनीकी सहायता किसने दी ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वैसा ही तकनीकी सहयोग केरल राज्य की सरकार को दूसरे चरण के सम्बन्ध में भी उपलब्ध कराने हेतु अनुमति देने का है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) इदुक्की चरण –II के लिये कनाडा से उत्पादन उपस्कार आयात करने के प्रश्न पर सक्रियाता से विचार किया जा रहा है । अंतिम निर्णय लेने से पूर्व स्वदेशी सप्लाई के पक्षापक्ष की सावधानी पूर्वक जांच की जायेगी ।

स्वीकृति के लिये पड़ी पन बिजली परियोजनाओं की संख्या

282. श्री ए० नीलालोहित दासन नाडार :क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पास कितनी पन बिजली परियोजनायें स्वीकृति के लिये पड़ी हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) स्वीकृति के लिये जो जल-विद्युत स्कीमें लम्बित हैं, उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली स्कीमों का तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाना आवश्यक है । ऐसी स्कीमें प्राप्त होने पर उनकी प्रतियां केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की विभिन्न विशिष्ट तकनीकी शाखाओं को उनकी विशेषज्ञतापूर्ण टिप्पणियों के लिए भेज दी जाती हैं । केन्द्रीय जल आयोग आधारभूत जल-वैज्ञानिक आंकड़ों की पर्याप्तता और परिशुद्धता की, जल समुपयोजन के पहलू की, जल-विद्युत शाक्यता की, आयोजन, प्रतिष्ठापित क्षमता, समन्वित प्रचालन, लागत सम्बन्धी लाभों आदि की भी जांच करता है । जहां अपेक्षित है वहां परियोजना प्राधिकारियों से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाते हैं । ऐसी सभी सूचनायें प्राप्त होने पर, स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचार-विमर्श और तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है ।

इसके साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी विभाग की पर्यावरण की दृष्टि से जल-विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है । ऐसी परिस्थितियों में परियोजना रिपोर्टों को विभिन्न पहलुओं से पूर्ण जांच करने में अधिक समय लगता है । तथापि विभिन्न स्कीमों की जांच की प्रगति पर पूरी निगरानी रखी जाती है और स्कीम का अनुमोदन यथासंभव कम समय में कर देने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं ।

विवरण-1

स्कीम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख	तकनीकी जांच की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परियोजना जिनको विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग/योजना आयोग से स्वीकृति की प्रतीक्षा है				
उत्तरी क्षेत्र				
1. मनेरी भाली चरण-2	उत्तर प्रदेश	3×52=156	अगस्त, 1977	निवेश संबंधी निर्णय देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।
2. थीन	पंजाब	4×120=480	फरवरी, 79	निष्पादन किए जाने वित्त व्यवस्था किए जाने और लाभ के बटवारे संबंधी निर्णय लम्बित है।
3. अपर बारी दोवाब नहर चरण-दो	पंजाब	3×15=45	फरवरी, 79	—वही—
4. दुल-हस्ती	जम्मू और कश्मीर	3×130=390	मई, 79	पी० आई० बी० ज्ञापन की जांच की जा रही हैं।
5. नाथ्पा झाकरी	हिमाचल प्रदेश	6×170=1020	फरवरी, 80	निष्पादन किए जाने और वित्त व्यवस्था किए जाने संबंधी निर्णय लम्बित हैं, जिनके बाद पी.आई.बी. ज्ञापन तैयार किया जाएगा।
6. अनूपगढ़	राजस्थान	6×1.5=9	मार्च, 80	निवेश संबंधी निर्णय देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।
7. उरी	जम्मू और कश्मीर	4×120=480	मार्च, 80	निष्पादन किए जाने और वित्त व्यवस्था किए जाने संबंधी निर्णय लम्बित हैं।

पश्चिमी क्षेत्र				
8. पवाना	महाराष्ट्र	1×10=10	नवम्बर, 78	निवेश संबंधी निर्णय देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।
दक्षिणी क्षेत्र				
9. नागर्जुनसागर चरण-2	आन्ध्र प्रदेश	3×100=300	फरवरी, 80	निवेश संबंधी निर्णय देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।
10. श्रीसेलम चरण-2	आन्ध्र प्रदेश	3×110=330	मार्च, 80	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है
11. पोचमपाद	आन्ध्र प्रदेश	3×9=27	मार्च, 80	—वही—
12. साइलैंट-वाली	केरल	2×60=120	फरवरी, 79	समस्त विश्व के पर्यावरण विशेषज्ञों और परिस्थिति वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई गंभीर आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पुनः जांच की जा रही है।
13. लोअर मैत्तूर	तमिलनाडु	8×15=120	नवम्बर, 78	संशोधित परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मई, 1980 में दे दी है।
14. कुन्डाह पी.एच.वी. विस्तार	तमिलनाडु	1×20=20	मार्च, 80	निवेश संबंधी निर्णय देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया गया है।

बाढ़ नियंत्रण के लिये निर्मित बांधों का नियमित निरीक्षण

283. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से निर्मित बांधों, गण्डक परियोजना तथा बिहार की अन्य सिंचाई परियोजनाओं को नियमित निरीक्षण करने के लिए अलग से कोई विभाग नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक बांध का उसके निर्माण पूर्व होने की तिथि से निरीक्षण प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है तथा डिजाइन ड्राइंग और निर्माण आदि के समस्त आंकड़ों को बांध के पूर्ण हो जाने तक ठीक ढंग से रखने पर विचार कर रही है जिससे कि निरीक्षण के समय इसका उपयोग किया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में बाढ़-नियंत्रण परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं के लिए निर्मित बांधों के नियमित निरीक्षण के लिए सिंचाई विभाग जिम्मेदार है, और यह कार्य इन निर्माण-कार्यों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई विभाग नहीं है। राज्य सरकार आवश्यक निर्माण करने के लिए इस प्रबन्ध को पर्याप्त समझती है। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि अभिकल्प संगणनाओं (डिजाइन कम्प्यूटेशन), ड्राइंग आदि को सिंचाई विभाग के संबंधित अभिकल्प-स्कंध में रखा जाता है और अनुमानों और निर्माण-कार्यों के रिकार्ड संबंधित निर्माण प्रभागों में रखे जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग में अलग से एक सलाहकार व सुरक्षा सेवा संगठन का गठन किया है। यह संगठन राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें बाँधों और अन्य सम्बद्ध संरचनाओं की सुरक्षा से संबंधित मामलों में सहायता देता है और राज्य सरकारों को उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

"पोस्ट आफ बिहार गोज पावरलैस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

284. **श्री कमला मिश्र मधुकर** :

श्री सूर्यनारायण सिंह : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 31 मार्च, 1980 के पैट्रियट में "पोस्ट आफ बिहार गोज पावरलस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार का पता है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार में बिजली की अत्यन्त कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस मामले की जांच करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री : (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ) सरकार को मालूम है कि 31 मार्च, 1980 को बिहार पतरातू में ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत उत्पादन में भारी कमी हो गई थी । लाइटनिंग अरेस्टर खराब हो जाने तथा फलस्वरूप केन्द्र के सभी यूनिटों की ट्रिपिंग होने के कारण ऐसा हुआ था । विभागीय जांच से पता चला है कि घटना सामान्य तकनीकी किस्म की थी और इसके लिए भारत सरकार द्वारा कोई विशेष जांच आवश्यक नहीं थी ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त टेलीविजन केन्द्र

285. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-84 की अवधि के दौरान किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र रिले के लिए अथवा सीधे प्रसारण के स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) मूल छठी पंचवर्षीय योजना की निम्नलिखित स्वीकृत परियोजनाओं के, जो मंजूर हो चुकी हैं या जिनको मंजूर कराने की कार्रवाई चल रही है, 1982-83 तक मुक्कमल हो जाने की उम्मीद है :-

पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र :

1. अहमदाबाद
2. बंगलौर
3. त्रिवेन्द्रम
4. जयपुर (स्टूडियो भवन)

रिले केन्द्र :

1. पणजी
2. मदुरै
3. आसनसोल
4. कसौली

कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

1. गुलबर्गा
2. मुजफ्फरपुर
3. रायपुर

उक्त केन्द्रों और रिले केन्द्रों के चालू हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा के विस्तार में पर्याप्त वृद्धि होगी ।

"इनसैट" नामक एक उपग्रह की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसको 1981 में आकाश में छोड़ा जायेगा। इस उपग्रह में दो दूरदर्शन ट्रांसपांडर रख कर व्यवस्था की गई है। यदि ग्राऊंड सेगमेंट, जिस पर योजना अवधि में लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है, मंजूर हो गया तो देश के उन अधिकांश गांवों को, जिनमें बिजली है, दूरदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध करना संभव होगा। मुख्य केन्द्रों से रिले केन्द्रों के माध्यम से और अधिक क्षेत्र के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम रिले करने के लिए डाक-तार विभाग की माइक्रोवेव प्रणाली का उपयोग किए जाने की भी संभावना है। यह प्रस्ताव संचार मंत्रालय के परामर्श से सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इससे माइक्रोवेव लाइनों के आसपास के देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने में मदद मिलेगी।

कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण विभिन्न तापीय विद्युत संयंत्रों का बन्द होना

286. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण देश में विभिन्न तापीय विद्युत संयंत्रों को बार-बार बन्द करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति परिवहन की कठिनाइयों और/अथवा देश में कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण है ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि देश में तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की कमी न होने पावे, क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं। कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण किसी विद्युत केंद्र को बन्द नहीं किया गया। तथापि, कुछ दिन कोयले की उपलब्धता अपर्याप्त होने के कारण कुछ विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन को कम करना पड़ा था।

(ख) और (ग) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए निम्न-लिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाए।

(2) कोयला विभाग, रेलवे तथा विद्युत विभाग में घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है तथा विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर उच्च स्तरीय अन्त मंत्रालयीय बैठकें की जाती हैं।

(3) कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत केंद्रों पर कोयले के भण्डारों की मानीटरिंग की जाती है।

(4) औद्योगिक विषयक अवसंरचना पर मंत्रिमण्डलीय समिति भी कोयले के उत्पादन और उसकी ढुलाई पर, विशेषकर ताप विद्युत केंद्रों को कोयले की ढुलाई पर, लगातार निगरानी रखती है।

ब्रह्मपुत्र को गंगा के साथ जोड़ना

287. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र और गंगा को जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) और (ख) फरक्का में गंगा नदी के जल के बंटवारे और जल-प्रवाह को बढ़ाने के बारे में भारत बंगलादेश करार (1977) के अन्तर्गत भारत और बंगलादेश की सरकारों ने यह मान लिया है कि भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग शुष्क मौसम में गंगा के जल-प्रवाह को बढ़ाने के संबंध में दोनों में से किसी एक सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीमों या प्रस्तावित की जाने वाली स्कीमों का अन्वेषण तथा अध्ययन करेगा, ताकि कोई ऐसा हल ढूंढ़ा जा सके जो किफायती भी हो और व्यावहारिक भी ; और संयुक्त नदी आयोग तीन वर्षों की अवधि में दोनों सरकारों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। दोनों सरकारें संयुक्त नदी आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इन स्कीमों पर विचार करेंगी और किसी एक स्कीम या स्कीमों पर सहमत होंगी और स्कीम अथवा स्कीमों को यथा-संभव शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगी।

तदनुसार, दोनों सरकारों ने मार्च, 1978 में अपने प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया। भारतीय प्रस्ताव में, एक लिंक नहर द्वारा गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ने और इसके अनुपूरक के रूप में उपयुक्त स्टेज पर ब्रह्मपुत्र प्रणाली पर जल-संचयन की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। बंगलादेश के प्रस्ताव में भारत और नेपाल में गंगा की सहायक नदियों पर जल संचय की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। आयोग ने अभी तक अपेक्षित अध्ययन शुरू नहीं किये हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में छिद्रण कार्य

288. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात राज्य में कोई नया छिद्रण कार्य आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। गत वर्ष

अर्थात् 1979-80 के दौरान ओ० एन० जी० सी० ने गुजरात मे तीन नये स्थानों पर अर्थात् पालीयाड, उत्तरी वामेज और लक्ष्मणपुरा में खुदाई की थी।

(ख) 1979–80 के दौरान पालीयाड और उत्तरी वामेज संरचनाओं में एक-एक कुआं खोदा गया था। गहरी खुदाई वाले रिगों से किये गये उत्पादन परीक्षणों के दौरान इन कुओं में से तेल एवं गैस का कोई प्रवाह दिखाई नहीं पड़ा था। लक्ष्मणपुरा संरचना में कुएं की खुदाई अभी भी हो रही है।

नर्मदा सिंचाई परियोजना के बांध

289. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सिंचाई परियोजना के विभिन्न बांधों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग ने सरदार सरोवर परियोजना की मंजूरी दे दी है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी मंजूरी देने में उनको कितना समय लगेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) नर्मदा बेसिन में गुजरात की चार परियोजनाएं (तीन बृहद् तथा एक मध्यम) और मध्य प्रदेश की दस परियोजनाएं (पांच बृहद् तथा पांच मध्यम) निर्माणाधीन हैं। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की तारीखें निम्न प्रकार हैं :—

परियोजना का नाम	पूर्ण होने की निर्धारित तारीख
गुजरात	
1. करजन (बृहद्)	1985-86
2. हेरन (बृहद्)	1985-86
3. सुखी बृहद्)	1985-86
4. रामी (मध्यम)	लगभग पूर्ण हो गई
मध्य प्रदेश	
बृहद्	
1. तवा	1982-83
2. बर्णा	पूर्ण होने वाली है।
3. सुक्ता	1980-81
4. बारगी	1986-87
5. कोलार	सातवीं योजना
मध्यम	
1. बिछिया टैंक	लगभग पूर्ण हो गई
2. मेहगांव टोला	छठी योजना के
3. सकलन्द्रा	दौरान
4. मटियारी टैंक	1982-83
5. कोरल	1983-84

(ख) और (ग) सरदार सरोवर परियोजना की परियोजना-रिपोर्ट गुजरात सरकार से फरवरी, 1980 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हो गई थी। इस परियोजना की आयोग में जांच की जा रही है।

सरदार सरोवर परियोजना एक बृहद् बहूद्देश्यीय परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत 3333 करोड़ रुपये है और इसकी वार्षिक सिंचाई क्षमता 15·257 लाख हैक्टेयर और प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता 1200 मेगावाट है। ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में और केन्द्रीय सरकार के अन्य संबंद्ध विभागों में विस्तृत जांच किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, परियोजना के आयोजन और लागत और लाभों के बंटवारे के सम्बन्ध में, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले अन्य पक्ष राज्यों नामशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की सहमति प्राप्त की जानी जरूरी है। केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दिये जाने में कुछ समय लगने की सम्भावना है। किन्तु इस परियोजना की शीघ्र स्वीकृति के लिए तेजी से पग उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम का नया निदेशक बोर्ड

290. **श्री छोटू भाई वासवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम का नया निदेशक बोर्ड नियुक्त किया है और यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) नये सिनेमा निदेशकों में से किन व्यक्तियों ने सरकार को अभ्यावेदन भेजे है जिनमें मांग की गई है कि नये बोर्ड में कम खर्च वाली अव्वाणिज्यिक फिल्में बनाने वाले निदेशकों को शामिल किया जाये और उनसे परामर्श किया जाय तथा वाणिज्यिक फिल्मों में हित रखने वाले व्यक्तियों को उसमें आने से रोका जाये ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

सूचना और प्रसार तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नये निदेशक मंडल की नियुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकार को न्यू वेव फिल्म निदेशकों सहित कुछ क्षेत्रों से अभ्यावेदन मिले हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए निर्देशक मंडल को अन्तिम रूप देने से पहले इन अभ्यावेदनों पर विधिवत् विचार किया जा रहा है। जिन न्यू वेव फिल्म निर्माताओं ने इस बारे में अपने अभ्यावेदन दिये हैं उनकी विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

इन न्यूज वेव फिल्म निदेशकों के नाम जिन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के गठन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है।

1. श्री मणि कौल
2. श्री एम०के० रैना
3. श्री कुमार साहनी
22. कुमारी स्मिता पाटिल
23. श्री रोशन शाहनी
24. श्रीमती साई परांजपे

4. श्री कमल स्वरूप
5. श्री रवीन्द्र के० गुप्त
6. श्री अमित वर्मन
7. श्रीमती अंजलि रायगर्कन
8. श्री विष्णु माथुर
9. श्री लक्ष्मी सी० एस०
10. श्री के० के० महाजन
11. श्री शकील चन्द्र
12. श्री बिमल दत्त
13. श्री मधुसूदन
14. श्री हृषिकेश मुखर्जी
15. श्री कैफी आजमी
16. श्री सुरेश जिन्दल
17. श्री सईद मिर्जा
18. श्री नन्दन कुध्यादी
19. श्री नसीरुद्दीन शाह
20. श्री अशोक आहूजा
21. श्री डब्ल्यु० बी० कामत
25. श्री शमा ज़ैदी
26. कु० दीपा धनराज
27. श्री श्रीधर राजन
28. श्री नितिन सेठी
29. श्रीमती दीना पाठक
30. श्री एम० एस० साथ्यू
31. श्री जय राय
32. श्री कान्तिलाल राठोड़
33. श्री बंसी चन्द्रगुप्त
34. श्री चिदानन्द दास गुप्त
35. श्री सी० एल० धीर
36. श्री गोविन्द निहालनी
37. श्री राजीव सूरी
38. श्री बसु चटर्जी
39. श्री मुजफ्फर अली
40. श्री बाबा मजगावकर
41. श्रीमती रिंकी भट्टाचार्या
42. श्री भीम सेन

खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों का आबंटन बन्द करना

291. श्री छीतूभाई गामित : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के नये कनेक्शन देने की प्रक्रिया अनिश्चित काल तक के लिये बन्द कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ईंधन की कमी के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार का विचार इस प्रक्रिया को कब तक पुन: आरम्भ करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) नये गैस कनेक्शन 1981 के आरम्भ से बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस के निकालने और मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं में उत्पादन की अतिरिक्त उपलब्धता हो जाने पर बड़े अधिकाधिक संख्या में दिये जाने की आशा है ।

भिन्न-भिन्न राज्यों को पेट्रोल का वितरण

292. श्री छीतूभाई गामित : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भिन्न-भिन्न राज्यों में गत चार-पांच महीनों के दौरान पेट्रोल वितरण की स्थिति क्या थी ;

(ख) पेट्रोल की वितरण के लिये क्या मानदंड अपनाया गया है ; और

(ग) क्या इस वितरण प्रणाली के माध्यम से छोटे किसानों का विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, तेल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की गई थी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश की पेट्रोल की मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जाती है और अधिकांश रूप से कुछ एक स्तरों पर संभार तंत्र और परिवहन समस्याओं के कारण बहुत थोड़ी अवधि के लिये समस्याओं अलावा इसकी उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है ।

(ख) भूतपूर्व में विक्रय तथा अन्य संबद्ध घटकों के आधार पर विभिन्न सप्लाई क्षेत्रों में तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोल की आवश्यकताओं के अनुमान तैयार किये जाते हैं । आवश्यकताओं के अनुसार इन क्षेत्रों में यह उत्पाद भेजने के लिये मासिक योजना बनाई जाती है ।

(ग) छोटे कृषकों के लिये पेट्रोल उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है । जहां तक डीजल का संबंध है राज्य के अन्दर इसका वितरण राज्य सरकारें करती हैं । हमने राज्य सरकारों से कहा है कि कृषि को प्राथमिकता दी जाए ।

पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों के सामने बिजली का भारी संकट

293. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयला खानों को बिजली के भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस संकट को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा और कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां । बंगाल और बिहार की कोयला खानों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि० और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में 1979-80 में कोयले के उत्पादन में 6.62 मिलियन टन हानि होने का अनुमान है ।

(ग) बिहार बंगाल क्षेत्र में कोयला खानों को बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित कार्रवाई शामिल है :—

1. कोयला खानों को बिजली की सप्लाई को उच्चतर प्राथमिकता देना ।

2. दामोदार घाटी निगम में बिजली का अधिक उत्पादन ।

3. कोयला क्षेत्रों में लगभग 50 मेगावाट क्षमता के ग्रहीत बिजली उत्पादन यूनिट लगाना ।

4. खानों के वर्तमान डीजल सैटो से अधिकतम बिजली का उत्पादन ;

5. कोयला खनन क्षेत्रों में बिजली की वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करना ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली के उत्पादन के लिये नई योजना

294. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली के उत्पादन के लिए एक नई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया था तथा योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम की दो नई परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत की गई है नामशः 40 मेगावाट की पंचेत हिल जल विद्युत पम्प स्टोरेज परियोजना तथा 200 मेगावाट की बोकारो विस्तार परियोजना बोकारो 'ख' विस्तार की 200-200 मेगावाट की 2 यूनिटें तथा संबंधित पारेषण लाइनों को भी तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति दे दी गई हैं ।

इसके अतिरिक्त दामोदर घाटी निगम ने निम्नलिखित स्कीमों के प्रस्ताव भेजे हैं जिनकी जांच की जा रही है :-

(1) चन्द्रपुरा ताप विद्युत् केन्द्र का विस्तार—120 मेगावाट का एक यूनिट

(2) दुर्गापुर ताप विद्युत् केन्द्र का विस्तार—120 मेगावाट का एक यूनिट अथात् यूनिट-5

(3) बोकारों 'ख' केन्द्र का विस्तार, चरण -दो, 200-200 मेगावाट के दो यूनिट ।

(4) बर्मा में पम्प तरवाइन यूनिटों (3×40 मेगावाट) की प्रतिष्ठापना ।

(5) पैथेन के निकट कल्याणेश्वरी में अथवा बांकरा जिले में भेजिया में प्रथम चरण में 3×200 मेगावाट वाला एक नया विद्युत् केन्द्र ।

(ग) निर्माणाधीन स्कीमों की प्राप्ती को ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही हैं ।

कोयला खानों के 60 प्रतिशत मजदूर कठिन काम के लिए अयोग्य

295. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के 60 प्रतिशत मजदूर कठिन काम करने की स्थिति में नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता

भारतीय तेल निगम के अधिकारियों द्वारा विदेशों की यात्रा ।

296. श्री के० लकप्पा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के बहुत से अधिकारी प्रति वर्ष विदेशों की यात्रा करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जिन अधिकारियों ने विदेशों की यात्रा की उनका ब्यौरा क्या है और यात्रा का प्रयोजन क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशों में भेजे जाने वाले अधिकारियों के चयन के मामले में कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके नियम आदि क्या हैं ;

(ङ) क्या प्रत्येक मामले में विदेशों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है या उनका चयन मनोनुकूल किया जाता है ; और

(च) क्या सरकार मामलों में सुधार करने के लिये इस विषय की जांच करवायेगी ?

पेट्रोलियम रसायन, और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां । कई अधिकारी कम्पनी के कार्य के लिये विदेश गये हैं ।

(ख) खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का क्रय सुनिश्चित करने उसके लिए बात-चीत करने, अन्तर्राष्ट्रीय गोष्टियों और बिश्व पेट्रोलियम कांग्रेस, यु० एन० डी० पी० प्रशिक्षण में भाग लेने, निर्यात के विकास, तंजानिया में ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट की स्थापना, परामर्श सेवाओं, प्रशिक्षण, मध्यस्थता के मामलों तथा निगम के कारोबार को बढ़ाने के लिये विदेशी सहयोग के संबंध में गत तीन वर्षों में इंडियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों ने कुल 195 विदेश यात्राएं की थीं । 1977-78 में 71, 1978-79 में 56 और 1979-80 में 68.

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा निर्धारित कार्यविधि अनुसार मुख्य अधिकारियों तथा इंडियन आयल कारपोरेशन के अंशकालिक और पूर्ण-कालिक निदेशकों की विदेश यात्रा के लिये सरकार

की पूर्व अनुमति आवश्यक है और अन्य अधिकारियों की विदेश यात्रा का अनुमोदन चेयरमैन, संबद्ध प्रभाग के प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है । विदेश यात्रा के लिये अधिकारियों की वरिष्ठता की बजाये कार्य आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है ।

(च) ऊंचे पदों पर काम करने वालों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अन्य अधिकारियों की विदेश यात्राओं की सरकार द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है और ऐसी यात्राओं को न्यूनतम स्तर तक सीमित करने के लिये अनुदेश जारी किये जाते हैं ।

सुवर्ण रेखा में बाढ़ के कारण पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले और उड़ीसा के बालासौर में फसल को भारी क्षति

297. **श्री नारायण चौबे** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुवर्ण रेखा में समय-समय पर आने वाले बाढ़ से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले और उड़ीसा के बालासौर में फसलों को भारी क्षति होती है ;

(ख) क्या इस बाढ़ का मुकाबला करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई हैं ; यदि हां, तो क्या ;

(ग) यह योजना किस वर्ष बनाई गई थी ;

(घ) क्या इस योजना की क्रियान्वित में कोई प्रगति हुई है ; और

(ङ) यदि इस संबंध में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों ने सूचित किया है कि स्वर्णरेखा नदी से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में और उड़ीसा के बालासौर जिले में कभी-कभी बाढें आती हैं और उनसे भारी क्षति होती है । बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों में पहले ही अगस्त, 1978 में एक त्रिपक्षीय करार हो चुका है, जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में बाढ-नियंत्रण लाभों के लिए बिहार में चांदिल बांध द्वारा 0.375 मिलियन एकड़ फुट बाढ़ के जल का संचय किया जाएगा । पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों ने केन्द्र जल आयोग और भारत सरकार के रेल मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के साथ सलाह करके स्वर्णरेखा के साथ-साथ तटबंधों के एक-साथ तथा समन्वित निर्माण के लिए, विचार-विमर्श करना और योजना बनाना मान लिया है । पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि जलमान क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए स्वर्णरेखा पर बाढ़ तटबंधों के निर्माण के कार्य को केवल तभी हाथ में लिया जा सकता है जब चांदिल बांध का निर्माण हो जाए और उससे इच्छित बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था हो जाए ।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में बारा चौंका बेसिन में बाढ़

298. **श्री नारायण चौबे** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में पाटसपुर थाना में बारा चौका बेसिन में लगभग प्रतिवर्ष पानी रुक जाने के कारण बाढ़ आती हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे इस क्षेत्र के लोगों की तकलीफें दूर हों ;

(ग) क्या इस संबंध में पिछली योजना बदल दी गई है ; यदि हां, तो क्यों ;

(घ) बारा चौका बेसिन की रेंज में कितने गांव आते हैं और उनकी आबादी कितनी है ; और

(ङ) वर्ष 1975 से 1979 तक इस क्षेत्र में रुपयों के संदर्भ में बाढ़ से कितनी क्षति हुई है ?

सिंचाई मंत्री (केदार पांडे) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

वर्ष 1980 में फरक्का बराज से हुगली के लिये छोड़ा जाने वाला पानी

299. श्री नारायण चौबे : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के कम पानी वाले महीनों में हुगली फरक्का बराज से प्रति मास कितना पानी मिलता रहा है ;

(ख) क्या पानी की कमी के कारण कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या नहीं , और

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता और हल्दिया को बचाने के लिये सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) भारत द्वारा 1980 के कमी वाले महीनों के दौरान भागीरथी-हुगली के लिए फरक्का में हर महीने लिये गये जल की मात्रा इस प्रकार है :-

महीना	फरक्का में जल-निकासी (क्यूसेक)
जनवरी, 1980	30,278
फरवरी, 1980	15,249
मार्च, 1980	14,271
अप्रैल, 1980	14,390
मई, 1980	25,999

(ख) और (ग) इस वर्ष जल-प्रवाह के कम होने के कारण कलकत्ता पत्तन को बहुत असुविधा हुई हैं। शुष्क मौसम में गंगा के जल में वृद्धि करने का भारतीय प्रस्ताव बंगलादेश के प्रस्ताव के साथ भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है । भारत सरकार कलकत्ता पत्तन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए सभी संभावनाओं की जांच कर रही है ।

हल्दिया में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के कारखाने का निर्माण।

300. **श्री नारायण चौबे** : क्या पेट्रोलियम, और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के कारखाने का निर्माण पूरा कर लिया है ,

(ख) इसे पुरा करने की तथा इसमें उत्पादन आरम्भ होने की विभिन्न निर्धारित तिथियां क्या-क्या थी ;

(ग) इसके निर्माण सम्बन्धी पृथक अनुमान क्या थे तथा क्या उनमें बार-बार परिवर्तन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अनुमान कितनी बार बदले गये और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यद्यपि प्रायोजना यांत्रिक रूप से पूरी हो गई है, चालन कार्यकलाप बिजली की अनुपलब्धता के कारण रूका पड़ा है।

(ख) प्रायोजना के लिए यांत्रिक आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट ने वाणिज्यक उत्पादन के लिये लक्ष्य तिथि सितम्बर 1976 रखी। प्रायोजना के वास्तविक कार्यान्वियन की अवधि में प्रायोजना प्राधिकारियों को इन लक्ष्यों को निम्नलिखित के मुताबिक, तीन बार संशोधन करना पडा था :—

	प्रथम संशोधन	द्वितीय संशोधन	तृतीय संशोधन
वाणिज्यक उत्पादन की तिथि	1.11.79	1.4.80	1.4.81

(ग) और (घ) नवम्बर, 1971 में सरकार ने 88.03 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर प्रायोजना की मंजूरी दी थी। फरवरी 1979 में स्वीकृत प्रायोजना का संशोधित लागत अनुमान 228.51 करोड़ रुपये था, इस आधार पर कि 1.11.79 तक वाणिज्यक उत्पादन शुरू हो सकेगा। चूंकि बिजली के अभाव में प्रायोजना चालू नहीं हो सकी, कम्पनी द्वारा लागत अनुमान संशोधित किये जा रहे हैं। वृद्धि के कारण थे :—

(i) कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और मूल प्रावधान अपर्याप्त पाये गये।

(ii) निर्माण कार्य के पूरा होने और उपकरण की सुपुर्दगी में विलम्ब और

(iii) मूल्य वृद्धि।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य का अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने के लिये अनुरोध

301. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने वर्तमान अन्तर को पूरा करने और भावी मांग को पूरा करने के लिए लगभग 10 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पूरी करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो राज्य की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) अपेक्षित मात्रा से यह कितनी कम है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) लगभग 206.18 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में व्यस्तमकालीन मांग 150 से 160 मेगावाट के बीच अलग अलग होती है । व्यस्ततम अवधि के दौरान पंजाब से लगभग 30-40 मेगावाट सहायता प्राप्त होती है । 10 मेगावाट विद्युत भाखड़ा प्रणाली से भी प्राप्त हो रही है ।

भाखड़ा प्रणाली से 10 मेगावाट की अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है । चूंकि भाखड़ा प्रणाली की प्रबन्ध व्यवस्था संयुक्त रूप से भागीदार राज्यों द्वारा की जाती है अतः भागीदार राज्यों में व्याप्त वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध समुचित विचार हेतु भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड को भेज दिया गया है । बैरा स्थूल जल विद्युत परियोजना से विद्युत का पुनः आबंटन करने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुआ है । चूंकि केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच दृढ़ समझौते हो चुके हैं अतः संबंधित राज्यों की पूर्वानुमति के बिना आबंटन में परिवर्तन करना कठिन होगा ।

भूतकाल में जम्मू और कश्मीर की आपातकालीन सहायता की जा सकी थी और भविष्य में भी ऐसी सहायता दी जा सकती है ।

काश्मीर घाटी में पेट्रोल और डीजल की कमी

302. श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर घाटी में तेल की भारी कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण कम से कम 35 प्रतिशत माल तथा यात्री यातायात नहीं किया जा सका ;

(ग) यदि हां, तो जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई के सम्बन्ध में कुल कितनी मांग की थी ; और

(घ) राज्य सरकार की इन मदों की मांग किस सीमा तक पूरी की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मई, 1980 के दूसरे पक्ष में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और कुछ हद तक हाई स्पीड डीजल तेल की कमी की रिपोर्टें मिली थीं । इसका कारण परिवहन की समस्याएं थी परन्तु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करके इस क्षेत्र में सप्लाई की व्यवस्था की गई थी । इस समय कश्मीर की घाटी में न तो पेट्रोल और न डीजल की कोई कमी है ।

(ख) ऐसे कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए पेट्रोल के लिए कोई विशिष्ट मांग नहीं भेजी गई थी । इसके अतिरिक्त पेट्रोल के मामले में कोई राज्यवार आबंटन

नहीं किया जाता है । परन्तु हाई स्पीड़ डीजल तेल के संबंध में राज्य सरकार ने मासिक आबंटन में करीब 1000 कि. ली. की वृद्धि की मांग की थी । उपलब्ध परिवहन क्षमता के अनुसार जम्मू और कश्मीर को डीजल और पेट्रोल की सप्लाई अधिकतम की गई थी । और मई, 1979 की तुलना में मई, 1980 में सप्लाई कहीं अधिक थी जैसाकि फुटकर विक्रय के लिये दी गई सप्लाई के निम्न आंकड़ों से देखा जायेगा :—

(आंकड़े कि. ली. में)

उत्पाद	मई, 1980 में सप्लाई	मई, 1979 में वास्तविक सप्लाई	मई, 79 की अपेक्षा 80 के विक्रय में वृद्धि	मई, प्रतिशत
हाई स्पीड डीजल	6747	5392	25%	
पेट्रोल	1588	1451	9%	

बिहार तथा अन्य राज्यों में कोयले का कम उत्पादन होने का विद्युत प्रजनन पर प्रभाव

303. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार मिले हैं कि बिहार तथा अन्य राज्यों की कोयला खानों में कोयले का उत्पादन तथा कोयला साफ करने के कारखानों में उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) बिजली की कमी के कारण कोयले के उत्पादन पर कितना कुप्रभाव पड़ा है ; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) बिहार और अन्य राज्यों की खानों से कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कम नहीं हुआ । धुले कोयले का उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में अधिक रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कोल इंडिया लि० की खानों में 1979-80 में कोयले के उत्पादन में अनुमानित कमी 6.93 मिलियन टन रही । अप्रैल, 1980 में यह कमी 0.77 मिलियन टन रही । इसी प्रकार बिजली की कमी के कारण धुले कोयले के उत्पादन में 1979-80 में 1.12 मिलियन टन और अप्रैल, 1980 में 86,000 टन की कमी हुई ।

(घ) बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए यह उपाय किए गए हैं—दामोदर घाटी निगम में बिजली का अधिक उत्पादन, बिजली की सप्लाई करते समय कोयला खानों को उच्चतर प्राथमिकता, कुछ खानों में बिजली उत्पादन के ग्रहित यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव और कोयला क्षेत्रों में बिजली की वितरण प्रणाली में सुधार ।

दामोदर घाटी निगम में स्थिति का बद से बदतर होना

304. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 4 और 5 अप्रैल, 1980 को चन्द्रपुरा, बोकारो और दुर्गापुर, बिजली घरों का दौरा किया था और पाया कि दामोदर घाटी निगम में स्थिति बद से बदतर हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके दौरे के बाद स्थिति और बिगड़ी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दुर्गापुर में स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी और इसका एक यूनिट खराब हो गया तथा विद्युत उत्पादन कम होकर 40 मे०वा० तक हो गया , और

(घ) इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्री ने 4 और 5 अप्रैल, 1980 को दामोदर घाटी निगम के ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा किया था। इन केन्द्रों पर मार्च, 1980 के महीने के दौरान हुए औसतन उत्पादन की तुलना में उक्त दिनों में हुआ उत्पादन नीचे दिया गया है :

(मिलियन यूनिट में)

	4.4.80	5.4.80 मार्च, 80	कुल उत्पादन	मार्च, 80 में दैनिक औसतन उत्पादन
दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र	2.48	2.28	91.00	2.93
चंद्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र	5.39	4.31	172.00	5.55
बोकारो ताप विद्युत केन्द्र	1.22	1.49	77.00	2.48
	9 09	8.08	340.00	10.96

उपरोक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है कि स्थिति में कोई बिगाड़ नहीं हुआ है अपितु इसके विपरीत मंत्री के दौरे के परिणाम स्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जो यूनिटें बन्द हैं उन्हें शीघ्रता से चालू करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। गहराई से कठिनाइयों का पता लगाने तथा उपयुक्त उपाय ढूंढ़ने की दृष्टि से ब्रिटिश विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने की कार्रवाई

करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है ताकि ताप विद्युत केन्द्रों पर कार्मिक और अधिक अनुकूल वातावरण में काम कर सकें।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण में अस्थायी निवास वाले परिवार

305. श्री समर मुखर्जी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दण्डकारण्य में अस्थायी निवास वाले ऐसे 1000 परिवार थे, जिनको दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। श्रीमन्।

(ख) ये गैर-शिविर परिवार है और किसी पुनर्वास सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश में छिद्रण कार्य

306. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस की खोज के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र में छिद्रण कार्य पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो छिद्रण कार्य किस तारखी से पुनः शुरू किया गया है ;

(ग) यदि यह कार्य अभी तक पुनः शुरू नहीं किया गया है, तो इसके किस तारीख तक पुनः शुरू किए जाने की आशा है ; और

(घ) कार्य को बीच में ही रोक देने के क्या कारण थे और किस तारीख को यह कार्य बीच में रोक दिया गया था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगे और खुदाई जारी करने के प्रश्न पर परिणामों के मूल्यांकन तथा आगे और अध्ययन किये जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

(घ) खुदाई कार्य आस्थगित किये गये थे क्योंकि खुदाई किये गये कुओं में से किसी में भी व्यापारिक हाईड्रोकार्बन भण्डारों के संकेत नहीं मिले थे। खुदाई कार्य 31 जनवरी, 1979 को आस्थगित किये गये थे।

पश्चिम बंगाल को साफ्ट कोक की सप्लाई

308. श्री निरेन घोष : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयला खानों से साफ्ट कोक बहुत धीमी गति से बाहर भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल को आबंटित कोयले की सप्लाई में गति लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, महीनेवार, पश्चिम बंगाल को कोयले की कितनी-कितनी मांग रही है और उसे कितना-कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए गनीखान चौधरी) : (क) कोलियरियों में साफ्ट कोक भेजने में कोई ढिलाई नहीं रही है ।

(ख) पश्चिम बंगाल को आबंटित कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे से कहा गया है कि वह संचलन हेतु अधिक वैगन मुहैया कराए । कोल इंडिया लि० ने कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल में कोयला डम्प स्थापित करने तथा उनको सड़क और रेल दोनों से अधिक मात्रा में कोयला भेजने के लिए भी कदम उठाए हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कोयले के भण्डार

309. श्री निरेन घोष : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कोयले के बड़े-बड़े भण्डार हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में कोयला भण्डारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	कोयला क्षेत्र	अनुमानित कुल भण्डार (मि० टन)
1	2	3
बिहार	झरिया	19,521.56
	पूर्वी बोकारो	4,383.91
	पश्चिमी बोकारो	3,904.28
	गिरीडीह	37.28
	उत्तरी करनपुरा	10,246.52
	दक्षिणी करनपुरा	2,363.20
	रामगढ	1,055.56
	औरंगा	118.64
	बुतार	186.71
	डाल्टन गंज	118.78
	देवगढ़	38.30
	राजमहल	3,656.73

1	2	3
मध्य प्रदेश	पेंच कान्हन	895.79
	तावा घाटी	
	तावा घाटी	
	(गुरमुंड़ा क्षेत्र)	119.30
	पाथाखेरा	315.67
	सोनहाट	223.43
	उमरिया	46.33
	कोतार	2.96
	सेन्दुरगढ़	140.80
	हसदो-एरण्ड	1742.30
	कंड रायगढ	977.07
	जोहिला	143.11
	बिल्ह.मपुर	462.18
	झागरा खण्ड	56.50
	चिलीमिली	255.58
	चिरीमिरी	303.72
	कोरबा	794.18
	सोहागपुर	324.46
	लखनपुर	250.98
	मोहपानी	1.23
	सिंगरौली	10,233.62
महाराष्ट्र	चांदा-वर्धा	2,207.76
	उमरेर	95.16
	कैम्पटी	422.21
	बन्दर	90.05
पश्चिम बंगाल	रानीगंज	27,174.42
	बड़जोरा	38.76
	दार्जिलिंग	15.00

डीज़ल, बिजली और रेल माल डिब्बे न मिलने के कारण ईस्टर्न कोलफील्ड लि० में संकट

310. **श्री निरेन घोष** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयला उद्योगों, विशेषकर ईस्टर्न कोलफील्ड लि० को डीजल, बिजली और रेल माल-डिब्बे आदि न मिलने के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) उन चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को बिजली, डीज़ल और रेल वैगनों की सप्लाई बढ़ाने के लिए उपाय इस प्रकार है :—

1. **बिजली** : बिजली की उपलब्धि बढ़ाने के लिए किए गए उपाय हैं—दामोदर घाटी निगम में अधिक बिजली का उत्पादन, खानों में बिजली उत्पादन के लिए ग्रहीत एकक लगाना, कोयला खानों को बिजली की सप्लाई को उच्चतर प्राथमिकता देना और कोयला क्षेत्रों में बिजली की वितरण प्रणाली का पुनर्गठन।

2. **डीज़ल तेल** : कोयला खानों को हाई स्पीड डीज़ल की सप्लाई में उच्चतर प्राथमिकता दी गई है।

3. **रेलवे वैगन** : रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है ताकि अधिकतम संख्या में वैगनों का लदान हो सके। आधारभूत औद्योगिक ढांचे संबंधी मंत्रिमण्डल समिति की वैगनों की लदाई और संख्या पर नियमित रूप से निगरानी रख रही है।

त्रिपुरा के लिये हाई स्पीड डीजल की आवश्यकता

311. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से, महीनेवार, त्रिपुरा के लिये हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) की आवश्यकता कितनी थी ;

(ख) जनवरी, 1980 से त्रिपुरा की महीनेवार कितनी मात्रा की सप्लाई की गई ;

(ग) क्या दोनों के बीच कोई अन्तराल है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्यों में हाई स्पीड डीजल की आवश्यकताओं के अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) जनवरी, 1980 से लेकर त्रिपुरा को दी गई डीजल की सप्लाई निम्न प्रकार थी :–

	(आंकड़े मी० टन में)
जनवरी, 1980	360
फरवरी, 1980	673
मार्च, 1980	783
अप्रैल, 1980	844 (अस्थायी)
मई, 1980 (आबंटन)	1300
जून, 1980 (आबंटन)	1200

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए हाई स्पीड डीजल तेल की आवश्यकता और सप्लाई के बीच अन्तर का अनुमान लगाना संभव नहीं है। परन्तु दिग्बोई, गोहाटी, और बोंगाईगांव शोधन शाला के बन्द रहने या अनियमित रूप से काम करने के कारण सप्लाई में बाधा आने के फलस्वरूप त्रिपुरा में इस उत्पाद की कमी की रिपोर्टें मिली हैं (ङ)इस क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धता तथा उपललब्ध उत्पाद का एक समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस उत्पाद की सप्लाई पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। दिग्बोई और गोहाटी शोधनशालाएं अब काम कर रही हैं और त्रिपुरा को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में भी सुधार हुआ है।

दिल्ली और देश के अन्य भागों में अभूतपूर्व बिजली संकट

312. **श्री पी० एम० सईद** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई 1980 में दिल्ली और देश के अन्य भागों में बिजली की अभूतपूर्व कमी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बिजली की इस अभूतपूर्व कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) बिजली की भारी कमी होने के कारण इस अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को कुल कितनी हानि हुई ;

(घ) बिजली की इस कमी के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार इस अभूतपूर्व कमी के कारणों पर विचार करने के लिए कोई जांच की थी ; और

(च) यदि हां, तो ऐसी जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (च) 1979 के दौरान मानसून न आने के कारण मई, 1980 में देश के अनेक भाग विद्युत की कमी का

सामना कर रहे थे। जल विद्युत उत्पादन कम होने, अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण कृषि क्षेत्र में विद्युत की मांग में वृद्धि होने और ताप विद्युत केन्द्रों का असंतोषजनक कार्य-निष्पादन होने के कारण यह कमी हुई। बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ केन्द्रों की यूनिटें एक साथ बन्द हो जाने के कारण दिल्ली को मई, 1980 में कुछ दिनों के लिए जबकि इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर में कम उत्पादन हुआ था, विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा था। उत्पादन में हानि होने का एक उत्तरदायी कारण है ऊर्जा की कमी है। विद्युत की वर्तमान कमी के कारणों के संबंध में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। तथापि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत विभाग द्वारा स्थिति को ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

313. श्री पी० एम० सईद : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या बहुत अधिक हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्यों के उच्च न्यायालयों में 30 जून, 1979 तक 6,00,000 मामले लम्बित, और उच्चतम न्यायालय में 31 दिसम्बर 1979 तक लम्बित मामलों की संख्या 19,000 थी ;

(ग) यदि हाँ, तो अप्रैल, 1980 तक की स्थिति क्या है ;

(घ) क्या इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के अनेक पद खाली है ; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेवार अन्य कारण क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या 30 जून, 1979 को 6,29,722 और 31 दिसम्बर, 1979 को 6,17,250 थी। उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या 31 दिसम्बर, 1979 को 26,881 थी। अप्रैल, 1980 तक की अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ऐसी अनेक जटिल बातें हैं जिनके कारण न्यायालयों में मामले बकाया हैं।

अप्रैल-मई 1980 के दौरान काम न कर रहे विद्युत संयंत्र

314. श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल और मई, 1980 के दौरान देश में बिजली के कितने संयंत्र खराब हो गए ;

(ख) उनके बन्द हो जाने के प्रमुख कारण क्या थे ;

(ग) क्या यह कोई तोड़ फोड़ की कार्यवाही थी अथवा किसी तकनीकी खराबी के कारण इन्हें बन्द करना पड़ा ;

(घ) क्या देश के बहुत से हिस्सों को बिजली की कमी के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ; और

(ङ) बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी) : (क) 23 जल विद्युत उत्पादन यूनिटें और 41 ताप विद्युत उत्पादन यूनिटें अप्रैल-मई, 1980 के दौरान भिन्न-भिन्न अवधियों में उत्पादन नहीं कर सकी ।

(ख) ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों के बन्द होने के मुख्य कारण थे बायलर ट्यूब के फेल हो जाने, बायलर और टर्बाइन आनुषंगिकों में खराबी होने के परिणामस्वरूप जबरन बंदियां । जल विद्युत केन्द्रों में ऐसा मुख्यत: आयोजित अनुरक्षण के कारण और पारेषण लाइनों में खराबी आदि के कारण हुआ ।

(ग) अप्रैल-मई, 1980 के दौरान विद्युत केन्द्रों में किसी प्रकार के तोड़-फोड़ का सुनिश्चित कार्य प्राधिकारियों की जानकारी में नहीं आया है। उत्पादन यूनिटें अनेक तकनीकी खराबियों के कारण बन्द थे ।

(घ) विद्युत की अपर्याप्त सप्लाई के कारण देश के विभिन्न भागों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

(ङ) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय किये गए हैं। इनमें ताप विद्युत केन्द्रों से वर्तमान अधिकतम उत्पादन करना, ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करना, निर्माणाधीन परियोजना को शीघ्र चालू करना आदि शामिल थे ।

बम्बई हाई से धधक कर बाहर निकलने वाली गैस का उपयोग

315. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई से आजकल धधक कर निकलने वाली कम दबाव वाली गैस (लो प्रैशर गैस) का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो अब धधक कर बाहर निकलने वाली गैस की मात्रा और इसमें से घरेलू प्रयोग में आ सकने वाली गैस की मात्रा के बारे में क्या कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) क्या इस गैस का उपयोग करने के लिए कोई स्कीम तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) खाना पकाने के लिये प्रयोग होने वाली तरल पेट्रोलियम गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जा सकती है चाहे वह अधिक दबाव या कम दबाव की हो। इस गैस से तरल पेट्रोलियम गैस प्राप्त करने के लिए एक गैस विभाजन प्लांट बम्बई में उरान में स्थापना की जा रही है। इस प्लांट के चालू होने के साथ-साथ बम्बई हाई उत्तर प्लेटफार्म में गैस कम्प्रेसिंग की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। जिससे कि कम दबाव वाली गैस जो इस समय जलाई जाती है, अधिक दबाव वाली गैस के साथ गैस ट्रंक पाइपलाइन द्वारा उरान तक लाई जायेगी।

(ख) इस समय औसतन दर पर प्रतिदिन 0.2 मि० घन मीटर कम दबाव वाली गैस जलाई जाती है। बम्बई हाई क्षेत्र से निकलने वाली गैस से तरल पेट्रोलियम गैस की जो मात्रा प्राप्त की जा सकती है उसके आधार पर गैस विभाजन प्लांट उरान में निर्माणाधीन है और इसमें प्रतिदिन 4 मि० घन मीटर गैस प्रोसेस की जायेगी।

(ग) जी, हां। ओ. एन. जी. सी., बम्बई के निकट उरान में तरल पेट्रोलियम गैस के निष्कर्षण के लिये एक गैस विभाजन प्लांट की स्थापना कर रहा है। यह प्लॉट क्रायोजेनिक प्रोसेस पर आधारित है और 50 : 50 के सम्बद्ध और असंबद्ध गैस के मिश्रण के 4 मि० घन मीटर प्रतिदिन विभाजित करने के लिये परिकल्पित है।

इस प्लांट से तरल पेट्रोलियम गैस का उत्पादन 1981 के आरम्भ में शुरू होने का अनुमान है। आरम्भ में यह प्लांट प्रति माह 3300 मी० टन तरल पेट्रोलियम गैस का उत्पादन करेगा जो कि 1981-82 की दूसरी तिमाही में 10,000 मी० टन प्रति माह तक बढ़ाया जायेगा। परन्तु जब यह प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता पर काम करेगा तो प्राप्य तरल पेट्रोलियम गैस 180,000 मी० टन प्रतिवर्ष के लगभग होगी और इसके 1982 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है।

तेल के लिये महाद्वीपीय मगनतट का सर्वेक्षण

316. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के लिए महाद्वीपीय मगनतट के सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(ग) इन क्षेत्रों में तेल की सम्भावनाओं सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है , और

(घ) ड्रिलिंग का काम कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट में (200 मीटर की जल गहराई तक) 90% तक विधिवत मूल्यांकन भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा किया गया है। जिन क्षेत्रों में अभी भी यह सर्वेक्षण किया जाना है वह हैं—सौराष्ट्र समुद्री तलछटी (ब्लाक 11–ए), विशाखापतनम--गोपालपुर (ब्लाक--v) और सुन्दरबन के साथ लगने वाला बंगाल की खाड़ी का कम गहरा समुद्री भाग।

(ग) बम्बई हाई के अतिरिक्त ओ० एन० जी० सी० ने 43 संरचनाओं पर अन्वेषणात्मक खुदाई की है। इन 43 संरचनाओं में से 18 संरचनाओं में तेल/गैस होने का पता लगा है।

(घ) उचित रिगों की उपलब्धता के अनुसार उत्तर तापती, कच्छ समुद्री क्षेत्र और महीम समुद्री क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान खुदाई काम आरम्भ करने की योजना है।

कोलाघाट बिजली घर के लिये कोयले की सप्लाई

317. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलाघाट बिजली घर के लिये कोयले और वैगनों की सप्लाई हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : पश्चिम बंगाल में कोलाघाट में 210-210 मेगावाट की तीन यूनिटों वाला एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की स्कीम क्रियान्वयनाधीन है; ये यूनिटें क्रम क्रम से 81-84 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है। इन यूनिटों के लिए कोयला, दक्षिण पूर्वी रेलवे में रानी-गंज के कोयला क्षेत्रों से कोलाघाट क्षेत्र को पहुंचाए जाने की आशा है।

निर्माणाधीन स्कीम के विस्तार के रूप में, कोलाघाट में 3×210 मेगावाट के यूनिटों को जोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने की है। ये यूनिट 1984-85 से 1986-87 की अवधि के दौरान क्रम क्रम से चालू किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं। कोयला विभाग ने सूचित किया है कि इन विस्तार यूनिटों के लिए कोयला रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सोनपुर बाजारी क्षेत्र की एक नई ओपन कास्ट खान से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

औद्योगिक और ईंधन प्रयोजनों के लिए हार्ड कोक आदि की राज्यवार आवश्यकताएं

318. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और ईंधन प्रयोजनों के लिए हार्ड कोक और कोयले की अन्य किस्मों की राज्यवार आवश्यकताएं क्या हैं ;

(ख) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार कोयले के उत्पादन के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) राष्ट्रीयकरण करने के पूर्व के दो वर्षों से अब तक कोयले के उत्पादन का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इसके राष्ट्रीयकरण से इस उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या क्या है और 1979-80 तक रोजगार, कुल व्यय और कुल आय के बारे में वर्षवार ब्योरा क्या है?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) देश में कोयले की विभिन्न प्रकार की और विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की मांग को देखते हुए तथा योजना आयोग के परामर्श से वर्ष 1980-81 के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य 113.5 मि. टन निश्चित किया गया है। वर्ष के पहले महीनों अर्थात् अप्रैल से मई, 1980 में हुए उत्पादन से पता चलता है कि गत वर्ष के इन्हीं महीनों में हुए उत्पादन से इस वर्ष का उत्पादन 2.00 मि० टन अधिक है। दिनांक 1.6.1980 को खान मुहाना स्टॉक लगभग 14 मि० टन है। उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति को तथा कोलियरियों के ग्राउंड स्टाक को देखते हुए कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं की जरूरतें आमतौर पर पूरी हो जाएंगी।

(ग) राष्ट्रीयकरण से पहले के दो वर्षों से लेकर अब तक के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

1970-71	: 73.95 मि० टन
1971-72	: 72.42
1972-73	: 77.44
1973-74	: 78.17
1974-75	: 88.41
1975-76	: 99.68
1976-77	: 101.04
1977-78	: 101.00
1978-79	: 101.94
1979-80	: 113.96

(घ) कोल इन्डिया लि० में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

1.5.73	: 5.20 लाख
1.11.74	: 5.52
1.4.75	: 5.99
1.4.76	: 6.05
1.4.77	: 5.86
1.4.78	: 5.84
1.4.79	: 5.83
1.4.80	: 6.01

राष्ट्रीयकरण के बाद से वर्ष 1979-80 तक हुए कुल व्यय तथा आय के बारे में ब्योरा एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

विद्युत ऊर्जा प्रजनन के लिये कोयले का बेहतर उपयोग

319. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता चला है कि तापीय विद्युत संयंत्रों की भट्टियों में जलाये

गये प्रति 100 टन कोयले में से अधिक से अधिक 40 से 42 टन तक का विद्युत ऊर्जा में पूरी तरह रूपान्तरण होता है ; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत प्रजनन के लिये कोयले का बेहतर उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथापि, कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उन विशिष्टियों के लिए उपयुक्त हो जिनके अनुसार बायलरों के डिज़ाइन बनाए गए हैं तथा विद्युत केन्द्र में उष्मा की हानियां भी कम की जा सकें ।

गोबर घोल से विद्युत उत्पादन

320. श्री के० राममूर्ति : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के रसायन विभागाध्यक्ष को 1½ किलो गोबर के गारे इलैक्ट्रोड्स और जोड़ने वाली कुछ तारों से निरन्तर 1½ महीने के लिये बिजली पैदा करने में सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसंधान के इस प्रयास का वाणिज्यिक उपयोग करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं । गोबर के गारे से विद्युत उत्पादन करने के लिए एक प्राध्यापक द्वारा कुछ प्रयास किया गया बताया जाता है । इसका न तो कोई ब्यौरा प्राप्त हुआ है और न इसकी तकनीकी जीवन क्षमता सिद्ध करने के लिए इस तकनीक का कोई निदर्शन ही किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को सिंचाई हेतु उपयोग में लाने के लिये तकनीकी दल

321. श्री के० टी० कोसलराम : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को उपयोग में लाये जाने सम्बन्धी प्रश्न का अध्ययन करने हेतु गठित तकनीकी दल ने कितनी बैठकें की हैं ; और

(ख) तकनीकी दल द्वारा रिपोर्ट को पूरा किये जाने की अनुमानतः तारीख क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) तकनीकी समिति की छः बैठकें हो चुकी हैं ।

(ख) आशा है कि समिति की रिपोर्ट को दिसम्बर, 1980 तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

तमिलनाडु, में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को सिंचाई के लिये उपयोग में लाने संबंधी योजना

322. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सिंचाई के लिए पश्चिमोन्मुख नदियों के पानी को उपयोग में लाये जाने के बारे में योजना आयोग की योजना पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) क्रियान्वित की जा रही योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) तमिलनाडु में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई के लिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के समुपयोजन के लिए योजना आयोग द्वारा कोई स्कीम तैयार नहीं की है । किन्तु योजना आयोग ने अरब सागर में बहने वाली नदियों के जल-संसाधनों और उनके समुपयोजन के मूल्यांकन के लिए फरवरी, 1978 में एक समिति का गठन किया था । इस समिति के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में समुपयोजन के लिए पूर्व की ओर व्यपवर्तित किये जा सकने वाले जल की सम्भाव्य मात्रा की जांच करने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल राज्यों की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की जल-क्षमता का मूल्यांकन और दस्तूर योजना भी शामिल हैं ।

(ख) समिति ने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के व्यपवर्तन से संबंधित मामले को हाल ही में हाथ में लिया है । इससे सम्बद्ध आंकड़े राज्यों से मांगे गए हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

एन्नौर तापीय विद्युत केन्द्र में की गई तबदीली के बारे में चेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों के विचार

323. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में एन्नोर तापीय विद्युत केंद्र में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा की गयी तबदीली को चेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों जो कि संयंत्र के डिजाइन निर्माता थे ने निन्दा की है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा की गयी तबदीली में जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) मैसर्ज स्कोदा लि० के कारखाने से चेकोस्लोवाकिया के अभिकल्प इन्जीनियरों ने गन्नौर ताप विद्युत केंद्र का दौरा किया है, स्टीम जेनरेटरों की भट्टियों में उष्मा सतहों के वितरण की जांच की है तथा वे अपनी परिगणनाओं से सन्तुष्ट हैं । चेकोस्लोवाकिया विद्युत केन्द्र प्रचालन इन्जीनियरों के एक और दल द्वारा निकट भविष्य में एन्नौर का दौरा करने की संभावना है । यह दल इस विद्युत केन्द्र में अपनाई गई प्रचालनात्मक पद्धतियों की जांच करेगा ।

मेट्टूर तापीय परियोजना के लिये मंजूरी देने में विलम्ब

324. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार के 420 मेगावाट की मेट्टूर तापीय परियोजना के प्रस्ताव के लिए मंजूरी देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) यह मंजूरी दिलवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई मेट्टूर ताप विद्युत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति देने में देरी, अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में हुए विलम्ब के कारण और कोयले का लिंकेज सुनिश्चित करने में हुए विलम्ब के कारण हुई। 27 मई, 1980 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अब इस स्कीम को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति इस बात की पुष्टि हो जाने की शर्त पर दे दी है कि परियोजना में प्रशीतलन के प्रयोजन के लिए खपत होने वाले जल संबंधी आवश्यकताएं कावेरी नदी से जल लेकर पूरी हो जाएंगी।

कोयला खनन उद्योग के लिए सुरक्षा बोर्ड

325. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खनन उद्योग के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह बोर्ड कब तक गठित किया जायेगा और इसके सदस्यों के नाम और इस बोर्ड के कृत्य क्या होंगे ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सिद्धांत रूप में यह निर्णय ले लिया गया है कि एक उच्च स्तरीय "कोयला खान सुरक्षा बोर्ड" स्थापित किया जाए। विचार यह है कि यह बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, कोयला खानों में सुरक्षा के उपायों को समुचित रूप में लागू करने की निगरानी करेगा और सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को सलाह देगा कि क्या कदम उठाए जाएं। बोर्ड के सदस्यों के सम्बन्ध में यथासमय निर्णय लिया जाएगा।

नासिक में एक टेलीविजन प्रसारण केन्द्र स्थापित करना

326. **श्री आर० के० महालगी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में नासिक में एक टेलीविजन प्रसारण केंद्र स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब किया गया ;

(ग) इस प्रस्तावित प्रसारण केंद्र में कार्य कब आरम्भ होगा और केंद्र के कब चालू होने की सम्भावना है ; और

(घ) परियोजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और इस केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को कितने क्षेत्र में देखा जा सकेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) नासिक में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, डाक-तार माइक्रोवेव लिंकों के माध्यम से उन स्थानों पर जो माइक्रोवेव सर्किटों के मार्ग में आते हैं दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। यदि यह योजना अमल में आई तो नासिक में रिले ट्रांसमीटर स्थापित करना सम्भव हो सकेगा।

जल-विद्युत परियोजनायें

327. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कार्य कर रहे जल-विद्युत एककों के नाम क्या है ;

(ख) निकट भविष्य में स्थापित की जाने वाली जल-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) भविष्य में देश कि विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जल-विद्युत परियोजनायें आरंभ करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार वित्त के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संस्थानों के साथ बातचीत चलाते रहने का है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या सरकार का विचार जल-विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विदेशों के साथ बातचीत करने का है ; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्तमान जल-विद्युत परियोजनाओं (5 मेगवाट तथा उससे अधिक प्रतिष्ठापित क्षमता वाली) के नाम विवरण में दिये गये हैं।

(ख) कुल 10169.5 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की 56 जल विद्युत स्कीमें इस समय निर्माणाधीन हैं तथा इन स्कीमों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) देश की विद्युत योजना में जल विद्युत की मात्रा में वृद्धि करने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कुल 13.2 मिलियन प्रतिष्ठापित क्षमता की 72 जल विद्युत

स्कीमों का पता लगाया है, जिनमें से 7 76 मिलियन किलोवाट क्षमता का लाभ 1985-90 के दौरान प्राप्त हो जाएगा। योजना आयोग द्वारा विद्युत के संबंध में हाल ही में गठित किए गए कार्यकारी दल के पास यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(घ) से (छ) विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता पहले से उपलब्ध है ; निर्माण पद्धतियों को तकनीक को समुन्नत करने, जल विद्युत की आयोजना की तकनीकों में सुधार लाने आदि की दृष्टि से तथा जिन क्षेत्रों में स्वदेशी योग्यता उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, जहां तक आवश्यक होगा विदेशी तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

विवरण–1

क्षेत्र/राज्य	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
भाखड़ा प्रबंध बोर्ड	भाखड़ा-नंगल	1204
व्यास निर्माण बोर्ड	देहर	660
	पोंग	240
हिमाचल प्रदेश	गिरी	60
	बस्सी	45
	बैरास्यूल	120
जम्मू और कश्मीर	मोहरा	9
	गन्धरबाल	15
	चेनानी	23
	अपर सिंध	22
	लोअर जेहलम	105
राजस्थान	राणा प्रताप सागर	172
	जवाहर सागर	99
पंजाब	शानन	48
	अपर बारी दोआब नहर-1	45
उत्तर प्रदेश	गंग नहर	45.2
	कटिमा	41.4
	पाथरी	20.4
	माताटोला	30
	रामगंगा	198
	रिहन्द	300

1	2	3
	ओबरा	99
	यमुना चरण दो	240
	यमुना चरण-एक	84.75
	यमुना चरण-4	30
	गढ़वाल ऋषिकेश चिल्ला	72
	नीरगजनी	5
	मोहम्मदपुर	9.3
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	उकई	300
मध्य प्रदेश	गांधी सागर	115
महाराष्ट्र	कोयना	880
	पूरना	22.5
	भाटगर	16
	बीर	9
	वैतरणा	60
	खोपोले	72
	भीरपुरी	72
	भीरा	141
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर	110
	तुंग भद्रा बांध	72
	निजाम सागर	10
	मचकुण्ड	114.75
	अपर सिलेरु	120
	लोअर सिलेरु	400
कर्नाटक	शिमशा	17.2
	मुनोराबाद	27
	जोग	120
	शिव समुद्रम	42
	भद्रा	33.2
	शरावती	891
	कालीनदी	135
	लिंगनामक्की	55

1	2	3
केरल	पनिआर	30
	पोरिंगलकुथु	32
	पल्लीवासल	37.5
	नेरियामंगलम	45
	सेनगुलाम	48
	शीलाधार	54
	साबिरीगिरी	300
	कुट्टियाडि	306 75
	इदुक्की	390
तमिलनाडु	पिकारा	70
	मेत्तुर बांध	40
	पापनासम	28
	मोयार	36
	पेरियार	140
	कुण्डाह-1-5	535
	मेत्तूर सुरंग	200
	सरकारपति	35
	अलियार	60
	शोलायार 1 और 2	95
	कोडायार 1 और 2	100
	सुरुलियार	35
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	कोसी	15
	स्वर्ण रेखा	65
दामोदर घाटी निगम	मैथोन	60
	पंचेत	60
उड़ीसा	बलिमेला	360
	हीराकुड	270
पश्चिम बंगाल	जलढाका	27
सिक्किम	लोअर सन्यप	12
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
मेघालय	किरडमकुलाई	60
	उमियाम उमत्रू	65.2
त्रिपुरा	गुमटी	10

विवरण-2

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2
1. पश्चिमी यमुना नहर	48
2. सलाल	345
3. बस्सी विस्तार	15
4. बैरा स्यूल	180
5. आंध्रा	15
6, बिनवा	6
7. रोंगटोंग	2
8. भावा	120
9. शानन विस्तार	50
10. आनन्दपुर साहिब	134
11. मुकेरियां	207
12. माही-चरण 1 और 2	140
13. गढ़वाल ऋषिकेश चिल्ला	144
14. यमुना चरण-2	120
15. मानेरी भाली चयण-1	93
16. विष्णु प्रयाग	262
17. टिहरी	1000
18. देहर विस्तार	330
19. पोंग विस्तार	120
उप जोड़ उत्तरी क्षेत्र	3331
पश्चिमी क्षेत्र	
20. उकाई बायां तट	5
21. कडाना	240
22. बोध घाट	500
23. कोयना बांध बिजली घर	40

1	2
24. टिल्लारी	60
25. पैंगोन	12
26. भण्डार दारा	43.5
27. भीरा टेल रेस	30
28. पेंच	160
उप जोड़ पश्चिम बंगाल	1140.5
दक्षिणी क्षेत्र	
29. नागार्जुनसागर पम्प जलाशय	400
30. नागार्जुनसागर दायां तट नहर	60
31. श्रीसैलम	440
32. बलिमेला बांध बिजली घर	60
33. डोंकाराई	25
34. अपर सिलेरू विस्तार	120
35. कालीनदी चरण-1	910
36. वाराही	239
37. गंगावली (बेदती)	210
38. इदामलयार	75
39. इदुक्की चरण-2	390
40. कक्कड़	50
41. कदमपराई विद्युत केन्द्र	400
42. सर्वालार	20
उप जोड़ दक्षिणी क्षेत्र	3399
पूर्वी क्षेत्र	
43. स्वर्ण रेखा	130
44. कोइल कारो	710
45. रेंगाली	100
46. अपर कोलाब	240
47. अपर इन्द्रावती	600
48. जलढाका चरण-2	8
49. रामन चरण-2	50
50. पंचेत हिल विस्तार	40
उप जोड़ पूर्वी क्षेत्र	1878

1	2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
51. कोपिली	150
52. लोकतक	105
53. गुमटी	5
54. दिखू	1
55. उमियाम उमत्तू चरण-4	60
56. लोअर बोरपानी	100
उप जोड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्र	421
कुल जोड़	10169.5

दिल्ली में बिजली बन्द हो जाने के कारण

328. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में बिजली बन्द हो जाने के क्या कारण हैं और पुनः सामान्य सप्लाई बहाल करने हेतु प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) राजधानी तथा इसके आस-पास के औद्योगिक क्षेत्र पर इसका कितना प्रभाव पड़ा ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दिल्ली में हाल ही में विद्युत् सप्लाई बन्द होने का कारण था, इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर केन्द्रों की यूनिटों में एक साथ हुई बंदियां। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र ये बंदियां कोयला हैंडलिंग प्रणाली और कोयला क्रशिंग प्रणाली के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हुई थी। विद्युत् प्रदाय-संस्थान के इंद्रप्रस्थ केन्द्र में कम उत्पादन के मुख्य कारण थे एक यूनिट की योजनाबद्ध अनुरक्षण के लिये बन्दी और दूसरी यूनिट की जबरन बंदी। इन्द्रप्रस्त और बदरपुर के उत्पादन कम होने के समय, दिल्ली में विद्युत् की सप्लाई पूर्ति के लिये भाखड़ा व्यास प्रबंध प्रणाली से सहायता ली गई थी।

(ख) औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रभाव लोड शेडिंग की अवधि में ही पड़ा है। विद्युत् सप्लाई बंद हो जाने के परिणामस्वरूप यह लोड शेडिंग करनी पड़ी थी। इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है।

जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन और कमी

329. **श्री किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्लोरम फैनिकोल, एरीथोमाईसिन, प्रोकेन, हाईड्रोक्लोराईड,

डैपोन, क्लोरोक्विन फास्फेट और पैस तथा इसके लवणों जैसी जीवन रक्षक औषधियों की बाजार में अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं और सरकार इन जीवन रक्षक औषधियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय कर रही है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कुछ जीवन रक्षक औषधों जैसे क्लोरमफैनीकॉल पावडर, स्ट्रेप्टोमाईसीन, एरिथ्रोमाइसीन स्टीरेट, डी० डी० एस० (डैप्सोन). पी० ए० एस० और उसके लवण और क्लोरोक्विन फोस्फेट के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1979-80 के दौरान कुछ कमी हुई है । इन बल्क औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों में आमतौर पर कोई कमी नहीं हुई हैं ; तथापि क्लोरोक्विन फास्फेट को छोड़कर कुछ ब्राण्ड के फार्मूलेशनों की कमी के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर रिपोर्टें मिली हैं । इन मामलों में उनके समतुल्य उत्पाद आमतौर पर उपलब्ध है ।

उत्पादन में कमी के अनेक कारण हैं जैसे बिजली की कटौती, श्रमिक अशान्ति कुछ कच्चे माल की अनुपलब्धता [जैसे एथोलीन आक्साइड, कास्टिक सोडा] और पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता, कच्चे माल की लागत में वृद्धि आदि ।

सरकार अनिवार्य बल्क औषधों के उत्पादन और महत्वपूर्ण तथा जीवन रक्षक औषध फार्मूलेशनों की उपलब्धता की देख-रेख करती है । कठिनाइयों के विशेष मामलों को सरकार के ध्यान में लाये जाने पर वह जहां तक सम्भव हो सुधारात्मक उपाय करती है, उदाहरण के तौर पर (क) पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता के संबंध में सरकार ने अलुमिनियम फोइल के आयात पर सीमाशुल्क कटौती की है और उसे ओ० जी० एल० में शामिल करके उसके उदार आयात की अनुमति दी है ; (ख) सरकार ने निर्माताओं को सरकार से नई मूल्य स्वीकृति लिये बिना बोतल पैकिंग में बदलने की अनुमति दी है ; (ग) सरकार ने स्वदेशी उत्पादन की पूर्ति के लिये सारणी-बद्ध बल्क औषधों के अपेक्षित आयात की व्यवस्था की है ; जहां आवश्यक था इन औषधों को उठाया गया और कुछ मदों के मामले में वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा सीधे आयात की अनुमति भी दी गई ।

(घ) सारणीबद्ध बल्क औषधों के वितरण के लिये एक अधिक उदार नीति लागू की गयी है । औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाया जाता है ।

उपरोक्त उपायों के अलावा बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के निर्माण के लिये अपेक्षित पैकिंग सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये जब कमी राज्य औषध नियंत्रकों/क्षेत्रीय औषध नियंत्रकों अथवा अन्य के माध्यम से सरकार को फार्मूलेशनों की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है तो संबंधित निर्माताओं को सलाह दी जाती है कि वे कमी वाले क्षेत्र में शीघ्र सप्लाई पहुंचाएं ।

इण्डियन पोटाश लिमिटेड का प्रबंधनिदेशक

330. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त व्यक्ति की इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति संबंधी करार के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ था ; और

(ख) मैसर्ज इण्डियन पोटाश लिमिटेड के विरुद्ध आरोपों के बारे में कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा पेश की गयी जांच रिपोर्ट का ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कंपनी के 'आल इण्डिया पोटाश एम्पलाईज यूनियन, नामक, कर्मचारियों की यूनियन द्वारा लगाये गये कुछ आरोपों का सत्यापन करने के लिये, कंपनी अधिनियम की धारा 209 (क) के अन्तर्गत इसके कार्य-कलापों के निरीक्षण के आदेश दिये गये थे ।

निरीक्षण से कंपनी के प्रबंध निदेशक के आवास से सम्बंधित अनियमितता सहित, कम्पनी अधिनियम के कुछ प्रथम दृष्टया उल्लंघनों व अनियमितताओं का पता चला था, जिसके लिये कम्पनी से सम्पर्क किया गया है । कम्पनी का उत्तर विचाराधीन है तथा समुचित कार्यवाही जो यथासंगत होगी, की जायेगी ।

लेखों को न रखने के लिये दोषी पाई गई कम्पनियों के नाम

331. **श्री निहाल सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो वर्ष 1976-77 के दौरान लेखों के संकलन और रख-रखाव के लिये उचित प्रक्रिया न अपनाने के लिये भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा दोषी पायी गई थीं ; और

(ख) कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये इन कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव शंकर

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाओं में हेराफेरी, देश में सूखे की स्थिति और उत्तर रेलवे में हड़ताल कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि सभा में इनपर चर्चा की जाये । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी मैंने अनुमति नहीं दी है । मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है ।

श्री विजय कुमार यादव : एडजोर्नमेंट मोशन दिया है कि चुनावों में सरकार ने ..... (व्यवधान)

श्री निरेन घोष : (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आप की बात सुन नहीं सका । तीन मामले हैं : उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावों में हेराफेरी, देश में सूखे की स्थिति और उत्तर रेलवे में हड़ताल । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे चेम्बर में आ सकते हैं और इस पर मैं आप के साथ चर्चा करूंगा ।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें ।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कम्पनी अधिनियम और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनी (जमा राशियां स्वीकार करना) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 21 मार्च, 1980 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 109 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी-812/80]

(दो) कम्पनी (जमा राशियां स्वीकार करना) दूसरा संशोधन नियम, 1980 जो 1 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 185 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी-813/80]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड सम्मेलन आदेश, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 247 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी-814/80]

(3) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में संसदीय और विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में कतिपय

संशोधन करने वाले आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 271 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी-815/80]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) पैराफीन मोम (पुर्ति, वितरण तथा मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश 1980 जो दिनांक 8 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 299 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1980 जो दिनांक 8 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 300 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) हल्का डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1980 जो दिनांक 8 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 301 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) संशोधन आदेश, 1980 जो दिनांक 8 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 302 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल टी-816/80]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे चेम्बर में आ सकते हैं। मैं आप सब की बात सुनूंगा। मेरी अनुमति के बिना आप खड़े नहीं हो सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। इसकी मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ।

श्री निरेन घोष : आपको पहले मेरी बात सुननी चाहिये। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य बोलना चाहता है, तो उसे मेरी अनुमति लेनी चाहिये । यदि व्यवस्था का कोई प्रश्न है तो मैं बारी-बारी आप लोगों की बात सुनूंगा । श्री चौबे ।

श्री नारायण चौबे (निदनापुर) : बिहार में चुनावों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव है । यह केवल लोकतंत्र का मजाक है..... ।

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : यह लोकतंत्र की मजाक है कि चुनाव 31 तारीख को समाप्त हो गये थे और अभी तक परिणाम घोषित नहीं किये गये हैं । क्यो ? सरकार इस बारे में खामोश है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । आप नियम देख सकते हैं । आप मेरे चेम्बर में आकर इस पर चर्चा कर सकते हैं, यहां नहीं ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम स्थगन प्रस्तावों पर जोर नहीं दे रहे हैं । हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है । हमने अन्य संगत नियमों के अन्तर्गत सूचनाएं दी हैं ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सोचा कि यहां पर आप स्पीकर हैं, परन्तु यहां पर तो सुपर स्पीकर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर कोई सुपर-स्पीकर नहीं हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया मेरी बात सुनिए । मैं विरोधी पक्ष की ओर से बोल रहा हूं और पीठासीन अधिकारी के लिये कुछ परेशानी नहीं होगी..... ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे चेम्बर में आयें; हम इसपर चर्चा कर सकते हैं । श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : स्थगन प्रस्ताव, जिसकी हमने सूचना दी है, के जरिये हम एक अभूतपूर्व मसाले पर चर्चा करने के लिये आप से अवसर मांग रहे हैं । ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । बिहार में 31 तारीख को चुनाव समाप्त हो गये थे । परिणाम अभी तक घोषित नहीं किये गये ।

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे सकते है । हम इसका विचार करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सारे मामले में हेराफेरी की गई है ; मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के अलावा जालसाजी की घटनाएं भी हुई हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने स्वयं हरलखी पर मतदान केन्द्र पर कब्जा किया है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार कर सकते हैं, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस देश में पहले ऐसी बातें कभी नहीं हुईं।

अध्यक्ष महोदय : हमें पूरा अवसर मिलेगा, चिन्ता न करें। सचिव।

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : मान्यवर, मैं गत सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 26 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1980

(2) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1980

(3) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(4) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1980

(5) वित्त विधेयक, 1980

(6) संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण विधेयक, 1980

(7) आसाम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(8) आसाम विनियोग वियधेक, 1980

(9) मध्य प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(10) मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980

(11) उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(12) उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1980

(13) बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(14) बिहार विनियोग विधेयक, 1980

(15) गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(16) गुजरात विनियोग विधेयक, 1980

(17) महाराष्ट्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(18) महाराष्ट्र विनियोग विधेयक, 1980

(19) पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(20) पंजाब विनियोग विधेयक, 1980

(21) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(22) राजस्थान विनियोग विधेयक, 1980

(23) तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(24) तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1980

(25) उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

(26) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980

(2) मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों की प्रतियां राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणिकृत रूप में भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान (45 वां संशोधन) विधेयक, 1980

(2) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1980

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०–817/80]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमगाओ) : गत सत्र के दौरान मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी । यह लगभग दो महीने से पड़ी हुई है । कृपया क्या आप यह बतायेंगे कि इसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है । हम इस बारे में आपको सूचित करेंगे ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप हमें कब सूचित करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत जल्दी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : मैंने श्री एडुआर्डो फैलीरो, जिन्होंने अपने विशेषाधिकार प्रास्ताव, जो गृहीत नहीं हुआ है, के बारे में प्रेस को जानकारी दी है, के विरुद्ध एक प्रस्ताव की सूचना दी थी । उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिया जाएगा । श्री हरिकेष बहादुर ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 222 और 223 के अन्तर्गत नोटिस दिया है कि माननीय चौधरी चरण सिंह, जो इस सदन के सदस्य हैं और लोकदल के नेता है, उन्होंने एक स्टेटमैंट दिया है जो अखबारों में 3 तारीख में इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि "संसद निरर्थक हो गई है और यह बताती जा रही है .....।"

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है । (व्यवधान) । और कुछ भी नहीं ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या हुआ है ? यह सदन की अवमानना का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्टीकरण मांगा है । यह विचाराधीन है ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : यह बहुत गम्भीर सवाल है, वह तो उत्तर 2 महीने तक भी नहीं देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाये ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विचार करते हैं । श्री हरिकेश बहादुर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं । मैंने यह कर दिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं है ? नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने उसको स्वीकार कर दिया है, तो आप उस पर जोर क्यों दे रहे हैं । नहीं, अस्वीकृत किया जाता है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह हम सब पर लागू होता है । जब संसद ही निरर्थक है तो हमारे यहाँ बैठने का फायदा ? आपको प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा । उसका क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो है वह ।

श्री भागवत झा आजाद : हम सब यहां बैठे हैं । हम निरर्थक तो नहीं बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सदन के माननीय सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए । उनको सहयोग भी करना चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ । यदि हम निरर्थक ही बैठे हैं तो जिम्मेदारी के क्या माने ? हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है । हम यह जानना चाहते हैं कि उसका क्या हुआ जो उन्होंने कहा था कि श्री चरण सिंह ने कहा था (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है ।

श्री भागवत झा आजाद : ठीक है कब तक ऐसा चलेगा ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें समय लगता है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री भागवत झा आजाद : उनको दो महीने नहीं दिये जा सकते ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं इतना नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : आपको हमें इस बारे में निश्चित समय बताना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने हिसाब से समय लूंगा । मैं तुरन्त नहीं बता सकता ।

श्री भागवत झा आजाद : उसके लिए उचित समय की कोई सीमा तो होगी ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत जल्द, बहुत जल्द·····।

श्री भागवत झा आजाद : क्या उसके लिए हमें दो महीने इन्तजार करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत जल्द ही यह हो जाएगा ।

(व्यवधान)

मैं स्थिति से अवगत हूं । मुझे तथ्यों पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेना होगा । मेरे सामने तथ्य आने दीजिये । तब मैं इसका निर्णय करूंगा । हर चीज नियमानुसार होगी ।

अच्छा तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अलमोडा) : मान्यवर, टाइम तो बता दीजिए कि कब तक ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : देश में विद्यमान सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा का क्या हुआ ? इसके बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे । चिन्ता न करें । हम सूखे की स्थिति पर चर्चा करेंगे, चिन्ता न करें ।

श्री हरिकेश बहादुर : (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं और इजाजत नहीं दूंगा । बिना मेरी अनुमति कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अच्छा तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री हरिकेश बहादुर ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें आपस में सहयोग करना चाहिये । कृपया अपने स्थान पर बैठ जाये । हमें सहयोग करना चाहिए । हमें काम करना है । माननीय सदस्य बातें कर रहें हैं तथा कहासुनी कर रहें हैं । यह शोभा नहीं देता ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कुछ हरिजनों को जलाये जाने का कथित समाचार

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"9 मई, 1980 को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कफल्टा गांव में कुछ हरिजनों के जलाये जाने का समाचार"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सरकार उत्तर प्रदेश के जिला अलमोड़ा के गांव कफल्टा में 9 मई, 1980 को हुई भयंकर घटना पर खेद प्रकट करती है जिसमें 14 हरिजन मारे गये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

2. उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार घटना 9 मई, 1980 की शाम को घटी, जबकि विरालगांव की एक बारात जिसमें 40 व्यक्ति थे, जो पिपना गांव से होकर कफल्टा जा रही थी, ऊंची जाति के ग्रामीणों ने दूल्हे को गांव से पैदल ले जाने के लिए कहा। इस पर बारातियों और गांव के अधिकांश "उच्च जाति" के लोगों के मध्य कहा-सुनी हो गयी। हरिजन शरण लेने के लिए भाग खड़े हुये और कुछ ने एक स्थानीय हरिजन श्री नर राम के घर में शरण ली। "ऊंची जाति" के ग्रामवासियों ने मकान को आग लगा दी। कुछ की आग से जलकर घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। कुछ अन्य जो विभिन्न दिशाओं में भाग गये थे, उनका पीछा किया गया और उन्हें लाठियों, पत्थरों और तेज-धार वाले हथियारों से पीट कर जान से मार डाला गया। घटना में 14 हरिजन और एक "उच्च जाति" का हिन्दू मारा गया।

3. राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा किया। राज्य सी० आई० डी० अधिकारियों के एक विशेष दल को मामले की जांच-पड़ताल का कार्य सौंपा गया। 33 अभियुक्तों में से जिनके नामों का उल्लेख इस सम्बन्ध में दर्ज किये गये मामले में किया गया था, 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। "उच्च जाति" के 26 अभियुक्त आदमियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/436/302 और "उच्च जाति" की 4 अभियुक्त महिलाओं के विरुद्ध पी० सी० आर० अधिनियम की धारा 4 (4) 4/10/7 के अन्तर्गत 26 मई, 1980 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किये गये थे। घटना में "उच्च जाति" का एक अभियुक्त मारा गया। बाकी दो को अभी गिरफ्तार किया जाना है जिनके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। "उच्च जाति" के के व्यक्ति को हत्या के संबन्ध में दर्ज मामले के संबंध में 3 हरिजनों के विरुद्ध साक्ष्य हैं जिनमें से

दो घटना में मारे गये । शेष एक हरिजन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/302 के अंतर्गत 26 मई, 1980 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

4. राज्य सरकार से कहा गया है कि इस मामले की दिन प्रति-दिन सुनवाई के लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिये उच्च न्यायालय से निवेदन करें ।

5. गृह मंत्री ने गांव विरालगांव और गांव जामर का दौरा किया जहां के कई मृत व्यक्ति थे । गृह मंत्री ने भारत सरकार की ओर से परिवारों के सदस्यों को शोक और सहानुभूति प्रकट करने के अतिरिक्त ग्रामवासियों को यह आश्वासन भी दिया है कि इस बीभत्स हत्याकांड के लिये जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं उन्हें उदाहरणीय दण्ड दिया जायेगा । ग्रामवासियों को यह आश्वासन भी दिया है कि मृतकों के निकट संबन्धियों और क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों के जान-माल की पूर्ण सुरक्षा की जायेगी । गृह मंत्री ने प्रधान मंत्री की तरफ से प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह-पूर्वक अनुदान राहत देने की घोषणा भी की । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2,000 रु० प्रति मृतक की दर से राहत स्वीकृत करने की घोषणा भी की है । गृह मंत्री ने जिला प्रशासकों को तत्काल एहतियाती उपाय करने और कमजोर वर्गों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये शांति समितियों का गठन करने और समुदाय के दोनों वर्गों के बीच सद्भाव और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उत्पन्न करने की सलाह दी है । उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये भी तत्काल उपाय करने के निदेश भी जारी किये हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने मंत्री महोदय का बयान देखा है, जो बहुत ही असन्तोषजनक बयान है । कफल्टा में हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं, हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों का जो इतिहास है, वे उसमें भयंकरतम अत्याचार हैं। बेलची में जब इस प्रकार का काण्ड हुआ था, तो उस समय कांग्रेस (आई) की अध्यक्षता, और मौजूदा प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी, उस स्थान पर देखने के लिये गयी थीं । अब की बार कफल्टा में जो इतना भयंकर अत्याचार हुआ, तो उन्हें जाने का मौका नहीं मिला । उस समय बेचली में जा कर उन्होंने लोगों को अपनी जम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश की थी । आज जबकि जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर है, तो उन्होंने जाने की जरूरत नहीं समझी । गृह मंत्री जी वहां पर गये, मगर वह उस जगह पर नहीं गये, जहां पर यह कांड हुआ था । वह कफल्टा में नहीं गये । इसलिए उनके जाने का कोई मतलब नहीं था । कम से कम जा कर उन्हें इस बात का·····(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मेरा सभा के सदस्यों से एक अनुरोध है । हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा कर रहे हैं । जो कुछ हुआ वह हमारे लिए लज्जाजनक बात है । इसकी खिल्ली कैसे उड़ाई जा सकती है । प्रत्येक सदस्य केवल पीठासीन अधिकारी को ही सम्बोधित करेगा । यदि कोई सदस्य दूसरे सदस्य को सम्बोधित करता है तो मैं उनसे कहूँगा कि वह बैठ जायें । अतः कोई सदस्य सीधे दूसरे सदस्य को सम्बोधित न करे ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : माननीय सदस्य ने कहा

**इसको कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिए (व्यवधान)

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही में देखूंगा। यदि उसमें कोई निन्दात्मक बात हुई तो मैं उसको निकाल दूंगा।

श्री सी० पी० एन० सिंह : ***उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये। सदस्य से उस टिप्पणी को वापिस लेने को कहा जाना चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : प्रधान मंत्री के ऊपर यह कलंक हैं जो हरिजनों की हत्यायें होती हैं।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ सोनकर शास्त्री (**सैदपुर**) : श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस हाऊस में यह कहा था कि इस सदन को मैं यह आश्वासन (एश्योर) नहीं दे सकती हूं कि ऐसी घटनायें होंगी।

(**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत (**पूर्व दिल्ली**) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपना ध्यान नियम 197 (2) की ओर आकर्षित करता हूं। "ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये यदि वाद-विवाद नहीं होगा किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गयी हो, अध्यक्ष की अनुमति ये एक प्रश्न पूछ सकेगा,, बस। यही कार्य-क्षेत्र है। (**व्यवधान**) आप इसको वाद विवाद में बदल रहे हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को छींठा-कशी करके वाद-विवाद का विषय बनाया जा रहा है। वे केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। और कुछ नहीं। मैं इस विषय में आपका विनिर्णय चाहता हूँ। वह आक्षेपपूर्ण भाषण दे रहे हैं। वह प्रश्न पूछें।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने भाषण के बाद वह अपना प्रश्न भी करेंगे। हमारी सभा की यही प्रक्रिया है। हर कार्य ऐसा करता है।

श्री एच० के० एल० भगत : इसको वाद-विवाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण के बाद प्रश्न होगा।

वित्त उपमंत्री (**श्री भगन भाई बरोट**) : माननीय सदस्य जो वहां बैठे हैं, न की गई अपराधित कार्यवाही में शाकिल होने अथवा इसमें साथ देने का सीधा आरोप लगाया है। किसी भी सदस्य का इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी सदस्य अथवा सरकार के किसी सदस्य के विरुद्ध इस तरह के आरोप लगाये।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही को देखूंगा। यदि उसमें कोई निन्दात्मक बात पाई गयी तो मैं उसको उसमें से निकाल दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करूंगा।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अपना तात्पर्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी हां, उस पर जो कि अभी-अभी कहा गया है । (व्यवधान) आपको सभा में व्यवस्था लानी होगी । मैं चौथी बार लोक सभा में चुनकर आया हूं । ऐसा आज तक नहीं हुआ कि व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर किसी मंत्री ने स्थान से उठकर अव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश की हो ।

महोदय, संसदीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध दो मंत्री हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अधीन बोल रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 376. महोदय, संसदीय कार्य मंत्रालय में दो मंत्री हैं ; यदि सरकारी पक्ष को पीठासीन अधिकारी से कोई बात कहनी या उसको कोई बात प्रस्तुत करनी है, तो यह कार्य उन दो संसदीय कार्य मंत्रियों का है कि वे उसको सुनिश्चित करें । वे यह कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं ? यह अपमानजनक है ।.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । विषय समाप्त हुआ । अच्छा, श्री हरिकेश बहादुर,

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मैं इस बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्यों को भड़काने वाली कोई बात कहने नहीं जा रहा हूँ । उनको किसी बात से भड़कना नहीं चाहिये और धैर्य रखना चाहिये । इस संबन्ध में मैं बस यही कहना चाहता हूं ।

मैं यह कह रहा था कि अभी हमारे गृह मंत्री जी वहां पर गए थे लेकिन उस मुख्य जगह पर नहीं गये जहां पर यह सारी घटना हुई । अगर वे वहां पर गये होते तो शायद उन लोगों को बहुत ही ढ़ाढ़स होता और उनका धीरज बढ़ाने में इनकी भूमिका काफी सराहनीय होती परन्तु इन्होंने वहां पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी ।

स्टेटमेंट में कहा गया है कि अभी तक उन अपराधियों में से कई को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है । यह हरिजनों के प्रति आपका प्रेम है कि आज तक आप अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सके हैं । आपका शासन वहां पर था, राष्ट्रपति का शासन वहां पर था और वहां के गवर्नर हरिजनों के हकों की रक्षा भी नहीं कर पाये हैं । हरिजनों के हितों की रक्षा वे नहीं कर पाये हैं बल्कि उन्होंने इनके खिलाफ आचरण भी किया है जिसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ।

साथ ही साथ यह बात भी कही गई है कि एक स्पेशल जज की इंक्वायरी वहां पर नियुक्त की गई । यह जज की नियुक्ति क्यों की गई, तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसका कारण यह था कि चुनाव वहां पर हो रहे थे और अगर कोई कार्यवाही की जाती तो सवर्णों के वोट कट जाते । इसलिए तुरन्त कार्यवाही करने की बात नहीं सोची गई बल्कि जुडिशियल इन्क्वायरी की बात कही गई ताकि यह काम लम्बे समय तक पड़ा रहे ।

आज के शासन में हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके और भी बहुत से उदाहरण हैं । इस देश के संविधान में हरिजनों के संरक्षण की बात कही गई है और यह केन्द्रीय सरकार

की जिम्मेदारी है कि इस सम्बन्ध में वह तुरन्त कार्यवाही करे। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में हरिजनों पर हमला जिसमें 8 मारे गये। मध्य प्रदेश में एक हरिजन की हत्या। हरिजनों की उग्र भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज। बंगलौर में..... (व्यवधान)।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर): महोदय, वह एक समय में केवल एक ही प्रश्न कर सकते हैं। वह प्रश्न को अन्य बातों के साथ नहीं मिला सकते (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर आप केवल मंत्री से ही स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ... (व्यवधान) श्री हरिकेश बहादुर, कृपया विषय से न हटिये।

श्री हरिकेश बहादुर: हरिजनों के घर फूंके गये कानपुर में। साढ़े तीन सौ हरिजन बांडेड लेबर बन कर काम कर रहे हैं जिसके सम्बन्ध में रिप्रेजेन्टेशन भी गया। इन तमाम सवालात का जवाब सरकार को देना होगा। तमाम हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और यह सरकार हमेशा हरिजनों के लिए आंसू बहाती रहती है। क्या उनके वोट बटोरने के लिए ही सारी बातें कही जाती हैं? आजतक उन अपराधियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया—इसका जवाब आप दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि बांडेड लेबर समस्या के अन्त के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जो एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हरिजनों को वोट तक देने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने खुली बात कही थी की हम मिलीजुली सरकार नहीं बनने देंगे और साथ-साथ अधिकारियों से कहा था कि कांग्रेस (आई) को जिताने के लिए वे काम करें। वहां पर जो हरिजन कांग्रेस (आई) को वोट नहीं देना चाहते थे उनको वोट देने के लिए जाने नहीं दिया गया। क्या हरिजनों की सुरक्षा के लिए आप कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसका भी आप जवाब दें।

श्री योगेन्द्र मकवाना: माननीय सदस्य ने तीन सवाल उठाए हैं। उनमें से एक माननीय मन्त्री के दौरे से सम्बन्धित है। गृहमन्त्री ने उन दो गांवों का, पीड़ित लोग जहां के रहने वाले थे, दौरा किया। माननीय सदस्य महोदय का कहना है कि गृह मन्त्री को घटना स्थलों का दौरा करके उन्हें (पीड़ितों को) सांत्वना देनी चाहिए थी। मैं उनको बतलाता हूँ कि उन्हें सांत्वना उस गांव में जाकर दी जानी थी जहां वे रहते हैं और माननीय गृह मंत्री ने उस स्थान का दौरा किया है। और उनको सांत्वना दी है।

दूसरा सवाल है कि गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई। 33 अभियुक्तों में से 30 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की मृत्यु हो गई और केवल दो फरार हैं। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने उनको कब गिरफ्तार किया?

श्री योगेन्द्र मकवाना: दो या तीन दिन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

तीसरा प्रश्न जो उन्होंने उठाया है वह बंधुआ मजदूरी के बारे में है। यह सरकार बंधुआ मजदूरों को उनकी दासता से मुक्त करने के लिए सभी कार्यवाही कर रही है।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : श्रीमन्, यह दुखद घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घटित हुई थी। यह सदन को जानकारी है ···(व्यवधान)··· ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम बहुत स्पष्ट है। ऐसा कोई भी सदस्य, जिसका नाम यहां नहीं दिया गया है, ध्यान आकर्षण में भाग नहीं ले सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अलमोड़ा जिले के कफल्टा ग्राम में आज जो हृदयविदारक घटना हुई है और उसको लेकर सदन में चर्चा हुई है। उससे एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हरिजनों पर अत्याचारों के मामले को हम राजनीतिक रूप देने की कोशिश न करें। जिन्होंने बेलछी और नारायण पुर के काण्ड को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की थी, वही कफल्टा में हुई घटना पर किस तरह से आज पर्दा डालकर और दृष्टि से ओझल करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति राज था, राष्ट्रपति राज के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं इसे कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनाना चाहता हूं, यह हजारों सालों की कुरीतियों का नतीजा है। इस भेदभाव से अगर लड़ना पड़ेगा ·····(व्यवधान)·····उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से कार्यवाही नहीं चल सकती·····(व्यवधान)·····अगर आप इनको चुप नहीं करा सकते तो·····(व्यवधान)····· ।

श्री हरीश रावत : श्रीमन्, यह दुखद घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घटित हुई थी। यह सदन की जानकारी है ·····(व्यवधान)····· ।

(व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब शान्त हो जाइये। अपने स्थान पर बैठिये। मेरी बात सुनिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हर बात की एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं बोल रहा हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्जफर पुर) : क्या आप इन लोगों को हमारा समय व्यर्थ करने की अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अब कृपया आप सदन की बैठक स्थगित कर दें और तब निर्णय करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आप सबकी बातें सुनूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यहां एक शक्तिशाली गुट है जो संसद को तोड़ने पर तुला हुआ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस तरह से नहीं बैठेंगे, कल आप देख चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से रहेंगे, तो बात नहीं होगी। इसलिए आप लोग पहले बैठिये।

प्रो० मधु दण्डवते : आप सदन को स्थगित कर दें। आप सदन के नेता और गुटों के नेताओं को बुलाइए और तब निर्णय कीजिए। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न किया जाये।

(व्यवधान)**

आप बैठिये। इसके बाद ही सारी बातों को सुनेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे।

(व्यवधान)**

आप मेरी बात सुनें, आप मेरी बात सुनते ही नहीं (व्यवधान)**

आप बैठेंगे तो सारी बात होगी। आप तो सुनते ही नहीं।···(व्यवधान)···**

वे तो चुप बैठे हैं और आप बोल रहे हैं। जब कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ।···(व्यवधान)···**

श्री राम विलास पासवान : रोज हरिजनों की हत्याएं हो रही हैं, क्या ये हाउस में हल्ला करेंगे? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठें तो बात होगी। (व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अम्बाला) : हरिजनों पर इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं और यहां हमारी जबान को रोका जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। (व्यवधान) पता नहीं आप क्यों नहीं बैठते हैं? (व्यवधान) वह भी आ गये हैं। (व्यवधान) मि० जार्ज, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप सारी शिष्टताओं से बाहर जा रहे हैं। (व्यवधान) मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह गलत बात है । यह अच्छा नहीं है । यह बिल्कुल गलत है । आप जब तक स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कोई बात नहीं चल सकती । (व्यवधान) आप बात करेंगे तब बात होगी । ऐसे नहीं चलेगा । अब आप बैठिये तब बात चलेगी । (व्यवधान) आज सदन का नेता भी सदन में उपस्थित है । आप कह रहे हैं कि सदन का नेता यहाँ नहीं है । अब सदन का नेता उपस्थित है ।

(व्यवधान)

जो कुछ ये कर रहे हैं, वह ठीक है क्या ? (व्यवधान) आप बात तो सुनिये (व्यवधान) वाजपेयी जी आप तो बडे विद्वान् हैं । आप इन्हें बैठाइये और बात करें । फिर बैठ कर काम करें । यहां इस तरह से नारेबाजी होती है (व्यवधान)····· वे तो चुप हैं । (व्यवधान) आप निर्धारित सीमाओं को उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं । (व्यवधान) मैं बैठक बुलाऊंगा लेकिन अभी नहीं । अवकाश के बाद मैं बैठक बुला रहा हूं, अभी नहीं ।

आप भी तो नहीं मानते हैं । आप बैठ कर बात करिये । (व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा । आप बैठिये और बैठने के बाद करिये । फिर मैं भी बात करूंगा । (व्यवधान)

श्रीमन जार्ज, आप नियंत्रण से बाहर जा रहे है । मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा ।

आप बठेंगे तभी बात होगी, नहीं तो कैसे होगी ? इसे न मैं सुन सकता हूँ और न कोई और सुन सकता है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आप बोलिए । सारा हाउस आपको सुनने के लिए तैयार है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे बोलने के लिए पुकारा गया था लेकिन···(व्यवधान) आप सदन में नहीं होंगे तब क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बैठा हूँ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मामला एक बार तय हो जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : तय होगा लेकिन इस तरह से नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मीटिंग बुलाइये ।

अध्यक्ष महोदय : बुलाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं । बाद में बुलाऊंगा । पहले हाउस का काम होना चाहिए (व्यवधान) ।

आप करेंगे तब भी वही है, वे करेंगे तब भी वही है । आप बैठिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं मैं एक बैठक बुलाऊंगा । मैं नेताओं की एक बैठक बुलाऊंगा, लेकिन इस तरह नहीं ; हमें अब कार्य करना चाहिए । मैं बैठक बुलाऊंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप अभी बैठक बुलाइए·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप फिर वही कर रहे हैं।.....(व्यवधान) एक बुरी चीज हर जगह बुरी चीज रहती है, एक बुरी बात, एक अवैध बात हर जगह वैसी ही रहती है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्नकाल में, जब उन्होंने प्रश्न पूछे थे, क्या हममें से किसी ने हस्तक्षेप किया ? लेकिन जब हम प्रश्न कर रहे थे, जो उनको परेशान करने वाले थे, तो उन्होंने चिल्लाना और रोका-राकी करनी शुरू कर दी है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मीटिंग कर लेते हैं, आप बैठिये।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : कांग्रेस की नेता बैठी हुई हैं। अगर हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा तब श्रीमती इंदिरा गांधी को भी एक मिनट भी बोलने नहीं दिया जाएगा। प्रधान मन्त्री जी बताएं कि हम लोगों को बोलने दिया जाएगा या नहीं —(व्यवधान) हरिजनों का सवाल आता है तो सत्ता पक्ष के लोग चिल्लाने लगते हैं लेकिन हमें बोलने नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलने के लिए कह तो रहा हूं। वाजपेयी जी, आप बोलें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, आप अभी एक बैठक बुलाइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बैठक बुलाऊंगा, लेकिन इस तरह नहीं। मैं बाद में बैठक बुलाऊंगा।

श्री जगपाल सिंह : वह श्री संजय गाँधी को मना कर दें तो ये सब लोग चुप हो जाएंगे (व्यवधान)।

श्री मनीराम बागडी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग खिलाफत नहीं कर रहे हैं। हम लोग मदद कर रहे हैं। सदन को कायदे से चलना चाहिए। उसके लिए सहन शक्ति जरूरी है कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की किसी से नहीं हैं। उनका भी काम है कि कोई बात जो देश हित में हो उसको वे यहां रखे और हमारा भी काम है कि देश हित की बात को हम यहां रखें। उसमें टोका-टाकी भी चला करती है, लेकिन उस सीमा पर नहीं कि किसी को अपमानित करना है, या उसकी बात को नहीं कहने देना है। जब हम सरकार में थे (व्यवधान)

जब यहां इंदिरा जी अपोजिशन में थीं जब इनकी बातों को नहीं चलने दिया गया, यहां पर घेराव किया, हम वहां से उस बेंच से उठे, हमने कहा कि विरोधी-पक्ष को अधिकार है अपनी बात कहने का, और इनको अपनी बात कहने देना चाहिए। अगर अब शासन के लोग, जिनके पास शक्ति भी होती है, डंडा भी होता है और वही चिल्लाये भी सबसे ज्यादा तो यह बात गलत है। मेरा कहना है कि जबान को लम्बी मत करो, जबान को छोटी करो। विरोधियों के पास सिर्फ जबान होती है। (व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणी : इस तरह सदन का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आपकी सही है, आपको कहना चाहिए।

श्री मनीराम बागडी : अध्यक्ष जी, यह बात नहीं है कि हम सदन चलाना नहीं चाहते हैं। देखिये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पनीराम जी, ठीक है, मैं एग्री करता हूं, आपसे । मैं आपकी बात मानता हूं, यह सही बात है कि विरोधी पक्ष से मिलकर चलना चाहिए । यह सभी को मानना चाहिए, समान बोलने का सब को हक होना चाहिए, बराबर की बात होनी चाहिए । इज्जत होनी चाहिए, मान होना चाहिए । देश के लिए अपोजिशन को भी बोलना चाहिए, उनकी सुननी भी चाहिए और आपको भी बोलना चाहिए और आपकी बात उनको सुननी चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : एक मीटिंग बुलाइये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं करूंगा मीटिंग । आप नहीं मान रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप तो शुरू से कह रहे हैं, लेकिन मानता कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं मानते हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एक तरफा कैसे चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : दोतरफा ही चलेगा । हमने आपकी बात आराम से सुनी है ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बागडी ने कुछ बात कही है वह ठीक है । आप मीटिंग बुलाइए; हम तैयार हैं । लेकिन सदन में कार्यवाही तो चले ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बात कर ली है ।

श्री राम विलास पासवान : यह थर्ड पार्लियामैंट चल रही है; पिछले तीन बार का एक्स-पीरिएंस देखा है, लेकिन एक गिरोह है जो कि बोलने नहीं देना चाहता है ।

अध्यक्ष महोदय : इन्हीं के साथ बैठकर फैसला करना है, हम मेम्बर तो बदल नहीं सकते हैं ।

श्री चन्द्र जीत यादव : लेकिन काम का तरीका तो बदलना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो देखा जाएगा, लेकिन फैसला आपको ही करना है ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र जीत यादव : हम लोग सहयोग कर रहे हैं, हम लोगों की कोई गलत भावना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें पारस्परिक समझौता करना चाहिए ।

श्री चन्द्र जीत यादव : जैसा कि मैंने कहा, काम के तरीके को कैसे बदला जा सकता है ···(व्यवधान) यह क्या है ? हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित किया जाता है ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए

दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैंने सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की परन्तु सभी दलों के नेताओं के यहां आने के बाद मैं उसको संक्षेप में बताऊंगा। हम पांच से दस मिनट तक उनकी प्रतीक्षा करते है। वे यहां आ रहे होंगे।

एक माननीय सदस्य : आ गए सब।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं आए हैं। अभी श्री चव्हाण को आना है और भी कुछ लोग रह गए हैं।

कुछ समय के लिए हम कार्यवाही शुरू करते हैं। श्री चव्हाण को छोड़कर, जोकि आ रहे है, अन्य सभी यहां उपस्थित हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दल के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयी बोल रहे थे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह मामला तय हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : वह हो जाएगा।

एक माननीय सदस्य : जितने लोग हैं, वे कहेंगे। आखिर कब तक इसको रोकेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण आ गए हैं। सम्माननीय सदस्यों, यहां हल्ला-गुल्ला हो रहा था और यदि हमें कुछ सारगर्भित और ठोस चर्चा करनी है तो हमें एक-दूसरे का सहयोग अवश्य करना चाहिए और इसी उद्देश्य से मैंने सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की थी।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभी के साथ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अभी आप हमारे साथ शामिल होइए। यह सभी के हित के लिए सर्वमान्य दृष्टि है और किसी को इस तरह के प्रयास से अलग नहीं रखना चाहिए.....

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : किसी को इससे अलग नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे उस रूप में न लें।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह उसी रूप में है।

अध्यक्ष महोदय : हम हमेशा आपका स्वागत करते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : लास्ट सेशन में भी आपने ऐसा मुझे कहा था कि हम आइन्दा बुलाएंगे लेकिन आज फिर भी नहीं बुलाया गया। किसी भी कंसल्टेशन में हमें याद नहीं किया जाता है।

यह हद से ज्यादा है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा । अब मैं सदन के सभी सदस्यों से सहयोग करने की अपील करता हूं और चूंकि सभी नेता उपस्थित हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपको भी सहयोग करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम बहुत अधिक सहयोग करते हैं । मैं सम्माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करूंगा कि उन्हें कुछ संयम बरतना चाहिए । बिना पता लगाए और बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कही जानी चाहिए । किसी के भी विरुद्ध कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए जो कि तथ्यों पर आधारित न हो । इसलिए, आप सभी से अनुरोध करता हूं, और तब मैं सदन के नेता, प्रधानमंत्री से कहूंगा कि वे कुछ कहने की कृपा करें ।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, हम हमेशा ही सदन के समुचित और सुचारु रूप से कार्य किए जाने और साथ ही इसकी प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे है । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यही हमारी, संसद और हमारे लोकतंत्र के कार्य पद्धति का सार है । मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती हूं जिसे विवादास्पद समझा जाए । परन्तु आपने देखा होगा कि जब यहां हो-हल्ला होता हैं, उस समय, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ होता है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अनिवार्यतः नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह तथ्यात्मक नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा प्रत्यक्ष रूप से वहीं से हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए । उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्रीमन् ज्योतिर्मय बसु, कृपया सुनिए । मेरा प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वे इस बात को नोट करें कि सम्माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु कितनी बार खड़े हो जाते हैं । यही सब कुछ मैं कहना चाहती हूं । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारे कुछ निर्धारित कर्तव्य है, कोई दूसरी बात नहीं । हम इन्हीं को पूरा करते है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : बदनामी निंदा मत कीजिए । आप सदन की बदनामी कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप सदन में नहीं थे । प्रधानमंत्री को सदन की कार्यवाही का रिकार्ड दिखाया जाय, आज क्या हुआ । यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस की, जिसमें श्री वाजपेयी का नाम सूची में दूसरे स्थान पर था । उन्हें बुलाया गया था । तभी दूसरी तरफ से कुछ सदस्य उठ खड़े हुए और उन्होंने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया और हमें बोलने नहीं दिया । यह सब कुछ यहां हुआ ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्रीमन् चन्द्रजीत यादव, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि यदि श्री वाजपेयी के बोलने के समय बाधा पैदा की गई। परन्तु जो मुझे बताया गया है कि उन्हें क्षुब्ध करने की कोई मंशा नहीं थी, परन्तु जो पहले कहा गया उसके कारण ऐसा हुआ था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तथ्यों को तोड़-मोड़ कर प्रस्तुत करना है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वहां यहां बदनामी थोक रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका सहयोग चाहता हूं। हमें साथ-साथ रहना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वाजपेयी का नाम दूसरे स्थान पर था। श्री हरिकेश बहादुर बोल रहे थे। उनके बोलने के दौरान लगातार व्यवधान पैदा किया जा रहा था। जब अध्यक्ष महोदय ने श्री वाजपेयी को बोलने के लिए कहा तो वहां से दो सदस्य उठ खड़े हुए और नारेबाजी की, उन्हें बोलने से रोकने के लिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मुझे अवश्य कहना चाहिए। हम आपसे आपके कक्ष में मिले थे और यह धारणा लेकर वहां से निकले थे कि प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों के आचरण के लिए जिम्मेदारी लेते हुए यहां एक वक्तव्य देंगी। महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह इस लोकसभा का तीसरा सत्र है। महोदय, पहले सत्र में, पहले दिन यहां एक विधेयक आया था और मैं उस से बोला था जबकि आप उस समय पीठासीन थे। प्रधानमंत्री ने सदन के अभिलेखों और अन्तिम कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसका उल्लेख किया। महोदय, अब मैं सुझाव देता हूं कि हम उस अभिलेख को देखें और पता लगाएं कि पांच मिनट के भाषण को देने में यहां बीस मिनट कैसे लगे और क्या इसमें कोई बात आपत्तिजनक थी.....

अध्यक्ष महोदय : हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप कह रहे है—हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए, लेकिन भविष्य अपरिहार्य रूप से अतीत से जुड़ा हुआ होता है। आज हमें इस प्रश्न पर दृढ़ रहना है क्योंकि यह चालू लोकसभा का तीसरा सत्र है। विगत में हम पहले दो सत्र पूरे कर चुके हैं। उनमें सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने इस मामले पर एकता का रुख अपनाया है..... (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इस पर बहस हो। उनमें किसी भी मामले में समूचे प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष के प्रमुख वक्ताओं को बोलने से रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों का एक हो जाने का रवैया रहा है। हम रिकार्ड देख सकते हैं। महोदय, मेरा सुझाव है कि हम आपके कक्ष में एक बैठक करें। हम रिकार्ड देख सकते हैं। मैं तैयार हूं बशर्ते आप या तो आप अपने कक्ष में अथवा अन्य किसी दूसरे स्थान पर एक बैठक करने का सुझाव दें तभी हम प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसे मान सकते हैं, और रिकार्ड देख सकते हैं। इन सब बातों के बावजूद, सवाल इस बात का नहीं है कि क्या हम किसी को कुछ करने के लिए उत्तेजित करते हैं। (व्यवधान) हां, सभी बातें दुतरफा होती है, परन्तु कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल इकतरफा होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : अतीत को हमें भूल जाना चाहिए, और भविष्य के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपका रास्ता इकतरफा है। इसलिए महोदय, जब हम आपसे आपके कक्ष में मिले थे, हमने यह कहा था और हम कहते हैं कि हम आपके साथ सहयोग करना

चाहते हैं, हम चाहते है कि सदन कार्य करें·····(व्यवधान) हम चाहते हैं कि इस सदन को इस तरीके से बदनाम न किया जाए जैसा कि किया जाता रहा है·····(व्यवधान) माननीय महोदय अपनी बात कहें·····(व्यवधान) प्रश्न यह है, और यही मुद्दा हैं। मेरा निश्चित दृष्टिकोण है। वे मेरे दृष्टिकोण से असहमत हो सकते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए मेरी कुछ अपनी राय है और करने के लिए निश्चित तर्क हैं। आप उनका विरोध कर सकते हैं। (व्यवधान) बहस के दौरान नुक्ताचीनी तो होती है। मैं इसका आनन्द उठाता हूं और इसका स्वागत करूंगा, परन्तु अड़ंगेबाजी का नहीं। अड़ंगेबाजी टोकाटाकी से पृथक है। आप टोका-टोकी करते हैं यदि मुद्दे हों, यदि वहां तर्क हों और यदि आप एक प्रतिरोधात्मक तर्क दें और टोकाटाकी करना चाहें तो करिए। यदि आप ऐसे किसी प्रश्न पर, जिसे कि हम में से कोई कर रहा हो, सांख्यकीय आधार पर, रिकार्ड के आधार पर और कार्य निष्पादन के आधार पर बहस करना चाहते हों तो करिए। परन्तु अड़ंगेबाजी मत कीजिए। अड़ंगेबाजी एक अलग चीज है। इसलिए, मैं प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर अपना गहरा क्षोभ व्यक्त करता हूं। मुझे उनसे यह आशा थी कि वह अपने दल के सदस्यों के आचरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगी। महोदय, आपको हमसे अपेक्षा थी कि दल का नेता होने के रूप में अपने दल के सदस्यों के आचरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारे दल का सम्बन्ध है, हम इस बात के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय . प्रत्येक दल को।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यही तर्क मैं दे रहा हूं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अपने दल के सदस्यों की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूं ; परन्तु मुझे आशा थी कि·····के बाद·····(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : इस के बाद भी·····इसी तरीके से वे कार्य करना चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपके कक्ष में आपसे मिलने के बाद मुझे आशा थी कि प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों के आचरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगी। वास्तव में मैं नहीं जानता कि क्या संसदीय कार्य मंत्री यह पसंद करेंगे या नहीं कि उन्होंने जो कुछ सदन में कहा और जो कुछ आपके कक्ष में कहा, मैं उसका उल्लेख करूं। मैं उनके कथनी का हवाला देकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। परन्तु हमें प्रधानमंत्री से यहां आने और उस आशय का वक्तव्य देने की आशा थी, और वह वैसा वक्तव्य नहीं दे रही हैं। जो कुछ वे कह रही हैं वह यह है कि इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया है। निःसन्देह, उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया है। उससे क्या जाहिर होता है ? यह हमेशा ही प्रतिक्रिया है, और उसमें क्रिया कोई नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह बात को तोड़ना-मरोड़ना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तोड़ना-मरोड़ना ! यह तोड़ना-मरोड़ना क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि हम नियमों को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं ; (व्यवधान) और हम इसे बनाए रखेंगे। हम केवल एक शुरुआत कर सकतेहैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह मुद्दा है, आप प्रतिबद्ध हो सकती है। परन्तु वे नहीं हैं, परन्तु वे नहीं है, और सारा का सारा संगठन·····(व्यवधान) वे न तो ऐतिहासिक दृष्टि से और न भौगोलिक दृष्टि से प्रतिबद्ध है·····(व्यवधान) मैडम प्रधानमंत्री आप प्रतिबद्ध हो सकती हैं ; इसके लिए मैं आपकी बात पर भरोसा करने को तैयार हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हस्तक्षेप मत कीजिए।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी,·····

श्री भीष्म नारायण सिंह : एक ही पार्टी के दो सदस्य ?

श्री मनी राम बागड़ी : मेरी पार्टी के चार सदस्य हैं। मैं अपनी पार्टी का नेता हूँ। वैसे मैं आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार हूं, आप से तो कम से कम हूं ही।

अध्यक्ष जी, जो आपने बात की थी, वह बात इसलिए की थी कि टेस्ट न बिगड़े। नेता लोग अपनी जिम्मेदारी को देखें, टेम्ट को बिगाड़ें नहीं और अपने मेम्बरों को अनुशासन में रखकर सदन की कार्यवाही को चलायें। अगर एक दूसरे पर नेता ही आरोप लगाते हैं कि इसलिए ऐसा चला, इसलिए ऐसा चला, तो यह इसलिए भी होगा और चलेगा भी। फिर जो आपने मीटिंग की थी, उसका मतलब मेरी समझ में नहीं आता।

प्रधान मंत्री जी को सिर्फ एक बात कहनी चाहिए थी कि सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाना, और उसमें मदद करना सबका फ़र्ज है और मैं सदन की नेता हूँ, इसलिए सबसे अधिक मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे दल का कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। बात यह होनी चाहिए थी, लेकिन वह यह कहते हैं कि·····(व्यवधान)·····आप एक तरफ दल की नेता हैं और दूसरी तरफ हाउस की नेता हैं, चाहे कोई भी कुछ कहता हो, जिम्मेदारी सामूहिक रूप से सबकी होगी। आपका यह फैसला हुआ था कि पुरानी बातों को न छोड़ते हुए बात यह करेंगे कि लीडर-आफ-दी-हाउस यह विश्वास दिलायेंगे कि मेरी पार्टी का आदमी कोई ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे सदन के काम में रुकावट हो और इसी तरह से सब लोग विश्वास दिलायेंगे। आप एक दूसरे को मुजरिम ठहराते हो और कहते हो कि किस लिए होगा, इसलिए होगा। इस पर तो कमीशन बैठाओ, जो बिठाते आए हो·····(व्यवधान)·····इससे कुछ होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आप से निवेदन करता हूं और ईमानदारी की बात यह है—जैसा आप ने भी कहा था और हर आदमी ने कहा था—कि गरीबों की बात सदन में आये, देश का भला हो, जिन्होंने हम को चुन कर भेजा है उन की बात यहां रखी जाय, हमारे मत में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन उस में भी थोड़ी-बहुत लीनियेन्सी सरकारी पक्ष को दिखानी चाहिये।

उस वक्त बात यह थी कि दो-हर्फी बात सब सदन में कहें—जो घटना घटी है, वह शोभनीय नहीं है, वह अब कभी नहीं घटेगी, मेरे दल की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। सब नेता लोग यह बात कहते। लेकिन यह कहना कि यह मुजरिम है, वह मुजरिम है, ऐसी हालत में तो सबसे बड़ा आदमी ज्यादा मूजरिम है, जिसकी ज्यादा ताकत है, वही मुजरिम है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मै मानती हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब हम आप के कक्ष में गए·····एक गलत धारणा बनाई जा रही है और मैं यह बताना चाहता हूं कि·····हमने सदन के नेता से एक आश्वासन चाहा था, एक साधारण आश्वासन कि उनके दल के लोग·····

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि आप अपनी बात समाप्त करें, श्री बागड़ी ने जो कुछ भी कहा, प्रधान मंत्री ने उस बात का समर्थन किया ; उन्होंने ऐसा कहा था।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं वाजपेयी जी को वही बात बताना चाहती कि मुझे बताया गया है कि उक्त टिप्पणियां उनके विरुद्ध नहीं थीं। मैं यही बात उन्हें बताने का प्रयास कर रही थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया मुझे बोलने दिया जाए। जब हम आपके कक्ष में गए, तो विरोधी पक्ष के सदस्य कम से कम चाहते थे·····

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे है ? आप तो उस दल के संरक्षक बन गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पूरे सदन के।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस बात को सुनकर प्रसन्न हूं। जब आपके कहने पर विरोधी पक्ष के सदस्य आपके कक्ष में गए थे तो उन्होंने केवल यह मौखिक आश्वासन चाहा था कि उनकी (श्रीमती गांधी) पार्टी के सदस्य ऐसा आचरण नहीं करेंगे जो वे कर रहे थे, जो वे आज प्रातः से कर रहे है, तथा इसके बदले हम भी सहयोग करेंगे। मैं ऐसे दल से सम्बंध रखता हूँ जिस पर मुझे गर्व है। मेरे दल में, सही अर्थों में अनुशासन है·····(व्यवधान) वे उस दल से सम्बद्ध हैं जिसका काम बाधा डालना है। जब तक हम संसदीय प्रणाली में रहते हैं, मेरा दल प्रयत्न करेगा, हम सत्तारूढ़ दल के कदाचारों का पर्दाफाश करने तथा लोगों को यह बताने के लिए कि वे (सरकार) कहां तथा किस प्रकार असफल हो रहे हैं, अपना भरसक प्रयत्न करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह बाधा डालना, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं चाहता, यदि चलता रहा, हम इसे मय चक्रवर्ती व्याग के रूप में करेंगे·····

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अतीत में जाना आवश्यक नहीं है। किंतु आपकी तथा उन सदस्यों की जानकारी के लिए जो कल सदन में उपस्थित नहीं थे, मैं मात्र बताना चाहता हूँ····· (व्यवधान)

यहां प्रश्नोत्तर काल होते रहे हैं, ध्यानाकर्षण नोटिस पर चर्चा होती रही है, सामान्य चर्चा होती रही है तथा इस सदन की यह परम्परा रही है कि संसदीय प्रत्युत्तर सदैव अनुज्ञेय हैं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं और यदि कोई संसदीय प्रत्युत्तर देता है तो मैं इसका आनन्द उठाऊंगा तथा मैं इसका उत्तर दूंगा। किंतु हो क्या रहा है वह यह है कि·····।

अध्यक्ष महोदय : हमें उसे दूर करना है ।

प्रो० मधु दंडवते : हमें अतीत से भविष्य की शिक्षा लेनी चाहिए (व्यवधान) । आपकी अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ वह मात्र सदन के एक वरिष्ठ सदस्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही नहीं हुआ, जब मैं प्रश्न पूछ रहा था तथा माननीय मंत्री महोदय, काफी धैर्य रखे ही थे तथा वे उत्तर देने के लिए तैयार थे, इससे कुछ सदस्य विषय स्थिति में पड़ गए और उन्होंने बाधा डालनी शुरू कर दी । यही बाधा उपस्थित करना आपत्तिजनक है । मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि सदन का नेता अपने वायदे पर वचनबद्ध है कि जहां तक उनके दल के सदस्यों का सम्बन्ध है, सदन के सुचारू कार्यकरण में कोई बाधा न होगी । जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : मधु, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मामले को तूल देने की कोशिश न करें ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं शब्दों के प्रयोग में बड़ी सावधानी बरतता हूँ । अतः मैंने कहा—यदि वह अपने वायदे पर वचनबद्ध है तथा इस बात का ध्यान रखते है कि जहां तक उनके दल के सदस्यों का सम्बन्ध है, उनकी ओर से कोई रुकावट नहीं डाली जायेगी, तो जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, तो मैं आपको इस सदन का वक्ता होने के नाते विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारी ओर से कोई रुकावट न डालो जायेगी । किन्तु रुकावट एक और बात है और संसदीय प्रत्युत्तर भिन्न बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हू ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं नहीं समझता कि मजाक का अर्थ बाधा लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : हम भेद करेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : इसके विपरीत मजाक प्रशान्तिक एवं समानता—दोनों का ही काम करता है ।

अध्यक्ष महोदय : मजाक को हम पसन्द करेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन के नेता अपने वायदे पर दृढ़ रहते हैं, जैसा कि अन्य नेताओं ने कहा है, हम सदन में गौरव और गरिमा को बनाये रखेंगे तथा हमारी ओर से कोई बाधा न डाली जायेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफ़सोस है कि आज सवेरे जो कुछ हुआ, उस की सही रिपोर्ट प्रधान मन्त्री जी को नहीं मिली । अगर मिली होती, तो उन्होंने जो कुछ कहा शायद वे न कहतीं । बात केवल आज की नहीं है । कल आप सदन में मौजूद थे और आपने स्वयं देखा कि मुझे बोलने की इजाजत आप ने दी थी मगर मेरे लिए सदन में बोलना संभव नहीं था । मैं सदन में नया नहीं हूँ । 1957 से मैं संसद् का सदस्य हूं । मैं कभी उपद्रव नहीं करता, कभी मैं टोका-टाकी नहीं करता, कभी मैं कमर के नीचे मार नहीं करता लेकिन

अगर सदन में बोलने से रोका जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो सदस्य बोलने से रोक रहे हैं वे नहीं चाहते कि इस सदन में चर्चा हो, बहस हो? लोकतंत्र चलेगा, तो वाद-विवाद से चलेगा, हल्ले-गुल्ले से नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से चाहूंगा कि आप दो चीजों में अन्तर कीजिए। कभी-कभी जीरो आवर में हम अधिक उत्तेजना दिखाते हैं और आप से आग्रह करते हैं कि हमें कुछ मामले उठाने की इजाजत दीजिए लेकिन हमारी उस उत्तेजना में हमारे ये सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्य हमें बोलने से रोकते हैं, तो उस बात को एक स्तर पर रख कर देखा जाना चाहिए। हमने कभी सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य को बोलने से रोकने की कोशिश नहीं की और न करेंगे।

कई माननीय सदस्य : की है आप ने।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने नहीं की। अगर की, तो वह गलत था। अगर ऐसी कोशिश की गई, तो वह गलत थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर प्रधान मंत्री जी को मालूम है कि कल सदन में क्या हुआ। वे सभा की नेत्री हैं मगर अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रही हैं। मैं मानता हूं कि उनके पास बहुत से काम हैं मगर पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। अध्यक्ष महोदय, आपका सहयोग करने के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं। अगर सदन की नेत्री नहीं हैं, मुझे क्षमा कीजिए, श्री भीष्म नारायण सिंह मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भले सज्जन हैं, मगर वे अपने साथियों पर काबू नहीं कर सकते।

आज जो कुछ हुआ, हमने मजबूरी में किया। अध्यक्ष महोदय अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मुझसे कहें कि बैठ जाओ और मैं नहीं बैठा, तो इस आचरण पर मुझे खेद है मगर यह मैंने इच्छा से नहीं किया, मजबूरी में ऐसा किया। कब तक इस तरह से हम इस सदन में अपनी बात बिना कहे चुप रहें, अपमानित होते रहें और बेइज्जत होते रहें। आखिर हम भी जनता के प्रतिनिधि है। ठीक है हमारी संख्या कम है। आज कम है कल ज्यादा हो सकती है और जिनकी आज ज्यादा है उनकी कल कम हो सकती है। लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार का हिस्सा होता है। विरोधी दल को अपने दायित्व का पालन करना चाहिये। लेकिन जिनके हाथ में सत्ता है वे अगर बोलने भी नहीं देंगे संख्या-बल के बल पर और हमारा मुंह बन्द करने की कोशिश करेंगे तो फिर सदन की कार्रवाई का चलना मुश्किल होगा। मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री जी ने दो टूक आश्वासन नहीं दिया है। मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी है। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है हम चाहते हैं कि सदन ठीक तरह से चले और इस मामले में हम आपसे सहयोग करेंगे। लेकिन अगर उधर से सहयोग नहीं मिला तो फिर कठिनाई पैदा होगी। हम उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : भगवान जाने क्या होगा।

श्री यशवन्त राव चव्हान (सतारा) : प्रातः जो कुछ हुआ उसे देखकर मुझे दुःख हुआ। यह बात मैं अवश्य कहूंगा कि श्री वाजपेयी के भाषण में अनुचित रूप से व्यवधान डाला गया क्योंकि विवेकपूर्ण व्यवधान किसी भी संसदीय संस्थान की प्रतिष्ठित परम्परा होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, किन्तु यहां मैंने पाया कि एक यहां सुसंगठित किस्म की बाधा डाली गई। यदि एक ओर से संगठित बाधा डाली जाती है तो यह स्वाभाविक है कि दूसरे पक्ष की ओर से भी इसकी प्रतिक्रिया होगी।

जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि संसदीय प्रजातन्त्र के कार्यकरण हेतु हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। प्रधान मन्त्री के वायदे के बिना भी मैं वचन दे सकता हूं कि निश्चित रूप से हम सभी नियमों का पालन करेंगे क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। किन्तु सदन के समुचित कार्यकरण के लिए सदन के नेता को भी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संगठित ढंग से निरन्तर बाधा डालना अच्छी बात नहीं है। इस बात को मैंने देखा है क्योंकि श्री वाजपेयी एक न्यायसंगत तथा साधारण प्रश्न पूछ रहे थे तब यह नाटक शुरू हुआ।

जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, आज प्रातः जो कुछ भी हुआ तथा पहले भी न तो मेरा दल इसमें कभी शामिल था और न ही भविष्य में शामिल होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यहां एक अजीब बात है कि विरोधी पक्ष के सभी नेताओं से आप आश्वासन मांग रहे हैं। किन्तु दूसरी ओर (सत्तारूढ़ दल) से कोई आश्वासन नहीं मांगा गया। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं। आप किस बात का उल्लेख कर रहे हैं, क्या इस विचित्र ढंग से संसद का कार्य चलता है? हम यहां किस लिए आते हैं? यहां पर हम न केवल अपनी बात कहने के लिए आते हैं अपितु दूसरों की बातों को भी सुनने के लिए आते हैं। मैं नहीं जानता कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। मुझे जो कुछ कहना है मैं उसे कहने आया हूँ भले ही आप मुझसे सहमत न हों किन्तु आपको मेरी बात सुननी ही होंगी तथा मैं भी वह बात सुनने के लिए तैयार हूं जो आप कहना चाहते हैं। संसद का तात्पर्य यही है। अन्यथा, बेहतर यह है कि इस संस्था का समाप्त कर सड़कों पर चला जाये। हम यहां क्यों आते हैं? किसलिए आते हैं? काफी लम्बे अर्से से मैं सदन का सदस्य हूं। किन्तु मैं यह बात अवश्य कहूँगा तथा मैं अपने किसी सहयोगी को यह बता रहा था कि हम 8 या 10 वर्ष पूर्व इन बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

मैं समझता हूं कि श्री वाजपेयी की राजनैतिक विचारधारा से मैं 500 प्रतिशत असहमत हूं। किन्तु मैं एक बात कहूंगा कि इस सदन में मैंने उन्हें अनेक वर्षों से देखा है। जहां तक उनके संसदीय व्यवहार का सम्बन्ध है, यह अनुकरणीय है, कोई व्यक्ति उन्हें दोष नहीं दे सकता। हो सकता है अतीत में उनके दल के कुछ ऐसे सदस्य रहे हों जो उन नियमों का पालन न करते हों लेकिन आप श्री वाजपेयी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। यद्यपि जहां तक उनकी विचारधारा का सम्बन्ध है मैं मरते दम तक उसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके कहने के अधिकार के लिए मैं संघर्ष करूंगा। इन लोगों द्वारा इस तरह से बाधा डालने का क्या अर्थ है? फिर हम सदन में किस लिए आते हैं? यहां आना जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बहुत मामूली-सा बहाना है कि वे उन पर शोर नहीं मचा रहे थे अपितु उनके खड़े होने से पूर्व की किसी और बात पर चिल्ला रहे थे। मैं नहीं समझता इसका क्या तात्पर्य है। इससे मुझे भी निराशा हुई। मुझे प्रधान मंत्री से स्पष्ट शब्दों में वक्तव्य की आशा थी क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि, कुछ लोग—मैं यह बात कहना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा कहने से सभी लोग यह महसूस करेंगे कि मैं भी किसी को भड़का रहा हूँ। मैं समझता हूं कि सदन में ऐसे लोग भी हैं, यदि वे चाहें तो उस पक्ष में भी शान्ति स्थापित कर सकते हैं। यह काम कठिन नहीं है। किन्तु मुझे सन्देह है कि वे ऐसा करना चाहेंगे। मैं देखता हूँ गुप-चुप बातें चलती रहती हैं। कुछ लोग तो नाटकीय ढंग से काम करते हैं, कभी-कभी वे सदन में इधर से उधर आते जाते हैं तथा वे यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं जैसे कि वे

सदस्यों से शान्त रहने के लिए कह रहे हैं। किन्तु वे ऐसा गुप-चुप बातें करके करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है ? हमारी संख्या कम है, किन्तु जनसंघ तथा अन्य लोगों के साथ शामिल होने पर मुझे ज्यादा प्रसन्नता नहीं है, किन्तु मुझे ऐसा करना ही होगा। यदि हमें अपनी बात को कहने नहीं दिया जाता, तो हम भी इस सदन की कार्यवाही को रोक सकते हैं। लेकिन इसमें क्या अच्छाई है ? इसका क्या परिणाम निकलेगा ? इसके अतिरिक्त, मुख्य बात जिस पर हम बहस कर रहे हैं और जिससे संसद प्रारम्भ हुई थी वह आसाम की गम्भीर समस्या थी और आप यह चाहते थे कि भारत की संसद में एक ऐसी राय बने जिसका देश में कुछ प्रभाव हो और उसका आसाम की जनता पर भी प्रभाव पड़े, किन्तु यदि यही सब कुछ जो आजकल प्रतिदिन अखबारों में छप रहा है, वह छपता रहा तो फिर देश के सामने हमारी भी कोई बहुत सम्मानपूर्ण स्थिति नहीं रहेगी और आसाम के लोग भी हमारी बात को क्यों गम्भीरता से लेंगे ? वे कहेंगे—" पहले अपना आचरण सुधारो उसके बाद आओ और हमें सीख दो"। हमारे अंदर उत्तरदायित्व की कुछ तो सामूहिक भावना होनी चाहिए। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ तो धैर्य रखना चाहिए। यदि किसी का बहुत अधिक बहुमत है तो उन्हें असहनशीलता की भावना को बढ़ाना नहीं चाहिए। असहनशीलता, अधीरता और अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। अनेक देशों के इतिहास में यह बात सदैव घटित हुई है जहां बड़े बहुमत वाले दल यह भूल जाते हैं कि संसद के भी कुछ नियम और मानक होते हैं। इसलिए मैं सदस्यों से यह आशा करता हूं कि वे उतनी जिम्मेदारी तो महसूस करेंगे।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं जिम्मेवारी से कभी नहीं घबराई और अब भी मैं नहीं घबरा रही हूँ। परन्तु अभी, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, मैं व्यवस्था बनाये रखने के लिए वचनबद्ध हूँ, यही मेरा मतलब है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि पूरे समय सदन में रहना मेरे लिये सम्भव नहीं है। इसलिये हमारे यहां संसदीय कार्य मन्त्री हैं। और वह इन मामलों की देख-भाल करते हैं। अतः विपक्षी सदस्यों को ध्यान में रखते हुए यदि मैं कहती हूँ कि व्यक्तिगत जिम्मेवारी ले रही हूं, तो मुझे यहां प्रत्येक कुछ मिनटों के बाद यह बताने के लिए बुलाया जायेगा "कि इस बारे में मैं क्या कर रही हूं" केवल यही मेरा हिचकिचाहट थी। अन्यथा, मैं निश्चित रूप से इस सदन के कार्य संचालन की जिम्मेवारी अवश्य महसूस करती हूं। प्रधान मन्त्री के लिये पूरे समय सदन में बैठे रहना कठिन है क्योंकि इससे अन्य कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। मैं सभी महत्वपूर्ण वाद-विवाद तथा अन्य विषयों पर चर्चा के समय मैं उपस्थित रहने का अवश्य प्रयत्न करती हूँ, परन्तु मेरे सहयोगी श्री भीष्म नारायण सिंह का यह मुख्य कार्य है और इस सम्बन्ध में वह पूर्णरूप से सक्षम है।

अध्यक्ष महोदय : जो हुआ सो हुआ, हमें बहुत लाभप्रद वाद-विवाद के लिये रास्ता निकालना चाहिए। हमें सहयोग करना चाहिए तथा नियमों का पालन करना चाहिए। मैं प्रत्येक विचार के लिये पूर्ण सुरक्षण तथा पूर्ण समय देने के लिये यहां पर हूं और अन्य किसी बात के लिये नहीं।

एक माननीय सदस्य : निष्पक्ष।

अध्यक्ष महोदय : निसन्देह, मुझे ऐसा होना पड़ेगा यह मेरा कर्त्तव्य है।

अब मैं श्री वाजपेयी से निवेदन करता हूं कि वह अपना प्रश्न पूछें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कफलटा के कांड के ऊपर मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वह अनेक दृष्टियों से असंतोषजनक है । सवेरे मैं निवेदन कर रहा था कि दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार के सवाल को हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा । इस वक्तव्य में भी पूरी बात नहीं कही गई है ।

राज्यमंत्री महोदय ने जवाब दिया कि इस कांड में जहां के लोग मरे थे, उन गांवों में गृह-मंत्री ज्ञानी जैल सिंह गये, लेकिन जिस गांव में यह कांड हुआ था, उसमें मंत्री महोदय को जाने के लिये समय नहीं मिला । ऐसा क्यों हुआ ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

किस श्रृंखला से कांड हुआ है, उसके बारे में अलग-अलग तरह से विवरण प्राप्त हुए हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि कफलटा गाँव में एक मंदिर है और यह पुरानी परम्परा है कि उस मंदिर के सामने कोई घोड़े पर बैठकर नहीं जाता, चाहे वह हरिजन हो या सवर्ण हो ? क्या यह बात सच है कि जब बारात के लोगों से कहा गया कि मंदिर के सामने कोई घोड़े पर न निकले, तो उसको लेकर झगड़ा हुआ ? मंत्री महोदय के बयान में इस बात का उल्लेख ही नहीं है । इस बात का भी संकेत नहीं है कि झगड़ा कहां से शुरू हुआ—वह स्थल कौन सा था, जहां झगड़ा शुरू हुआ ।

क्या यह सच है कि आसाम में फौज में काम करने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम खेमानन्द था, छुट्टी पर गांव में आया हुआ था, वह घटना-स्थल पर मौजूद था और जो झगड़ा हुआ, उसमें घटना-स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई ? क्या यह सच है कि वह सवर्ण जाति से सम्बन्धित था ? क्या यह भी सच है कि सरकार ने बाकी के सब लोगों को मुआवजा दिया है, मगर स्वर्गीय खेमानन्द के परिवार वालों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है ?

जो कांड हुआ, उसकी जितनी निन्दा की जाये, उतनी थोड़ी है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के कांड आरोप और प्रत्यारोप से समाप्त नहीं होंगे । बेलची और नारायणपुर को नाटकीय रूप देना सरल है । हमें भी यह लोभ हो सकता है कि हम इस तरह के कांडों को राजनैतिक लाभ के लिए प्रयोग करने का प्रयत्न करें, लेकिन इससे हजारों वर्षों का यह अभिशाप जन्म पर आधारित वर्ण-व्यवस्था का यह अभिशाप, खत्म नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आप भाषण नहीं दे सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं । आप जानते है कि सदस्य की हैसियत से प्रश्नों के साथ जो हम कहना चाहते हैं अवश्य कहते हैं ।

गृह मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि वह राष्ट्रीय एकात्मता के सवाल पर विचार करने के लिए, जिसमें हरिजनों के प्रति भेदभाव होने का सवाल भी शामिल है, नैशनल इनटेग्रेशन कौंसिल

श्री प्रभु नारायण टन्डन (दमोह) : सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है । आप करा रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब हम सरकार में थे, तब भी हमारी जिम्मेदारी थी और अब जब कि विरोधी दल में हैं, तब भी हमारी जिम्मेदारी है ! मगर जिनके हाथ में शासन है, क्या कभी उनकी भी जिम्मेदारी होगी या नहीं ? (व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस तरह के मामलों पर गैर-राजनैतिक ढंग से सोच-विचार के लिए किसी मंच की रचना करेंगे। अब चुनाव खत्म हो गये। वोटों का सवाल नहीं है। देश के सामने जो बुनियादी प्रश्न हैं, अब उन्हें हल करने के बारे में बैठ कर गम्भीरता से विचार-विनिमय किया जा सकता है। क्या मंत्री महोदय इसके लिये तैयार हैं ? वह यह भी स्पष्ट कर दें कि वह कफलटा गांव क्यों नहीं गये। मंत्री महोदय के बारे में शिकायत है कि जब उन्हें आसाम जाना होता है, तो वह आनन्दपुर साहब, चले जाते है।

श्री जैल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मेम्बर साहबान के जजबात की मैं कद्र करता हूं और जो हरिजनों की जिन्दगी की रक्षा करने के लिए चिन्ता है उसमें मैं भी शामिल हूं।..... (व्यवधान)

अभी-अभी पार्टियों के नेताओं ने विश्वास दिलाया कि हम इंटरप्शन नहीं करेंगे और एक चार मेम्बरों के नेता ने ...

श्री मनी राम बागड़ी : मैंने नहीं विश्वास दिलाया। यह गलत बात है।

श्री जैल सिंह : बागड़ी जी, शान्ति से बैठ जाइए। मुझे कोई गुस्सा नहीं। हम आप पर गुस्सा करते ही नहीं।

सम्माननीय वाजपेयी जी ने यह कहा कि मैं घटना-स्थल पर नहीं पहुंचा और दूसरे गांव से ही वापस आ गया। बात यह हुई कि मैं उसी गांव के लिए जा रहा था और उस रास्ते पर कोई गाड़ी तो जाती नहीं थी। हम पैदल जा रहे थे।..... (व्यवधान).....

मेरे ख्याल में जितने नेतागण बैठे हैं उनका कंट्रोल नहीं रहा। वे तो खामोश हैं, पीछे सब बोल रहे हैं।..... (व्यवधान)... :

यह बात सही है कि उस गांव में एक मन्दिर है और उस मन्दिर के सामने किसी को सवारी पर चढ़ कर नहीं गुजरना चाहिए, ऐसी मर्यादा मैंने सुनी। जब मैं वहां जा रहा था तो मुझे बताया गया कि एक खेमानन्द जो अपर क्लास से ताल्लुक रखता था उसकी वहां मृत्यु हुई। लेकिन जिस गांव को मैं छोड़ कर जा रहा था, उस गांव के दस आदमियों की मृत्यु हुई जहां से कि बारात गई थी। मुझसे कहा गया कि जिस गांव को आप छोड़ कर जा रहे हैं उनके परिवार यहां हैं, उनके बच्चे बीबियां सब यहां हैं, तो आप को इस गांव में जाना चाहिए। मैंने उन साथियों की बात को मान लिया। मैं उस गांव में गया और जिन दस आदमियों की मृत्यु हुई थी और जिस की शादी थी, उनके वहां बैठकर मैंने बातचीत की। एक ही घर के छः व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। वहां बैठकर मैंने सबसे बातचीत की। वहां बहुत समय लग गया। तो आगे जाने के बारे में मुझे यह सलाह दी गई और ठीक थी सलाह कि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर तो था नहीं। दुर्घटना में जिनका नुकसान हुआ उनके पास जल्दी-से-जल्दी पहुंचना मेरा फर्ज था और विश्वास दिलाना मेरा फर्ज़ था। ऐसी घटनाएं बाद में न हों यह

भी मेरा फर्ज था। इसलिए मैं वहीं गया। दूसरे गांव में तीन आदमियों की मृत्यु हुई थी, उसमें भी मैं गया। उनके परिवार को भी मैं मिला। इसलिए मेरा वहां न जाना कोई नुकसान की बात नहीं थी और न मुझे मेरा ख्याल है जाने की जरूरत थी।

जहां तक यह कहा जाता है कि उस एक फौजी, जिसका नाम खेमानन्द है, उसके परिवार को सहायता नहीं दी गई, यह गलत है। जिनकी मृत्यु हो गई उन सभी के परिवारों को प्रधान मन्त्री के सहायता कोष से दस-दस हजार रुपया देने का एलान वहीं किया था। अगर किसी कारण किसी भी परिवार को यह सहायता न पहुँची हो तो उनको पहुँचा दी जायगी। लेकिन मेरा विश्वास है, वहां की सरकार है और वहां के जो स्थानीय मेम्बर पार्लियामेंट हैं ···

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : मान्यवर, दे दी गई है। शायद माननीय वाजपेयी जी को सूचना न हो।

श्री जैल सिंह : हम ने उन को यह कहा है कि यह सहायता उनको दी जाय।

मैं इसको मुआवजा नहीं कहता और मैं आप से भी प्रार्थना करूंगा कि इंसानी जिन्दगी का कोई भी मुआवजा नहीं हो सकता। यह तो सिर्फ परिवार की सहायता है। वाजपेयी जी के साथ मैं इत्तफाक करता हूं कि हमको ऐसी घटनाओं को सिर्फ राजनीतिक सतह पर सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए लेकिन यह बदकिस्मती की बात है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ विरोधियों को कहने का मौका मिलता है। हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। जब हम विरोधियों में थे उस वक्त की सरकार के दौरान जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेवारी उन पर है, खवाह वे वाजपेयी जी हों या हमारे एबसेन्टी मेम्बर चौधरी चरण सिंह जी हों। ऐसी हालत में मैं वाजपेयी जी से प्रार्थना करूंगा और सदन के सारे मेम्बरों से कहूंगा कि यह मामला ऐसा है जिसको हम राजनीति से नहीं निकाल सकते, यह राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, आर्थिक भी है और सामाजिक भी है। सदियों से एक परम्परा चली आई है जिसकी वजह से हमने सोसायटी के एक हिस्से का पांव के तले गिरा दिया, उनकी आर्थिक दशा बर्बाद कर दी गई, सामाजिक तौर पर उनका कोई स्थान नहीं है, राजनीतिक तौर पर उनका कोई स्थान नहीं है और धार्मिक तौर पर भी उनको गिरा दिया गया। इसीलिए इस तरह की घटनायें होती हैं।

मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम वेरीगुड अपने को नहीं कह सकते लेकिन एक गुड गवर्नमेन्ट का सर्टिफिकेट तो आपको देना ही पड़ेगा। बैड गवर्नमेन्ट यह नहीं हो सकती है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी दुर्घटनायें पहले भी हुई हैं और उस वक्त न तो किसी होम मिनिस्टर ने, न किसी गवर्नर ने और न किसी एडवाइजर ने वहां पर जाकर उन लोगों के साथ हमदर्दी जाहिर की और न ही जल्दी इन्साफ देने की कोशिश की। आजतक वह मुकदमे चल रहे हैं, कलप्रिट भागे हुए हैं या जमानतें हो गई हैं और सुबूत खत्म हो रहे हैं। हमारे समय में ऐसी दो दुर्घटनायें हुई हैं जो निंदनीय हैं—एक बिहार में हुई और एक यहां पर। बिहार में 12 दिन के बाद चालान कर दिया गया और तमाम कलप्रिट्स को पकड़ लिया गया। (व्यवधान)

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : इतनी अधिक हरिजनों की हत्यायें कभी नहीं हुई। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न को छोड़कर बिना मेरी आज्ञा लिये कोई नहीं बोलेगा। मेरी आज्ञा जब तक आप न लें, केवल व्यवस्था का ही प्रश्न उठाया जा सकता है। (व्यवधान)

आप वही गलती अब कर रहे हैं। दो क्यों ? आप एक-एक करके क्यों नहीं बोलते ? कृपया बैठ जाइये। जब आपको अवसर मिले तब आप उसका उत्तर दे या जब आपके दल के सदस्य बोलें तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। आप हर समय क्यों हस्तक्षेप करते हैं। (व्यवधान)

कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

मैं आपको संसदीय प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। जब कोई मंत्री महोदय या कोई सदस्य बोले है तो आप अपने प्रश्न नोट कर लें। यदि आप कुछ जानकारी तुरन्त चाहते है तो आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, परन्तु एक बार एक सदस्य को ही बोलना चाहिए। यदि प्रत्येक सदस्य खड़ा हो जाता है तो वह उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए आप वे बातें नोट कर लें जिन पर आप सहमत नहीं हैं और जब आप बोलें या आपके दल का सदस्य बोले है तो आप मंत्री महोदय को उत्तर दे सकते हैं। यह संसदीय प्रक्रिया है।

श्री मनीराम बागड़ी : श्रीमान् जी, जानकारी का प्रश्न है.....

उपाध्यक्ष महोदय : कोई जानकारी नहीं। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप वृद्ध हैं और मैं एक यूवक हूँ। मुझे खेद है।

श्री जैल सिंह : सभापति जी, मैं प्रार्थना कर रहा था कि दुर्घटनाओं के होने के बाद सरकार ने जो एक्शन लिए हैं, उनका मुकाबला जरूर करना चाहिये और हाउस को ठण्डे दिल से देखना चाहिए कि इस वक्त और उस वक्त की सरकार में कितना फर्क है। 12 दिन के अन्दर चालान हुआ और स्पेशल जज हाई कोर्ट से मुकर्रिर कराया ताकि वहां के वाक्यात के सबूत खत्म न हो जायें। इसी तरह से 17 दिन के बाद अल्मोड़ा जिले के वाक्यात में चालान हो गया और अदालत में चला। इसलिये मैं कहता हूँ हाउस के मैम्बरों को कि जो वाजपेयी जी ने बताया कि इस मामले पर कुछ करना चाहिए, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउन्सिल जो पहले थी, उसको सुरजीत किया जा रहा है। उसमें हर ख्याल के, हर विचार के लोग हुआ करेंगे और ऐसे मामलों पर उनमें हम विचार कर लेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि गृह मंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को सुनने के बाद एक प्रश्न को दोहराना पड़ेगा। गृह मंत्री ने कहा है कि वह कफलटा गांव नहीं गये थे क्योंकि मुख्य बात यह थी कि वह दूसरे गांव गये जहां मृतकों के परिवार थे और उनके प्रति सहानुभूति दिखाना उनका कर्त्तव्य था। अब प्रश्न यह है कि कहां से ये हत्यायें हुई ? यह हरिजनों के प्रति सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अपनाए गये रवैये के कारण था। यही रवैया इन विशेष घृणाजनक हत्याओं तथा विभिन्न अन्य ऐसी हत्याओं की जड़ है। हमें इसे समझना चाहिए।

कफल्टा वह गांव है जिसके वे सवर्ण हिन्दू निवासी थे। ये ही व्यक्ति अपराधी पक्ष के थे। सवर्ण हिन्दुओं के इस प्रकार के रवैये के कारण न केवल कफलटा गांव में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी

हरिजन अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें दूल्हे को पालकी में ले जाने का भी अधिकार नहीं है, जब वे सवर्ण हिन्दुओं के गांव से गुजरते हैं तो उन्हें अवश्य पैदल चलना होता है। सवर्ण हिन्दुओं के उसी दल ने यह अपराध किया जिसे समस्त राष्ट्र की ओर से यह कहा गया होता कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। यह गृह मंत्री का फर्ज था। उन व्यक्तियों के प्रति केवल सहानुभूति दिखाना ही काफी नहीं है जिनकी हत्यायें की गई हैं। निस्संदेह उनको सहानुभूति देना आवश्यक था। मैं मानती हूँ कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। इस बारे में मैं श्री वाजपेयी से सहमत हूँ। इसलिये मैं पुनः यह प्रश्न पूछती हूँ : गृह मंत्री के ध्यान में यह बात उस समय क्यों नहीं आई जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। यदि वे वहां गये होते तो उन्हें मालूम हुआ होता कि उस घृणित घटना के बाद उस गांव में पुलिस को पहुंचने में कितना समय लगा। 9 तारीख को घटना घटी। 20 घंटे बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और अगले दिन शाम को पुलिस आई। यदि वे वहां गये होते तो उन्हें ये सब मालूम हो जाता। अब, इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि घटना के बाद श्री मुरली मनोहर जोशी उस गांव में 14 मई को गये, सवर्ण हिन्दुओं के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें अपना समर्थन दिया। इस बात की भी जानकारी लेनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों के संबंध में मैं महसूस करती हूं कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। न केवल एक तरफ से बल्कि सभी ओर से यह सवाल उठाया जाना चाहिए। मुझे अभी भी मालूम नहीं है कि क्या न्यायाधीश की नियुक्ति की जा चुकी है। मुझे यह मालूम नहीं हो रहा है कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सोच रही है। यह एकमात्र विशेष घटना नहीं है और यह मुझे बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। मैं उसका स्पष्ट उत्तर चाहती हूं ताकि हरिजन अपना सिर ऊंचा उठाने का अधिकार रखे तथा सवर्ण हिन्दुओं के गांवों से अपनी बारातें निर्भीकता से निकाल सकें।

श्री जैल सिंह : आनरेबिल लेडी मेम्बर का यह कहना कि वह मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं—मैं समझता हूं इसमें सन्तुष्ट न होने का तो कोई कारण नहीं है। वह वैसे ही असन्तुष्टता रखें, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने खुद कहा है कि मैं घटना स्थल पर इसलिए नहीं गया कि घटना स्थल से ज्यादा भयानक हालत वहां पर थे, जहां के लोगों की मृत्यु हुई थी·····

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप दोनों जगहों पर जाते।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : जहां के मरे थे वहां भी जाते और जहां मरे थे वहां भी जाते।

श्री जैल सिंह : मरने के बाद लाशें लाई गईं, उनका पोस्टमार्टम हुआ। मैं आनरेबिल मेम्बर्स से एक बात कहना चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर नहीं है। इन्वेस्टीगेशन अगर मैंने खुद करना है तो फिर पुलिस की और दूसरे अफसरों की क्या जरूरत है····· (व्यवधान)···मैं, डिप्टी स्पीकर साहब, आप से यह प्रार्थना करूंगा—अगर मेरे जवाब से किसी को तसल्ली नहीं होती है तो मैं दो बार, तीन बार, चार बार उनको सुनने के लिये तैयार हूँ, लेकिन आप दर्मियान में क्यों बोलते हैं ? मुझे मालूम नहीं, वह जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, किस पार्टी के मेम्बर हैं। वह किसी भी पार्टी के मेम्बर हों, मैंने तो आप की महत्ता बढ़ाई है।

वहां पुलिस कुछ मुद्दत के बाद पहुंची—इस का कारण यह था कि उस एरिए में रेवेन्यू पुलिस है, रेगुलर पुलिस वहां नहीं थी। रेवेन्यु पुलिस होती है; रेवेन्यु आफिसर होता है, पटवारी होता है—इन बेचारों की कोई ताकत नहीं होती है और वहां पैदल जाना पड़ता है, जिस में एक दिन लगता है। हम ने उन को यह भी कहा है कि आप देखें, वहां आइन्दा के लिए ऐसी कोई दुर्घटना न हो, साथ ही कम्यूनिटीज़ में नफरत भी पैदा न हो। एडमिनिस्ट्रेटिवली और पब्लिक कोआपरेशन लेने के लिए वहां कमेटीज बनाई जायें। यह भी सोचा जाय कि वहां पर आइन्दा के लिये रेवेन्यु पुलिस रखेंगे या रेग्युलर पुलिस भी रखेंगे।

आनरेबिल लेडी मेम्बर ने यह भी पूछा है कि आइन्दा के लिये हम क्या कर रहे हैं। हम तो अपनी तरफ से उपाय कर रहे हैं, हम ने मुख्य मंत्रियों और गवर्नर्ज को लैटर्स लिखे हैं—अगर आप चाहें तो मैं उनको भी दे सकता हूं। लेकिन आनरेबिल मेम्बर्स ने अपनी तरफ से यह नहीं बताया कि हम को क्या-क्या करना चाहिए, आप हमारी यह भी सहायता करें कि हम को क्या-क्या करना चाहिए, इस के बारे में सलाह दें। किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना मुश्किल नहीं है, यह बुरा किया, वह बुरा किया—यह सब कहा जा सकता है, लेकिन भला कैसे हो सकता है, यह भी आप को बतलाना चाहिए था—यही मेरी आप से दरख्वास्त है।

अब जहां तक जोशी जी के वहां जाने का सवाल है ... (व्यवधान) ... आप तो मुझ से ज्यादा पुरानी पार्लियामेन्टेरियन हैं, मैं आपका कितना आदर करता हूं कितना सत्कार करता हूँ, फिर भी आप बोल रही हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो आनरेबिल लेडी मेम्बर के ख्यालों के साथ सहमत हूं ...... (व्यवधान) ...... अगर कोई बात कहनी रह गई है, तो आप पहले कह लीजिए। ......

उपाध्यक्ष महोदय : वह उन सभी प्रश्नों से सहमत है जो आप उठा चुके हैं।

श्री जैल सिंह : अब आप के पास कुछ बाकी तो नहीं रहा ?

मैं जोशी जी के बारे में अर्ज कर रहा था—वह वहां गये थे, आर क्लास के लोगों से मिले थे, बात की थी—इस के बारे में अगर आप जानना चाहें कि वह कहां-कहां गये थे, किन-किन से मिले —इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं यह जानकारी मंगवाकर दे दूंगा कि वे क्या करते रहे हैं; जोशी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, यह तो खुद आप भी जानती होंगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे दोस्तों ने बार-बार इस बारे में कहा है। एक थ्योरी की बात होती है मगर थ्योरीटीकली सोचना और प्रैक्टिकली न करना, यह बात बहुत खतरनाक होती है। यह हम सब कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर नहीं सोचना है। इस पर राजनीतिक तौर पर नहीं सोचेंगे, तो कैसे काम चलेगा। आप जितने भी यहां आए हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इसलिए राजनीतिक तौर पर सोचना होगा पर मेरा यह कहना है कि इस पर राजनीतिक तौर पर ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि इस बीमारी को दूर करने के लिए धार्मिक, मजहबी संस्थाओं की भी सहायता लेनी चाहिए, आर्थिक तौर पर भी इसके बारे में सोचना चाहिए और सामाजिक तौर पर भी सोचना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की भी इस काम में सहायता लेनी चाहिए।

मैं आनरेबिल मेम्बर से यही प्रार्थना करूंगा कि हम आप के साथ इस मामले में सहमत हैं और हरिजनों पर कहीं भी कोई जुल्म होता है, तो उस को दूर करने के लिए हर प्रकार के उपाय किये जाएंगे।

श्री बागुन सुम्बरूई (सिंहभूमि) : उपाध्यक्ष महोदय, 30 वर्ष तक कांग्रेस की हुकूमत रही और इन 30 वर्षों में हम को यह संस्कार देखने का मौका मिला है कि हरिजनों पर बार बार इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। यह कांग्रेसी हुकूमत के लिए लज्जा की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन वर्ष घटा कर।

श्री बागुन सुम्बरूई : यह जो पिपरा कांड हुआ, डोहिया कांड हुआ, बैलची कांड हुआ और नारायणपुर कांड हुआ, इस प्रकार की जो बार बार हरिजनों पर घटनाएं होती हैं, यह हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है। सरकार आश्वासन दे देती है कि हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन खाली आश्वासन देने से हम लोगों को संतोष होने वाला नहीं है। मैं मन्त्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि यहां पर दिल्ली में जो संजय-गीता कांड हुआ था, उस में आपने यह देखा कि 6 महीने में ही मुजरिमों को सजा हुई और फांसी की। इसी तरह से मैं यह चाहता हूं कि हरिजन जो एक रास्ते से बारात में जा रहे थे, उनको मारा गया और एक घंटे के अन्दर 14 हरिजनों को ऊंची जाति के लोगों ने मार दिया, तो क्या मंत्री जी यह बताने के लिए तैयार हैं, यह आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि जो लोग अपराधी हैं, उन को 2 महीने के अन्दर फांसी की सजा दे दी जाएगी। अगर ऐसा कोई आश्वासन मंत्री जी देते हैं, तो हम लोग संतोष की सांस ले सकते हैं।

एक और बात मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मन्दिर के रास्ते में गुजरने के लिए जो पैदल जाने की बात कही गई है, तो क्या वह ऊंची जाति के लोगों के ऊपर भी लागू होती है। ऊंची जाति के लोग साइकल पर जाते हैं, मोटर में सवार हो कर जाते हैं या बैलगाडी में बैठकर जाते हैं या घोड़े पर सवार होकर जाते हैं तो क्या उन ऊंची जाति वालों को भी, साइकिल पर सवार लोगों को या मोटर पर सवार लोगों को या बैलगाडी पर सवार लोगों को या घोडे पर सवार लोगों को उतर कर जाने के लिए कहा जाता है। अगर ऐसी बात है, तो मैं यह मान सकता हूं कि हरिजनों को भी सवार हो कर जाने पर मना किया जा सकता है लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, तो हरिजनों पर इस तरह के जुल्म और अत्याचार क्यों किए गये। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है।

इस के अलावा एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि बयान में यह कहा गया है कि 3 हरिजनों पर केस चलाए गये हैं। हरिजन लोग मारे गये हैं और उन में से 2 की **आन दि स्पोट** डेथ हो गई और मुकदमे भी उन्हीं पर चलाए जाते हैं। यह तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन को मारा गया और उन पर ही 302 का मुकदमा चलाया जाए, यह एकदम गलत है चाहे वह मंत्री- मंडल के इशारे पर किया गया हो और चाहे वह पुलिस के इशारे पर किया गया हो। हरिजनों पर इस तरह के अत्याचार नहीं होने चाहिए। आदिवासियों और हरिजनों के द्वारा इस प्रकार की जघन्य घटनाएं या एक भी घटना ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ की गई है ? क्या हरिजनों या आदिवासियों के द्वारा किसी ऊंची जाति की बहू बेटी पर कोई बलात्कार किया गया है ? उनके मकान जलाए गए हैं ? ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है। हमेशा हम लोग यही सुनते हैं और इस सदन में हमेशा चर्चा होती है कि हरिजनों के साथ ये ये ज्यादतियां हुई है, उनके मकान जला दिए गए हैं, उनकी बहू बेटीयों के साथ बलात्कार किए गये

हैं । कब तक इस तरह की घटनाओं को होने दिया जाएगा और कब तक हम इन की चर्चा करते रहेंगे ? अपर कास्ट के लोगों के द्वारा इस प्रकार के अत्याचार आज भी जारी है । चाहे ये कांग्रेसी हुकूमत के संस्कार हो, कानूनी संस्कार हो, सामाजिक संस्कार हों या धार्मिक संस्कार हों, इनको पनपने नहीं देना चाहिए, इन संस्कारों पर रोक लगानी चाहिये । गृह मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि चाहे राजनीतिक संस्कार हो और चाहे सामाजिक संस्कार हों हम को इन संस्कारों को बदलना पड़ेगा । सदन में बहस करने से काम नहीं चलेगा । अगर हम लोग भी बदला लेने के लिए उतारू हो जाएंगे, उन के घरों को जलाना शुरू कर देंगे । जिस तरह से वे लोग करते हैं, वैसे हम भी करना शुरू कर देंगे तब क्या होगा ? ऐसा नहीं होना चाहिए । न्याय से काम लिया जाना चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए । जो लोग इस प्रकार के जघन्य अपराध करते हैं, जो लोग जुल्म और अत्याचार करते हैं उनको मैं मांग करता हूं कि दो महीने के अन्दर अन्दर सजा मिलनी चाहिए । इस केस में भी मैं मांग करता हूँ कि दो महीने के अन्दर अन्दर इन लोगों को फांसी की सजा दिलाने की आपको व्यवस्था करनी चाहिए ।

इस सदन में 1977 में मैंने एक सुझाव दिया था । उसको मैं दोहराना चाहता हूं । हरिजन और आदिवासी जब थानों में जाते हैं इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तो उस को दर्ज नहीं किया जाता है । वहां पर दारोगा अपर कास्ट का हुआ तो वह अपर कास्ट के लोगों की मदद करता है । मेरा सुझाव है कि अगर बड़ा दारोगा किसी थाने में अपर कास्ट का हो तो वहां छोटा जो दरोगा हो वह कोई आदिवासी या हरिजन होना चाहिए । इस प्रकार की व्यवस्था अगर सभी थानों पर कर दी जाए तो उन लोगों का कोआपरेशन इन को मिल सकता है और इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है । अभी तक इस प्रकार की कोई कार्यवाही किसी थाने पर नहीं की गई है । आदिवासी और हरिजन लोगों को आप रेलों में दारोगा बना देते हैं, सी० आई० डी० में दारोगा बना देते हैं लेकिन यहां इनको नहीं भेजा जाता है । कम से कम आदिवासी और हरिजन को उस थाने का मालिक नहीं तो छोटा मालिक तो आपको बना ही देना चाहिए । तब रिपोर्ट लिखाने में सुविधा होगी, इनवैस्टीगेशन करने में सुविधा होगी । ऐसा आप ने नहीं किया तो ये जुल्म जारी रहेंगे ।

मैं एक और सुझाव आपको देना चाहता हूं । केस को चलाने के लिए सरकारी (वकील) पी० पी० होता है जो कि फिर अपर कास्ट का होता है । वह पुलिस की मदद करता है । मैं चाहता हूँ कि हरिजनों और आदिवासियों को भी अपना सलाहकार, अपना वकील चुनने का मौका दिया जाना चाहिए जोकि पी. पी. की मदद करे और सरकार इन वकील को फीस दें ।

श्री जैल सिंह : माननीय सदस्य ने तीन चार बातें कही हैं । मैं जहां तक समझ पाया हूँ उनकी बातों का सारांश यह था कि हरिजनों और आदिवासियों पर ऊंची जाति वालों द्वारा जो दबाव पड़ता है, जो प्रहार होते हैं, जो जुल्म और सख्ती होती है वह बन्द होनी चाहिए और इस काम को सरकार को जल्दी करना चाहिए । दूसरे उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस सरकार के माथे पर एक धब्बा है और इसको उतार फेंकना चाहिए । मैं यह नहीं समझ पाया कि दो महीने के अन्दर अन्दर कैसे यह हो सकता है । हो सकता है कि कभी दो महीने से पहले ही हो जाए और कभी दो महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं । अब दो महीने में इसको कैसे किया जा सकता है यह अगर वह हमें बताएं तो मैं मान लूंगा और सदन के सामने रख दूंगा ।

यह समस्या बहुत गहरी है और भारत के माथे पर कलंक है। कांग्रेस सरकार के ही नहीं बल्कि जो भी सरकार हो, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो उस सरकार का सिर झुके बगैर नहीं रहता है और इन को बन्द करने का पूरा यत्न होना चाहिये। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी बुनियादों पर हिन्दुस्तान के अन्दर सरकार की जो कोशिश है वह यह है कि यहां क्लास्टलैस और क्लासलैस सोसाइटी बने और सबका दर्जा एक जैसा हो। सब की बहु बेटियों की इज्जत, सत्कार, सम्मान एक जैसा होगा और हरिजनों और पिछडी जातियों और आदिवासियों को पूरा हक होगा कि वे शादियों में डोलियां भी लेकर जाएं, जलूस भी निकालें बाजा भी बजाएं और चाहें तो जैसे अपर क्लास वाले करते हैं, वैसा ही करें। कोई अपर क्लास वाला हिन्दुस्तान में इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि कोई दूसरी जाति वाला सिर्फ इस बिना पर कि वह छोटी जाति में पैदा हुआ है, इसलिए उसको बाजा बजाने का हक नहीं है, डोली उठाने का हक नहीं है, पगडी बांधने का हक नहीं है। उसको घोडी पर चढ़ाने का हक नहीं उसको हुकूमत करने का हक नहीं। सब हक मौजूद हैं, अगर कहीं कमी होगी तो हाउस में मिल-बर्तन कर के हम कानून में भी तबदीली करेंगे। हम इक्वैलिटी और बराबरी में विश्वास करते हैं और इसके लिए हर मुमकिन यत्न किया जाएगा कि किसी के साथ ज्यादती न हो।

श्री राम विलास पासवान: हरिजन एट्रोसिटीज पर सदन में आपने पिछली बार कहा था कि आप अपोजिशन के लोगों की और हरिजन एम० पीज की मीटिंग बुलायेंगे, लेकिन तीन महीने हो गये है, अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है। आप कब तक यह मीटिंग बुलायेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा था कि मीटिंग बुलायेंगे, लेकिन अभी हम डेट फिक्स कर रहे हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में वक्तव्य

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में सामान्य वृद्धि पिछली बार 17 अगस्त, 1979 को की गई थी। माननीय सदस्य निःसन्देह इस बात से अवगत हैं कि पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के सदस्यों द्वारा खनिज तेलों के मूल्यों में तब से लेकर कई बार वृद्धि की घोषणा की गई है। कई वृद्धियों को पूर्व प्रभावी रूप से लागू किया गया था। इसके फलस्वरूप आयातित खनिज तेल का औसतन मूल्य अगस्त, 1979 में 1255/-- रुपये प्रति टन से बढ़कर लगभग 1943/-रुपये प्रति मी० टन तक पहुंच गया है। इसके कारण हमारी शोधनशालाओं पर प्रतिवर्ष 1048 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है। इसी प्रकार आयातित पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है जिससे करीब 525 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है। तेल उद्योग में कुछ अन्य आकस्मिक खर्चे हैं जैसे समुद्री भाड़े में वृद्धि, शोधन लागत में वृद्धि, सडक द्वारा परिवहन में वृद्धि जो कि रेल परिवहन के अतिरिक्त उत्पादों को यथा समय मार्केट तक पहुंचाने के लिए आवश्यक रूप से अपनाना पड़ता है। यह आकस्मिक व्यय प्रतिवर्ष करीब कुल 175 करोड़ रुपये बैठता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़े हुए मूल्यों के कारण अतिरिक्त लागत की अदायगी के लिए तेल उद्योग को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से उधार

लेना पड़ा था। उधार ली गई रकम ब्याज के साथ वापिस की जानी है। इन सभी कारणों से तेल उद्योग पर जो अतिरिक्त भार पड़ा था और जिसे पूरा किया जाना है वह 2466 करोड़ रुपये है।

2. बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार के पश्चात् सरकार ने 8.6.1980 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का निर्णय लिया है। इन मूल्य वृद्धियों से प्रतिवर्ष करीब 2100 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है।

3. अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार के पश्चात् अलग-अलग पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। मिट्टी का तेल एक ऐसी वस्तु है जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और यह समाज के कमजोर वर्गों द्वारा प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने वाली गैस का शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्गों द्वारा घरेलू ईंधन के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि इन दो पदार्थों के मूल्यों को नहीं छुआ गया है।

4. पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल तेल तथा लाईट डीजल तेल के मूल मूल्यों में 65 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। विभिन्न ग्रेडों के स्नेहकों के मूल्यों में करीब 1.10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है और वृद्धि की वास्तविक राशि प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग-अलग है। नैफ्था यदि उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है तो उसके मूल्यों में 475 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गई है। परन्तु अन्य प्रयोगों में काम में लाये जाने वाले नैफ्था के मूल्यों में केवल 210 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गई हैं क्योंकि इन मूल्यों में अगस्त, 1979 में पहले काफी वृद्धि की गई थी। उर्वरक के उत्पादन के लिऐ प्रयोग किये जाने वाले एल० एस० एच० एस० तथा ईंधन तेल के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। परन्तु अन्य उपयोगों के लिए इनके मूल्यों में 650 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गई है। डामर के मूल्यों में 650 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गई है। विमान टर्बाइन ईंधन के मूल्यों में की गई वृद्धि 1100 रुपये प्रति किलो लीटर है। मोम, बैन्जीन, टोल्यून, जूट बैचिंग तेल, कच्चे पेट्रोलियम कोक, कार्बन ब्लैक फीड स्टाक, फिनॉल एक्सट्रैक्ट, एरोमेक्स तथा विलायकों जैसे कई एक विशेष पदार्थों के मूल्यों में भी उचित वृद्धि के आदेश जारी किये गये हैं। इन सभी पदार्थों के अन्तिम मूल्य बिक्री कर, चुंगी तथा अन्य राजकीय करों के कारण थोड़े से अधिक होंगे।

5. इन वृद्धियों के बावजूद, ये मूल्य सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम हैं। उदाहरणतः दिल्ली में डीजल तेल का मूल्य आयातित मूल्य से कम-से-कम 60 पैसे कम है। उर्वरकों के लिए नैफ्था फीड स्टाक के नये मूल्य 1075.81 रुपये हैजबकि आयातित नैफ्था का मूल्य 2805.00 रुपये प्रति मी० टन है और खनिज तेल का मूल्य 1943 रुपये प्रति टन है।

6. माननीय सदस्य कदापि, यह जानते हैं कि हाल ही में हमारे आयात बिल में तीव्र वृद्धि हुई है। 1978-79 में यह 1695 करोड़ रुपये था जो कि हमारे निर्यात का 30.6% था। 1978-79 के दौरान विदेशी मुद्रा का बिल करीब 3202 करोड़ रुपये होगा जो कि हमारे निर्यात का 53.4% है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बिल लगभग 4930 करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगा जो कि लगभग 16 मिलियन मी० टन खनिज तेल और लगभग 6.5 मिलियन मी० टन पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित है। यह हमारी निर्यात आय का 69% है।

7. प्रत्येक बार जब आयाति खनिज तेल तथा उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की जाती है तो यह मांग उठाई जाती है कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की बजाय उन्हें राहत देने के लिए उत्पाद शुल्कों में कटौती की जानी चाहिए। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि शोधनशालाओं को बेचे गये खनिज तेल के लिए ओ. एन. जी. सी. और ओ. आई. एल. को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के समान दाम नहीं मिलते। इस समय शोधनशालाएं समुद्री क्षेत्र से मिलने वाले खनिज तेल के लिए 475 रुपये प्रति टन और भूमि क्षेत्र से मिलने वाले खनिज तेल के लिए 310– रुपये प्रति टन का दाम देती हैं जबकि आयातित खनिज तेल का औसत मूल्य 1943 रुपये प्रति टन है। यदि देश में उत्पादित खनिज तेल का मूल्य निर्धारण आयात समता आधार पर 1943 रुपये प्रति टन पर किया जाए तो उपभोक्ताओं पर प्रतिवर्ष लगभग 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उत्पाद तथा सीमा शुल्क की वसूली, जो लगभग 1568 करोड़ रुपये है, उससे यह कहीं अधिक है।

दूसरे शब्दों में स्वदेशी खनिज तेल के मूल्यों को कम स्तर पर रखकर उपभोक्ता को कुछ हद तक, आयातित खनिज तेल और उत्पादों के मूल्यों में लगातार वृद्धि से पहले ही सुरक्षित रखा गया है।

8. माननीय सदस्य कदापि जानते हैं कि तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन की दीर्घकालिक नीति पर विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट तैयार की है जिस पर कि तैफ (सऊदी अरब) में मई के प्रारम्भ में हुई ओपेक की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। इसमें की गई सिफारिशों में एक सिफारिश यह है कि मुद्रा प्रसारण, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और औद्योगिक विश्व जी० एन० पी० विकास के लिए तिमाही आधार पर समजन के लिए एक न्यूनतम मूल्य होना चाहिए। पश्चिमी विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अन्तर्गत खनिज तेल के मूल्यों में वार्षिक वृद्धि दर 10 से 15% के बीच होगी। इसका अर्थ यह होगा कि 5 से 7 वर्षों के बीच तेल का मूल्य कम-से-कम 60 डालर प्रति बैरल हो जायेगा जबकि वर्तमान औसत मूल्य लगभग 32 डालर प्रति बैरल है।

9. अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हम इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि तेल का आयात करने वाले विकासशील देशों को सप्लाई के लिए प्राथमिकता और सुरक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि न तो वे अपनी खपत कम कर सकते हैं और न ही आर्थिक विकास के निम्न स्तर पर होने के कारण निकट भविष्य में संरक्षण के उपाय कर सकते हैं। यद्यपि ओपेक द्वारा खनिज तेल के मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि का औचित्य हो सकता है परन्तु दूसरी ओर विकासशील देशों के लिए इससे भुगतान संतुलन में गम्भीर संकट उत्पन्न होगा। अतः इन देशों को ऐसी वृद्धियों के प्रति सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इस बात की भी आवश्यकता है कि विकसित देशों के पास जो पेट्रो-डालर हैं उनका तेल आयात करने वाले विकासशील देशों को अपने तेल संसाधन विकसित करने तथा ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के लिए प्रयोग किया जाए। हमारा यही प्रयत्न होगा कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में तेल का आयात करने वाले विकासशील देशों के मामले पर उचित निर्णय लिया जाए।

10. ऊपर जो कुछ कहा गया है उसको विचार में रखते हुए माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि मूल्यों में जो वृद्धि की गई है वह विश्व तेल की स्थिति की बाध्यता का सीधा

परिणाम है जिससे कि बचा नहीं जा सकता। भविष्य में क्या वृद्धि होगी इसके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब कभी वृद्धि होती है तो इसका भार जहां तक बिल्कुल आवश्यक है उपभोक्ता पर डाले बिना तेल उद्योग की व्यवहार्यता को बनाये नहीं रखा जा सकता। यह जीवन का कठोर सत्य है जिसे इस देश के प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिये।

11. सरकार खनिज तेल के अन्वेषण के लिए अधिक तेजी से कदम उठा रही है परन्तु नये तेल क्षेत्रों की खोज और उनके विकास के लिए काफी धन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त तेल का प्राप्त होना भाग्य की बात है। जहां तक हम और अधिक आत्म-निर्भर होंगे तेल के लिए हमारा आयात भार उतना ही कम होगा। आगे चल कर हम यह महसूस करेंगे कि हरेक जगह तेल समाप्त होने वाला एक संसाधन है और हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में तेल पर हमारी निर्भरता कम हो और कोयले जैसे अन्य स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिये। परन्तु आने वाले थोड़े समय के लिए ऊर्जा के इस साधन की हाल ही के वर्षों में जो बड़ी हुई कीमत है उसकी अदायगी से बचा नहीं जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) मुझे एक निवेदन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। नहीं, नहीं, यह वाद-विवाद नहीं हैं। आप पहले ही प्रस्ताव का नोटिस दे चुके है। उसी समय आप इस पर बहस कर सकते है आपको सहयोग देना चाहिए। अब श्री वेंकट सुब्बया प्रस्ताव रखेगें :

कार्य मंत्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बया) : मैं प्रस्ताव करता हूं; "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो जून, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ;

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो जून, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"। व्यवधान *

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : किस नियम के अनुसार।

उपाध्यक्ष महोदय : अवशिष्ट नियमों के अनुसार मुझे यह अधिकार है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि निम्नलिखित मदों को चर्चा के लिए शामिल कर लिया जाए तथा प्रत्येक पर दो घंटे चर्चा की जाए :-

1. हरिजनों की जान व माल की रक्षा करने में सरकार की असफलता पर विचार करना।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

2. हाल के विधान सभा के चुनावों में सत्तारूढ दल द्वारा सरकारी तंत्र के प्रयोग पर विचार करना तथा चर्चा करना।

3. युवकों (शिक्षित व अशिक्षित दोनों) में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर विचार करना।

मैं समझता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री मेरे संशोधनों को स्वीकार करेंगे। और भी अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे है जिन पर सभा को चर्चा करनी चाहिए। आपने देख लिया है कि इस देश में बड़े पैमाने पर हरिजनों की हत्या की जा रही है। यह ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हमारे जैसे देश के लिए यह शर्म की बात है कि हरिजनों को मारा जा रहा ह, जिन्दे जलाया जा रहा है और इस आशय के समाचारों से समाचार पत्र भरे पड़े है। इसलिए इस सभा को इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए।

पिछले चुनावों में सरकार ने गड़बड़ी करने मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने और अन्य बातें करने के लिए समस्त सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था और इस बारे में अनेक शिकायतें हैं। इसलिए यह एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सभा को अवश्य ध्यान देना चाहिए। अन्यथा लोकतंत्रीय संस्थाएं खतरे में है।

युवकों (शिक्षित और अशिक्षित दोनों) में भारी बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। युवकों में इस बारे में भारी रोष है और हम सभा में बार-बार यह प्रश्न उठा रहे है कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ समय अवश्य निकाले और इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिये। सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि योजना आयोग को बढती हुई बेरोजगारी की समस्या को प्रभावी रूप से सुलझाने के लिए कैसे प्राथमिकता देना हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं भी अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रिपोर्ट इस सिफारिश के साथ कार्य मंत्रण समिति को वापस भेजी जाएं कि कार्य मंत्रणा समिति निम्नलिखित विषयों सहित विषयों पर तुरन्त चर्चा के लिए विचार करें।

1. उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल में हुये विधान सभा के चुनावों में बड़े पैमाने पर हुई हेरा-फेरी के आरोप

2. देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति का पूर्ण रूप से बिगड़ जाना

3. मूल्यों में वृद्धि।

मेरा संशोधन कुछ बहुत महत्वपूर्ण मामलों के बारे में है। मैं आशा कर रहा था कि सरकार अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाने में पहल करेगी जिनसे हम सभी चिन्तित है जिससे सम्पूर्ण देश भी चिन्तित है। पहले तो मूल्यों का प्रश्न है।

माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने एक लम्बा वक्तव्य पढा उसमें से अधिकांश हमारी समझ में नहीं आया। स्पष्ट रूप से यह सच है कि सरकार ने इस एक निर्णय के माध्यम से मूल्य वृद्धि कर दी हैं जो कुछ क्षेत्रों में 10 से 15 प्रतिशत तक हुई है। बजट आने वाला है। अत्यावश्यक

में वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक है मैं मंगल सूत्र की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास मंगल सूत्र, मूल्य वृद्धि पर चर्चा करने का कारण मुझे बताया गया है—खाद्य तेल, कपड़े, व्यक्ति की अत्याधिक मूलभूत आवश्यकतायें जैसी आवश्यक मदों के बारे में कुछ ही दिनों में आपकी सरकार को सत्ता में आये छः महीने हो जाएगे। कीमतों को कम करने के बजाय—आपने लोगों को यह कहा है—अब आप प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों को बढाने में सहयोग दे रहे हैं। इस मामले पर सदन में चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है। देश में एक बडा विस्फोट होगा। लोग इसे सामने को तैयार नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि लोक सभा तथा राज्य सभा चुनावों के बीच मतदान 9 प्रतिशत तक कम हो गया है। तीन महीने तक आप नारे बाजी कर सकते है : जनता या लोक दल। लोग तीन महीने तक इसे मान सकते हैं, उससे अधिक नहीं। हम अब इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां कोई भी आपकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। प्रत्यक्षरूप से, सरकार स्वयं ही मूल्यों में वृद्धि कर रही है। इसलिये इस मामले पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मंगल सूत्र पर अवश्य ही बाद में चर्चा की जा सकेगी ; परन्तु अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर चर्चा करने की आवश्यकता है और मेरा संशोधन उससे संबधित है।

अगला प्रश्न कानून और व्यवस्था के बारे में है। पिछले वर्ष के अन्त तक, हमने इस देश में बहुत कुछ सुना, इस वर्ष 6 जनवरी तक हमने कहानियां सुनी कि दिल्ली की गलियों में घूमना-फिरना कैसे असम्भव था। पिछले कुछ दिनों में संसद सदस्यों के घरों में चोरी हुई। श्री ज्योतिर्मय बसु के घर में, श्री दंडवते के घर में चोरी हुई। निरंकारी बाबा की उनके घर पर हत्या की गई। गृह मंत्री पुलिस आयुक्त तथा अन्य छोटे व बड़े अधिकारियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों के बावजूद कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया—उन्होंने उस आदमी को पकडा था, परन्तु जिस आदमी ने अपराध किया वह पकड़ा नहीं गया। देश में अफवाहें फैली है ; लोग कहते हैं कि सरकार कुछ लोगों को संरक्षण देने का प्रयास कर रही है ; इस प्रकार की अफवाहें फैल रही हैं। यह केवल नमूने के तौर पर है। रेलवे डकैतियों, डकैतियों की संख्या देखिये.....(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बया : कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट सभा के समक्ष स्वीकार करने के लिये है ; आप अन्य बातों पर अलग से चर्चा कर सकते है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और नियमों के अधीन मुझे अनुरोध करने का अधिकार है। तीसरा प्रश्न जिस पर मेरा संशोधन आधारित हैं वह है विधान सभा के चुनावों में हेरा-फेरी। आदरणीय सदस्यगण काफी हैं। क्या कभी इतने व्यक्ति मारे गये थे, इतने उम्मीदवार मारे गये थे। उदीत नारायण शर्मा जैसे व्यक्ति मारे गये। आपने उन्हें मारा।—कितने और उम्मीदवार क्या आप को याद है ?

एक माननीय सदस्य : आपने उनको मारा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप सरकार है ; मैं सरकार नहीं था।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : व्यवस्था के प्रश्न पर.....(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरे संशोधन पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह पूछते हैं कि आप यह कैसे कह सकते हैं ; आपने इतने व्यक्ति मारे है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने उन को मारा । मेरे संशोधन का मतलब है कि सरकार ने उनके जीवन की रक्षा नहीं की । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डायनेमाइट केस ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप क्यों परेशान होते है ? डायनेमाइट की चर्चा आप अलग से करें । (व्यवधान)

मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि संसद सदस्य भी चोरों से सुरक्षित नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : इस देश में शरीफ लोगों का जीवन उनके घरों में भी सुरक्षित नहीं है । कोई भी व्यक्ति रेलों में यात्रा नहीं कर सकता । रेलों को लूटा जा रहा है । रेलों में सवारियों पर हमले किये जा रहे हैं । चुनावों में उम्मीदवारों की हत्या करायी जा रही है । तो यह एक पहलू है ?

मैं चुनाव में गडबडी के सम्बन्ध में कह रहा था । चुनाव गड़बड़ी मुद्दा मेरे मित्र श्री चन्द्रजीत यादव ने उठाया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लम्बा भाषण नहीं दे सकते ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं लम्बा भाषण नहीं दे रहा हूँ । लेकिन मैं अपने संशोधन का औचित्य दे रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : हर व्यक्ति गड़बडी के बारे में जानता है । आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं हैं (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमें इस पर चर्चा करनी होगी । आपकी इस स्वीकारोक्ति के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । इसी कारण से हमें चर्चा करनी है । मेरा अनुरोध है कि इस देश में आज दो प्रकार की अवैधानिक सरकारें हैं । इनमें से एक सरकार बिहार तथा दूसरी उत्तर प्रदेश में हैं । ये सरकारें अवैधानिक हैं । ये सरकारें जनता के वोट की शक्ति के आधार पर नहीं बनी हैं । ये सरकारें गडबड़ी के परिणामस्वरूप बनी हैं । ये सरकारें मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के परिणामस्वरूप बनी हैं। ये सरकारें देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक चुनावों के विरुद्ध हर प्रकार के कल्पनीय अपराध के परिणाम स्वरूप बनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये बातें होती रहती हैं ।

श्री जार्ज, कृपया मेरी बात सुनिये । आप वरिष्ठ संसद हैं । आप चाहते हैं कि इन बातों को वाद विवाद में शामिल किया जाये । आपको इन्हें इस ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे आपको इस सदन के सभी सदस्यों का सदभाव मिले । लेकिन आप उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं । आपने एक निहायत शरीफ व्यक्ति श्री वेंकट सुब्बया को भी नाराज किया है । आपको उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए ।

कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप शामिल करना चाहते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं अपने नजरिये को जोर-शोर से रख रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमेशा गुस्से में होते हैं । इससे आपको लाभ नहीं होगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप मुझे हमेशा मुस्कुराता हुआ ही पायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलते हैं तो हमेशा नहीं मुस्कराते हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरी दो बातें और हैं, उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । सूखे की समस्या एक बहुत ही गम्भीर समस्या है और मैं चाहता हूं कि इस पर इस सदन में आविलम्ब चर्चा करने की आवश्यकता है ।

इस देश में 20 करोड़ व्यक्ति सूखे से प्रभावित हुए हैं । पिछले एक वर्ष से यह समस्या चल रही है । इस समस्या के बारे में हम उन लोगों से सुना करते थे जो आज मंत्रि पदों से बोल रहे हैं । पिछले पांच महीनों से सूखे की समस्या पर कोई चर्चा नहीं की गयी है । ग्रामीण क्षेत्र में लोग मर रहे हैं । इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए । मेरा सुझाव है कि इसे चालू कार्यसूची में अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं उत्तर-पूर्व राज्यों की स्थिति के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा । असम पर चर्चा हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह मुद्दा संशोधन में नहीं रखा है । मुझे खेद है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा के बारे में ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तीनों मुद्दों पर बोल चुके हैं । कृपया अपनी बात समाप्त करें । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया बैठ जाइये । मैं श्री चित्त बसु को बुला रहा हूं ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : माननीय मंत्री महोदय की घोषणा में कई बातों का जिक्र नहीं किया गया है ।

मेरे मित्र ने कुछ पहलुओं पर पहले ही प्रकाश डाला है । आने वाले सप्ताह की कार्य सूचि में मुख्य बात जिसे मैं सम्मिलित कराना चाहता हूँ वह है कानून तथा व्यवस्था की स्थिति । चूंकि मेरे साथी श्री जार्ज फर्नान्डीस विस्तार से इस बारे में कह चुके हैं, मैं इस विषय पर विस्तृत चर्चा करके आपका समय नहीं लूंगा । कानून और व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है । इस सभा को कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए जिससे लोग सुरक्षा का आश्वासन पा सकें । एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में वर्तमान संसदीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपति शासन पद्धति लाने का सुझाव दिया है, मेरी आशंका यह है और मेरा विश्वास है कि सभा और आप उस आशंका से सहमत होंगे, कि यह आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की ओर से आया हुआ एक साधारण शब्द नहीं है बल्कि वर्तमान संसदीय पद्धति के स्थान पर एक अन्य प्रकार की पद्धति लाने की स्थिति पैदा करने का एक अविरल षडयंत्र रचा जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल दो मिनट ही लेंगे। सात सदस्य हैं।

श्री चित्त बसु : यह बात अखबारों में छपी है कि एक विशेषज्ञ दल फ्रांस की राष्ट्रपति पद्धति का अध्ययन करने के लिये वहां भेजा गया है। वह इस प्रकार का एक प्रारूप तैयार कर रहा हैं। इसका सारा उद्देश्य हमारे देश में संविधान में संशोधन करके निरंकुश तथा वंशानुगत शासन स्थापित करना है। यह प्रजातंत्र के लिए गम्भीर खतरा है। यह इस सभा को भी गंभीर खतरा है। अतः संसद को इस पर चर्चा करनी चाहिए। जब तक इस पर चर्चा नहीं होती, इस महान संस्था का भविष्य खतरे में है।

सूखे की स्थिति पर भी चर्चा की जानी चाहिये क्योंकि भारी संख्या में लोग अब सूखे की चपेट में हैं और सरकार ने सूखाग्रस्त लोगों को पर्याप्त राहत पहुंचाने के लिये उठाये गये तथा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं बताया है। यह बताया गया है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने आवंटित निधियों को भी खर्च नहीं किया है। अतः सूखे की स्थिति पर चर्चा करना आवश्यक है।

अभी-अभी पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री महोदय ने एक विवरण दिया है। यह एक विस्तृत विवरण था तथा सभा के पास इस मामले पर चर्चा करने के लिये समय नहीं था। केवल यही नहीं। संसद की बैठक से केवल एक दिन पहले मूल्य वृद्धि की घोषणा की गयी, जो संसद के लिये अपमान की बात है। इस पर स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी टिप्पणी की थीं तथा यह कहा था कि यह एक अनौचित्य का मामला था। अतः इस विषय पर किसी भी तरह चर्चा के लिए समय निकाला जायें तथा इसका फैसला आप करें।

अंत में, नौ राज्यों में विधान सभाओं के लिये हुए चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। चुनाव होने से पूर्व हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि बिहार में परिणाम भी घोषित नहीं किये जा सके। 32 निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में परिणाम घोषित नहीं किये गये हालांकि चुनाव एक सप्ताह पहले हो चुके थे। इससे जनता के मन में शंका पैदा की है क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थी, उन्होंने सारी बात में हेरफेर किया। इससे काफी शंका पैदा हुई है। (व्यवधान) यदि हम चर्चा करना चाहते हैं तो इसमें क्या हानि है ? मंत्री महोदय को आरोपों को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी। मेरी मांग हानिकारक नहीं है अर्थात इस सभा को इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाये जिससे सत्य का पता लग सके। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये लोग इस मांग से उत्तेजित क्यों होते हैं। श्रीमान् जी, आप इन सब बातों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कराने में हमारी सहायता करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन्, पेट्रोल, उर्वरक, डीजल, मिट्टी का तेल तथा विटूमीन की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा करने के लिये एक नोटिस है। यह सौदा एक ब्रिटिश फर्म के माध्यम से किया गया है और चौकड़ी के एक बहुत ही नजदीकी सत्ताधारी दल के एक व्यक्ति ने कमीशन मारा है। कमीशन की धनराशि लगभग 70 लाख पौंड बैठती है। मैं इस बात पर सभा में इसलिये चर्चा चाहता हूं क्योंकि इस मूल्य वृद्धि का अन्तिम प्रभाव बहुत अधिक होगा। यह गगन चुम्बी होगा और साधारण व्यक्ति की जेब से जायेगा। (व्यवधान) जो कुछ भी मैंने कहा है उसको साबित करने के लिये मैं पर्याप्त कागजात प्रस्तुत करूंगा।

फिर विशेष तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनाये गये अनुचित तरीके के बारे में गम्भीर आरोपों का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में दूसरों ने जो कुछ कहा है मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा लेकिन चुनावों से पहले भारी संख्या में अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा सिविल कर्मचारियों के तबादलों के बारे में कहूंगा। तत्पश्चात्, यह आरोप है कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने में राज्य प्रशासन ने पुलिस तथा सिविल कर्मचारियों की सहायता ली। कुछ मामलों में एक सप्ताह तक परिणामों की घोषणा क्यों नहीं की गयी थी ? मैंने सत्ताधारी दल के एक सदस्य से यह सुना है कि यदि बिहार में निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव होते तो उन्हें वहां बहुमत प्राप्त नहीं होता (व्यवधान) हम सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं जबकि 33 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी 20 करोड़ जनता खाद्य और जल के अभाव में मर रही हैं। पानी की कमी से पशु मर रहे हैं। मैं राजस्थान गया था और मैंने वहां देखा कि कुए से एक बाल्टी पानी लेने के लिये लोग 2 रुपये ले रहे थे। इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

श्री एस० सी० गुप्त ने मारुति आयोग पर रिपोर्ट दी है। पिछले कुछ समय में आया यह एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हम मारुति आयोग रिपोर्ट पर बहस चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि आयोग ने जिन व्यक्तियों का नाम लिया है उन पर अभियोग चलाया जाये तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाये।

हम भारतीय न्यायपालिका को इस सरकार द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी की कठपुतली बनाये जाने की अनुमति नहीं देंगे। मैं लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र, "इकानोमिक्स टाइम्स" में छपी खबर का हवाला दे रहा हूं जहां तक अपराध स्थिति का प्रश्न है, क्या कि भारतीय न्यायपालिका को श्रीमती इंदिरा गांधी की कठपुतली बना दिया गया है। आपने कभी यह सुना है कि संसद भवन के 50 गज के फासले में एक संसद सदस्य का दरवाजा दिन के तीन बजे तोड़ दिया गया ? यह कौन करता है ? आसूचना ब्यूरो के अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग में एक आपराधिक कार्यवाही दल है। चोर अन्दर गया। वह मेरे सोने वाले कमरे में नहीं गया। वह मेरे कार्यालय में दस्तावेजों को देखने के लिए गया। टाइप की मशीन उठा लेना तो मात्र धोखा है। पुलिस आयुक्त श्री भिन्डर ने बताया कि वह सुनिश्चित करेंगे कि मुझे टाइप राइटर मिल गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आसूचना ब्यूरो तथा अनुसंधान व विश्लेषण विभाग की इस चोरी को नहीं रोक सकते और पुलिस को भी नहीं रोक सकते।

चीनी निर्यात तथा सीमेंट आयात से संबंधित श्री सराजपाल को जो लंदन में चीनी विनिमय तथा सीमेंट के आयात के लिए बैठे हुए हैं, क्या कमीशन मिला ? हमें दस्तावेजों की तलाश करने के लिए ये यात्राएं करनी होती हैं। दिल्ली में फोटोस्टेट मशीन उपलब्ध है। इस मद को यथा सम्भव शीघ्र वाद-विवाद में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : क्या आप जानते हैं कि सराज पाल श्री ज्योति बसु के पुत्र के ससुर हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : ज्योति बसु के पुत्र के ससुर मर चुके हैं। मैं इसकी सच्चाई का आश्वासन देता हूं और यह बात पुरजोर कहता हूं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : आप अपनी खातिर ज्योति बसु के पुत्र के पितृत्व से भी इन्कार कर सकते हैं।

हमारे चित्त बसु जी ने एक सवाल उठाया है और उस पर राज्य सभा में बहस भी हो चुकी है। एक योजना बन रही है, एक कांस्पिरेसी चल रही है कि भारत में प्रैजीडेंशल फार्म आफ गवर्नमेंट होनी चाहिये। राज्य सभा में इसकी चर्चा हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि यहां बहस होनी चाहिये कि हिन्दुस्तान में जनतंत्र का भविष्य क्या होने जा रहा है, क्या डा० चन्ना रेड्डी की बात मानी जाएगी या लोक सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों की मानी जाएगी ? फार्म आफ गवर्नमेंट क्या होना चाहिये इस पर बहस का मौका दिया जाना चाहिये।

एक बात मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। देश में और बिहार में भी बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनायें चल रही हैं। उस पर क्या काम हो रहा है, लोगों को उनसे लाभ मिल रहा है या नहीं इस पर चर्चा का मौका दिया जाना चाहिये और उन परियोजनाओं की समीक्षा होनी चाहिये। उनसे देश को क्या लाभ हो रहा है, क्यों जो योजनायें हैं, जो बन रही हैं उन पर खर्चा बढ़ता जा रहा है, क्यों उनसे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, इस पर बहस का मौका दिया जाना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि इन पांच बिन्दुओं पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार हो और वह समिति इस पर बहस करने का मौका दे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : महोदय, बम्बई शहर को उप-नगरीय रेल सेवाओं के पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाने के कारण बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। पिछली बार भी मैंने यह मामला सदन में उठाया था तथा मुझको यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर विचार-विमर्श किया जायेगा। चूंकि अब बम्बई एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शहर है तथा लगभग 10 मिलियन व्यक्ति बृहत् बम्बई क्षेत्र में रहते हैं तथा विशेष रूप से निर्धन व्यक्तियों को बम्बई से बाहर रहना पड़ता है अतः बम्बई के निर्धन व्यक्तियों के लिए उप-नगरीय सेवाएं अत्यन्त आवश्यक हैं तथा ये सेवाएं, विशेष रूप से मध्य रेलवे में अत्यन्त अव्यवस्थित स्थिति में हैं। अतएव मैं चाहूँगा कि सदन इन क्षेत्रीय समस्याओं में रुचि ले जोकि केवल इस सदन के द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं क्योंकि रेलने केन्द्र का विषय है। अतः मैं चाहूंगा कि बम्बई की उप-नगरीय सेवाओं के विषय में शीघ्र ही विचार-विमर्श किया जाय।

दूसरी बात, जब इस नई सरकार ने कार्य भार संभाला था, इन्होंने गन्दी बस्तियों के स्थान पर पक्के मकान बनाने की गन्दी बस्ती सम्बन्धी एक नई नीति प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया था तथा मन्त्री महोदय ने तत्सम्बन्धी वक्तव्य भी दिया था। मैंने पुनः इसे प्रथम तथा द्वितीय अधिवेशनों में भी उठाया था तथा दोनों बार उन्होंने कहा था "हां, मेरी इसमें रुचि है।" मैंने कल एक प्रश्न दिया था मगर वो अतारांकित हो गया। उसके उत्तर में भी इन्होंने कहा था कि वे एक नीति निर्धारित करने वाले हैं। यहां यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में गन्दी बस्तियां हैं। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, जब आप यहां उपाध्यक्ष नहीं थे, तब आपकी पार्टी ने गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ अच्छा कार्य किया था। इसलिए इस समस्या के प्रति हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए क्योंकि अनेक नगरों में गन्दी

बस्तियां हैं जिनमें निर्धन व्यक्ति रहते हैं परन्तु संसद ने कभी भी गन्दी बस्ती सम्बन्धी नीति पर विचार नहीं किया है।

तीसरे, जैसाकि अफगानिस्तान के मामले से स्पष्ट है, इस सरकार की विदेश नीति पूरी तरह असफल रही है। इस सदन ने अफगानिस्तान के मसले पर उचित रूप से विचार नहीं किया है। हमने कुछ सन्दर्भों में ही इस पर चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि इस समय वे इस मसले पर अनुदान की मांगों के अन्तर्गत विचार करने पर सहमत होंगे, परन्तु ऐसा किया नहीं जा सकता। पहले यह परम्परा रही है कि विदेश नीति पर नियमित प्रस्ताव लाकर चर्चा की जाए। अतः हमें इस सरकार द्वारा चीन के सम्बन्ध में उठाए गये नये प्रयासों, विशेषकर अफगानिस्तान के प्रश्न पर, पूरी बहस करनी चाहिए।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस विषय पर आम सहमति के अनुसार समय निर्धारित किया गया है। माननीय सदस्यों को ये सुझाव अगले सप्ताह के कार्य की घोषणा के समय देने चाहिए थे। इन सभी मुद्दों को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जायगा। अतः मैं यह चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री चन्द्रजीत यादव अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इस पर अगली बैठक में विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति प्राप्त है ?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस का अपने संशोधन के बारे में क्या विचार है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यदि वे स्पष्ट आश्वासन दें, तब मैं इसे वापस लेता हूँ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैंने यह कहा था कि ये सुझाव अगले सप्ताह के कार्य की घोषणा के समय दिये जाने चाहिए। ऐसा करना अधिक संगत होता। चूंकि अब सुझाव दिये गये हैं, कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इन पर विचार किया जाएगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस आश्वासन के पश्चात् मैं संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इन्हें अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति प्राप्त है ?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से जो 9 जून, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य

(एक) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य जिसमें उन्होंने भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली का सुझाव दिया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्न मामला उठाना चाहता हूं :

पिछले 33 वर्षों के प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना हैदराबाद में सत्तारूढ़ दल के नेता तथा मुख्यमंत्री का विधि मंत्री की उपस्थिति में यह सार्वजनिक घोषणा करना है कि वर्तमान संविधान के स्थान पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए यद्यपि वे वर्तमान संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं। वर्तमान संसदीय प्रणाली में बाधाओं का बहाना लेकर वे इसके स्थान पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली को स्थापित करना चाहते हैं।

इसका वास्तविक अर्थ एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण सत्ता का केन्द्रीयकरण करना होगा तथा वह वस्तुतः तानाशाही प्रणाली ही होगी।

यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। प्रधानमंत्री को इस सदन की नेता तथा वर्तमान संविधान में निष्ठा होने के नाते इस मामले में सरकारी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए सदन में एक वक्तव्य देना चाहिए। यदि सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता, तो जनता यह समझेगी कि ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, वह सच है।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। माननीय सदस्य द्वारा नियम 377 के अन्तर्गत उठाया गया मामला हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मेरी उपस्थिति में की गई कथित सार्वजनिक घोषणा से संबंधित है। माननीय सदस्य का इशारा शायद 2 जून 1980 को संविधान के तेलगू रूपांतर को जारी करने के लिए आयोजित समारोह में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर है। मैं भी उस समारोह में उपस्थित था तथा मैंने मुख्य मंत्री से पहले भाषण दिया था।

बहुत अधिक प्रसार संख्या वाले दैनिक "दक्कन क्रानिकल" ने अपने 3 जून, 1980 के अंक में मुख्य मंत्री के भाषण को विस्तृत रूप से छापा था। दैनिक के संगत उद्धरण इस प्रकार है :—

> "मुख्य मंत्री डा० चेन्ना रेड्डी ने आज देश के लिए एक ऐसे नये संविधान को तैयार करने पर बल दिया जोकि जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर तथा जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने का सक्रिय साधन बन सके।"

संविधान में किये गये अनेक संशोधनों की ओर संकेत करते हुए मुख्य मंत्री ने टिप्पणी की कि इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों से जनता की अपने सपने साकार करने की आकांक्षा की अभिव्यक्ति होती है। संविधान में परिवर्तन की ओर उल्लेख करते हुए उन्होंने जो टिप्पणी की थी, वह भी उक्त दैनिक के उसी तिथि के अंक से उद्धरित है :—

> "उन्होंने कहा कि नये संविधान के औचित्य पर विचार करने का समय आ चुका है तथा आगे कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है।"

दैनिक के अनुसार, उन्होंने आगे टिप्पणी की कि :—

"उन्होंने कहा कि वह एक नेता की हैसियत से सत्तारूढ़ दल की विचारधारा अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं।"

तथापि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नया संविधान केवल चुनाव के प्रजातान्त्रिक तरीके से जनता का विश्वास प्राप्त करने के पश्चात् ही लिखा जा सकता है।

मैंने उक्त समाचार पत्र 'दक्कन क्रानिकल' के उद्धरणों को आधार माना है। यह पत्र आज मुझे उपलब्ध हुआ। जहां तक मुझे याद है मुख्य मंत्री ने·····

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने क्या सुना था ?

श्री पी० शिवशंकर : क्या आप कृपया मेरे वक्तव्य की समाप्ति तक इंतजार करेंगे ? आपको अनावश्यक रूप से उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक मुझे याद है, मुख्य मंत्री ने वर्तमान संविधान के स्थान पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली को स्थापित करने की बात कभी नहीं कही, जैसा कि नियम 377 के अन्तर्गत मामले को उठाने का प्रयास द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा की जा रही है। माननीय सदस्य बिना वजह तिल का ताड़ बना रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अनुचित है। हम राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचारपत्रों की कतरनें प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने आप जैसे बहुत मंत्री देखे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र प्रचार के सस्ते तरीके अपना रहे हैं। मैं इनको उसी प्रकार उत्तर दूंगा जैसाकि···(व्यवधान)···वह अपने आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं·····

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 377 के अन्तर्गत।

श्री पी० शिवशंकर : मैं नियम 377 के अन्तर्गत इनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर दे रहा हूं। क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 के अन्तर्गत है। ये दक्कन क्रानिकल का उल्लेख कर रहे हैं। इन्होंने वह नहीं बताया है जो इन्होंने अपने कानों से सुना है। वे वहां उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : मेरे माननीय मित्र के साथ परेशानी यह है कि वह मेरे वक्तव्य को ठीक रूप से सुनना नहीं चाहते । मैं इसे पुनः दोहराता हूं ।

जहां तक मुझे याद है, मुख्य मंत्री ने वर्तमान संविधान के स्थान पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली को स्थापित करने की बात कभी नहीं कही, जैसा कि नियम 377 के अन्तर्गत मामले को उठाने के प्रयास द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा की जा रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप यह क्यों कहते हैं कि "जहां तक मुझे याद है" ? आप स्पष्ट बात क्यों नहीं कहते ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा हो तो क्या वक्तव्य के बीच में इस प्रकार बाधा उत्पन्न की जाती है । पहले आप उनकी बात सुनें । तत्पश्चात्, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें । लेकिन इस प्रकार नहीं । यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चला सकेंगे । वह वक्तव्य दे रहे हैं । नियम 377 के अन्तर्गत इनसे वक्तव्य की अपेक्षा नहीं की जाती । परन्तु ये फिर भी वक्तव्य दे रहे हैं । आपको इस बात से खुशी होनी चाहिए ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं फिर कहता हूं कि माननीय सदस्य बिना वजह तिल का ताड़ बना रहे हैं । ये मुख्य मंत्री द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणा के आधार पर अपने आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं परन्तु हैदराबाद में दिए गए उनके वक्तव्य से इसकी पुष्टि नहीं होती ।

ऐसी स्थिति को देखते हुए, माननीय सदस्य अथवा अन्य किसी को भी किसी प्रकार की आशंका तथा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । यद्यपि संविधान की प्रस्तावना तथा अन्य भागों में उल्लिखित महान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संशोधन सदैव सम्भव है, तथापि वर्तमान संसदीय प्रणाली की सरकार को राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सरकार में बदलने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया एक मिनट मेरी बात सुनें । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात और आगे सुनना नहीं चाहता । श्री ज्योतिर्मय बसु जो कुछ भी बोलेंगे वह मेरी अनुमति के बिना बोलेंग, उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाय ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * *

---

* * कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करना

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न-लिखित मामला उठाना चाहता हूं।

यह एक बहुत गम्भीर मामला है कि सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिये जाने तथा निर्णय कर लिये जाने के बावजूद हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की चार यूनिटें पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं और उनमें से दो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। केन्द्रीय सरकार ने निगम को अनुदेश दिये थे कि वे पहली अप्रैल, 1980 को या उससे पहले मुख्यालय को स्थानान्तरित कर लें। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार उक्त मुख्यालय के लिए स्थान तथा कर्मचारियों के लिये आवास उपलब्ध कराने को सहमत थी। राज्य सरकार ने 5 रुपये प्रति वर्ग फुट के न्यूनतम किराये पर कलकत्ता में पोद्दार कोर्ट बिल्डिंग में पूर्णतया वातानुकूलित फ्लोर (2600 वर्ग फुट) का प्रबन्ध कर दिया है तथा उसने इस प्रयोजन के लिये उक्त फ्लोर का 3 महीने का 1,50,000 रुपये किराया भी दे दिया है।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : माननीय सदस्य ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के कार्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित करने का उल्लेख किया है। यह सच है कि इस सम्बन्ध में, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी तथा माननीय सदस्य जिन्होंने अभी वक्तव्य दिया है, मुझ से मिले थे और इस बारे में चर्चा की थी और मैं इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य मंत्री से पत्र व्यवहार कर रहा हूं। उन्होंने यह बात अभी उठाई है और मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वह इस बात को उठायेंगे वरना मैं वक्तव्य के लिये तैयार होकर आता। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे वक्तव्य देने के लिये मुझे कुछ समय दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत माननीय सदस्य जो मामले उठाते हैं उनके बारे मंत्रियों को सूचना नहीं दी जाती है, यह तो बड़ी अजीब बात है।

सभापति महोदय : मुझे ऐसा बताया गया है कि थोड़ी सी लेट इंफार्मेशन दी जाती है।

(तीन) महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बीमा तालिका के बीमा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हड़ताल का समाचार

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मैं पहली मई, 1980 से महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की तालिका के लगभग 3,000 इंश्योरेंस मैडिकल प्रेक्टीशनर्स की अनिश्चित कालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इन डाक्टरों की मुख्य मांगें यह हैं :

(एक) उन्हें इस समय जो प्रतिमास, प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति 2 रुपये 50 पैसे फीस दी जाती है उसे बढ़ाकर प्रतिमास, प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 5 रुपये 10 पैसे कर दी जाये।

(दो) उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा संबंधित समितियों में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये।

(तीन) बीमा शुदा कर्मचारियों को उनके नियोक्ता की गलती के कारण अनुचित रूप से अधिकार से वंचित करने की वर्तमान प्रक्रिया जिससे कर्मचारियों और डाक्टरों दोनों को ही हानि हो रही है, पूर्णतया परिवर्तन की जानी चाहिए।

जैसाकि डाक्टरों ने सुझाव दिया है, स्कीम के अन्तर्गत किसी बीमा शुदा कर्मचारी (आई० पी०) को चिकित्सा लाभों के अधिकार से वंचित करने की सम्पूर्ण वर्तमान प्रक्रिया अनियमित है तथा उनमें पूर्णतया परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि कोई बीमा शुदा कर्मचारी जब तक कि वह बीमा शुदा रोजगार में है तथा उसका अंशदान उसके वेतन से काटा गया है इस अधिकार से वंचित न रहे।

डाक्टरों की अन्य दो मांगें भी सर्वथा उचित हैं। इंश्योरेंस मैडिकल प्रेक्टीशनर डाक्टर इस योजना में प्रमुख कार्यकर्ता होता है तथा चिकित्सा व्यवसाय के वर्तमान अन्य प्रतिनिधियों के साथ इन डाक्टरों के प्रतिनिधित्व से इस योजना को सहानुभूति पूर्ण ढंग से चलाने तथा उसे लोकप्रिय बनाने में सहायता मिलेगी।

मैं यह बात मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अधिकतर राष्ट्रीय मजदूर संघों (हिन्द मजदूर सभा, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन) ने इस बात को जल्दी तय करने के लिए डाक्टरों तथा निगम की मांगों का दृढ़ता से समर्थन किया है।

डाक्टरों की हड़ताल एक महीने से हो रही है और मैं श्रम मंत्री से गम्भीरता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वह इस मामले की शीघ्र जांच करें तथा इन बीमा डाक्टरों तथा कर्मचारियों को न्याय दिलायें।

(चार) बिहार में पटना-हाजीपुर गंगा पुल के निर्माण में कथित विलम्ब

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैंने इस सवाल को पिछले सत्र में भी उठाया था और सरकार की ओर से आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन की पूर्ति अभी तक नहीं की गई है। मैं यह चाहूंगा कि सरकारी पक्ष से, भीष्म बाबू यहां पर बैठे हुए हैं, वह भी इसकी गम्भीरता को समझेंगे और इस पर कुछ बोलेंगे।

बिहार में पटना हाजीपुर गंगा पुल निर्माण का कार्य पिछले दस वर्षों से चल रहा हैं, लेकिन अभी भी अधूरा पड़ा हैं। पुल के निर्माण की लागत अनुमानित व्यय से काफी बढ़ गयी है। उस पुल का निर्माण का कार्य "गेमन कम्पनी" द्वारा कराया जा रहा है। इस

साल भी सीमेंट के अभाव में पुल निर्माण का कार्य बन्द है । यह पुल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है तथा भारत नेपाल को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है । वैसे यह पुल राज्य सरकार से सम्बन्धित है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना अवधि में इस पुल पर 50 प्रतिशत खर्च के लिये गैर योजना ग्रहण दिया ।

जिस रफ्तार से पुल निर्माण कार्य चल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी कई वर्षों में भी पुल का निर्माण नहीं हो सकेगा । विगत सत्र के दौरान सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि सीमेंट के अभाव में गंगा पुल का निर्माण कार्य नहीं रुकेगा, लेकिन पिछले एक वर्ष से सीमेंट के अभाव में कार्य बन्द है ।

अतः भारत सरकार से मांग है कि केन्द्रीय अनुदान देकर तथा प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब पटना हाजीपुर गंगा पुल का निर्माण का कार्य पूरा किया जाये ।

सभापतिजी, यह सिक्योरिटी प्वाइंट ऑफ व्यूह से भी जरूरी है और हमारे बहुत से मैम्बर्स को, जिन लोगों को उस पार जाना पड़ता है, नार्थ बिहार में, उन तमाम लोगों के सामने यह कठिनाई है । विगत दस सालों से इस पुल का कार्य चल रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से चल रहा है, उससे आगे आने वाले दस वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकेगा । इसलिये मैं सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं चूंकि एक साल से काम बन्द है । सरकार ने कहा था कि काम बन्द नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक साल से काम बन्द है । कृपया कर मंत्री जी यह बतलायेंगे कि किन कारणों से काम बन्द है और ऐसी कोशिश करेंगे कि काम बंद न हो। भीष्म बाबू आप कृपा कीजिये, आप भी उस पार के हैं, आपको भी तो जाने में दिक्कत होती है। सारे का सारा सदन साथ में है । पिछले सत्र में जो आश्वासन दिया गया था, आप उस आश्वासन को देखिये, ताकि कम-से-कम काम रुके नहीं ।

सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार जिस चीज पर आश्वासन देती है, सरकार का यह फर्ज है कि वह उसको देखे कि वह काम पूरा हुआ है या नहीं । जब पिछली बार सरकार ने आश्वासन दिया है, तब फिर सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है ।

सभापति महोदय : आश्वासन कमेटी में उसको लेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : आश्वासन कमेटी उसको देखेगी, लेकिन हम लोग जो यहां कहते हैं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । उस मामले पर क्या आप सरकार से बात नहीं कर सकते हैं । आप सरकार को कहिये कि वह इस बारे में जबाव दे ।

सभापति महोदय : हम मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण या वक्तव्य देने के लिये मजबूर नहीं कर सकते । आपने यह मामला उठा दिया है । आपने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है ।

श्री इंद्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : क्या यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि नियम 377 के अंतर्गत उठाये गये वे सभी मामले अलग-अलग मंत्रियों को भेज दिये जाते हैं ? और उन्हें उचित समय के अंदर एक या दो दिन के अंदर उनके उत्तर में वक्तव्य देना चाहिये । ऐसा किया जाता है अथवा, नहीं ? अन्यथा मामलों को यहां उठाने का क्या लाभ है ?

सभापति महोदय : वह मंत्री पर निर्भर करता है कि वह कुछ कहे अथवा न कहे। हम किसी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप बाध्य नहीं कर सकते। किन्तु सभी मामले उनके पास भेजे जाते हैं या नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : हमारी भावनाओं को सरकार तक क्या आप पहुँचा देंगे। अभी एक मंत्री ने कहा है कि हमको पहुंचा नहीं है।

सभापति महोदय : अभी आपने कहा है इसलिये पहुंच गया है।

आसाम के सम्बन्ध में जारी की गयी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प-जारी

सभापति महोदय : अब हम आसाम के सम्बंध में उद्घोषणा को लागू रखने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर आगे चर्चा आराम करेंगे।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : महोदय, इसके पूर्व कि हम सांविधिक संकल्प पर आगे से चर्चा आरम्भ करें, मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अब केवल एक घन्टे का समय बच गया है। यह समय काफी नहीं है क्योंकि इस विषय पर अनेक दलों के सदस्यों को बोलना है तथा मंत्री महोदय को भी उत्तर देना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे इस संकल्प के लिए दो घंटे का समय बढ़ा दें।

सभापति महोदय : क्या सभा और अधिक समय बैठने के लिये तैयार हैं ? यदि सभा इसके लिए तैयार है तो हम इसके लिए और अधिक समय दे सकते हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हान (सतारा) : हम आसाम में राष्ट्रपति शासन की छः महीने की अवधि और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लाये गये सांविधिक संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा विचार है कि यह एक औपचारिकता है जिस पर मैं सहमत हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

किन्तु हम यहां उस औपचारिकता पर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आसाम के प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आसाम की समस्या क्या है ? इसका वास्तविक कारण क्या है। इसे किस प्रकार और कैसे निपटाया जाना चाहिए। यह समस्या देश की सभी पार्टियों और मैं तो यह कहूंगा कि इस देश के सभी देश भक्त नागरिक के सामने है।

जब यह आन्दोलन आरम्भ हुआ था उस समय मुझे पिछली सरकार में इस समस्या को निपटाने का अवसर मिला था। उस समय मांग यह की गई थी कि चुनाव नहीं किये जाने चाहिये और चूंकि चुनाव नहीं किये गये कोई भी व्यक्ति चाहे उसके इरादे कितने ही अच्छे क्यों न हों राष्ट्रीय संसद के गठन के लिए देश में चुनाव करने की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहेगा। मैंने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मण्डल, राजनितिक पार्टियों के प्रतिनिधि मण्डलों से मिलने

का भरसक प्रयास किया तथा एक बार गोहाटी के दौरे पर दो दिन ठहरने के बाद भी मैं कोई फैसला नहीं कर सका क्योंकि मैं जानता था कि इस समस्या को सुलझाना आसान नहीं। इस मामले के सम्बन्ध में लोगों के मन में यह संदेह और आक्रोश है। इस समय लोगों की यह भावनायें हैं और वे इस आधार पर है कि असाम में बहुत अधिक संख्या में विदेशी हैं। जिसके कारण असाम के लोगों का विचार हैं कि वे आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से दबे हुए हैं और इसलिए उन्हें निर्वाचित कर दिया जाना चाहिये ···(व्यवधान)।

यह ठीक है। यह कहा जाता है कि वे यह चाहते हैं कि उनके नाम मतदाता सूचि से हटा दिये जाने चाहिये। सबसे पहली बात यह है कि वे अभी चुनाव नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि मतदाता सूचि को ठीक किया जाये और उनके नामों को हटा दिया जाये तथा मतदाता सूचि को उनकी धारणा के अनुसार ठीक किया जाये। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि असाम के जीवन में बहुत अधिक अन्तर्विरोध है क्योंकि तथाकथित विदेशियों की मद समस्या अत्यन्त जटिल है। यह एक बहुत जटिल समस्या है एक प्रकार से यह एक घनीभूत समस्या है क्योंकि पिछले 10 या 20 वर्षों में इस प्रश्न को अनेक बार उठाया गया है। मुझे याद है जब मैं गृह मंत्री था तब भी यह समस्या सामने आई थी और मैं संदिग्ध विदेशियों के मामलों की जांच करने के लिऐ न्यायाधिकरण नियुक्त करने को सहमत हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि उन न्यायाधिकरणों को क्यों समाप्त किया गया। व्यक्तिगतरूप से मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने उनका न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए सहमत किया जिससे कि ऐसा कोई तन्त्र हो जो उनके मनसे संदेह को दूर कर सके। अब स्थिति यह है कि अत्यन्त अतिवादी रवैया अपना लिया गया है। आन्दोलन के नेताओं का विचार है कि लगभग 50-60 लाख व्यक्ति विदेशी हैं। किन्तु हम में से कुछ का यह विचार है और मेरा विचार है कि सभी पार्टियों का यह विचार है कि वे इस बात से सहमत हैं कि यह मामला बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए और जब वे यह कहते है कि इस समस्या पर बातचीत की जानी चाहिए तो यह माना जा सकता है कि कुछ विदेशी हैं। कुछ विदेशी हैं और उन विदेशियों की समस्या सुलझाई जानी चाहिए। प्रश्न यह है कि इसे कैसे सुलझाया जाये तथा किस तन्त्र के द्वारा सुलझाया जाये तथा किन सिद्धान्तों तथा मानदण्ड़ों के आधार पर सुलझाया जाये आदि। वास्तवमें यही प्रश्न है और मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री ने उस आन्दोलन को समाप्त करने के लिए उन लोगों को कहा है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उस आन्दोलन को समाप्त करने की बात का समर्थन करता हूँ क्यों कि जब तक आन्दोलन समाप्त नहीं किया जाता तब तक उचित प्रकार से इस बात पर बातचीत नहीं हो सकेगी कि किन सिद्धान्तों पर इस पर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि असाम के बारे में हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह एक सैद्धान्तिक समस्या नहीं है यह एक बहुत गम्भीर राजनीतिक वास्तविकता है। इस समय प्रश्न असाम का ही नहीं वरन् सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारत का है। अतः मेरा विचार है कि प्रत्येक देश भक्त को इस देश की अखण्ड़ता और एकता की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। निस्सन्देह आज इस बात को सबसे अधिक महत्व देने की जरूरत है। इसके लिए बातचीत आरम्भ करनी होगी। जब प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पदभार संभाला किया तो उन्होंने शुरुआत अच्छे ढ़ंग से की। उन्होंने लोगों को बुलाया, हम में से कुछ लोगों को, राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया और इस मामले पर हमसे विचार विमर्श किया। मेरा ख्याल है कि हम में से कुछ लोगों ने यह कहा था कि 1971

को आधार वर्ष माना जाये, जबकि कुछ दूसरे लोगों ने 1961 को आधार वर्ष मानने के लिए कहा। अधिकांश लोगों का कहना था कि 1971 को ही आधार वर्ष माना जाये। किन्तु बाद में बातचीत के दौरान यह पाया गया कि किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मानने का सिद्धान्त व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि इससे बातचीत आरम्भ करने की परिस्थितियां नहीं बन पायेंगी। अतः कोई भी अब उस बात पर जोर नहीं दे रहा है। कम से कम सरकार तो इस बात पर जोर नहीं दे रही है। जहां तक मैं सरकार की नीति को समझ सका हूं, वह किसी खास वर्ष को आधार वर्ष मानने पर जोर नहीं दे रही हैं। हमें बातचीत आरम्भ करनी होगी किन्तु बातचीत हमेशा कुछ सिद्धांतों पर ही की जानी चाहिए। किस आधार पर हम बातचीत आरम्भ कर सकते हैं सबसे पहले हमें उन लोगों से अपील करनी चाहिए कि वे आयें और देश के नेताओं के साथ बैठ कर बातचीत करें, यह सरकार और असम के आन्दोलन के नेताओं के बीच का सवाल नहीं है। यह भारत और उसके एक भाग के बीच का सवाल है। यह एक आंन्तरिक मामला है जिसमें निश्चय ही बातचीत से कोई हल ढूंढ़ा जा सकता है। अतः यह सुझाव दिया गया था कि बातचीत अवश्य आरम्भ की जानी चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कल कहा था, मैं उससे सहमत हूं। जब उस क्षेत्र को उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था, तो मैं स्वयं उस खबर को सुन कर बहुत चिंतित हो गया। मैंने प्रधान मंत्री को लिखा कि मैं उन लोगों में से हूं, जो इसका राष्ट्रीय समाधान चाहते हैं। मैं इस तरह से समस्या से निपटने का पक्षधर नहीं हूं। इस तरह के दमनकारी कानून से उल्टा अहित ही होता है जबकि उसमें लाखों लोगों की भावनाएं जुडी हों। मैं न तो इस बात से इन्कार करता हूं और न ही इस बात का समर्थन करता हूं कि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। जहां तक सरकार का संबंध है, इस बारे में कोई खबर नहीं है। किन्तु मैं अपने सामान्य अनुभव से यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब कभी भारत में ऐसी कोई गडबड होती है तो उसमें विदेशी शक्तियों का हाथ जरूर होता है। इस बात का अनुमान ही लगाया जा सकता है, इस बारे में किसी खास सबूत की आवश्यकता नहीं।

मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि इस तरह के दमनकारी तरीके से इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। निस्सन्देह इसका एक अपवाद भी है, जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां पर अल्प संख्यकों की रक्षा का प्रश्न उठता है, चाहे वे भाषायी अल्पसंख्यक हों अथवा धार्मिक, सरकार को कड़े कदम उठाने ही होंगे। वहां पर बंगाली मुसलमान अथवा बंगाली हिन्दू या बिहारी हो सकते हैं। उनका दैनिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। वे मारे जा सकते हैं। कल इस संबंध में कुछ आंकड़े बताये गये थे। मैं उन आंकड़ों की बात नही करना चाहता। यदि संगठित रूप में एक ही व्यक्ति को मार दिया जाता है, तो यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है कि वह उसके लिए अधिक से अधिक बल प्रयोग करे। इस तरह के मामले में और कोई चारा नहीं है।

अतः मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि आमतौर पर इस समस्या के समाधान के लिए हमें सेना और पुलिस की बात नहीं सोचनी चाहिए। लोगों के मन में गलत या सही, यह बात डाल दी गई है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जबकि सेना और पुलिस को बुलाना आवश्यक हो गया है। जैसा कि मैंने कहा ऐसी आशंका पैदा हो गई है कि असम में लोगों का जवीन अस्त व्यस्त

हो रहा है। लोग यह सोचने लगे हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है। उनके मन में यह बात बैठ गई है कि इस आन्दोलन से प्रत्येक सरकारी अथवा गैर.सरकारी व्यक्ति सम्बन्धित है। साथ ही वहां कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं जो भय के वातावरण में रह रहे हैं। असम के जनजीवन में आज यही बुनियादी अन्तर्विरोध है। असम की स्थिति का यह पक्ष अच्छा नहीं है। असम की स्थिति का यह पक्ष अच्छा नहीं है। कम से कम भारतीय संदर्भ में, मैं यह कहूँगा कि वही सरकार जनतांत्रिक सरकार है जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारन्टी दे। किसी भी जनतांत्रिक सरकार के लिए यह पहली शर्त है।

अतः सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि यह प्रश्न दमनकारी उपायों से, सेना से अथवा गोलियों से सुलझने वाला नहीं है। केवल बातचीत से ही इसका समाधान ढूंढा जा सकता है। निश्चय ही उन लोगों को बातचीत के लिए तैयार करने में हमें कुछ समय लगेगा। हमें दूसरे उपाय के बारे में सोचना होगा, अर्थात् राजनीतिक दलों का सहयोग लेना होगा। मेरा विचार है कि राजनीतिक दल सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इस सम्बन्ध में मेरा प्रधान मन्त्री से अनुरोध है कि वह विरोधी पक्ष की यह कहकर आलोचना करें कि वे सहयोग नहीं दे रहे हैं। सभी यह जानते हैं कि जब प्रधान मन्त्री ने विरोधी दलों के नेताओं की पहली बैठक बुलायी थी, तो उन्होंने प्रधान मन्त्री के इस बात का समर्थन किया था कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और उसका हल ढूंढ़ने के लिए वे हर तरह का सहयोग देंगे। अतः विरोधी दलों की इस तरह अनावश्यक रूप से आचोलना से व्यर्थ का विवाद बढ़ता है और उससे असहयोग तथा उदासीनता की भावना को बढ़ावा मिलता है।

महोदय, अब मैं दूसरे पहलू पर बोलना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि बातचीत आरम्भ करने से पहले कोई सिद्धांत तय किये जाने चाहिए। जैसा कि श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा कि कुछ आधारभूत संवैधानिक व्यवस्थाओं और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को ध्यान में रखना होगा। इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि हमारे नेताओं तथा पड़ोसी देशों के नेताओं के बीच कुछ समझौते हुए है। मैं बातचीत के दायरे को सीमित नहीं करना चाहता। मेरा यह आशय नहीं है। किन्तु इस तथ्य को तो ध्यान में रखना ही होगा और असम आंदोलन के नेताओं को इस पर विचार करना होगा। यदि वे विपरीत दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो यह न उनके हित में होगा और न असम के और न भारत के ही।

महोदय, मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि यह एक जन आंदोलन है और यह कुछ पूर्व धारणाओं पर या हो सकता है गलत धारणाओं पर आधारित है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वहां विदेशी हैं। वहां विदेशी हैं और उनका पता लगाना होगा जो कि एक कठिन कार्य है। बातचीत में कठिनाई इसलिए पैदा हो रही है कि असम में विदेशियों का पता लगाना बहुत कठिन कार्य है। पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से लोग वहां आये और वहां उनके बच्चे हुए।

एक माननीय सदस्य : क्या उन्हें विदेशी समझा जाना चाहिए ?

श्री यशवंत राय चव्हाण : उन्हें कैसे विदेशी समझा जा सकता है ? वे हमारी तरह भारतीय हैं। अतः मुख्य बात यह है कि इसमें कुछ समय लगेगा।

महोदय, मैंने इस समस्या पर कि ी न किसी ढंग से विचार किया है। इसका कोई निश्चित और आसान समाधान नहीं है। इसमें समय लगेगा। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। सरकार को धैर्य से काम लेना होगा। उसे बातचीत के प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि इस समस्या का समाधान लोगों के साथ सुलह से ही हो समता है, किसी और तरीके से नहीं। अत: इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या के प्रति यही हमारा सामान्य दृष्टिकोण है। मैं यहां अपने दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और समस्या के प्रति अपना दृष्टिकोण रख रहा हूं। हम इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए असम के लोगों के साथ तथा भारत सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं और मुझे आशा है कि अन्तत: बातचीत के जरिये ही इस समस्या का हल ढूंढ़ने में हम सफल होंगे।

श्री आर० एस स्पैरो (जालन्धर) : महोदय, जैसा कि सभा के बहुत से सदस्य बता चुके हैं कि असम में स्थिति बहुत गम्भीर और जटिल है। प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री और सरकारी अधिकारी, आंदोलनकारियों, अन्य संबंधित व्यक्तियों और विरोधी दलों के नेताओं के साथ बातचीत के द्वारा भरसक प्रयास कर चुके हैं। महोदय, उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी और वे अभी भी प्रयत्नशील हैं। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसका हल ढूंढ़ना ही होगा।

महोदय, पहले कभी भारत में ऐसी गम्भीर समस्या पैदा नहीं हुई जैसी कि अब धीरे-धीरे बढ़ती हुई इस रूप में आ गई है।

महोदय, जैसा कि मेरा विचार है, इस समस्या को ठीक तरह से समझने के लिए तीन मुख्य बातों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि हम इसे संतोषजनक ढंग से सुलझा सकें और उससे कुछ सबक ले सकें तथा इस प्रकार की समस्याओं से कारगर ढंग से निपट सकें। मेरी दृष्टि में जो तीन बातें हैं वे इस प्रकार हैं। पहली बात, अन्तर्राष्ट्रीय बातों और उसके परिणामों पर विचार करना होगा। दूसरे, बिगड़ती हुई आन्तरिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा। तीसरी बात, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति है, जिसका प्रभाव सारे देश में बड़ी गम्भीरता के साथ महसूस किया जा रहा है।

महोदय, जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का सम्बन्ध है, सभा के अनेक सदस्य इनके बारे में थोड़ा बहुत कह चुके हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि बड़ी शक्तियों और कुछ अन्य शक्तियों की यह आदत हो गई है कि वे अपने लाभ के लिए दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। सम्भवत: इसमें एक से अधिक विदेशी शक्तियों का हाथ है जो कि वहां छद्म रूप में घूम-फिर रहे हैं और बाहर से धन ले रहे हैं। आज की इन ताकतों के काम करने का सामान्य तरीका यही है। अनेक देशों को इन्होंने हानि पहुंचाई जिसका हम सबको पता है। अनेक देशों में क्या हो रहा है, यह दोहराने की शायद आवश्यकता नहीं। हमारे क्षेत्रों को हमसे छीन लेने के प्रयासों के पीछे इन्हीं विदेशी शक्तियों का हाथ है। भारत के बंटवारे के समय भी यही हुआ था। हमें पाकिस्तान के रूप में भारत का एक भाग खोना पड़ा था। उसमें निश्चय ही विदेशी शक्तियों का हाथ था, इसमें कोई सन्देह नहीं। महोदय, हमें विदेशी हस्तक्षेप के कारण जम्मू और

काश्मीर का भी एक तिहाई भाग गंवाना पड़ा जिसके लिए हथियार, गोला, बारूद और अन्य प्रकार की मदद पहुँचाई गई।

एक वक्त ऐसा आया जब काश्मीर ही हमारे हाथ से निकलने वाला था। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक समय पर सोच-समझ कर सहायता की और ऐसा कदम उठाया कि हम भारत के उस हिस्से को बचा सके। ऐसा चलता रहा ; हमने अक्साई चीन का कुछ हिस्सा खो दिया और कच्छ के रण का भी हमने कुछ हिस्सा खो दिया। तिब्बत पर भी हमने अपना प्रभाव खो दिया ; इसके अलावा यहां-वहां कुछ छोटे-छोटे टुकड़े हमारे हाथ से निकलते रहे और वह भी, अगर मैं ऐसा कहने की जुर्रत करूं, विदेशी शक्तियों की चालबाजी से सुरक्षा परिषद् के स्तर पर ही हुआ। इन सब अनुभवों से हम सबक ले सकते हैं। इसलिए मैं सभा से निवेदन करूंगा कि हमें इस सच्चाई के बारे में सावधान और सचेत हो जाना चाहिए कि आज आसाम में जो कुछ हो रहा है वह बाहर की बड़ी ताकतों की सांठ-गांठ से हो रहा है। वे ऐसा क्यों करती हैं ? वे उसके बारे में क्यों चिन्तित हैं ? विश्व की कोई भी बड़ी ताकत यह कभी नहीं चाहेगी कि भारत जैसा समर्थ देश एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आए। आज भारत एक बड़ी ताकत है और कुछ मामलों में तो हम दुनिया की चौथी बड़ी ताकत हैं। वे ताकतें हमें अपने बराबर कभी नहीं होने देना चाहेंगी। वे हमें टुकड़ों में बांटकर हमें कमजोर करना चाहती हैं। हर जगह ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा कि कम्पूचिया, लाओस, कांगो, कर्टगा, नाइजीरिया, बिआफ्रा, यूगांडा और इथिओपिया में क्या हुआ था। और चिली में भी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसी ताकतें गड़बड़ और कठिनाइयां पैदा करती हैं और बाद में भारत जैसे देश मुसीबत उठाते हैं।

मुझे बहुत खुशी है कि विपक्ष के अधिकांश नेता भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमें इस कठिन समस्या को सुलझाने के लिए एक जुट होकर काम करना चाहिए। इस चर्चा का यह लक्षण स्वागत का विषय है।

आजकल हम पढ़ते हैं कि जासूस पकड़े गये हैं। इन बातों के बारे में हमें बहुत सावधान रहना है। एक के बाद परस्पर विरोधी जासूसी की अनेक घटनाएं सुनने में आती हैं। इस बारे में हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। (व्यवधान) मैंने अखबार में पढ़ा कि जम्मू के इलाके में पांच जासूस पकड़े गए। ब्यौरा बाद में दिया जाएगा। आप पिछले कुछ मामले तो जानते ही हैं जिनमें कुछ सशस्त्र सेना के कार्मिक भी तोड़-फोड़ और जासूसी आदि करते पाए गए थे। इन सबके पीछे विदेशी हाथ और विदेशी पैसा है। संयोग से यह सभी देशों में होता है। इसलिए, हमें अपनी खुफिया प्रणाली को मजबूत बनाना होगा ताकि हमारी जानकारी बेहतर हो और हम दूसरों के जाल में न फंसे।

यह इसका एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू आंतरिक समस्या का है। यह बहुत गंभीर पहलू है। चूंकि मेरे मित्रों ने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया है इसलिए मैं इस बारे ने बहुत कम बोलूंगा। अगर आज आसाम में कुछ होता है और हम दबाव में आ जाते हैं या सबको खुश करने की कोशिश करते हैं और अपने लक्ष्य पर अडिग नहीं रहते तो हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। इस मामले में हमें राष्ट्रवादी रवैया अपनाना होगा क्योंकि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। अगर हम प्रादेशिकता और संस्कृति आदि की छोटी-छोटी समस्याओं में उलझने लगे तो यही समस्या कहीं

और भी उठ सकती है। यह समस्या पंजाब में, बंगाल में उठ सकती है जिससे कि पूरे भारत को हानि और कठिनाई होगी। इसलिए हमें बहुत सटीक, सहानुभूति और बातचीत के लिए उदार मगर मेरे ख्याल में दृढ़ रहना चाहिए।

आखिरी मुद्दा इसके आर्थिक पहलू के बारे में है। मगर उस मुद्दे को छोड़ने से पहले मैं उसके सांस्कृतिक पक्ष के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा क्योंकि आम तौर पर यह कहा जाता है, लोगों ने इसके बारे में कहा है कि किसी राज्य की संस्कृति को बनाए रखना होता है, उसकी भाषा को बनाए रखना होता है। मगर सवाल उससे भी बड़ी संस्कृति का है। प्रत्येक राज्य की अपनी मांग और संस्कृति होती है। हमारे बीच कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरे भारत में एक समान है। हमारी छुट्टियां हैं ; हमारी होली हैं ; दशहरा है ; ईद-उलफित् है ; क्रिसमस आदि है। ये प्राचीन काल से आज तक हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए समान महत्व के रहे हैं ; इसलिए इनका हमारे लिए सर्वाधिक महत्व है। असम की सशस्त्र सेनाओं में असम राइफल्स है। हमारे यहां सेना में भी इस प्रकार की प्रादेशिकता कभी नहीं रही है। हम भारतीय के रूप में बोलते हैं ; हम पहले अपने को भारतीय मानते हैं। उसके बाद हम सिक्ख या ईसाई या फिर किसी प्रदेश के हो सकते हैं। इसलिए, आप प्रादेशिक पहलू को इतना तूल नहीं दे सकते कि आप उस महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कर जाएं जो कि आपके सामने है। यह समस्या का एक पक्ष है जिस पर हमें नजर रखनी है। आर्थिक पहलू को समझना आसान है। उसे बनाये रखने के सम्बन्ध में आंकड़े पहले ही दिए जा चुके हैं। उसके दैनिक कार्यकरण के लिए 3 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और एक महीने में डीजल में लगभग 1,30,000 की हानि हो रही है। ये आंकडे देख कर परेशानी होती है। अगर वे इन वस्तुओं को नहीं भेजने देते तो अराजकता फैल जाएगी। मान लीजिए, बंगाल कोई न कोई कारण बताकर कहे कि हम पटसन नहीं भेजते या पंजाब या हरियाणा कोई न कोई कारण बताकर कहे कि हम खाद्यान्न नहीं भेजते या मध्यप्रदेश कोई कारण बताकर कहे कि हम मैंगनीज नहीं भेजते तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी और उससे आर्थिक स्थिति तहस नहस हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने असम राज्य में राष्ट्रपति-शासन को छः महीने और जारी रखने के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा है। यह दुर्भाग्य और खेद का विषय है कि चूंकि असम के अधिकांश निर्वाचन—क्षेत्रों में लोक सभा के लिए चुनाव नहीं हो सके इसलिए जिस विशाल राज्य के सम्बन्ध में हम विचार विमर्श कर रहे हैं उसका कोई सदस्य यहां नहीं है। माननीय मंत्री ने छः महीने पहले सभा से राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के लिए कहा। उस समय भी यह सुझाव था कि विधान सभा को निलंबित रखा जाए। सभा को भंग करने या चुनाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। अब भी, ऐसा प्रतीत होता कि यह निर्णय लिया गया है कि विधान सभा को निलंबित रखा जाए। यह राज्य में व्याप्त गतिरोध का परिचायक है, ऐसा गतिरोध जो न केवल सभा में सुस्पष्ट है बल्कि विधान सभा में भी स्पष्ट है जहां कोई भी पार्टी या दल सरकार बनाने का दावा करने की हालत में नहीं है। यह गतिरोध मतदाताओं में भी मौजूद है। इस गतिरोध की जड़ में वर्तमान मतदाता सूचियों को लेकर दूर-दूर तक फैला हुआ असंतोष और मोह भंग है। आम मांग यह है कि मतदाता सूची में परिशोधन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी राष्ट्रिक

उन अधिकारों का उपयोग न कर सकें जो कि देश के नागरिकों को प्राप्त हैं। छः महीने पहले, जब इस सभा के माननीय गृह मंत्री के संकल्प के पक्ष में मत दिया तो दो कारणों से आशा बंधी थी। पहले, चूंकि केन्द्र राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी से रहा था, इसलिए उस समस्या से निबटने के लिए समयोचित प्रयत्न किए जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। विदेशी राष्ट्रिकों को खोज निकालने, उनके नाम मतदाता सूची से निकालने और सूचियों में परिशोधन करके उपाय किए जाएंगे ताकि चुनाव किए जा सकें। चूंकि स्वयं केन्द्र सरकार ही बागडोर संभाल रही थी और चूंकि आदेशों में एकतानता होगी और शीघ्र कार्यान्वयन होगा इसलिए चुनाव शीघ्र किए जा सकेंगे। दूसरे, चूंकि केन्द्र इस क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी ले रहा था इसलिए इस क्षेत्र की शोचनीय आर्थिक समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा जो पिछले अनेक वर्षों से बहुत बिगड़ चुकी है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि किसी न किसी कारण, प्रयत्न करने के बावजूद, यह दोनों आशाएं पूरी नहीं हुई।

आज क्या स्थिति है ? जैसा कि माननीय गृह-मंत्री ने स्वयं कहा, पिछले नौ महीनों से आंदोलन चल रहा हैं। जीवन गतिरुद्ध हो गया है। शैक्षिक संस्थान बन्द पड़े हैं; प्रशासनिक कार्यालयों में काम नहीं हो रहा। मैं स्थिति का ब्यौरा देने में सभा का समय नहीं लेना चाहता मगर यह स्पष्ट है कि जीवन की गति रुक गई है। यह साबित हो चुका है कि इस आंदोलन को राज्य की अधिकांश जनता का समर्थन प्राप्त है। मेरे माननीय मित्र श्री एन्थनी ने कल कहा कि इस आंदोलन को मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं; हम ये लफ्फाजी पहले भी सुन चुके हैं—यदि ऐसा होता तो सरकार स्थिति का मुकाबला कर पाती और राष्ट्रपति शासक हटाकर चुनाव करा देती। यह कहने के लिए खास हिम्मत की जरूरत नहीं कि पिछले नौ महीनों की हालत से यह साबित हो चुका है कि असम आंदोलन को व्यापक आम समर्थन प्राप्त है। इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत आपने देखा कि सरकार को असम अशांतिग्रस्त क्षेत्र अधिनियम, निवारक नजरबन्दी अध्यादेश, सशस्त्र सेवा विशेषाधिकार अधिनियम और अनिवार्य सेवा अधिनियम जारी करने पड़े। उसे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सेना और अर्द्ध-सैनिक कार्मिक तैनात करने पड़ें; बहुत से इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। यहां तक कि अधिकारियों को बाहर से लाकर तैनात करना पड़ा। निश्चय ही यह गंभीर स्थिति है। मैं इस स्थिति का ब्यौरा केवल किसी पर आरोप लगाने या किसी की आलोचना करने के लिए नहीं दे रहा। सभा का दायित्व है कि वह इस स्थिति की गंभीरता पर गौर करे और एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में उस पर विचार करे।

इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई जब कल माननीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यह महसूस करती है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे बातचीत से हल करना चाहिए। यदि किसी राष्ट्रीय समस्या की बातचीत और, विचार-विमर्श से सुलझाना है तो वह केवल सर्वसम्मति से ही किया जा सकता है।

उन्होंने कल देश की एकता के संरक्षण और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में कहा था। इन दोनों दिशाओं में मेरा दल पूरी तरह उनके साथ है; मगर ऐसा कोई न सोचे कि देश की एकता के लिए एकनिष्ट होने पर उनका एकाधिकार है। हम सभी इस देश की एकता के प्रति एकनिष्ठ हैं। हम हर कीमत पर देश की एकता बनाए रखना चाहते

हैं मगर वह एकता एक हिस्से को मिटाकर नहीं आती ; देश के जीवन्त घटक इस एकता को बनाते हैं । सर्वसम्मति पर पहुंचने का तरीका यह नहीं होता कि जिनसे आप सहायता और सर्वसम्मति चाहते हैं उन्हीं की घात लगाकर निरन्तर बदनामी करते रहे ।

माननीय गृह मंत्री ने प्रधानमन्त्री के साथ असम के दौरे का उल्लेख किया । यह सच है कि उनके इस दौरे से बहुत आशा बंधी थी ; सभी लोगों ने उनके दौरे का स्वागत किया था । परन्तु दुर्भाग्य से उनकी बातचीत और विचार विमर्श फलीभूत नहीं हुए । ऐसा लगता है कि गृह मंत्री ने वहां से लौटकर एक खोज की । उनके कुछ वक्तव्यों से मुझे 'एलिस इन वंडरलैंड' और थ्रू द लुकिंग ग्लास' में पढ़ी बातें याद हो आईं ।

उन्होंने कहा कि आंदोलन का कोई कारण नहीं है । आंदोलन केवल आंदोलन करने के लिए किया जा रहा है । जिससे कम से कम यह तो साबित हो जाता है कि माननीय गृह मंत्री को यह नहीं मालूम कि आंदोलन किस लिए हो रहा है । बहरहाल, कल उन्होंने एक और टिप्पणी की कि जो लोग आंदोलन चला रहे हैं वे समझौता करने के लिए तैयार हैं पर दूसरे लोग उन्हें समझौता करने से रोक रहे हैं । इसके पीछे विदेशियों का हाथ है और विदेशी प्रभाव किसी हल पर नहीं पहुंचने दे रहा । अगर ऐसा है तो यह वास्तव में बहुत गंभीर बात है । मगर इस पर मैं बाद में आऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे दल को नियत समय मिला है और मैं उसका उपयोग करना चाहता हूं । दूसरे सदस्य 45 मिनट, 30 मिनट तक बोले थे ।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल 8 मिनट मिले हैं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ऐसा नहीं है । कल जिन दलों के पास 10 मिनट थे उन्हें 45 मिनट दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सावधान कर रहा हूं । आपके पास थोड़ा सा समय बाकी है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अगर पहले उसकी अपेक्षा की गई थी तो अब भी उसकी उपेक्षा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने घंटी नहीं बजाई है । मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आपके पास सीमित समय है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : हम ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं जो कुछ भिन्न है और सभा को हमारे दृष्टिकोण को सुनना चाहिए । यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर हमें वैसा करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता ।

महोदय, मैं आपके साथ इस बहस में और समय नहीं लूंगा ।

इस स्थिति के बारे में प्रधान मन्त्री का रवैया आशातीत रूप से अधिक परिष्कृत है । वह अधिक सूक्ष्म रहा है। उन्होंने इसे प्रायः चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान वे जहां भी गईं उन्होंने असम की घटनाओं के लिए प्रतिपक्ष को दोषी ठहराया। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने नीरस ढंग से बातें दोहराईं। ज्यादातर उन्होंने विशेष चुनाव क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को देखकर कुशलतापूर्वक अपनी बातें कहीं। अगर मेरे पास समय होता तो मैं महाराष्ट्र, भुवनेश्वर, नागपुर, रामपुर और मुरादाबाद में दिए गए वक्तव्य पढ़ कर सुनाता। उनमें एक ही बात नहीं कही गई है। इसलिए मैं उन पर एकरस होने का आरोप नहीं लगा रहा। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने विलक्षण चातुर्य से दिखा दिया कि उनके वक्तव्य चुनावक्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल थे। वह आदर्श शैली थी, विपक्ष पर आरोप लगाना, इस बात को अस्वीकार करना कि आन्दोलन को आम समर्थन प्राप्त है, आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रश्नचिह्न लगाना और उन्हें गलत ढंग से पेश करना ; यह संकेत करना कि आंदोलन के पीछे गुप्त उद्देश्य हैं, आंदोलन को गुप्तचरों के काम के रूप में बदनाम करना, आंदोलन के समर्थकों में फूट डालने की कोशिश करना और बल प्रयोग पर, निर्भर करना। जन आंदोलन से निपटने का यह एक खास ढंग है जो यह देश इस शताब्दी के आरम्भिक दशकों में देख चुका है। समय की कमी के कारण मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। यह एक राष्ट्रीय समस्या है । यह राष्ट्रीय समस्या क्यों है ? यह राष्ट्रीय समस्या इसलिए है क्योंकि इसका सम्बन्ध विदेशी राष्ट्रिकों से है। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि विदेशी राष्ट्रिक इस प्रदेश में घुस आए हैं। यह विपक्ष की काल्पनिक कथा नहीं है। प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को नहीं गढ़ा है। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1950 में ही जब मेरे माननीय मित्र जो यहां बैठे है, सभा के सदस्य थे, सभा ने एक विधेयक स्वीकार किया जो अधिनियम बना जिसे आप्रवासी (असाम से निष्कासन) अधिनियम 1950 कहते है। यदि मेरे दल के पास समय होता तो मैं आपको घुसपैठिए विदेशी राष्ट्रिकों की विशेषताएं उन्हें खोज निकालने के लिए कैसे तंत्र की कह पता की गई थी और सरकार को उन्हें निर्वासित करने और निर्वासन मार्ग तय करने का जो प्राधिकार दिया गया था उसके बारे में पढकर सुनाता। वर्ष 1950 से यह संविधि पुस्तक में दर्ज है। अगर यह वास्तविक समस्या न होती तो और यदि हमारे देश के शासक, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार बल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्ति, सरदार पटेल जो कि तब गृह मंत्री थे समस्या से परिचित न होते तो उसे संविधि पुस्तक में क्यों दर्ज करते ?——अगर इस पर पिछले 30 वर्षों से अमल नहीं किया गया है, क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है ? बिहार आरोप लगाना आसान काम है। इस समस्या का मूल प्रश्न क्या है ?

एक माननीय सदस्य : उन्होंने उसे 1957 में निरस्त कर दिया था।

श्री रवीन्द्र वर्मा : समस्या का मूल प्रश्न धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका भाषा से भी कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विशुद्ध रूप से विदेशी राष्ट्रिकों और विदेशियों के दर्जे का प्रश्न है । अगर किसी असमिया भाषी व्यक्ति के लिए यह कहना संकीर्णता है कि गैर-असमिया भाषी लोगों को असम में नहीं रहने देना चाहिए, तो किसी का यह कहना भी उतना ही अनुदार और उग्रराष्ट्रीयतावादी है कि केवल इसलिए कि एक विदेशी वही भाषा बोलता है जो मैं बोलता हूं

या वही धर्म मानता है, तो उसके साथ दूसरा बरताव करना चाहिए । यह उसी प्रकार का उग्रराष्ट्रीयतावाद । यह प्रश्न विशुद्ध रूप से विदेशियों के दर्जे से जुडा हुआ है । मैं उन लोगों से पूरी तरह सहमत हूं --श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि—एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो तटस्थ, निष्पक्ष और न्याय सम्मत हो, जिसे सभी का विश्वास प्राप्त हो, नहीं यह निर्णय करे कि विदेशी कौन है । इस बारे में कोई संदेह नहीं है । इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि इस देश के सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हों या धर्म के आधार पर, पूरा संरक्षण मिलना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो राज्य की अधिकार सीमा में आने वाला हर प्रकार का बल उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए । मगर यह कहने का मतलब यह कहना नहीं है कि विदेशी राष्ट्रिकों का पता नहीं लगाया जाना चाहिए और उनसे वे अधिकार वापस नहीं लिये जाने चाहिए जो केवल इस देश के नागरिकों को मिल सकते हैं । (व्यवधान)

महोदय, इनके साथ लगातार बहस करने के लिए मेरे पास समय नहीं है ।

दुर्भाग्यवश इस आंदोलन के उद्देश्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का जान बूझकर प्रयास किया गया है, जहां तक विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने, मतदाताओं की सूची से उनके नाम हटाने तथा इस प्रकार के उपाय करने का जिससे कि वे सत्ता संचालन व्यवस्था से दूर रहें, संबन्ध है, मैं इस आंदोलन के साथ हूं और यही बात पहले भी कही जा चुकी है ।

संचार मंत्री (श्री पी० एम० स्टीफन) : आधार वर्ष के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं आधार वर्ष की भी चर्चा करूंगा और आपकी समयानुसार चिन्तन में लक्षित होने वाली अस्पष्टता और अस्थिरता की भी चर्चा करूंगा । कभी आप इसे 'कट आफ ईयर, कहते हैं । कभी आप इसे 'बेस ईयर कहते हैं, कभी आप कहते है कि दोनों में से किसी के बारे में बात न करें क्योंकि आप अस्पष्टता का फायदा उठाना चाहते हैं । आपकी सरकार के काम करने का यही ढंग है (व्यवधान) मैं उन बातों से झुकने वाला नहीं हूं । प्रधान मंत्री ने पूरे देश का दौरा किया और इस आंदोलन को बिल्कुल देश द्रोहपूर्ण बताया है ।

यदि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यदि उसे इस प्रकार चित्रित करेंगे तो किस प्रकार मतैक्य कर पायेंगे ? यदि मेरे पास समय होता तो मैं उन घटनाओं का भी जिक्र करता, जिनका उल्लेख ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेन्ट्स यूनियन गठित होने के बाद हुई घटनाओं के संदर्भ में होता है, यह आरोप लगाया गया है कि इस संगठन की स्थापना कुछ लोगों के संरक्षण में की गयी है । मैं यह कह रहा हूं कि आरोप लगाये गये हैं । मैं स्वयं आरोप नहीं लगा रहा हूं । किन्तु हिन्दुस्तान टाइमस जैसे समाचार पत्रों में समाचार छपे हैं, उनमें बहुत सी बातें सामने आई हैं । संवाददाता का कहना है कि उसने जलूस देखा और उसने वयोवृद्ध लोगों को पूछा कि क्या आप छात्र हैं । और उन्होंने बताया, "हम छात्र नहीं हैं । किन्तु हमें बताया गया है कि प्रधान मंत्री हमारी नेता हैं और प्रधान मंत्री ने कहा है कि अपने अधिकारों की रक्षा का केवल यही उपाय है ।" मैं इस उद्धरण को पढ़ कर सुना सकता हूं जिसका किसी ने खंडन नहीं किया है । यह सच है या नहीं इसके बारे में मैं अधिक कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि समय कम है । यदि पूरे देश का दौरा करते

हुए और यह कहते हुए कि अल्पसंख्यकों को "जान को खतरा है" यह उद्धरण है। इस आंदोलन को कोई साम्प्रदायिक रंग देना चाहता है, तो मैं यह कहूंगा कि यह एक खतरनाक खेल है। हमने यह खेल इस देश में पहले भी देखा है। इस देश में सत्ताधारियों ने जब भी किसी लोकप्रिय आंदोलन को कुचलना चाहा है, तब उन्होंने इस दांव-पेंच का इस्तेमाल किया है। यह आग से खेलना है ; यह देश की एकता से खिलवाड़ है। मेरे माननीय मित्र ने कल यह प्रश्न भी उठाया था और कुछ संख्या भी बताई थी, किन्तु उन्होंने जो कहा उससे यही पता चलता है कि मरने वालों में बंगालियों की अपेक्षा असामियों की संख्या अधिक है। मैं केवल इसी कारण इस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहा कि यह बंगालियों से या असामियों से अथवा किसी अन्य भाषा-भाषी व्यक्ति से संबद्ध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

अनेक हिंदू-मुस्लिम बंगाली और असामी मारे गये हैं। ऐसे शरणार्थी हैं, जो हिंदू हैं ; जो मुस्लिम हैं ; जो असामी हैं ऐसे शरणार्थी भी हैं जो बंगाली हैं। वे हिंसा के शिकार हुए हैं। यह हिंसा किन्हीं लोगों के कारण भी हो रही हो, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। (व्यवधान) महोदय, मैं इस व्यवधान से नहीं डरता किंतु आपकी घंटी से जरूर डरता हूं।

कल मेरा माननीय मित्र, श्री इंद्रजीत गुप्त ने इस प्रश्न का हवाला दिया और कहा कि समाधान ढूंढ़ना अत्यावश्यक है, हमें समाधान चाहिये। हम सभी इस मामले में एकमात्र हैं कि केवल बात-चीत से ही समस्य का समाधान किया जा सकता है, सरकार या किसी अन्य पक्ष द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने अथवा बल प्रयोग करने या आतंक बढ़ाने से समाधान नहीं खोजा जा सकता, इसलिये बात-चीत से जो समझौता किया जायेगा वही वास्तविक समझौता होगा, जैसाकि मेरे माननीय मित्र, श्री चव्हाण ने बताया है। मेल-मिलाप और सामंजस्य की तलाश ही एक ऐसा रास्ता है जिससे राष्ट्र की एकता बनी रह सकती है और इस समस्या का समाधान ढूंढ़ा जा सकता है।

कल मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्र जीत गुप्त ने वाक्पटुता से पूर्ण भाषण दिया, जैसाकि वे हमेशा करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : इसे ठीक कर लिया जाये, और उन्हें मेरी बात गलत ढंग से पेश नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रवींद्र वर्मा : मुझे खेद है, यदि मैंने उनकी बात को गलत ढंग से पेश किया हो। (व्यवधान)

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि समाधान कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिएं। मेरे माननीय मित्र श्री चव्हाण ने निश्चित सिद्धांतों पर समाधान खोजे जाने की आवश्यकता को दुहराया है। वे सिद्धांत क्या हैं ? वे सिद्धांत स्पष्टतः बनाए गए हैं। यह बताया गया है कि नागरिकता के प्रश्न पर संविधान के अन्तर्गत और इस देश विद्यमान कानून के अनुरूप समाधान खोजा जाए इसीलिए ये सिद्धांत स्पष्ट हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि बातचीत के माध्यम से सबके बीच मतैक्य लाने का काम कोई भी दल अकेले नहीं कर सकता। किंतु सरकार को ही इसका नेतृत्व करना होगा, पहल करनी होगी और बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा ताकि इस राष्ट्रीय समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मतैक्य तैयार की जा सके।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि असम में विदेशियों के प्रश्न ने खतरनाक मोड़ ले लिया है, पिछले कई महीनों से असम में स्थिति अत्यधिक विस्फोटक हो गई है। अब हम सभी जानते हैं कि असम में आन्दोलन की आग धधक रही है। इस समय असम में भयंकर अशांति व्याप्त है। वहां प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लिया है। पुलिस आंदोलनकारियों के साथ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है। जन-जीवन ठप्प हो गया है। अल्पसंख्यक आतंकित हैं और नृशंसता का सामना कर रहे हैं। यदि हम इस स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर दक्षतापूर्वक जल्दी ही नियंत्रण में नहीं लाएंगे तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, यह स्थिति हमारे आर्थिक और साम्प्रदायिक स्थिति को गंभीर क्षति पहुंचाने के साथ ही देश की अखंडता को भी पूरी तरह से समाप्त कर देगी। यह संदेह किया जाता है कि भारत की अखंडता भंग करने के लिए इस आन्दोलन के पीछे विदेशी शक्तियों का षडयंत्र है।

महोदय, मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि आन्दोलनकारी अपने स्वार्थ के लिये कई महीनों से सारे देश के हितों को दांव पर लगा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है और तेलशोधक कारखाने की नाकेबंदी के कारण प्रतिदिन 9 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। गृह मंत्री और अन्य वक्ताओं ने बताया कि इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। पृथकतावाद की भी वहां प्रवृति है जो अत्यधिक प्रबल है और ये सभी बातें निसन्देह खतरनाक हैं। अब इस पूरे भयानक आंदोलन को छोटा सिद्ध करने तथा उसके ज़हरीलेपन को कम करने के लिए यह कहा जाता है कि यह केवल विदेशियों का पता लगाने से सम्बद्ध समस्या है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं यहां इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आज भी अल्पसंख्यकों का जीवन, सम्मान और सम्पत्ति खतरे में है। और कुछ लोग यह कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन में केवल विदेशियों का प्रश्न ही अन्तर्ग्रस्त है। इससे अधिक कुछ भी नहीं। यह पूरी स्थिति का उपहास करना मात्र है। वहां धर्म, जाति और भाषा की दृष्टि से अल्प संख्यक हैं जिनकी जान और माल को लगातार खतरा बना रहता है। उनके प्रति अत्यधिक नृशंस व्यवहार किया जा रहा है। वे आज आतंक के वातावरण में जी रहे हैं। जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक रहते हैं वहां आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बंद कर दी गई है। मैं यह आरोप लगाता हूँ। गृह मंत्री इसकी जाँच करें। मैं यह भी कहता हूँ कि अल्पसंख्यक वाले क्षेत्रों में संचार के साधन काट दिए गए हैं और तब भी यह कहा जाता है कि यह विदेशियों की समस्या से अधिक कुछ भी नहीं है,। यह गलत है, वे सिरे पैर की बात हैं, और आधार हीन है।

लोगों में यह धारणा पैदा करने का यह प्रयत्न किया जा रहा है कि असम का यह आंदोलनजन आंदोलन है, और यह पूरीतरह हिंसा से रहित है। यह भी गलत और आधारहीन है। सही तथ्यों को समझना होगा। यह जन आंदोलन नहीं है। हो सकता है कि 40 से 50 प्रतिशत लोग आंदोलनकारियों के साथ हों। किंतु उन्हें फायदा यह है कि स्थानीय प्रशासन उनका साथ दे रहा है। समाचार-पत्र उनके साथ हैं, रेडियो तक उनके साथ हैं। पुलिस पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। दूसरी ओर बंगाली, बिहारी नेपाली, बागान मज़दूर, आदिवासी तथा असम के सभी मुसलमान दमन और अपमान के शिकार हो रहे हैं। स्थिति इस प्रकार है केवल गैर असमी-मुसलमान ही नहीं वरन् मैं यह कहूँगा कि अब असमवासी सभी मुसलमान आन्दोलन के शिकार हो रहे हैं। उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

आंदोलनकारियों द्वारा सताए जाने की आशंका से अल्पसंख्यक कुछ नहीं बोलते। वे वहाँ वस्तुतः 50 प्रतिशत से अधिक हैं। ये वो लोग हैं जो असम में न केवल दशाब्दियों से वरन् अर्द्ध शताब्दी से अधिक समय से वहां रह रहे हैं। वस्तुतः उनमें से कुछ लोगों के पूर्वज ही वहां जाकर बस गए थे। उन्होंने ही असम का विकास किया था। उन्होंने वहां के जंगल साफ कर खेती बाड़ी शुरू की थी और बागान लगाए थे, आज उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। असम के तथा राष्ट्रीय स्तर के सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति यही थी 1971 को ही आधार वर्ष माना जाए। यही पूरे राष्ट्र का मत था। इसी पर दृढ़ रहना चाहिए था। इसका उल्लंघन करना और घातक सिद्ध होगा।

यहां मैं स्थानीय प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा दिए गए वक्तव्य की फोटोस्टेट प्रति का उल्लेख करना चाहूँगा। यह असमिया भाषा में है। इससे यह स्पष्ट है कि जब 26 मई को अल्पसंख्यकों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहा तो उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया और उन पर गोली चलायी गयी जिससे सैकड़ों लोग मर गए। इस वक्तव्य में अतिरिक्त सहायक आयुक्त श्री कमला चरण गोसाईं ने कहा है :

> "असम में ऐसा कोई कार्यालय नहीं है, जहाँ अल्पसंख्यक अभ्यावेदन दे सकें। आज दिनांक 26-5-80 को मैं कहता हूं कि ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन को असम के किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अल्पसंख्यकों को भविष्य में किसी प्रकार का आन्दोलन करने का, चाहे वह संविधान के अनुसार हो, अधिकार नहीं होगा।"

यह असमिया भाषा में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर है जिसकी फोटोस्टेट प्रति मेरे पास है। इन सभी से इस बात की पुष्टि होती है कि यह आंदोलन अहिंसावादी नहीं है, यह पूरी तरह से हिंसावादी है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार का कागज है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : यह असम में नियुक्त एक अधिकारी के वक्तव्य की फोटोस्टेट प्रति है, समाचार-पत्र नहीं है।

कल श्री बीजू पटनायक कह रहे थे कि वहां सेना क्यों भेजी गई है। स्थिति की उन्हें कितनी अद्भुत समझ है। देश के विघटन का खतरा सामने है, कानून और व्यवस्था एक समस्या बन गयी है, अल्पसंख्यक तकलीफ झेल रहे हैं, इसीलिए सेना भेजी गई है, और वे पूछते हैं कि सेना क्यों भेजी गई है, क्या लोगों को मर जाना चाहिए? वह क्या चाहते हैं?

मुझे खेद है कि 26 और 27 को सेना वहां थी किंतु क्या उन्हें कार्यवाही करने की शक्ति दी गई थी? नहीं। वे सिविल प्राधिकारियों के अधीन थे, उन्हें कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी। उन्हें बुलाया नहीं गया था। उस समय ही पुलिस असम ए० ए० एम० एस० यू० के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मार रही थी और उनके घर जला रही थी।

गृह मंत्री ने यह कह कर बहुत वाक्पटुता का परिचय दिया है कि वे अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे और विरोधी पक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें सरकार का ही एकाधिकार नहीं है, वे भी अल्पसंख्यकों की रक्षा चाहते हैं, किंतु उनकी रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है यही मैं जानना चाहता हूं। 26 मई, को सेना वहां थी, किंतु उसने कार्यवाही नहीं की थी। उसे बुलाया नहीं गया था। धार्मिक भाषायी अल्पसंख्यकों पर गोली चलायी गयी और आप कहते हैं कि आप अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। हमने देख लिया है कि आप किस प्रकार उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके कार्य की महत्ता है शब्दों की नहीं।

मैं वहां किये जा रहे अत्याचारों का एक उदाहरण दूंगा। एक मिज्ञान-उर-रहमान नामक व्यक्ति पर गोली चलायी गयी। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी टाँग से गोली निकली गयी और उसकी हालत सुधर रही थी। अगले दिन आल असम स्टूडेंट्स यूनियन तथा संग्राम परिषद् के अनुयायियों ने उसे बाहर घसीट कर उसकी आंखें निकाल ली। उसके हाथ और घुटने की हड्डियां तोड़ कर चूर-चूर कर दी गईं, और वह मर गया। आप कहते वहां हिंसा नहीं है आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। क्या यही अहिंसावादी आंदोलन है? मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं दमन में विश्वास नहीं करता, किंतु जब ऐसी स्थिति हो, तो अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें बातचीत के माध्यम से इस मामले को निपटाना चाहिए। किन्तु आंदोलनकारी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वे दुराग्रही हैं। सभी दलों के नेताओं, असम के नेताओं तथा राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर 1971 को आधार वर्ष मान लिया था और इस मामले में आन्दोलन धारियों से बहुत सी अपीलें भी की गई। किन्तु क्या अन्दोलन धारियों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? नहीं बल्कि वे इस बात की घोषणा करते हैं कि वे अन्दोलन को और तेज कर देगें।

सरकार भी घुटने टेक नीति ही अपना रही है। राज्यपाल जो स्वंय निष्पक्ष नहीं हैं, घोषणा करते हैं कि 1967 को आधार वर्ष माना जाए। अब सरकार 1971 को आधार वर्ष मानना चाहती है। पर क्या आप आधार वर्ष और पीछे से शुरू करना चाहते हैं या 1971 के बाद में रखना चाहते हैं? प्रश्न तो यह है? इस प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। सरकार को दृढ़ता से काम लेना चाहिए। आपको सिद्धान्तों को ताक पर रख कर समझौता नहीं करना चाहिए, लक्ष्यों की बलि नहीं देनी चाहिए। आन्दोलनकारियों को न्योयोचित बातें समझायी जानी चाहिए। साथ ही कार्यवाही भी की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो वहाँ अल्पसंख्यकों, जातिगत और भाषागत अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सेना द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। सेना को वहां से हटाए जाने के प्रश्न पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना चाहिए। तत्पश्चात इस शर्त पर बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए कि वे अपनी बात पर अड़े नहीं रहेंगे और आन्दोलन बन्द कर देंगे। बातचीत के लिए वातावरण का शान्त होना आवश्यक है। तनावपूर्ण स्थिति समाप्त की जानी चाहिए। तभी हम साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। कहा जाता है कि 1969 तक तीन लाख लोग निर्वासित कर दिये गए हैं। वहां और कितने हैं, हम नहीं जानते। कौन विदेशी नागरिक है और कौन नहीं इसे जानने के लिए एक सर्वस्वीकार्य व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाए? क्या आप उन्हें

विदेश भेजेंगे ? यह संभव नहीं है ? गृह मंत्री ने कहा है कि हम उन्हें अन्य प्रान्तों भेजेंगे । कौन से प्रान्त उन्हें अपनायेंगे ।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है, अब श्री जेठमलानी बोलेंगे वह केवल पांच मिनट में अपने विचार व्यक्त करेंगे ।

श्री राम जेठ मलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : इस का मतलब है कि जिस दल पर आरोप लगाए गए हैं उसे बोलने के लिए केवल पांच मिनट ही मिले हैं। मैं अपने दल का एक मात्र वक्ता हूं । यह बिल्कुल भी उचित नहीं है । यदि ऐसा ही है, तो मैं इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहता, आप इसे अपने लिए रख लें। आप ही केवल पांच मिनट में पूरे दल से उसके विचार व्यक्त करवा सकते हैं । अध्यक्ष के कक्ष में उस दिन हमने निर्णय किया था कि सत्ताधारी दल त्याग करेगा और वे इतना समय नहीं लेंगे क्योंकि वस्तुतः विरोधी दल के विचार जानना ही अधिक महत्वपूर्ण है । यदि वे प्रजातन्त्र के लिए तथा मानव स्वातंत्र्य के लिए त्याग करना चाहते हैं तो केवल पांच मिनट बोलने की अनुमति का दिया जाना हास्यास्पद है ।

मैं केवल पांच मिनट मिलने पर न बोलना ही बेहतर समझूंगा। कृपया आप उसे किसी और को दे दें ।

सभापति महोदय : कृपया श्री सेठ अपना भाषण पूरा करें ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : सरकार को अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए, स्थिति पर नियन्त्रण किया जाना आवश्यक है और बातचीत से समस्या का निपटारा भी किया जाना चाहिए । इस देश के सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए ।

सभापति महोदय : श्री जेठमलानी आप जैसे वकील अपने विचारों को पांच मिनट में भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : हम 8 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं। आप हमें अधिक समय दें । जब आप इसे राष्ट्रीय स्तर का मामला कहते हैं, और हमारे दल पर आरोप लगाए गए हैं, तो मेरी बात सुनी ही जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आप थोड़ा समय और ले सकते हैं ।

श्री राम जेठमलानी : माननीय सभापति के पक्ष में कुछ ऐसा समझौता हुआ था ।

सभापति महोदय : ऐसा पहले ही हो चुका है । जिन्हें पांच मिनट बोलने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने दस मिनट का समय ले लिया है ।

हां, श्री जेठमलानी, अब आप अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं ।

श्री राम जेठमलानी : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि यद्यपि मैं सरकारी पक्ष का अधिक प्रशंसक नहीं हूं, तथापि मैं माननीय गृह मंत्री के कल के बहुत छोटे और उत्तम भाषण की प्रशंसा किये बिना नहीं रहूंगा । मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि उन्होंने सभा को यह बताया कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है जिस के लिए वह विपक्ष की सहायता व सलाह मांग रहे है। मुझे खुशी है कि

उन्होंने यह वायदा किया है कि वह विपक्ष द्वारा की गई तीखी आलोचना पर, चाहे वह कितनी भी तीखी हो, ध्यान देंगे, तथा विपक्ष द्वारा दी गई अप्रिय सलाह को भी ध्यान में रखेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। परन्तु प्रशंसा के साथ-साथ मैं उसमें दोष भी निकालना चाहूंगा। क्योंकि मेरे दल ने एक महीने पहले ही आसाम में उत्पन्न गतिरोध के हल की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी। मेरे लिए यह अत्यन्त खेद का विषय है कि इस सभा के कई नेता व सदस्य बोल चुके हैं और मैंने इस देश के अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े व अकेले प्रतिनिधी का भी भाषण सुना है परन्तु किसी ने भी यह उचित नहीं समझा कि मेरे दल द्वारा सार्वजनिक रूप से दिये गए सुझावों का उल्लेख करें। और मैंने न केवल अपने दल वरन अपने प्रतिष्ठित नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अप्रत्यक्ष, परोक्ष कटाक्ष और व्यंग्य सुने हैं। मैं निर्विवाद रूप से इसकी भर्त्सना करता हूं कि आज सुबह जब आसाम के कारणों पर चर्चा हो रही थी, तो सभा के एक समूह ने श्री वाजपेयी से पूछा "इसकी शुरुआत किसने की ?" उन्होंने कहा कि "अपने पीछे बैठे हुए महानुभाव को देखें।" मैं सभा के उन सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहता, वह स्वयं जानते हैं तथा गृहमन्त्री भी उन्हें पहचानते हैं, परन्तु यदि सभा के सदस्यों द्वारा ऐसा रवैया अपनाया गया तो मुझे अपनी बात कहनी ही पड़ेगी। परन्तु पहले मैं अपने दल द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में बोलूंगा। मेरे दल का यह विश्वास है कि इस समस्या का केवल एक ही हल है। आसाम की समस्या एक ओर तो भारत के संविधान, इस देश के नागरिकता कानून और विदेशी नागरिकों सम्बन्धी अधिनियम के दायित्व से उत्पन्न विवेकपूर्ण सामंजस्य तथा दूसरी ओर इस देश के आतिथ्य-सत्कार की परम्परा से उत्पन्न दायित्वों से ही हल हो सकती है। यह परम्परा उस धार्मिक सहन-शीलता से उठती है जो इस देश में सदियों से चल रही है तथा ऐसा दायित्व जिसकी सभापति महोदय आप भी प्रशंसा करेंगे यानि अपनी जन्मभूमि से तानाशाही व अत्याचार के मामले में भाग कर आये व्यक्तियों को राजनैतिक शरण प्रदान करने सम्बन्धी समस्या सूचक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का दायित्व।

यह समस्या आसाम व भारत के अन्य प्रदेशों के बीच की नहीं है। इस समस्या को जो रूप प्रदान करना चाह रहे हैं वह शरारत से भरपूर खेल में उलझ रहे है जोकि देश-विरोधी है तथा मैं उसकी हर हालत में भर्त्सना करता हूं। यह हिंदू मुसलमानों के बीच की समस्या नहीं है। इस समस्या को जो यह रूप देना चाहते है वे खतरनाक खेल खेल रहे हैं; जिन्होंने यह खेल प्रारम्भ किया है उन्हीं पर इसका प्रतिक्षेप लगेगा। यह बहुसंख्यकों व अल्पसंख्यको की समस्या नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप इसका हल प्रस्तुत करें।

श्री राम जेठमलानी : आप के सम्मुख यह समस्या पिछले तीस वर्षों से है। और आप इसका हल समझाने की अपेक्षा मुझसे एक मिनट में करते हैं। मेरे विचार में इसका हल सार्वजनिक रूप से मेरे दल द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। हमारा विचार है कि जो भी व्यक्ति इस देश का असली नागरिक है, चाहे वह गुजरात का महाजन हो अथवा बम्बई का मुसलमान, या वह बंगाली अथवा बिहारी हो, चाहे वह देश के किसी भी राज्य का हो यदि वह भारतीय नागरिक है, तो मेरा दल संविधान की धारा 19 में भारतीय नागरिकों को आश्वासित अधिकारों का आदर करेगा कि उसे देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार तथा बसने का अधिकार है।

आज, यह कहा जाता है कि अखिल आसाम छात्र संघ के युवक तथा जन संग्राम परिषद् के आदमी, औरतें, बच्चे और बूढ़े जो अपने राज्य में जीवित रहने के लिये लड़ रहे हैं वह चाहते हैं कि सभी गैर-आसामी जनता को बाहर निकाल दिया जाये। इन लोगों के न केवल प्रतिनिधियों से बात-चीत के बावजूद वरन् इनके वकीलों—उनका एक वकील आसाम का प्रतिष्ठित महाअधिवक्ता था—तथा नेताओं से बातचीत के बाद मैं सुस्पष्ट शब्दों में कहूंगा, तथा मैं कोई विरोध सहने के लिये तैयार नहीं हूं, कि आसाम आंदोलन में शामिल ये सभी युवक व अन्य लोग किसीभी वास्तविक भारतीय नागरिक को आसाम से नहीं निकालना चाहते हैं, चाहे वह मुसलमान हो या ईसाई या सिक्ख या पारसी।

अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तविक भारतीय नागरिक जिसके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये वह कौन है? इस देश के न्यायालय रोज़ इस समस्या को निपटाते हैं। मेरे माननीय मित्र, फ्रैंक एंथनी ने कल ही आपको बताया था, जिस पर आपने तालियां भी बजाई थीं, कि वह राष्ट्रीयता के मुकदमे ले रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने एक मुस्लिम के पक्ष में एक मुकद्दमा जीता है। न्यायालय तथा न्यायाधिकरण इस नाजुक काम को करने की स्थिति में हैं। परन्तु मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि इस सरकार ने जिसमें मेरे माननीय मित्र विधि मंत्री हैं तथा जिनका मैं आदर करता हूँ, उन्होंने उच्चतम न्यायालय से गौहाटी उच्च न्यायालय से मामलों का स्थानान्तरण चाहा। प्रत्यक्षतः उन्होंने कहा कि "हम गौहाटी उच्च न्यायालय पर कोई आक्षेप नहीं लगाते हैं।" पर जो वह चाहते थे—कोई व्यक्ति उनके इरादों पर शक न करे—तथा सोचते थे कि न्यायाधीश भी गौहाटी में नज़रबन्दी का समर्थन करेंगे।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : उच्चतम न्यायालय मामलों के स्थानान्तरण के लिये सहमत हो गया है।

श्री राम जेठमलानी : पर सारी बात तो वहीं-की-वहीं रह गई। चाहे यह कार्य दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सम्पन्न हो या गोहाटी उच्च न्तायालय द्वारा। यह स्पष्ट है इस देश के न्यायाधीश, उचित कानूनी साधनों से सम्पन्न होने पर यह समस्या सुलझा सकते हैं कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।

कल, श्री फ्रैंक एंथनी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश में 26 जनवरी, 1950 के बाद पैदा हुआ है, भारतीय नागरिक है। मैं उनसे सहमत हूँ। पर न ही मेरा दल और न ही वह युवक और बुढ़े व्यक्ति जो आसाम के इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, यह चाहते हैं कि वे व्यक्ति जो इस देश की धरती पर 26 जनवरी, 1950 के बाद पैदा हुए उन्हें बाहर निकाल दिया जाये। वह यह चाहते हैं कि केवल वही व्यक्तियों को निकाला जाये जो इस देश में आसाम के जनशांख्यकीय स्वरूप को बदलने के उद्देश्य से घुस आये हैं, और जो इस देश में आसाम के अल्प साधनों में हिस्सा बाँटने की दृष्टि से, हमारे कानून के खिलाफ घुस आए हैं। महोदय, आरोप भी लगाया गया था कि राष्ट्रीय-स्वयंसेवक संघ इस सबसे पीछे है। (व्यवधान)

एक और आरोप जो कल लगाया गया था कि इस देश में सी० आई० ए० का हाथ है। मैं इस के बारे में भी कहना चाहूंगा।

जल सरकार, जिसके पास सूचना प्राप्त करने के सबसे अधिक साधन हैं तथा जिसके पास जानकारी व जांच के अच्छे साधन उपलब्ध हैं, से यह प्रश्न पूछा गया : "क्या कोई विदेशी नागरिक शामिल हैं ?" उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो उनके विश्वास में सहायक है, तथा उन वीर सिक्ख के विश्वास में सहायक है—मैं जानता हूँ कि वे कभी "इस देश को" नहीं बेचेंगे—और उन्होंने एक विश्वसनीय वक्तव्य दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कोई विदेशी नागरिक शामिल है। कल मेरे सहयोगी श्री समर मुखर्जी एक दस्तावेज लाए, जैसे कि यह दस्तावेज उनके मौखिक वक्तव्य को अधिक विश्वास प्रदान करता हो। यह वह दस्तावेज है जो मार्क्सवादी दल ने बंगाल में प्रकाशित किया था और उन्होंने इस दस्तावेज को अन्य दस्तावेज की फोटोस्टेट-प्रति के साथ पढ़ा था, उन्होंने केवल सामग्री ही पढ़ी वरन् उनके नीचे का नोट भी पढा। उनके अनुसार यह दस्तावेज़ सी० आई० ए० द्वारा प्रकाशित व वितरित दस्तावेज है। क्यों ? वह उससे राहत भी हो गए। इस दस्तावेज में लिखा है 'प्रचार बिभाग' यू० एस० ए० पूर्व 8980' और इसलिए यह दस्तावेज संयुक्त राज्य अमेरिका का है। एसा वक्तव्य उन्होंने कल दिया था। यदि किसी स्कूल के बच्चे ने भी यह दस्तावेज पढ़ा होता तो वह यही कहता कि इसके अनुसार यू० एस० ए० का अर्थ "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ" असम है। इस प्रकार मेरे मित्र श्री समर मुखर्जी की यह कपोल कल्पना है। इस प्रकार के झूठ का इस सभा में प्रचार किया जाता है। यू०एस०ए० का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका है, पर कोई भी दस्तावेज के मुख्य भाग को पढ़ने की फिक्र नहीं करता।

दो मिनट के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके कार्यों की चर्चा करूंगा जिसकी कि हमेशा चर्चा होती रहती है। गृह मंत्री से मेरी प्रार्थन है कि यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो आप कृपया काल्पनिक भय या ख्याली वहम जो आपने बना रखे हैं उनसे मुक्त हो जाइए, ये आपको समस्या सुलझाने में सहायक सिद्ध नहीं होंगे वरन असलियत से दूर ले जाएंगे।

वर्ष 1950 में जब देश की संसद् ने आसाम से विदेशियों को निकालने के लिए विधेयक पास किया गया तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसद में जोर नहीं था। उस समय आज की प्रधान मन्त्री के प्रतिष्ठित पिता का सदन में जोर था, उनके संरक्षण में संसद ने यह कानून पास किया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनैतिक कारणों से सात वर्ष के बाद भी अधिनियम लागू नहीं किया गया और उसे निरस्त कर दिया गया।

वर्ष 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक बार फिर सरकार ने दोबारा पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर जनसंख्या के विस्थापन की समस्या पर ध्यान दिया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों तरफ के आंकड़े में पूरी तरह साम्यता है। पश्चिम बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जनसंख्या घट रही थी तथा आसाम के सीमावर्ती इलाकों में काफी हद तक जनसंख्या बढ़ रही थी। घुसपैठियों के प्रमाण सूत्रों के प्रमाण देने पर भी बढ़ोतरी महसूस की गई।

अभी हाल ही में जब गृह मंत्री ने एक सार्वजनिक भाषण—जो पहले उन्होंने पंजाबी में दिया फिर राजस्थानी में—कहा कि 'मैंने आसाम की समस्या का समाधान कर लिया है।' उन्होंने इस समस्या का समाधान कैसे किया ? उन्होंने कहा मैंने कि तीन लाख दस हजार घुसपैठियों का पता लगा लिया है।' उन्होंने पहले कहा कि उन्होंने उनका पता लगा लिया है फिर कहा 'मैं उन्हें

बाहर नहीं भेज सकता क्योंकि जिन देशों के नागरिक हैं वे उन्हें लेने से मना कर रहे हैं। तब, सत्रह दिन के उपरान्त उन्होंने एक और भाषण में कहा कि तीन लाख व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और 'मैंने उन्हें भेज दिया है, परन्तु आन्दोलन केवल आन्दोलन करने के लिए किया जा रहा है।'

मैं यह प्रश्न अपने मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी से करना चाहता हूं जिन्होंने कल बड़ी लापरवाही से देशद्रोह व युद्ध की घोषणा की थी। मेरे विचार से वह व्यक्ति देशद्रोही हैं जिन्होंने तीन लाख व्यक्तियों को इस देश में आने दिया। श्री मरीन असम गए और उन्होंने इस देश के लोगों से वायदा किया कि 'मैंने सीमा की नाकेबन्दी कर दी है। व्यक्ति अपराधी हैं जो पिछले तीस वर्षों से सीमा की नाकेबन्दी नहीं कर सके। और अपराधी कौन है—वही जिन्होंने देश की राजनैतिक शक्ति को नियंत्रित कर रखा है

आज आपने कहा है कि असाम में प्रवेश करने के जल-मार्गों की नाकेबन्दी के लिए हमने ब्रह्मपुत्र में छः यन्त्रसज्जित नावें तैनात कर रखी हैं। देशद्रोह के अपराधी वही लोग हैं जिन्होंने यह यन्त्रसज्जित नावें पहले नहीं भेजीं। यह यन्त्रसज्जित नावें 1950 से ही नदी में भेज देनी चाहिए थीं। और यही वे लोग हैं जिन्होंने पिछले तीस वर्षों से राष्ट्र के हितों को बेचा है। राष्ट्र के हितों को बेचने के दो उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य हैं उनकी नकली धर्मनिरपेक्षता और इससे प्राप्त होने वाला लाभ -- अल्पसंख्यक मत लेने के लिए यह करते जाइये, भारत के हित बेचते जाइये, विदेशियों को भारत में आने दीजिए, भारतीय संविधान की बढ़ती जा रही खाई की ओर से आंखें मूंद लीजिए। देश के दण्ड विधान की बढ़ती हुई खाई की ओर से आंखें मूंद लीजिए, असम में लोगों को भर कर असम को हिन्दू बहुसंख्यक प्रदेश में बदल कर मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश बना दीजिए ..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जेठमलानी, यदि मैं आपको वक्तव्य समाप्त करने के लिए कहूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री राम जेठमलानी : मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शकधर ने 1978 के अपने एक वक्तव्य में कहा :

> "इस सम्बन्ध में चिन्ता का यह भी विषय है कि राजनैतिक दल उन प्रवासियों के नामों को उनकी नागरिकता की स्थिति को ठीक प्रकार जांचे बिना मतदाता सूचियों में जोड़ने की मांग कर रहे हैं जो भारतीय नागरिक नहीं हैं। यह अत्यन्त गम्भीर बात है। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए कठोर व सक्षम कदम उठाए जाने चाहिए।"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वोटों को नहीं देख रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए असम में मतदाता सूचियां तैयार नहीं करवा रहा। जो महानुभाव मतदाता सूचियों को अपने हितों के अनुसार करवा रहे हैं वे राजनैतिक लाभ के इच्छुक है, वे विदेशियों को देश बेच कर कहेंगे 'हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाह रहे हैं। गोलपाड़ा जिले का एक सब-डिवीजन—जो हमारे पिछले राष्ट्रपति जी की बेगम का चुनाव क्षेत्र है—अब मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र में बदल दिया गया है। आप जानते हैं कि पहले उसका जनसंख्यकीय स्वरूप क्या

था और अब क्या है। यदि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा चाहिए तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हम उन्हें अपनी पलकों पर बिठायेंगे, गोद में उठाएंगे। परन्तु हम बंगलादेश से मुस्लिम घुसपैठियों को इस क्षेत्र का जनसांख्यकीय स्वरूप बदलने और असम की निर्धन जनता के अल्प सम्पदा के भागीदार बनने और उनकी संस्कृति व सभ्यता को बदलने के लिए असम में नहीं घुसने देंगे। यह अल्पसंख्यकों का प्रश्न नहीं है। भारतीय अल्पसख्यकों की रक्षा की जाएगी। वास्तविक भारतीय मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की रक्षा की जाएगी, पर उन जासूसों को नहीं जो सत्तारूढ़ दल को राजनैतिक समर्थन पहुंचाने के उद्देश्य से यहां आए हैं।

श्री चित्त बसू (बारसाट) : सभापति महोदय, आसाम इस समय बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति में है। भारत के लिए यह दुखद स्थिति है। अखिल आसाम छात्र संघ और गण संग्राम परिषद् द्वारा चलाए जा रहे नौ महीने पुराने आन्दोलन से भारत की मूलभूत विशेषता—अनेकता में एकता को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। मेरे विद्वान मित्र श्री राम जेठमलानी और श्री रवीन्द्र वर्मा ने जो कुछ भी कहा है, उसके बारे में तथ्य साफ और स्पष्ट हैं। आंदोलन आरंभ में चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन अब तो यह स्पष्ट रूप से आसाम के हिन्दुओं–मूल रूप से उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग—का आन्दोलन बन गया है। अब इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि इस समय स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। यह भी स्वीकार किया गया है कि अखिल आसाम छात्र संघ और गण संग्राम परिषद द्वारा चलाए गए इस आन्दोलन ने निस्संदेह रूप से प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता का रूप ले लिया है तथा पृथकतावादी रुख अपना लिया है। अतः आन्दोलन के वास्तविक स्वरूप को देखते हुए देश की एकता और अखंडता हित में इसका कोई समाधान ढूंढ़ना ही होगा। यह सुस्पष्ट है और मेरे विचार से पूरा सदन मुझ से सहमत होगा कि इस आन्दोलन के कुछ मूलभूत कारण हैं। इसके मूलभूत कारण यह हैं कि पिछले 30 वर्षों से आसाम के निवासियों ने यह महसूस किया है कि उनकी निरन्तर अवहेलना होती रही है। किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है और आर्थिक विकास का लाभ बहुत ही कम हुआ है। इससे आसाम की जनता में असंतोष, कुण्ठा और वहां और कुछ वास्तविक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। लेकिन उन सबका क्या समाधान है। यह आवश्यक था कि लोकतान्त्रिक आंदोलन आरंभ किया जाता जिसमें वामपंथी और जनतांत्रिक दल प्रमुख भूमिका निभाते जिससे कि केन्द्र द्वारा की गई आसाम की जनता की अवहेलना को दूर किया जाता और उसमें सुधार किया जा सकता। आसाम की जनता के प्रति की गई लापरवाही, विकास कार्यों में कमी के बारे में शिकायतों की सूची मेरे पास है और मैं उनमें से केवल कुछ का ही उल्लेख करूंगा। लेकिन इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि आसाम में वामपंथी आन्दोलन और जनतांत्रिक आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर है और वामपंथी तथा जनतांत्रिक आन्दोलन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने शुरू से ही आंदोलन में प्रांतीयता की भावना को प्रोत्साहन दिया और विदेशी मिशनरियों और विदेशी एजेंसियों ने स्थिति से विशेष लाभ उठाया। यह बात सर्व विदित है कि ये विदेशी एजेंसियां और विदेशी मिशनरियां पृथकतावादी वर्ष 1950 से आंदोलन को बढ़ावा दे रही हैं तथा इसका पुष्ट प्रमाण भी है जिसे सरकार भी जानती है। मेरे पास इसे सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण भी हैं कि इस आन्दोलन में विदेशी एजेंसियों और विदेशी मिशनरियों का हाथ है। गृह मंत्री ने राज्य सभा में वक्तव्य दिया है कि इस आंदोलन में अमरीका की गुप्तचर विभाग की एजेंसी का हाथ है। उन्होंने बताया है कि :

"आधुनिक दुनियां में विजय अस्त-शस्त्रों के बल पर नहीं अपितु धन बांटने अपने साहित्य प्रचार के बल पर तथा सहानुभूति दिखाकर और आपके एजेंट बनाकर विजय प्राप्त की जाती है।"

प्रधान मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि पूर्वी क्षेत्र की घटनाओं के पीछे किसी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप है लेकिन मुझे हैरानी है कि उन्होंने कहा है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि यह कहा जाए कि इस समस्त आंदोलन के पीछे विदेशी एजेंसियों तथा विदेशी मिशनरियों का हाथ है।

जब यहां देश की अखंडता, देश की एकता का प्रश्न उत्पन्न होता है, जब यहां विदेशी विघटनकारी तत्व मौजूद हैं तो सरकार ऐसे ठोस कदम क्यों नहीं उठाती, जिनमें कि देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली घातक ताकतों से सख्ती से निपटा जा सके ? फिर सरकार यह कहती है कि विदेशी एजेंसियों अथवा विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप करने का कोई प्रमाण नहीं है। इस आंदोलन में विदेशी एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने को पुष्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सी जानकारी है लेकिन समय न होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। किंतु इसके साथ ही हमें समस्या के मर्म को जानने की कोशिश करनी चाहिए। समस्या अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने की है। अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की एकता और अखंडता कायम रहे, कुछ मूलभूत बातें करनी होंगी। संतोष की बात है कि राजनीतिक दलों की पिछली बैठक में एक तरीका अपनाया गया और परस्पर विचार विमर्श तथा सहमत निर्णय हुआ। इस बात पर आम स्वीकृति प्रकट की गई कि सम्पूर्ण समस्या को निम्नलिखित चार सिद्धान्तों के आधार पर समझा जाए और इसे हल किया जाए :

1 हर प्रकार से एकता और अखंडता की रक्षा की जाए;

2 अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना केन्द्रीय सरकार का विशेष दायित्व होना चाहिए।

3 विदेशी नागरिकों का पता ऐसी व्यवस्था के माध्यम से लगाया जाए जिसे सभी सम्बद्ध वर्गों का विश्वास प्राप्त हो।

4 सभी सम्बन्धित वर्गों द्वारा सहमत मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर ही पहचान कार्य किया जाए।

अतः यह विचारणीय है कि इस समस्या का समाधान टकराव से नहीं अपितु आपसी समझौते से किया जाए। जिसके लिए उक्त चारों सिद्धातों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अगर ऐसा न हो सके तो बातचीत आरम्भ करने के प्रयास किए जाने चाहिएं। सभी दल अपने पूर्ण बहुमत से बातचीत द्वारा इस समस्या का हल निकालने के पक्ष में हैं। केवल इतनी समस्या है कि आन्दोलन के नेताओं ने अभी बातचीत करना उचित नहीं समझा है। आवश्यकता राष्ट्रीय सहमति बताने की है और समूचे देश में जनमत तैयार की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आन्दोलन के नेता हठ धर्मी का मार्ग त्याग कर सन्मार्ग पर आए और बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा समझा जाता है कि यद्यपि आरंभ में इस आन्दोलन को जन समर्थन प्राप्त हुआ था, लेकिन अब ऐसी भावना हो गई है कि यह आन्दोलन अब आत्म घातक होता जा

रहा है। इसलिए अगर सम्यक प्रयास किया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है ताकि इस समस्या का संतोषजनक और शान्तिपूर्ण हल निकाला जा सके। इसके साथ ही सरकार को इस प्रकार के दमनकारी कदम नहीं उठाने चाहिए। दमनकारी तरीके अपनाना और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना अलग-अलग बातें हैं। अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने पर केन्द्रीय सरकार को विशेष महत्व देना चाहिए। वास्तव में इस समय आसाम में भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। वे आतंक के वातावरण में हैं। अतः इस भावना को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए। जब तक आसाम में इस आन्दोलन से निपटने के लिए कठोर प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक वहां धार्मिक और भाषायी दोनों प्रकार के अल्पसंख्यक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेंगे अतः संतोषजनक तरीके से बातचीत आरंभ कर समस्या का समाधान निकालने के लिए नए सिरे से प्रयास किये जाने चाहिए। इस चर्चा में जो समय लगा है उससे सभा को बढ़ाया गया समय होगा।

सभापति महोदय : हम कार्यसूची के शेष पदों को लेकर उन पर चर्चा पूरी करेंगे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : आसाम के बारे में लेखानुदान पूरा किया ही जाना है।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम इससे सहमत नहीं हैं। मैं समझता हूं कि केवल इसी वाद-विवाद के लिए समय बढ़ाया गया था।

सभापति महोदय : एक घंटा दिया गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव : एक घंटा इस बजट के लिए निश्चित किया गया था।

सभापति महोदय : वह केवल इसी वादविवाद के लिए था। हमने एक घंटा पैंतालीस मिनट दे दिए हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सभा समय बढ़ाती रहे। बाकी मदों पर चर्चा आरम्भ की जा सकती है।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : माननीय सभापति जी, हाऊस के सामने जो मैंने संकल्प रखा था कि आसाम में राष्ट्रपति शासन की अवधि को और छः महीने के लिए बढ़ाया जाए, उस सिलसिले में हाऊस के मेम्बरान को एक मौका मिला, कि वे आसाम की जो गंभीर समस्या है, उस पर अपनी राय दे सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि कौमों के इतिहास में कभी-कभी ऐसी बात आती है, जिस पर हर ख्याल के, हर विचार के नुमायन्दगान को अपनी राय देने का मौका मिले।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

भारत सरकार ने यह शुरू में ही कहा था कि असम की समस्या को हल करने के लिए पार्टी ही नहीं, सरकार ही नहीं बल्कि इसको नेशनल सवाल समझ कर सब की राय से, मशविरे से हल करना चाहिये, हल तलास करना चाहिये। इसलिए आपको मालूम है कि दो-तीन बार

आल पार्टीज मीटिंग भी हुई है और नैगोशिएशंज भी कई बार हो चुकी है। लेकिन आज वे हद से आगे निकल गए हैं। मैं महसूस करता था कि पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है और पार्लिमेंट के सामने यह सारा मामला रखा जाए और उसकी राय के बाद ही और कदम उठाया जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आलमोस्ट आल पार्टी लीडर्ज ने एक तरह से सरकार की इस नीति का समर्थन किया है चूंकि गवर्नमेंट ने शो आफ फोर्स तो किया लेकिन यूज़ आफ फोर्स नहीं किया और अब तक असम के एजीटेटर्ज़ के साथ गवर्नमेंट पैरैटली फाइट करती रही है और उनके साथ प्यार और मुहब्बत से काम लेती रही है, उनको समझाने-बुझाने की कोशिश करती रही है। वह कोशिश करती रही है कि वे रास्ते पर आ जाएं। अब यह बात हद से ज़्यादा निकल चुकी है। मैं यह भी कह दूं कि स्टुडेंट्स के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है लेकिन न तो उनके हाथ में लिट्रेचर प्रोड्यूस करना है और न प्लानिंग है और न उनके हाथ में कोई फैसला करना है। वे केवल एजिटेटर रह गए हैं पिकिटिंग के लिए, जलूस निकालने के लिए, स्लोगन निकालने के लिए। हम इंतहाई खोज के बाद, जानकारी के बाद इस जगह पर पहुंचे हैं कि यह मूवमेंट न तो नान वायोलेंट है और न कौमी है। यह मूवमेंट बहुत शरारती अनसरों के हाथ में आ गई है और इस मूवमेंट के पीछे फिरका-दाराना ताकत भी है और विदेशी ताकतों का भी छिपा हुआ हाथ है। मुझे श्री बीजू पटनायक जी की.....

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय गृह मंत्री महोदय आप सारा समय मामूली-सी बातों पर लगा देते हैं। यह गम्भीर मामला है। आप विषयगत बात करें और दलों का नाम बताएं।

श्री जैल सिंह : मैम्बर साहिबान ने जो आपके सामने विचार रखे हैं उनको सुनने के बाद और देखने के बाद जो आपका डाउट रह गया है वह मैं दूर करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए ही कह रहा हूँ और मैं तो आपका इतना अदब करता हूँ कि आप बैठे बोलते हैं और मैं खड़ा होकर बोलता हूँ.....

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपका अनादर नहीं करता हूं। अगर आप चाहते हैं तो मैं खड़ा हो कर बोलता हूं।

श्री जैलसिंह : मुझे बीजू पटनायक जी के साथ बहुत हमदर्दी है। मैं सोचता हूं कि वह जो बात कर रहे थे वह दिलो दिमाग से कर रहे थे या किसी मजबूरी में कर रहे थे। उन्होंने यह कहा कि चालीस लाख के करीब वहां पर विदेशी लोग हैं। दूसरी बार उन्होंने कहा कि पांच मिलियन हैं। यह भी उन्होंने कह दिया कि उनको बे आफ बंगाल में बसाया जाए। इसका मतलब है कि उनको समुन्द्र में गिरा दिया जाए। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि जो एजीटेटर हैं वे दुरुक्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1951 से नेशनल रजिस्टर को ले कर क्यों शुरू नहीं करते हो ? मुझे इस बात की हैरानी हुई कि सब कुछ जानते हुए भी कि यह समस्या इस तरह से नहीं सुलझ सकती उन्होंने ऐसे सुझाव रखे जिन का कोई वजूद नहीं बन सकता। और फिर उसके बाद यह नहीं कहा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है।

जानकारी से पहले यह तो मैं नहीं कह सकता कि कितने विदेशी लोग वहां हैं। विदेशी लोग वहां हैं, उनको निकालना भी चाहिये। असामियों की यह जो चिन्ता है कि वह माइनोरिटी में हो जायेंगे, उस बात का भी हमको जरूरी तौर पर ख्याल रखकर कोई रास्ता निकालना है, लेकिन यह कहना कि वह 50 लाख के करीब हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 50 लाख अगर विदेशी वहां रहते हैं तो आपकी सरकार पिछले तीन साल से क्या करती रही और उससे पहले की सरकार क्या करती रही ? कैसे 50 लाख को निकालेंगे, यह कोई बात है? मुझे उनके साथ हमदर्दी है, वह सदन में नहीं है, अगर होते तो अपने आप को अमैंड कर लेते।

आपके सामने हमारे दूसरे मैम्बर साहेबान ने कुछ विचार रखे हैं, जिनमें हमारे सी० पी० आई० के नेता श्री इन्द्रजीत गुप्ता व श्री मुखर्जी हैं। हमारे देश के एमीनेन्ट लायर श्री एन्थमी जी हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। मैं जल्दी खत्म कर देना चाहता हूं, सम-अप करते हुए मैं कहना चाहता था कि हमारे जेठमलानी जी ने शुरुआत में बड़ी बैलेन्स्ड स्पीच की। उनके लफ्जों से, उनकी अदायगी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी प्रभावित होते हैं। इतने लायक लायर को जब मैंने आज पहली बार इस पार्लियामेंट में सुना तो मुझे इस बात का ख्याल आया कि वह इस तरह से कह रहे थे जैसे किसी मुजरिम को छुड़वाना होता है। क्योंकि वकील का धर्म है कि वह अपने सायल की बात कहे, चाहे उसका सायल गुनाहगार है या नहीं। उनका तो फर्ज है कि वह अपने सायल की मदद करें और बड़ी खूबी से उन्होंने मदद की है, इस बात की मुझे खुशी है।

अब मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं, जिनका यह ख्याल था कि असम में फोर्सेज क्यों भेजी गईं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस को क्यों भेजा गया। इन फोर्सेज को इसलिये नहीं भेजा गया है कि असमियों को कुचला जाये, बल्कि इसलिये भेजा है कि उनके जानो-माल की रक्षा की जाये। जब एक भाई दूसरे भाई का गला काटने के लिये तैयार हो जाये और समझा-बुझाकर दुरुस्त रास्ते पर नहीं लाया जा सके, तो सरकार का पहला फर्ज होता है कि वह कंट्रोल करे और मजबूत हाथों से करे। फिर भी हमने कोशिश की है कि उस ताकत को, जो एक्ट बनाया गया है, उनका इस्तेमाल न किया जाये और उनके लिये हमदर्दी प्रकट की जाये।

आपके सामने हमारे मुस्लिम लीग के नेता ने जो तकरीर की है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हमारे सी० पी०(एम०) के और सी० पी०आई० के नेताओं ने जो तकरीरें की हैं उन्होंने बिल्कुल दिलेरी से और सही वाक्यात को हाउस के सामने रखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि गाइडमैन को वहां जाने दिया। आसाम में रेस्ट्रिक्शन है, वहां इजाजत लेकर जा सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है, जहां टूरिस्ट दो हफ्ते के लिए जा सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं हैं। वे चले गये हैं, और उन्होंने क्या किया, कैसे किया, हम उसकी जानकारी हासिल करेंगे, और उसके बाद भी मुनासिब एक्शन लेना चाहिए, वह हम लेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में विदेशी ताकतें किसी मुल्क को, खासतौर पर किसी ताकतवर मुल्क को, बर्बाद होते देख कर खुश होती हैं। यह हम नहीं रोक सकते हैं। जब वे मदाख़लत करती हैं, तो इनविजिबल हैंड से करती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। मैं हाउस को इतना बता देना चाहता हूं कि अगर हमें वह हाथ दिखाई दे

गया, जो विदेशी ताकतों ने वहां डाला है, तो सैंट्रल गवर्नमेंट इस बात के लिए वचनबद्ध है कि उस हाथ को काट दिया जायेगा। (व्यवधान)

आप जानते हैं कि "इन्सान जुल्म का मारा तो बच सकता है, यह जो मुहब्बत से मिटाते हो, गज़ब करते हो।" आज-कल की दुनिया में विदेशी ताकतें अपना हाथ प्यार और मुहब्बत से डालती हैं। वे हमारी और गरीबों की खिदमत करने के लिए आती हैं और धीरे-धीरे अपना कब्जा करना चाहती हैं। वे ऐसे लोगों को पकड़ती हैं, जिनको हम पहचान नहीं सकते हैं। यह पता नहीं चलता है कि कौन लोग पकड़े गये हैं, कहां पकड़े गये हैं, कहां बात हुई है, कहां से रुपया और लिट्रेचर आता है, कहां से मैसेज पहुंचाये जा रहे हैं। इस बारे में जितनी भी जानकारी होगी, वह हम हाउस से नहीं छिपायेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हाउस हमें इस बात की जरूर इजाज़त देगा कि जो बात नैशनल इन्ट्रेस्ट और पब्लिक इन्ट्रेस्ट में खुले तौर पर नहीं कहनी चाहिए, वह हम न कहें।

जहां तक आर० एस० एस० का ताल्लुक है, आज से दो महीने पहले मैं इस बात को शुबहे से देखता था कि इसमें आर० एस० एस० का हैंड है या नहीं। लेकिन अब जानकारी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आर० एस० एस० के लीडर जितनी बार वहां जाते रहे हैं, उतनी बार वहां दंगे होते रहे हैं, फ़साद होते रहे हैं। उनके कैम्प लगते रहे हैं, जिनमें शिक्षा दी गई और वहां पर सात हज़ार के करीब आर० एस० एस० के वालन्टीयर तैयार किये गये हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : आपकी सरकार क्या करती रही ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आर० एस० एस० के कैम्प को बन्द क्यों नहीं कराते ? उसको चलने क्यों देते हैं ?

श्री जैल सिंह : आप थोड़ा सा धीरज रखिये। हर बात समय पर होनी चाहिए और मुनासिब तरीके से होनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि मेरे दोस्त इस बात का भरोसा रखें कि क्या करना है, हम यह भी जानते हैं, कब करना है, यह भी जानते हैं और कैसे करना है, यह भी जानते हैं।

मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आर० एस० एस० के नेताओं को बड अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी नीयत पर मुझे शक नहीं है। वे भारतीय संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यही आपकी गलतफहमी है। वे बिल्कुल नहीं कायम रखना चाहते हैं।

श्री जैल सिंह : हो सकता है कि न रखना चाहते हों। मेरा इम्प्रेशन है। मुझे यह भी विश्वास है कि वह चाहते नहीं कि भारत के टुकड़े हों लेकिन वे गौर करें दोबारा और दोबारा गौर करके यह देखें कि यह भारत एक कैसे रह सकता है ? जो रास्ता उन्होंने अख्त्यार किया है उससे भारत एक नहीं रह सकता। मुझे ख्याल आया, एक औरत अपने पति से बहुत तंग और दुखी थी। वह एक साधु के पास गई और कहा कि मुझे ऐसा जंत्र-तंत्र दीजिए कि मेरा

पति वश में आ जाय। उन स्वामी जी ने एक ऐसा जंत्र दे दिया कि वह जब उसे पिलाया गया था उसके हाथ में रखा गया तो उसकी मौत हो गई। तो उस औरत ने उनसे कहा कि मैंने तो यही कहा था कि मेरे वश में हो जाय, मैंने यह कब कहा था कि मैं विधवा हो जाऊं। तो मैं यह कहता हूं आर० एस० एस० के नेताओं से कि वह जो जंत्र-तंत्र कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, उससे हिन्दुस्तान का नुकसान होगा और वह पछताएंगे इस बात पर। नेशन के नाम पर मैं उनसे अपील करता हूं कि वह दोबारा गौर करें और भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति को कायम रखना है तो मेरे साथ पब्लिकली बहस कर लें, मैं उन्हें बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति कैसे कायम रह सकती है।

हमारे भारत के नार्थ ईस्टर्न हिस्से में जो बेचैनी पैदा हुई, जो गड़बड़ी पैदा हुई सन् 79 के अक्तूबर से लेकर—पहले भी कभी-कभी होती रही—लेकिन आज की जो समस्या है, उसमें बहुत से लोग मारे गए। आज के इस टाइम पर हमारी प्रधान मंत्री जी खुद आने वाली थीं लेकिन एक ऐसे जरूरी काम के लिए ·····(व्यवधान)····· आसाम का डेलीगेशन उनको मिल रहा है और कुछ ऐसे काम भी हैं जो इन्तजार नहीं कर सकते, प्रधान मन्त्री के नाते उन्हें उनको करना ही है, इसलिए वह नहीं आईं। तो हम प्रधान मंत्री जी की तरफ से, अपनी तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से और इजाजत दें तो हाउस के मेम्बरों की तरफ से आसाम की इस गड़बड़ी में जितनी जिन्दगियां चली गई हैं, जितनी मौतें हुई हैं उनके परिवारों के साथ हमदर्दी जाहिर करते हैं और उनके अफसोस के साथ हम शामिल होते हैं।

बहुत दुख की बात है, आसाम की समस्या को सुलझाने के लिए आनरेबल मेम्बर साहबान ने कोई सुझाव दिए भी हैं, लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वे सुझाव नहीं देते हैं। जब सुझाव नहीं देते हैं तो हमारी ड्यूटी बन जाती है और ड्यूटी इसलिए बन जाती है कि जो सिस्टर स्टेट्स हैं, वहां की जो रियासतें हैं उनमें भी यह बीमारी फैलती जाती है। वहां भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। त्रिपुरा से अभी-अभी खबर आई है कि वहां पर इतने दंगे फसाद तीन दिन में हुए हैं जिसमें हजारहां आदमी बेघर हो गए और सैंकड़ों आदमियों की जिन्दगी चली गई। मैं अभी आज ही या कल सुबह वहां, त्रिपुरा जाऊंगा और आपको यह बात सुनकर बहुत दुख होगा, वहां की जो खबर आई है, अभी पूरी गिनती तो नहीं हो सकती लेकिन तीन सौ के करीब तो लोग मारे गए हैं और इस नफरत की वजह से आपस में लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। जब हमको खबर मिली तो हमने बी० एस० एफ० फौजें और सेंट्रल फोर्स को वहां भेजने का इन्तजाम किया। लेकिन दो हवाई जहाज वहां पहुंच सके, बाकी गोहाटी में खड़े हैं क्योंकि मौसम खराब हो गया। वे वहां पहुंच नहीं पाए। ऐसी स्थिति में वह बात किसी भी पार्टी के इन्टरेस्ट में नहीं है, इसको तो हमें बहुत गम्भीरता से देखना चाहिए। आपको मालूम है कि एक साल हो गया, आसाम के स्टूडेंट्स की स्टडी बिलकुल बन्द पड़ी है, वह नहीं हो सकी। इसी तरह से वहां पर बिल्डिंग और रोड्स वगैरह के तमाम काम भी सब बन्द पड़े हैं। यह आंदोलन जिसके लिए हमारे आनरेबल मेम्बर ने कहा कि यह कौमी है, यह फिरके वाराना नहीं है, यह शांतिमय है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या यह शांतिमय है कि 26 तारीख को माइनारिटीज स्टूडेंट्स यूनियन एक मेमोरेंडम देना चाहती है, और उसको मेमोरेंडम देने की इजाजत नहीं मिलती। जिस अफसर ने मेमोरेंडम हासिल किया, उसका घेराव किया गया, उसकी बेइज्जती की गई।

इसी तरह से कल माननीय सदस्य भगत जी ने बताया था कि एक औरत जो उनके एजिटेशन में शामिल नहीं होना चाहती थी, उसकी नाक काट दी गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं आल इन्डिया न्यूजपेपर्स एडिटर्स कांफ्रेन्स में गया, वहां उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दी, वह सर्कुलेट की गई है और शायद आपको मिल गई होगी। सतकार्य योग्य एडिटर ने मुझे बताया कि गोहाटी में एक विधवा औरत और उसकी दो नौजवान लड़कियां थीं। आंदोलनकारियों ने जाकर उससे कहा कि लड़कियों को हमारे साथ पिकेटिंग में भेजो। उसने कहा मैं नहीं भेजती, मेरा इस एजिटेशन में विश्वास नहीं है तो उसको मारा गया, पीटा गया और घर से निकाल कर धक्का दे दिया गया और उसे मजबूर किया गया कि हमारे साथ आओ। इसलिए न तो हम कह सकते हैं कि यह नेशनल है और न कह सकते है कि यह कम्युनलिज्म से कम है। वहां पर इश्तहार बांटा जाता है कि हम हिन्दुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। इस आंदोलन के पीछे, मैंने पहले ही कहा कि स्टूडेंट्स बेचारों का कुछ कसूर नहीं है लेकिन जो उनके पीछे तार हिलाने वाले हैं उनका इरादा क्या है? उनका इरादा है कि जो नान-आसामी हैं, उनको वहां से फेंक दिया जाए। इस आन्दोलन के पीछे इतना बल नहीं है जितना बल वे कहते हैं क्योंकि वहां माइनारिटीज जो हैं वह 40 फीसदी के करीब हैं। कुछ ट्राइबल एरियाज और प्लेन ट्राइबल एरियाज के स्टूडेंट्स भी आकर मुझसे मिले और वे यहां पर हैं, और मिलेंगे, वे इस आन्दोलन से दुःखी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप खामोश क्यों रहे तो वे कहते हैं हम इसलिए खामोश थे कि हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा न करें। हम यह विश्वास रखते थे कि ये जेन्युइन फारेनर्स को बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसमें फारेनर्स का सवाल नहीं है, न ये मुसलमान को चाहते हैं न गैर-आसामी को रखना चाहते हैं।

हमें इस बात पर भी इत्तफाक करना होगा कि जो जरूरी वस्तुयें है उनको उन्होंने बाहर निकलने से रोक दिया। वहां जो बैम्बू है, जो लकड़ी है, वहां की जितनी भी चीजें हैं वह आसाम से बाहर न निकलें और वहां की तीन रिफायनरीज पर पिकेटिंग की जाए जिससे तीन करोड़ रुपए रोजाना का घाटा हो तो इसका मतलब विदेशियों के साथ क्या है? सरकार ने पिछले साल 8 हजार टन फर्टिलाइजर भेजा और जो फर्टिलाइजर वहां पर होता था उसको उन्होंने बन्द कर दिया। सरकार ने इस साल 16 हजार टन फर्टिलाइजर भेजा है।

वहां पर लोगों से जबरन पैसा उगाहा जाता है। एम० एल० एज० को बायकाट किया हुआ है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि बहुत बड़े देश भक्तों को मजबूर किया गया कि तुम अपना ताम्र-पत्र वापिस करो। मुझे इस बात की पक्की इत्तला है कि वे ताम्र-पत्र नहीं देना चाहते थे लेकिन उनको मजबूर किया गया। उन्होंने यह संदेशा भेजा है कि सरकार फोर्स को क्यों यूज नहीं करती, सरकार मजबूत हाथों से इसको क्यों नहीं निपटती। उनका यह संदेशा हमारे पास आया। एक प्रो० गोहुन, जो गोहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और जिन्होंने इस आन्दोलन के मुताल्लिक सार लिखा है कि यह प्रोविंश्यलिज्म से भी नीचे चला गया है, यह कास्टिज्म तक पहुंच गया है। यह हिन्दुस्तान की एकता के लिए नुकसानदेह होगा और इस आंदोलन को बन्द करना चाहिए, जबकि तमाम बातों को सरकार ने मन्जूर कर लिया है, इस आन्दोलन को जारी नहीं रखना चाहिए। इसकी सजा क्या मिली—मारा गया, पीटा गया—आज वे अस्पताल में पड़े हुए हैं।

जो इन्फोरमेशन आप चाहेंगे, वह मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की कौम इस बात पर जागृत हो जाए कि किसी भी मुल्क के हिस्से में अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो उनको गलती मानना चाहिए और सरकार को इत्तला देनी चाहिए ताकि मजबूत हाथों से उसको कुचल कर रख दिया जाए। भारत के किसी हिस्से में अगर ऐसी बातें होती हैं तो उसको मजबूत हाथों से निपटाना हमारी ड्यूटी है। मैं यह सोचता हूं कि हिन्दुस्तान की कौम के सामने हम मुंह नहीं दिखा सकेंगे अगर हिन्दुस्तान का एक भी टुकडा दूसरे मुल्क के पास चला जाए। हमारा फर्ज बनता है और मैं देशभक्ति के नाते उन दोस्तों से, जो दो दोस्त आज हमको यह राय देते है, मश्विरा देते हैं कि फोर्स यूज नहीं करनी चाहिए, मैं श्री जेठमलानी जी जैसे एमीनेंट हिन्दुस्तान के लायर से पूछना चाहता हूं, आप क्या सुझाव देते हैं ? आप हम को बतायें कि यह काम करो, इस काम को इस तरह से कर लो, मैं निपटा देता हूं। अगर आपके दायरे में है तो आप निपटा दीजिए।

भारत की प्रधान मंत्री ने यहां तक भी कह दिया कि आओ, आन्दोलन बन्द करो, हम काम शुरू कर दें। कट-आफ की बात भी छोड़ दो, 71 से काम शुरू करें और काम शुरू करने से हम को प्राब्लम्स् का पता चलेगा कि यह कितनी बड़ी प्राब्लमस् है और तमाम चीजें हम बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन वह कौन-एटमोसफियर पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बद-अमनी पैदा हो, जिससे लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे। मरेंगे, हिन्दुस्तानी मरेंगे और खुशी होगी तो हमारे देश के दुश्मनों को होगी।

इसके लिए मैं हाउस के मैम्बर साहबान को दोबारा धन्यवाद भी करता हूँ, चूँकि मेरा काम मेरे से ज्यादा हाउस के मैम्बर साहबान ने कर दिया है और मैं उनकी तकरीरों का दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। एक बात जो श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कही, उस का मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जब तमाम पार्टियों की मीटिंग में यह फैसला किया कि 71 से पीछे नहीं जायेंगे, तो वहां के गवर्नर ने '67 को क्यों कहा ? बात यह है कि वहाँ बातचीत चल रही थी। स्टूडेन्ट्स उनको मिलने आए, तो स्टूडेन्ट्स के मिलने से पहले किसी ने जाकर उनको यह कहा कि यह मामला निपट सकता है, अगर आप '67 को मान लें।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : किसने जाकर कहा ?

श्री जैल सिंह : उनके किसी आदमी ने।

तो मीटिंग में सिर्फ गवर्नर साहब ने कहा है कि क्या आप '67 पर आ गए हैं ? अगर आप '67 पर आए हैं तो मैं भारत सरकार को इत्तिला दे दूं कि ताकि वह इस बात पर गौर कर सके। न भारत सरकार ने '67 माना है, न गवर्नर ने '67 माना है। वह फ्लैक्सिबिलिटी जरूर चाहते हैं कि यह मामला सुलझ जाए और कोई ऐसा रास्ता जरूर निकले, ताकि उनको भी

तसल्ली हो जाए और माइनोरिटीज को भी तसल्ली हो जाए। हमारी यह ड्यूटी हैं—अगर मैजोरिटी में या माइनारिटी में ये मिसक्रिएन्ट्स बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, समझाने-बुझाने से नहीं मानते हैं तो उसको मजबूत हाथों से सुलझाया जाय और उसको ज्यादा बढ़ने न दिया जाय।

भारत सरकार की यह भी ड्यूटी है कि हम वहां ट्राइबल एरियाज को, वहां की भाषा को, वहां की कल्चर को बरकरार रखने की गारन्टी देते हैं। कोई भी ताकत उन की भाषा, उनकी कल्चर, उन की खासात को खत्म करने की कोशिश करेगी तो नहीं करने देंगे, लेकिन हम अपना परम धर्म समझते हैं कि माइनारिटीज को प्रोटेक्शन दें और उन को जिन्दा रहने का हक दिया जाय। आज जो हमारे पास एलार्मिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं उन से जाहिर होता है कि माइनारिटी वाले बहुत भयभीत हो रहे हैं। उनके भयभीत होने का कारण अभी सुलेमान सेट साहब ने बतलाया हैं—मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं।

आज चूंकि भारत की अखण्डता के लिये, वहां पर शान्ति का वायु-मंडल पैदा करने के लिये हम से इत्तिफाक रखते हैं—इसलिये मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। हालांकि कुछ दोस्तों की तकरीरों का हवाला जवाब देने के लिए मैंने अपने पास रखा था, लेकिन अब मैं उनको दोहराने में आप का वक्त नहीं लूंगा। मैं, स्पीकर साहब, आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो संकल्प रखा है कि 6 महीने की अवधि बढ़ाई जाय, उस को तमाम हाउस इत्तिफाक राय से पास करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आसाम के सम्बन्ध में 12 दिसम्बर 1979 को जारी की गई उदघोषणा को 12 जून, 1980 से छः मास की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लेखानुदानों की मांगें (आसाम) 1980-81

अध्यक्ष महोदय : हम वर्ष 1980-81 के लिए आसाम राज्य की लेखानुदान की मांगों पर चर्चा करेंगे। इस में कुछ ही मिनट लगेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : यह चर्चा कल की जा सकती है।

प्रोफेसर मधु दण्डवते (रानापुर) : अगर हम अगले विषय को लेंगे तो गृह मंत्री के भाषण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन) : इस में कुछ भी नहीं है । इसमें केवल पांच मिनट लगेंगे । वर्ष 1980-81 के लिए असाम राज्य की लेखानुदान की मांगों की सूची सभा के समक्ष प्रस्तुत है । मैं यह अनुरोध करता हूं कि इसे स्वीकृत कर लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ कटौती प्रस्ताव भी है । श्री बनातवाला ।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुलिस शीर्ष (पृष्ठ 2) की लेखानुदान मांग में 1 रु० की कटौती की जाए"

[आपस में हो रहे दंगा-फिसाद में विदेशी हस्तक्षेप का पता लगाने और आवश्यक कार्यवाही करने में विफल । (1)]

"पुलिस शीर्ष (पृष्ठ 2) की लेखानुदान मांग में 1 रु० की कटौती की जाए ।"

[असम में "विदेशी" नागरिकों के मामले और उपद्रव शान्त करने के बारे में कठोर कार्यवाही करने में विफल । (2)]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वास्तव में हमारा अनुमान था कि पहले वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करेंगे और हम कल इस पर चर्चा करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं और समय बढाये जाने के लिए इसलिए सहमत हुआ था क्योंकि प्रत्येक सदस्य ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि लेखानुदान पास किया जाएगा ।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : कृपया रिकार्ड देखें । वित्त मंत्री ने कहा है कि इस में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और अब संसदीय मामलों के मंत्री कुछ और कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह निश्चित किया गया था कि कोई चर्चा नहीं की जाएगी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : बी ए सी में इसके लिए एक घंटे का समय नियत किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक घंटा दे सकता हूँ । मैं यहां बैठने के लिए तैयार हूं । अगर सर्वसम्मति हो तो मैं समय बढ़ा सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्वसम्मति से चलना है।

श्री आर० वेंकटरामन : अगर सभा चर्चा करना चाहती है, तो जब तक सभा चाहे हम बैठेंगे और फिर हम इस पर निर्णय कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय: श्री वेंकटरामन, यह मैंने पहले ही कह दिया है। मुझे तो सदन की इच्छा ही पूरी करनी है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : हम आज इस पर चर्चा करनी नहीं चाहते। इस पर हम कल चर्चा करेंगे । इस के लिए एक घंटे का समय दिया गया है। हमने यह अनुमान लगाया था कि इस पर अलग से चर्चा होगी।

6.31 म० प०—इस के पश्चात लोक सभा बुधवार, 11 जून, 1980/ 21 ज्येष्ठ, 1902 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हो गई है।

मुद्रण : सबीना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद